



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266364
CG-DL-E-25092025-266364

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]
No. 258]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

(मामला सं. एडी (ओआई) - 21/2024)

फा. सं. 6/23/2024 – डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

- मेसर्स विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, (जिसे इसके बाद "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" या "वीओएल" के रूप में भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियम"

भी कहा गया है) के अनुसार, चीन जन. गण. और सिंगापुर (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित "कतिपय एंटीऑक्सिडेंट" (जिन्हें इसके बाद "एओ" या "संबद्ध वस्तुएं" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से एक आवेदन दायर किया है।

ख. प्रक्रिया

2. जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - क. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत किए जाने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देशों/ राष्ट्रों के दूतावासों को सूचित किया है।
 - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए, दिनांक 26 सितंबर 2024 की अधिसूचना सं. 6/23/2024-डीजीटीआर के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की है।
 - ग. प्राधिकारी ने प्रश्नावली सहित सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, सभी जात निर्यातकों, आयातकों और उपयोगकर्ताओं (जिनके विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को भेजी और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार लिखित रूप में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। उन्हें सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर उत्तर देने का परामर्श दिया गया है।
 - घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, जात निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई। किए गए अनुरोध के अनुसार, आवेदन की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई है।

ड. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, संबद्ध देशों में निम्नलिखित जात उत्पादकों/ निर्यातकों को संगत सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली भेजी है:

क्र. सं.	उत्पादक/ निर्यातक
i.	गुआंगझौ फ्लाइंग ड्रेगन
ii.	बी ए एस एफ साउथईस्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड
iii.	जियीकेम
iv.	नानजिंग लान्या कैमिकैमिकल कंपनी लिमिटेड
v.	वनलीड इनोवेशन कंपनी लिमिटेड
vi.	पॉलिजेल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
vii.	किंगदाओ रचिकेम कंपनी लिमिटेड
viii.	रियानलोन टैक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
ix.	शानडॉग लिन्यी सन्नी वैल्थ कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड
x.	एस आई ग्रुप
xi.	सॉगवोन
xii.	सुक्विन यूनिटैकेम
xiii.	यूनिटैकेम

च. संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है अथवा अनुरोध किए हैं:

क्र. सं.	प्रतिवादी उत्पादक / निर्यातक
i.	बी ए एस एफ साउथ ईस्ट एशिया पैसेफिक प्राइवेट लिमिटेड (बी एस ई ए)
ii.	बी ए एस (चाइना) कंपनी लिमिटेड (बी सी एच)
iii.	बी ए एस कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड (बी ए सी एच)
iv.	बी ए एस हांगकांग लिमिटेड (बी एच के एल)
v.	रियानलोन टैक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
vi.	रियानलोन (झोग वेर्ड) न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
vii.	रियानलोन (झूहाई) न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
viii.	रियानलोन कॉर्पोरेशन

- छ. रसायनों का एक स्टॉकिस्ट और व्यापारी, एरोकेम प्राइवेट लिमिटेड, शुरू में इस संबद्ध जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत था। बाद में कंपनी ने यह अनुरोध किया कि उसने जांच की अवधि के दौरान भारत को कोई एंटीऑक्सीडेट निर्यात नहीं किया और हितबद्ध पक्षकार सूची से हटने का अनुरोध किया था।
- ज. भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित जात आयातकों/ उपयोगकर्ताओं को भी प्रश्नावलियाँ भेजी गई थीं, जिनमें पाठनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग की गई थी:

क्र. सं.	आयातक/ उपयोगकर्ता
i.	बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड (बी आई एल)
ii.	गेल (इंडिया) लिमिटेड
iii.	हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
iv.	हाई ग्रेड इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
v.	एच पी सी एल मितल एनर्जी लिमिटेड
vi.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
vii.	मशीनो पॉलिमर्स लिमिटेड
viii.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
ix.	मितल एंटरप्राइजेज
x.	प्रकाश केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
xi.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xii.	सोलारिस केमिकल कॉर्पोरेशन (सोलारिस स्पेक की इकाई)
xiii.	ओएनजीसी पेट्रो एडिशन्स लिमिटेड
xiv.	बी सी पी एल
xv.	नायरा एनर्जी लिमिटेड

- झ. संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित आयातकों ने स्वयं को जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया है:

क्र. सं.	प्रतिवादी आयातक
i.	बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड (बी आई एल)
ii.	एम्बिशियस पॉलीटेक
iii.	एमकॉम पॉलीसोल प्राइवेट लिमिटेड

iv.	चक्रवर्ती प्लास्टिक इंडस्ट्रीज
v.	कोराप्लास्ट इंडस्ट्रीज
vi.	रिलायंस सिलबर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड
vii.	सिडमा पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड

- त्र. उपरोक्त में से, आयातक प्रश्नावली का उत्तर केवल बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड (बी आई एल) से प्राप्त हुआ है।
- ट. उपरोक्त के अतिरिक्त, 2 एसोसिएशनों अर्थात् केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सी पी एम ए) और कंपाउंड एंड मास्टरबैच मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी वर्तमान जांच में स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत किया है। एसोसिएशनों के तर्कों के संबंध में, जहां तक संभव हुआ, उचित रूप से समाधान किया गया है। तथापि, दोनों एसोसिएशनों में से, आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर केवल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सी पी एम ए) से प्राप्त हुआ है।
- ठ. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ई आई क्यू) जारी की है। घरेलू उद्योग, बी ए एस एफ ग्रुप और एक आयातक एसोसिएशन, अर्थात् सी पी ए द्वारा आर्थिक हित प्रश्नावली (ई आई क्यू) का उत्तर प्रस्तुत किया गया है।
- ड. ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, गोपनीयता के दावों को, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां तक संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
- ढ. प्राधिकारी ने दिनांक 26 सितंबर 2024 की जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 9 के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के दायरे और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पी सी एन) पर हितधारकों से जांच शुरुआत होने के 30 दिनों के भीतर टिप्पणियां आमंत्रित कीं, जो

दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गई। तथापि, प्राधिकारी द्वारा पी यू सी/पी सी एन के दायरे पर टिप्पणियां दर्ज करने के लिए आगे अर्थात् 4 नवंबर 2024 तक समय विस्तार दिया गया था।

- ए. पी यू सी/पी सी एन के दायरे पर टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 22 नवंबर 2024 को पी यू सी और पी सी एन कार्यप्रणाली के दायरे पर निर्णय लेने के लिए एक बैठक आयोजित की। प्राधिकारी ने पी यू सी और पी सी एन कार्यप्रणाली के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त कीं और उन पर विचार किया। दिनांक 11 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के माध्यम से पी यू सी और पी सी एन कार्यप्रणाली के दायरे को पुनः परिभ्रष्ट किया गया। हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस जारी होने के 30 दिनों के भीतर अर्थात् 10 जनवरी 2024 तक प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
- त. डीजी सिस्टम्स से क्षति जांच की अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देन-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। यह अनुरोध प्राधिकारी को प्राप्त हो गया है और इस अंतिम जांच परिणाम में इस पर विचार किया गया है।
- थ. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग का सत्यापन किया गया था।
- द. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण और बिक्री की लागत तथा उत्पादन लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे इसके बाद 'एन आई पी' कहा गया है) का निर्धारण किया गया है, जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के अनुसार बनाए रखा गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त है।
- ध. आवेदक ने आवेदन दाखिल करते समय जांच की अवधि के रूप में जुलाई 2023 - मार्च 2024 का प्रस्ताव रखा था। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 (12 माह की अवधि) मानी है। क्षति जांच की अवधि में 2020 - 2021, 2021 - 2022, अप्रैल 2022 - जून 2023 और जांच की अवधि शामिल है।

- न. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 21 अप्रैल 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था। हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे दिनांक 28 अप्रैल 2025 तक अपने लिखित अनुरोध और 5 मई 2025 तक प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें।
- प. निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिवर्तन के कारण, दिनांक 26 मई 2025 को एक नई मौखिक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे दिनांक 28 मई 2025 तक अपने लिखित अनुरोध और 30 मई 2025 तक प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें।
- फ. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण दिनांक 19 अगस्त 2025 को सभी हितबद्ध पक्षों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटीकरण उपरांत की टिप्पणियों की, जहां तक संगत समझा गया, जांच की है। ऐसा कोई भी आवेदन जो केवल पिछले आवेदन की पुनरावृत्ति मात्र था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, उसे संक्षिप्तता की दृष्टि से दोहराया नहीं गया है।
- ब. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार किया है या अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी टिप्पणियां दर्ज की हैं।
- भ. इस अंतिम जांच परिणाम में “***” एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना को दर्शाता है और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।
- म. अमेरिकी डॉलर को भारतीय रूपये में बदलने के लिए जांच अवधि के लिए विचारित विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = **83.99 रूपये** है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

3. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i) एओ 168 को पी यू सी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसमें मेटिलॉक्स को आधार सामग्री के रूप में उपयोग नहीं किया गया है। एक्सोटिक डेकोर प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले का संदर्भ दिया गया है, जहाँ सेस्टेट ने यह निर्णय दिया था कि प्लाईवुड की निचली परत वाली लकड़ी की फर्श को जांच में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिसूचना में निचली परत के रूप में "रीयल वुड" के उपयोग का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, यह तकनीकी या व्यावसायिक रूप से अन्य एंटीऑक्सीडेंट के लिए प्रतिस्थापनीय भी नहीं है।
 - ii) आवेदक द्वारा व्यावसायिक मात्रा में उत्पादित और बिक्री न किए गए एंटीऑक्सीडेंट को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
 - iii) आवेदक के उत्पाद गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और प्रयोगशाला परीक्षणों में असफल रहे हैं। अतः उन्हें ग्राहकों और प्रौद्योगिकियों के लाइसेंसधारकों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। उपयोगकर्ताओं से प्राप्त पत्राचार से यह पता चलता है कि आवेदक का उत्पाद उपयोगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित विनिर्देशों से मेल नहीं खाता है। घटिया पैकेजिंग के कारण, आवेदक के उत्पाद में गांठें बनने की संभावना है और यह उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे कंपाउंड की प्रवाहशीलता प्रभावित होती है।
 - iv) विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, अर्थात् पाउडर और टैबलेट, की कीमत और लागत अलग-अलग होती है। पाउडर से टैबलेट बनाने के लिए एक अतिरिक्त निर्माण प्रक्रिया शामिल होती है। एंटीऑक्सीडेंट की टाइप के आधार पर पी सी एन पद्धति को अतिरिक्त रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।

- v) आवेदक ने दो मिश्रणों (ब्लैंड), अर्थात् बी215 और बी225, का उत्पादन और बिक्री की है, जिसका तात्पर्य यह है कि उसने संबंधित एंटीऑक्सीडेंट के किसी अन्य ब्लैंड की बिक्री नहीं की है। उत्पाद का दायरा केवल इन्हीं दो ब्लैंड तक सीमित होना चाहिए।
- vi) पी यू सी परिभाषा का क्लॉज (छ) को हटाया जाना चाहिए, जिसमें किसी अन्य उत्पाद के साथ संबंधित एंटीऑक्सीडेंट का ब्लैंड शामिल है, यदि परिणामी ब्लैंड में संबंधित एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा 50% या उससे अधिक होती है। यह खंड बहुत व्यापक है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट के अलावा अन्य उत्पादों के ब्लैंडिंग को भी शामिल किया जा सकता है, जिनके लिए आवेदक द्वारा कोई समान उत्पाद प्रस्तुत नहीं किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रायः अन्य योजकों के साथ लिए जाते हैं। ब्लैंड सामग्री में एंटीऑक्सीडेंट के अलावा अन्य एडिटिव भी हो सकते हैं। यदि ब्लैंड में एंटीऑक्सीडेंट के अलावा अन्य एडिटिव मुख्य कार्य पर प्रभावकारी हो जाते हैं, तो मिश्रण अब एंटीऑक्सीडेंट नहीं रह जाता है।
- vii) यदि पी यू सी परिभाषा में संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट्स के ब्लैंड को “किसी अन्य उत्पाद” के साथ शामिल किया गया है, तो यह सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप नहीं होगा और पाठन, क्षति तथा कारणात्मक विश्लेषण गलत हो जाएगा।
- viii) पी यू सी परिभाषा के क्लॉज (छ) में 50% का मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत अपर्याप्त है कि अंतिम ब्लैंड एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यदि क्लॉज (छ) को बनाए रखा रखा जाता है, तो संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट के अनुपात को भार के संदर्भ में कम से कम 80% तक संशोधित किया जाना चाहिए।
- ix) "समतुल्य" और "अन्य उत्पाद" शब्द से पी यू सी की परिभाषा अस्पष्ट हो जाती हैं और कोई स्पष्टता प्रदान नहीं करती है। यह स्पष्ट नहीं है कि सीमा शुल्क अधिकारी, विवरण से, "समतुल्य" या कम से कम 50% संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट वाले उत्पादों को कैसे पहचान पाएंगे।
- x) प्रवंचना की आशंका होने से, ब्लैंड को जांच के दायरे में सम्मिलित किए जाने को आधार नहीं बनाया जा सकता। प्रवंचना की संकल्पना केवल वहीं लागू होगी जहां पर यह दर्शाया जा सके कि प्रवंचना करने वाला उत्पाद व्यावसायिक और तकनीकी दृष्टि

से पी यू सी का स्थान ले सकता है या ऐसी स्थितियों में जहां यह स्थापित किया जा सके कि प्रवंचना करने वाले उत्पाद का उपयोग किसी भीप्रकार की रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा पी यू सी के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। आवेदक का यह दावा है कि आवश्यक विशिष्टताओं अथवा अंतिम उपयोग में परिवर्तन किए बिना संरचना में मामूली सा बदलाव करके प्रवंचना को रोकने के लिए खंड (छ) को शामिल किया जाना आवश्यक है। तथापि, प्रवंचना संभव नहीं है क्योंकि अंतिम उपयोग अलग-अलग हैं।

- xii) एओ बी2777, एओ168 और एओ1790 के 2:1 अनुपात में ब्लैंड को रियानलोन द्वारा निर्यात किया जाता है। चूंकि आवेदक द्वारा एओ1790 का निर्माण नहीं किया जाता है, अतः वे बी2777 का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तथापि, यह ब्लैंड पी यू सी के दायरे में आता है। अतः आवेदक को बी2777 के समतुल्य उत्पाद को प्रकटन करना आवश्यक होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, ब्लैंडिंग केवल मिश्रण से कहीं अधिक है; और इसमें व्यापक शोध, स्थिर उत्पादन और टाइट्रेशन प्रयोगों के माध्यम से अपेक्षित गुणों को हासिल करना शामिल है।
- xiii) रियानलोन की प्राधिकारी के साथ इस बात पर असहमति है कि इस संबंध में साक्ष्य का अभाव है कि आवेदक द्वारा समान वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है। यदि आवेदक द्वारा बी2777 का निर्माण किया जा रहा है, तो प्रमाण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उसी की है। इसकी जिम्मेदारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों पर नहीं डाली जा सकती है।
- xiv) आवेदक द्वारा उल्लिखित की गई सीमा शुल्क टैरिफ की व्याख्या के सामान्य नियमों के संबंध में, उत्पाद वर्गीकरण केवल सांकेतिक है। केवल यह तथ्य होने से कि कोई उत्पाद किसी विशेष शीर्ष के अंतर्गत आता है, वह स्वतः ही "समान वस्तु" नहीं हो

जाता है। कई जांचों में, यहां तक कि जब पी यू सी और एन पी यू सी दोनों को एक ही शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, तब भी प्राधिकारी ने एन पी यू सी को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा है।

- xv) आवेदक ने यह कहा कि उसने आयात संबंधी डेटा का विश्लेषण किया है, जिसमें एच एस कोड भी शामिल हैं जिनका उल्लेख जांच शुरुआत सूचना में नहीं किया गया है। पी यू सी के अत्यधिक व्यापक वर्गीकरण में वे उत्पाद भी शामिल होंगे जो आवेदक द्वारा निर्मित नहीं हैं और इससे अधिक संरक्षण की संभावना बढ़ जाएगी।
- xvi) जहां कुल आयातों का मात्र 4% ब्लैंड है और आवेदक की अपनी घरेलू बिक्री का 8% है, अर्थात् एक छोटा सा अंश है, वहां पाठन होने का कोई मामला नहीं बनता है।
- xvii) आवेदक का यह दावा है कि ब्लैंड को बाहर किए जाने से शुल्क कम हो जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता आसानी से शुद्ध एओ के स्थान पर ब्लैंड उत्पादों को अपना सकता हैं। तथापि, ब्लैंड करना एक सरल प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए शोध किए जाने की आवश्यकता है।
- xviii) आवेदक यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि वह बी2777 के समान उत्पाद का उत्पादन करता है और आयातित उत्पाद के साथ अपने उत्पाद की अदला-बदली के दावे को भी प्रमाणित करने में विफल रहा है। यह स्वीकार किया गया है कि आवेदक इस ब्लैंड का उत्पादन नहीं कर सकता। अतः बी2777 को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- xix) किसी ब्लैंड के लिए सी ए एस उपलब्ध न होना यह दर्शाता है कि ब्लैंड एक विशिष्ट प्रक्रिया है। ब्लैंड की असीम संरचना संभव होने से एक विशिष्ट सी ए एस संख्या प्राप्त करना असंभव हो जाता है।
- xx) एक बार ब्लैंड तैयार हो जाने के बाद, यह एक एकल कार्यात्मक उत्पाद बन जाता है, जो अपने अलग-अलग एंटीऑक्सीडेंट घटकों में वापस नहीं आ सकता है। अतः आवेदक का यह दावा कि ब्लैंड को बाहर किए जाने से ग्राहक शुद्ध एओ के स्थान पर ऐसे ब्लैंड उत्पादों को अपनाएंगे, जिससे कि उसे एओ168 की बिक्री में अनुमानित 2400 मीट्रिक टन की हानि होगी, गलत है।

- xxi) किसी ब्लैंड में केवल संबद्ध एओ पर ही शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव प्राधिकारी के लिए प्रत्येक ब्लैंड में संबद्ध एओ की मात्रा की पहचान करने में एक व्यावहारिक चुनौती प्रस्तुत करता है।
- xxii) जहां तक संदर्भित जांचों, अर्थात् 2,4-डी और कुछ एपॉक्सी रेजिन का संबंध है, इन मामलों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्दिष्ट सीमाओं के आधार पर मिश्रणों के भीतर केवल संबद्ध घटक पर ही शुल्क लगाया जाता है।
- xxiii) सी पी एम ए इस बात की पुष्टि करता है कि उसके सदस्य केवल शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं और ये ब्लैंड न तो खरीदे जाते हैं और न ही घरेलू बाजार में व्यावसायिक रूप से प्रासंगिक हैं। अतः उत्पाद के दायरे में ब्लैंड को शामिल करना अनुचित है क्योंकि उपयोगकर्ता के अनुरोध और आवेदक के अपने आंकड़े शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट के उपयोग और वरीयता को दर्शाते हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

4. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- विचाराधीन उत्पाद "एंटीऑक्सीडेंट" है जो निम्नलिखित सी ए एस संख्याओं या उनके समतुल्य के अनुरूप है:
 - 6683-19-8, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1010 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्राकिस (3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल) प्रोपियोनेट) है।
 - 2082-79-3, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1076 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ऑक्टाडेसिल-3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल)-प्रोपियोनेट है।

- ग) 31570-04-4, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 168 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ट्रिस(2,4-डाइ-टर्ट ब्यूटाइलफेनिल)फाँस्फाइट है।
- घ) 23128-74-7, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1098 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम एन,एन'-हेक्सेन-1,6-डाइ-लबिस (3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रोक्सीफेनिलप्रोपियोनामाइड) है।
- इ) 125643-61-0, जिसे एंटीऑक्सीडेंट एल135 या 1135, इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। रासायनिक नाम है बैंजीनप्रोपेनोइक अम्ल, 3,5-बिस (1,1-डाइमिथाइलएथिल)-4-हाइड्रोक्सी-, सी7-9-ब्रांच्ड एल्काइल एस्टर)
- च) (क) से (इ) में उल्लिखित एंटीऑक्सीडेंट के ब्लैंड
- छ) (क) से (इ) में दिए गए किसी भी उत्पाद को मुख्य घटक/ भाग के रूप में रखने वाले एंटीऑक्सीडेंट।
- ii) पॉलिमर में एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीकरण को रोकने के लिए आवश्यक हैं, अर्थात्, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन किसी निश्चित पदार्थ के संपर्क में आकर उसका क्षरण करती है। प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण उच्च तापमान पर किया जाता है जिससे कच्चे पॉलिमर को हानि होती है, क्योंकि वे तापीय ऑक्सीकरण नामक प्रक्रिया से गुजरते हैं। पॉलिमर को स्थिर बनाए रखने के लिए, निर्माण प्रक्रिया के दौरान एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं।
- iii) विचाराधीन उत्पाद को बड़ी संख्या में एच एस कोड के अंतर्गत, मुख्य रूप से सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 29 और 38 के अंतर्गत आयात किया जा रहा है। आयातक वैकल्पिक एच एस कोड के अंतर्गत भी आयात कर सकते हैं, जिससे वास्तविक मात्रा की कम सूचना हो सकती है। प्राधिकारी द्वारा पहले से विचाराधीन कोड के अलावा ऐसे अन्य कोडों को भी जांच के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।
- iv) संबद्ध वस्तुओं का लेन-देन कई ब्रांड नामों और विवरणों के अंतर्गत किया जाता है। उत्पाद के लिए कोई वैश्विक रूप से परिभाषित/ संहिताबद्ध नाम नहीं है। कुछ

कंपनियों की संबद्ध वस्तुओं के लिए अपने स्वयं के ब्रांड नाम हैं, और ऐसे सभी नामों की पहचान करना संभव नहीं हो सकता है। शब्द "और इसके समतुल्य" का प्रयोग संबद्ध वस्तुओं के वैकल्पिक नामों को दर्शाने के लिए किया गया है।

- v) पी यू सी परिभाषा के क्लॉज (छ) में शब्द "अन्य उत्पाद" से तात्पर्य ब्लैंड में एंटीऑक्सीडेंट के अलावा कार्यात्मक एडिटिव से है, जो एंटीऑक्सीडेंट की विशेषता से अंतिम अनुप्रयोग में अन्य कार्य प्रदान करते हैं।
- vi) सीएएस संख्या या कैमिकल एब्सट्रैक्ट सर्विस संख्या, जिससे केवल एक पदार्थ के लिए निर्दिष्ट की गई एक विशिष्ट संख्या की पहचान होती है और इसलिए प्रत्येक रसायन के लिए यह विशिष्ट है, इसलिए पी यू सी की पहचान करने के लिए विश्वास किया गया है।
- vii) आवेदक द्वारा घरेलू बाजार में केवल बी215 और बी225 ब्लैंड की ही बिक्री की जा रही है। तथापि, बी1171 और बी912 जैसे अन्य ब्लैंड भी हैं जिनका उत्पादन किया गया है और निर्यात बाजार में आपूर्ति की जा चुकी है। आवेदक के पास ब्लैंड का निर्माण करने की क्षमता है। ब्लैंड कोई जटिल या तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। इसमें केवल एंटीऑक्सीडेंट्स का भौतिक ब्लैंड किया जाना आवश्यक है। एक बार जब इस संयोजन/ अनुपात की जानकारी हो जाती है जिसमें कि अलग-अलग उत्पादों को मिलाना होता है, जिसके लिए केवल आर एंड डी की जरूरत होती है, तो ब्लैंड में केवल उत्पाद का मिश्रण करना शामिल होता है। ब्लैंड के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनें फंजीबल हैं, अर्थात्, इन्हें किसी भी अपेक्षित अनुपात में आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट वाला सभी प्रकार का ब्लैंड तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।
- viii) इस तर्क के संबंध में कि ब्लैंडिंग के लिए केवल मिश्रण करने की ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसे टाइट्रेशन प्रयोगों के द्वारा उत्पादन और अपेक्षित गुणों को स्थिर करना भी आवश्यक होता है, यह बिना किसी आधार के है। ग्राहकों को ब्लैंड और उपयोग किए जाने वाले अनुपात की जानकारी होती है। ब्लैंडिंग की प्रक्रिया में अपने आप से आर एंड डी की आवश्यकता नहीं होती है।
- ix) आयातित और घरेलू बिक्री, दोनों में ब्लैंडिंग का एक छोटा का सा भाग होता है। तथापि, एंटीऑक्सीडेंट्स का शुद्ध रूप में या अलग-अलग उपयोग बहुत कम होता है।

उद्योग में इनका प्रयोग डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों में ब्लैंड करने के लिए किया जा रहा है; अतः उपभोक्ता सामान्यतः शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट की खरीद करते हैं, लेकिन उनका उपयोग संयोजन में करते हैं। चूंकि उपयोगकर्ता अंततः एंटीऑक्सीडेंट के संयोजन (कंबिनेशन) या ब्लैंड का ही उपयोग करते हैं, अत उपयोगकर्ता: ब्लैंड को उत्पाद के दायरे से बाहर रखने से आसानी से शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट के आयातों के स्थान पर ब्लैंड को अपना सकेंगे।

- x) यदि पाटनरोधी शुल्क केवल शुद्ध एओ पर लागू होता है और ब्लैंड को छूट प्राप्त है, तो ब्लैंड का शुल्क-मुक्त आयात किया जा सकता है, भले ही उनके स्थान पर तकनीकी और व्यावसायिक रूप से शुद्ध रूपों का प्रयोग किया जा सकता है, इस प्रकार क्लॉज (क) से (च) के अंतर्गत कवर होने वाले उत्पाद टाइप पर शुल्कों को बाहर किया किया जा सकता है।
- xi) ब्लैंड की व्यापक क्षमता यह दर्शाती है कि ब्लैंड करने में केवल जात अनुपात में एंटीऑक्सीडेंट को मिलाए जाने की एक सरल प्रक्रिया शामिल है। ब्लैंड को बाहर किए जाने से शुल्कों का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा।
- xii) ब्लैंड तैयार करने के लिए शोध करना आवश्यक होता है, लेकिन ब्लैंडिंग स्वयं एक सरल भौतिक मिश्रण है। इसमें किसी रासायनिक प्रक्रिया का समावेश नहीं होता है। संघटकों में भी कोई बदलाव नहीं होता है, बल्कि ब्लैंड करने में इनके अपने मूल गुण को बने रहते हैं। वास्तव में, किसी ब्लैंड की कोई सी ए एस संख्या नहीं होती, बल्कि उसे उसके संघटक उत्पादों की सी ए एस संख्या के आधार पर निर्दिष्ट किया जाता है।
- xiii) यद्यपि 95% संबद्ध वस्तुएं, चाहे वे आयात की गई हों या घरेलू स्तर पर निर्मित की गई हों, अपने शुद्ध रूप में बिक्री की जाती हैं, लेकिन उपभोग की जाने वाली पूरी मात्रा ब्लैंड रूप में होती है। उपभोक्ता या तो सीधे ब्लैंड की खरीद कर सकते हैं; शुद्ध उत्पाद की खरीद कर सकते हैं, उन्हें अपेक्षित अनुपात में ब्लैंड कर सकते हैं और परिणामस्वरूप तैयार ब्लैंड की कीमत ले सकते हैं; या केवल शुद्ध उत्पादों की अपेक्षित अनुपात में खरीद करके उनकी कीमत ले सकते हैं।

- xiv) यदि क्लॉज (छ) को हटा दिया जाता है, तो शुल्क लगाए जाने के बाद आयातक 95% एंटीऑक्सीडेंट और 5% अन्य सामग्री वाले ब्लैंड का आयात भी शुरू कर सकते हैं ताकि शुल्कों से बचा जा सके। सके। तथापि, कार्यात्मक रूप से यह समान रहेगा, लेकिन यदि क्लॉज (छ) को हटा दिया जाता है, तो ऐसा उत्पाद शुल्क के दायरे से बाहर होगा।
- xv) कुछ ग्राहक आवेदक से संबद्ध एओ और अन्य स्रोतों से असंबद्ध एओ की खरीद करते हैं, उन्हें ब्लैंड करते हैं और उपभोग करते हैं। उदाहरण के लिए, संबद्ध एओ 168 को प्लास्टिक उद्योग में उपयोग किए जाने के लिए 1:2 के अनुपात में एओ 1330, एओ 3114 और एओ 1024 जैसे असंबद्ध एओ के साथ ब्लैंड किया जाता है। यदि क्लॉज (छ) को हटा लिया जाता है, तो ये ग्राहक सीधे ब्लैंड का आयात कर सकते हैं, जिससे आवेदक को एओ 168 की बिक्री में 2,400 मीट्रिक टन की अनुमानित वार्षिक हानि होगा। आवेदक के उत्पाद को उपभोक्ताओं द्वारा अनुमोदित किया गया है। गुणवत्ता की शिकायतें व्यवसाय में सामान्य बात हैं, विशेष रूप से एक नए उद्योग के लिए। समय के साथ शिकायतों में कमी आई है और आवेदक ने उनका समाधान किया है, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार आदेश दिए गए हैं।
- xvi) एओ 168 को बाहर करना उचित नहीं है। सभी फेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट के लिए 2.6 डी टी बी पी से बने मेटिलॉक्स का कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। एओ 168, एक फॉस्फेट एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें 2.4 डी टी बी पी का उपयोग करता है। यह अंतर उन्हें अलग-अलग उत्पादों के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। एंटीऑक्सीडेंट, चाहे उनकी संरचना कुछ भी हो, मुख्य रूप से प्लास्टिक फार्मुलेशन में एडिटिव के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जो समान उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और इस प्रकार उन्हें एक ही उत्पाद माना जाता है।
- xvii) जांच शुरूआत सूचना जांच का आधार है और इसका उद्देश्य एक संपूर्ण दस्तावेज़ होना नहीं है। नियमों के तहत, प्राधिकारी को हितधारकों के अनुरोध के आधार पर जांच के दौरान उत्पाद के दायरे को स्पष्ट करने का पूरा अधिकार है। पी यू सी अधिसूचना में, प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों को नोट किया और एओ 168 को पी यू सी दायरे में शामिल करते हुए, इसे एक अलग पी सी एन दिया, जो यह दर्शाता है कि मेटिलॉक्स को एक उत्पाद के रूप में मानने का एकमात्र मानदंड नहीं है।

- xviii) (क) विचाराधीन उत्पाद अंदर आंतरिक समतुल्यता, (ख) विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों की परस्पर अदला बदली, (ग) विभिन्न प्रकारों की लागत और कीमतों में समानता के लिए कोई विधिक अपेक्षा नहीं है।
- xix) जहां यह कथन दिया गया है कि सभी एंटीऑक्सीडेंट कच्ची सामग्री के रूप में मेटिलॉक्स का उपयोग करते हैं, के स्थान पर "जबकि एओ 1010, एओ 1076, एओ 1098 और एल135 कच्ची सामग्री के रूप में 2.6 डी टी बी पी का उपयोग करते हैं और एओ 168 कच्ची सामग्री के रूप में 2.4 डी टी बी पी का उपयोग करते हैं, मुख्य अंतर प्रत्येक एंटीऑक्सीडेंट टाइप के लिए विशिष्ट अतिरिक्त डी टी बी पी और प्रत्येक एंटीऑक्सीडेंट के लिए तैयार की गई विशिष्ट प्रक्रिया स्थितियों का है", रखा जा सकता है।
- xx) ऐसे कथित एंटीऑक्सीडेंट, जिनके संबंध में यह कहा गया है कि उनकी बिक्री नहीं की गई है, वास्तव में आवेदक द्वारा वाणिज्यिक मात्रा में उनका उत्पादन और बिक्री की गई है।
- xxi) क्लॉज (छ) में 50% मानदंड का प्रस्ताव इस कारण से किया गया है कि एक 50% या अधिक के ब्लैंड का उत्पाद उसके परिणामस्वरूप हुए ब्लैंड को अपनी आवश्यक विशिष्टताएं प्रदान करेगा। अधिकांश ब्लैंड सामान्यतः 1:1 अथवा 1:2 के अनुपात में मिश्रित होते हैं। इस सीमा को 80% तक बढ़ाने के सुझाव में वैज्ञानिक आधार की कमी है।
- xxii) पी यू सी की परिभाषा के अंतर्गत शामिल पी यू सी के रूपों को अलग-अलग पी सी एन के रूप में माना जा सकता है। क्लॉज (च) के तहत शामिल ब्लैंड के मामले में, प्रत्येक ब्लैंड को अलग-अलग एंटीऑक्सिडेंट के भाग के साथ अलग से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। जबकि क्लॉज (छ) के तहत शामिल ब्लैंड के मामले में, प्रत्येक ब्लैंड को उसमें संबद्ध एंटीऑक्सिडेंट के भाग के साथ अलग से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। हितबद्ध पक्षकार ब्लैंड के भाग स्वरूप अन्य संघटक के मूल्य की पहचान कर सकते हैं और अपने दावे के समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं।
- xxiii) पाउडर और टैबलेट के रूप में पी सी एन निर्धारित करना आवश्यक नहीं है। ये केवल सबद्ध वस्तुओं के विभिन्न रूप हैं। पहले पाउडर रूप का उत्पादन किया जाता है

और उसके बाद केवल 2% मूल्य वृद्धि करके टेबलेट में तैयार किया जाता है। लागत का अंतर नगण्य है। इसके अतिरिक्त, आयात संबंधी डेटा में एंटीऑक्सीडेंट के रूप की पहचान नहीं की जा सकती। बाज़ार आसूचना से यह पता चलता है कि अधिकांश आयात पाउडर के रूप में होते हैं। आवेदक मांग के अनुसार दोनों रूपों का उत्पादन कर सकता है।

- xxiv) संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री सामान्यतः मीट्रिक टन (एमटी)/ किलो ग्राम (किग्रा) में व्यक्त शुद्ध भार के रूप में की जाती है। अध्याय 29 और 38 के अंतर्गत सभी कोडों के लिए माप की निर्धारित इकाई, अर्थात् वे कोड जिनके अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, उनका भार भी किलो ग्राम में ही है।
- xxv) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और चीन जन. गण. तथा सिंगापुर से आयात की गई संबद्ध वस्तुएं, भौतिक एवं रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विषणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशिष्टताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।
- xxvi) शुल्कों की सिफारिश केवल ब्लैंड में संबद्ध एओ की मात्रा तक ही की जा सकती है। इस प्रकार, असंबद्ध एओ पर लगाए जा रहे शुल्कों के संबंध में किसी भी समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान किया जाएगा।
- xxvii) सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की व्याख्या के लिए सामान्य नियमावली का पैरा 3(ख) यह स्थापित करता है कि जहां कोई उत्पाद एक से अधिक संघटकों से मिल कर बना होता है, वहां आवश्यक विशिष्टता प्रदान करने वाला संघटक उसके वर्गीकरण के लिए निर्णायक होता है। यह उत्पाद की आवश्यक विशिष्टता का उल्लेख करता है, जो भौतिक विशिष्टताओं, अंतिम उपयोगों और उपभोक्ता की धारणा, उत्पाद के दायरे और समान वस्तु का विश्लेषण किए जाने के प्रमुख कारकों के आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। जहां पर वर्गीकरण उत्पाद की आवश्यक विशिष्टता और प्रमुख संरचना के अनुरूप होता है, वहां पर यह आयात किए गए उत्पाद और घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तु के बीच समानता की मात्रा निर्धारित करने में एक सहायक कारक के रूप में कार्य करता

है। अतः सामान्य नियम इस तर्क का समर्थन करते हैं कि एओ की विशिष्टता एओ के प्रमुख संघटक द्वारा निर्धारित की जाएगी।

- xxviii) जहां तक एओ के अलावा अन्य कार्यात्मक एडिटिव सहित ब्लैंडिंग अवयवों का संबंध है, किसी ब्लैंडिंग में अन्य कार्यात्मक योजकों एडिटिव को शामिल करने से वह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में अयोग्य नहीं हो जाता है। यदि ब्लैंड में एंटीऑक्सीडेंट का कोई कार्य नहीं होता, तो उसे ब्लैंड में नहीं मिलाया जाता।
- xxix) जहां तक बी2777 अर्थात् पी यू सी की परिभाषा के क्लॉज (छ) के अंतर्गत आने वाले ब्लैंड को बाहर करने का संबंध है है, यह ब्लैंड केवल रियानलोन द्वारा नहीं बनाया गया है। इसका निर्माण अन्य उत्पादक भी करते हैं। घरेलू उद्योग अन्य आपूर्तिकर्ताओं से असंदर्ध संघटक अर्थात् एओ 1790 प्राप्त करके बी2777 बना सकता है। चूंकि इसका बाजार छोटा है, इसलिए घरेलू उद्योग ने ऐसा ब्लैंड नहीं बनाया है। अंतिम उपयोगकर्ता एओ 168 और एओ 1790 को अलग-अलग भी खरीद सकते हैं और समान स्थिरीकरण गुण प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। घरेलू उद्योग, किसी भी स्थिति में, केवल ब्लैंड के संबंध एओ संघटक पर ही पाटनरोधी शुल्क की मांग करता है, पूरे ब्लैंड पर नहीं। उदाहरण के लिए, यदि एओ 168, बी2777 का 67% है, तो कुल मात्रा के केवल 67% पर ही शुल्क लागू होगा।
- xxx) जहां तक बी2777 को अन्य ब्लैंड, अर्थात् बी215 और बी225 से काफी भिन्न अनुप्रयोग होने के कारण बाहर करने का संबंध है, बी2777 एक ऐसा ब्लैंड है जिसमें दो-तिहाई भाग ब्लैंड एओ का है और इसलिए इसका आयात होने से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- xxxi) जहां तक 60% संबंध एओ और 40% दो अन्य एओ के साथ प्रोपरायटरी ब्लैंड का संबंध है, जिसके संबंध में यह आरोप लगाया गया है कि इसका उत्पादन आवेदक द्वारा नहीं किया गया है, यहां तक कि प्रतिवादी ने ऐसे ब्लैंड के नाम का भी उल्लेख नहीं किया है, जिससे घरेलू उद्योग को ब्लैंड की प्रकृति या वर्गीकरण परके संबंध में सूचित टिप्पणियां देने से रोका जा रहा है। फिर भी, शुल्क केवल ब्लैंड के ऐसे भाग पर ही लगाया जा सकता है जिसमें संबंध एओ शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति न किए गए वास्तविक ब्लैंड के उपयोगकर्ताओं को कोई अनुचित हानि न हो।

- xxxii) जहां तक इस दावे का संबंध है कि आवेदक के पास ब्लैंड का उत्पादन करने के लिए जानकारी का अभाव है, यह बिना किसी आधार के है। ब्लैंड की बिक्री सामग्री के नामों का प्रकटन करके की जाती है, जिससे सूचना सुलभ हो जाती है। इसके अलावा, इनमें से कोई भी ब्लैंड पेटेंट के तहत कवर नहीं किया गया है। यदि वे वास्तव में विशिष्ट अथवा प्रोपरायटरी के होते, तो वे पेटेंट के योग्य होते।
- xxxiii) आवेदक एक ग्राहक के साथ संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट और असंबद्ध एंटीऑक्सीडेंट के ब्लैंड के संबंध में भी चर्चा कर रहा है।
- xxxiv) आवेदक ने केवल संबद्ध एओ की मात्रा तक ही पाठनरोधी शुल्क लगाए जाने की मांग की है। प्राधिकारी इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि असंबद्ध एओ पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
- xxxv) भारत और चीन से 2,4-डी पर यू एस जांच में, यह पाया गया था कि 2,4-डी एसिड को उसके साल्ट अथवा एस्टर में परिवर्तित करना अथवा 2,4-डी के साथ असंबद्ध उत्पादों का निर्माण करना, 2,4-डी, उसके साल्ट अथवा उसके एस्टर को उत्पाद के दायरे से बाहर करना नहीं है। इस मामले में, वाणिज्य विभाग ने केवल 2,4-डी, उसके साल्ट और फॉर्मूलेशन के भीतर एस्टर संघटकों पर शुल्क लगाया। इसी प्रकार, एपॉक्सी रेजिन मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने माना कि यदि एपॉक्सी रेजिन कुल वजन का कम से कम 30% बनाता है तो मोडिफायर या एडिटिव को उत्पाद के दायरे में शामिल किया गया था।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

5. आवेदन और जांच शुरुआत अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित सीएएस संख्याओं या उनके समकक्ष के अनुरूप एंटीऑक्सीडेंट के रूप में परिभाषित किया गया था:
- क) 6683-19-8, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1010 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्राकिस (3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रोक्सीफेनिल) प्रोपियोनेट) है।

- ख) 2082-79-3, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1076 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ऑक्टाडेसिल-3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रोक्सीफेनिल)-प्रोपियोनेट है।
- ग) 31570-04-4, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 168 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ट्रिस(2,4-डाइ-टर्ट ब्यूटाइलफेनिल)फॉस्फाइट है।
- घ) 23128-74-7, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1098 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम एन,एन'-हेक्सेन-1,6-डाइ-लविस (3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रोक्सीफेनिलप्रोपियोनामाइड) है।
- ङ) 125643-61-0, जिसे एंटीऑक्सीडेंट L135 या 1135, इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। रासायनिक नाम है बैंजीनप्रोपेनोइक अम्ल, 3,5-बिस (1,1-डाइमिथाइलएथिल)-4-हाइड्रोक्सी-, सी7-9-ब्रांच एल्काइल एस्टर)
- च) (क) से (ङ) में उल्लिखित एंटीऑक्सीडेंट के ब्लैंड
- छ) (क) से (ङ) में दिए गए किसी भी उत्पाद को मुख्य घटक/ भाग के रूप में रखने वाले एंटीऑक्सीडेंट।
6. आवेदक ने यह प्रस्ताव दिया कि पी यू सी के दायरे में आने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट को अलग-अलग पी सी एन द्वारा दर्शाया जाना चाहिए।
7. हितबद्ध पक्षकारों को, जांच शुरूआत सूचना के पैरा 9 के माध्यम से, जांच शुरू होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तावित पी सी एन पद्धति पर अपनी टिप्पणियाँ/ सुझाव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। इसके बाद, पी यू सी/ पी सी एन पद्धति पर टिप्पणियाँ या सुझाव दाखिल करने की समय-सीमा को दिनांक 4 नवंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया।
8. हितबद्ध पक्षकारों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं थी। टिप्पणियों के प्राप्त होने के बाद, पी यू सी और पी सी एन कार्यप्रणाली के दायरे पर की गई टिप्पणियों पर चर्चा करने और उन्हें समझने के लिए दिनांक 22 नवंबर 2024 को अपराह्न 04:00 बजे (आईएसटी) एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। चर्चा किए जाने के बाद, हितबद्ध

पक्षकारों को दिनांक 27 नवंबर 2024 तक लिखित रूप में अपनी टिप्पणियों को विस्तृत रूप में और उन्हें आगे प्रमाणित करने की अनुमति दी गई। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 2024 के नोटिस के माध्यम से जांच की गई।

9. “पी यू सी के दायरे को दिनांक 11 दिसंबर 2024 के नोटिस के माध्यम से इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है:

- क) 6683-19-8, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1010 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्राकिस (3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल) प्रोपियोनेट) है।
- ख) 2082-79-3, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1076 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ऑक्टाडेसिल-3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल)-प्रोपियोनेट है।
- ग) 31570-04-4, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 168 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ट्रिस(2,4-डाइ-टर्ट ब्यूटाइलफेनिल) फास्फाइट है।
- घ) 23128-74-7, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1098 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम एन,एन'-हेक्सेन-1,6-डाइ-लबिस (3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिलप्रोपियोनामाइड) है।
- इ) 125643-61-0, जिसे एंटीऑक्सीडेंट एल135 या 1135, इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। रासायनिक नाम है बैंजीनप्रोपेनोइक अम्ल, 3,5-बिस (1,1-डाइमिथाइलएथिल)-4-हाइड्रॉक्सी-, सी7-9-ब्रांच एल्काइल एस्टर)
- घ) (क) से (इ) में उल्लिखित एंटीऑक्सीडेंट के ब्लैंड
- छ) (क) से (इ) में उल्लिखित संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट का किसी अन्य उत्पाद के साथ ब्लैंड, यदि परिणामी ब्लैंड में संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा 50% या उससे अधिक है””

10. यह भी स्पष्ट किया गया कि:

- क. "समतुल्य" शब्द क्लॉज (क) से (ड) के अंतर्गत संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट के वैकल्पिक नामों या कंपनी-विशिष्ट ब्रांड नामों को संदर्भित करता है।
- ख. क्लॉज (छ) के अंतर्गत "कोई अन्य उत्पाद" असंबद्ध एंटीऑक्सीडेंट और/अथवा मीट्रिक टन में भार के अनुसार किसी भी एडिटिव को संदर्भित करता है।
- ग. ब्लैंड के मामले में, हितबद्ध पक्षकार (क) उसके भाग स्वरूप संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट और (ख) ब्लैंड में विभिन्न एओ का अंश निर्दिष्ट कर सकते हैं।

11. यह विचार करते हुए कि प्रत्येक प्रकार के एओ की लागत अलग होती है और इसलिए कीमत भी अलग होती है, पीयूसी के दायरे में आने वाले उत्पाद प्रकारों को अलग-अलग पीसी एन माना गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ब्लैंड को एक अलग पीसी एन माना गया है। तदनुसार, निम्नलिखित पीसी एन पद्धति अपनाई गई है।

क्र सं	विशेषता	विवरण	कोड
a)	उत्पाद का प्रकार	एंटीऑक्सीडेंट	ए
		ब्लैंड	बी
b)	एंटीऑक्सीडेंट का प्रकार	6683-19-8, जिसे AO 1010 और इसके समकक्ष भी कहा जाता है	1010
		2082-79-3, जिसे एओ 1076 और इसके समकक्ष भी कहा जाता है	1076
		31570-04-4, जिसे एओ 168 और इसके समकक्ष भी कहा जाता है	0168
		23128-74-7, जिसे एओ 1098 और इसके समकक्ष भी कहा जाता है	1098
		125643-61-0, जिसे एओ एल135 या 1135, इसके समकक्ष भी कहा जाता है	1135

c)	ब्लैंड का प्रकार	विषय एओ के ब्लैंड संबद्ध एओ और असंबद्ध एओ/ उत्पादों के ब्लैंड	बी ए बी ओ
----	------------------	---	--------------

12. प्राधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि क्लॉज (छ) के अनुसार, ऐसे ब्लैंड का केवल संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट ही इस जांच के दायरे में आता है और यदि सिफारिश की जाती है, तो पाटनरोधी शुल्क केवल उस ब्लैंड के भाग पर लागू होगा जिसमें संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट शामिल है। किसी भी स्थिति में, यदि सिफारिश की जाती है, तो असंबद्ध संघटक उपायों के दायरे से बाहर होंगे।
13. अन्य पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि जांच शुरुआत अधिसूचना में यह कहा गया है कि सभी संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट मेटिलॉक्स को आधार कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं और एओ168 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर होना चाहिए क्योंकि यह मेटिलॉक्स को कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग नहीं करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि एओ 168 आवेदक द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता है और यह अन्य एंटीऑक्सीडेंट से भिन्न है, इसके एच एस कोड अलग हैं, और तकनीकी या व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य नहीं है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने स्पष्ट किया है कि सभी एंटीऑक्सीडेंट प्राथमिक कच्ची सामग्री के रूप में ब्यूटाइल फिनोल - 2,4 डी टी बी पी या 2,6 डी टी बी पी का उपयोग करते हैं। फिर भी, कच्ची सामग्री ही एकमात्र ऐसा मानदंड नहीं था जिसके आधार पर प्राधिकारी ने विभिन्न उत्पाद प्रकारों को एक पी यू सी माना है। प्राधिकारी ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि उत्पादन उपकरण, उत्पादन प्रक्रिया और प्रत्येक प्रकार के परिणामी लक्षण काफी हद तक एक जैसे हैं। सभी संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट व्यापार और उपयोग में आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। एओ168 सहित संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट का आवश्यक कार्य स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करना, प्रसंस्करण के दौरान और उत्पाद जीवन चक्र के दौरान पॉलिमर के क्षरण को रोकना है। जबकि इन एंटीऑक्सीडेंट की विशिष्ट संरचना और गुण अलग-अलग हो सकते हैं, इन एंटीऑक्सीडेंट में मौलिक भूमिका समान रहती है, अर्थात प्लास्टिक के ऑक्सीकरण/ क्षरण को रोकना। यह भी देखने में आया है कि आवेदक ने एओ168 को वाणिज्यिक मात्रा में बिक्री की है।
14. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आवेदक व्यावसायिक मात्रा में एओ1098 का उत्पादन नहीं कर रहा है। आवेदक ने व्यावसायिक मात्रा में एओ 1098 की बिक्री के साक्ष्य

प्रस्तुत किए हैं। यह भी देखने में आया है कि इस ग्रेड का आयात और मांग अपने आप में ही काफी कम है।

15. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित नहीं किए गए और क्लॉज (च) के अंतर्गत आने वाले संबद्ध एंटीऑक्सीडेंटों के ब्लैंड को बाहर रखा जाना चाहिए और उनका दायरा बी215 और बी225 तक सीमित होना चाहिए। यह नोट किया जाता है कि चूंकि आवेदक पहले से ही क्लॉज (क) से (इ) तक के संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट का उत्पादन कर रहा है, अतः बी215 और बी225 के अलावा अन्य ब्लैंड बनाने के लिए केवल संबद्ध एंटीऑक्सीडेंटों को बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के विभिन्न अनुपातों में ब्लैंड करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट के अन्य ब्लैंड भी हैं, जैसे बी1171 और बी912, जिनका आवेदक ने उत्पादन किया है और निर्यात बाजार में बिक्री की है। अतः संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट्स के ब्लैंड को उत्पाद के दायरे में सही रूप से शामिल किया गया है, क्योंकि वे कार्यात्मक और भौतिक रूप से क्लॉज (क) से (इ) में संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट्स से उत्पन्न हुए हैं।
16. जबकि आवेदक ने यह दावा किया है कि ब्लैंड एक साधारण ब्लैंडर में विभिन्न उत्पादों को मिलाने की एक छोटी प्रक्रिया है, जिसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं होती है और यह कहा कि यदि ऐसे ब्लैंड के लिए आदेश प्राप्त होते हैं, तो वह संबंधित एंटीऑक्सीडेंट्स को ब्लैंड कर सकता है, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि ब्लैंड केवल मिश्रण से कहीं अधिक है और इसके लिए अनुसंधान की आवश्यकता है। प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर यह नोट करते हैं कि ब्लैंड में संबंधित वस्तुओं की कोई रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है, बल्कि यह उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के आधार पर आनुपातिक ब्लैंड की एक प्रक्रिया है। जबकि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि ब्लैंड के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है, आवेदक ने यह स्पष्ट किया है कि एंटीऑक्सीडेंट को मिलाने की भौतिक क्रिया में आर एंड डी प्रयास शामिल नहीं हैं। इसके बजाय, किसी विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए ब्लैंड में अलग-अलग एंटीऑक्सीडेंट के अनुकूल संयोजन और अनुपात का निर्धारण करने के लिए आर एंड डी की आवश्यकता होती है। यह अनुरोध किया जाता है कि ग्राहकों को सामान्यतः उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ब्लैंड अनुपातों और संरचनाओं के संबंध में सूचित किया जाता है। प्राधिकारी ने आवेदक और उसके ग्राहक के बीच संचार से यह भी नोट किया है कि आवेदक द्वारा टेलर-मेड ब्लैंड, अर्थात् उपभोक्ताओं द्वारा मांगे गए अनुपातों के अनुसार, भी तैयार किए गए हैं।

ऐसे संचारों से यह स्पष्ट होता है कि ग्राहकों ने ब्लैंड अनुपात में परिवर्तन और नए ब्लैंड के निर्माण का अनुरोध किया है, जिसके बाद आवेदक ने तकनीकी डेटा शीट (टी डी एस) साझा की है और संबंधित आदेश प्राप्त किए। यह भी देखने में आया है कि ग्राहकों ने यह भी पूछा है कि क्या आवेदक उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबद्ध और असंबद्ध एंटीऑक्सीडेंट का ब्लैंड प्रदान कर सकता है। इसके उत्तर में, आवेदक ने एक नमूना तैयार किया और ग्राहक के साथ टीडीएस साझा किया। यह इस बात की और पुष्टि करता है कि उपभोक्ता अनुपातों से अवगत हैं और ब्लैंड ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार बनाए जाते हैं। ब्लैंड और अनुपात सभी पक्षकारों को जात हो जाते हैं।

17. यह भी नोट किया जाता है कि वर्तमान अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को की गई अधिकांश बिक्री शुद्ध रूप में है और शुद्ध रूप पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और ब्लैंड को छूट दिए जाने की स्थिति में ग्राहक आसानी से ब्लैंड का उपयोग कर सकते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा ब्लैंड आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ब्लैंड को किस अनुपात में मिलाया जाता है, इसकी उन्हें अच्छी तरह जानकारी है। दिनांक 26 मई 2025 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान, प्राधिकारी ने पूछा कि क्या उपयोगकर्ता एसोसिएशन के सदस्य शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट की खरीद करते हैं और उनका उपयोग संयोजन करने में ब्लैंडिंग के बाद करते हैं, लेकिन उनके लिखित अनुरोध में पूछे गए प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।
18. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा अन्य उत्पादों के साथ संबंधित एंटीऑक्सीडेंट का ब्लैंड तैयार नहीं किया जाता है और उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि यदि ऐसे ब्लैंड को शामिल किया जाता है, तो उन्हें पी यू सी का भाग तभी बनाया जाना चाहिए जब संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट में से एक एंटीऑक्सीडेंट 80% या उससे अधिक हो। आवेदक ने यह तर्क दिया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इसका खंडन नहीं किया है कि जबकि संबद्ध वस्तुएं मुख्य रूप से अपने शुद्ध रूप में बेची जाती हैं, खपत का लगभग पूरा हिस्सा मिश्रण के रूप में होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि सभी उपयोगकर्ता अनिवार्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट के संयोजन का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, यह देखने में आया है कि केवल संबद्ध शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट तक शुल्कों को सीमित करने से उत्पाद को उसके शुद्ध रूप में आयात करने के बजाय ब्लैंड में खरीद को स्थानांतरित करने से शुल्क से बचाव होगा। इस प्रकार, क्लॉज (छ) के तहत कवर किए गए ब्लैंड विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं। इसके अलावा, क्लॉज (छ) में संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट के 50% का मानदंड

उपयुक्त माना जाता है क्योंकि एक उत्पाद जो ब्लैंड में 50% या अधिक (भार से) होता है, वह "अधिकांश" या "प्रमुख" हिस्सा बनेगा और ब्लैंड को प्रमुख विशेषता प्रदान करेगा।

19. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की व्याख्या के लिए सामान्य नियमों के संदर्भ पर विचार किया है, जिसमें कहा गया है कि ब्लैंड या ब्लैंड वस्तुओं के मामले में, वर्गीकरण उस सामग्री या घटक पर आधारित होगा जो उत्पाद को उसका आवश्यक गुण प्रदान करता है। जबकि हितबद्ध पक्षकारों ने यह कहा है कि केवल वर्गीकरण से यह स्थापित नहीं होता है कि कोई उत्पाद संबद्ध वस्तुओं के समान है या उनके साथ विनिमेय है, आवेदक ने यह तर्क देने के लिए इस सिद्धांत का सहारा लिया है कि यदि मुख्य घटक एक संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लैंड को आवश्यक गुण प्रदान करता है, तो ब्लैंड को शामिल किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसा संदर्भ यह सुझाव देने के लिए नहीं लिया गया है कि टैरिफ वर्गीकरण उत्पाद के दायरे का निर्धारण करेगा। इसका केवल एक उत्पाद के आवश्यक गुण की पहचान करने के महत्व को उजागर करने के लिए सहारा लिया गया है।

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि वे ऐसे ब्लैंड का उत्पादन और निर्यात करते हैं जिनके लिए आवेदक द्वारा समान वस्तु की पेशकश नहीं की जाती है, क्योंकि वह ब्लैंड के सभी घटकों का निर्माण नहीं करता है। उदाहरण के लिए, प्रतिवादी एओ बी2777 का निर्यात करता है, जो 2:1 के अनुपात में एओ168 और एओ1790 का ब्लैंड है। तथापि, चूंकि आवेदक एओ1790 का उत्पादन नहीं करता है, अतः वह ब्लैंड एओ बी2777 का उत्पादन करने में असमर्थ है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ग्राहक दो अलग-अलग संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट की खरीद कर सकते हैं और उन्हें निर्धारित अनुपात में ब्लैंड कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर पहले ही निर्णय दिया जा चुका है, पाटनरोधी शुल्क केवल ब्लैंड के उस भाग या ब्लैंड का हिस्सा बनने वाले ऐसे घटक पर लागू होगा जिसके लिए आवेदक द्वारा समान वस्तु की पेशकश की जाती है। संबद्ध ब्लैंड के किसी भी घटक के लिए, जिसके लिए आवेदक समान वस्तु की पेशकश नहीं करता है, कोई शुल्क लागू नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शुल्क केवल ऐसे ब्लैंड पर लागू होगा जहां पी यू सी परिभाषा के (क) से (इ) में संदर्भित संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट परिणामी ब्लैंड का 50% या उससे अधिक हिस्सा बनाते हैं। यह नोट किया जाता है कि एओ 168 अर्थात्, एक संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट बी2777 की संरचना में 67% भाग बनाता है। इसके अलावा, चूंकि शुल्क पूरे ब्लैंड पर लागू नहीं है, जिसमें संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट अधिकांश हिस्सा बनाते हैं, आवेदक को यह प्रदर्शित करने की

आवश्यकता नहीं है कि वह ऐसे ब्लैंड के लिए एक समान वस्तु प्रदान करता है। किसी भी मामले में, आवेदक द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि इसने कम बाजार मांग के कारण बी2777 का उत्पादन नहीं किया है, यह अन्य उत्पादकों से एओ1790 की खरीद कर सकता है, और ब्लैंड बी2777 बना सकता है। प्राधिकारी आवेदक द्वारा किए गए इस अनुरोध को नोट करते हैं कि कई उपयोगकर्ता वर्तमान में संबद्ध एओ और असंबद्ध एओ को अलग-अलग खरीद रहे हैं इसलिए, ऐसी स्थिति में जहाँ क्लॉत (छ) के अंतर्गत आने वाले ब्लैंड, जिनमें बी2777 भी शामिल है, को बाहर रखा गया है, आयातकों को अलग-अलग शुद्ध एओ खरीदने और उनका संयोजन में उपयोग करने के बजाय आवश्यक एओ के मिश्रण का आयात करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे संबंधित एओ की मांग ऐसे ब्लैंड की ओर बढ़ जाएगी, जिससे घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होगी, और वह उद्देश्य विफल हो जाएगा जिसके लिए घरेलू उद्योग ने वर्तमान उपायों की मांग की है।

21. रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कतिपय प्रोपरायटरी ब्लैंड में 60% संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट और 40% असंबद्ध एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आवेदक द्वारा उत्पादित नहीं होते हैं, इस तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि ब्लैंड बी2777 के मामले की तरह, ऐसे ब्लैंड की संरचना बिक्री के समय प्रकट की जाती है और बाजार को जात होती है। आवेदक अन्य निर्माताओं से असंबद्ध संघटक प्राप्त कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर ब्लैंड की प्रतिकृति बना सकता है। ग्राहक भी संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट अलग से प्राप्त कर सकते हैं और फिर ब्लैंड बना सकते हैं क्योंकि पाटनरोधी शुल्क केवल संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट के ब्लैंड के भाग पर ही लागू होगा, असंबद्ध संघटकों पर नहीं।
22. "समतुल्य" और "अन्य उत्पाद" जैसे शब्दों के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जो उत्पाद की परिभाषा को व्यापक बनाते हैं और सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए उत्पाद की पहचान करना कठिन बनाते हैं। यह नोट किया जाता है कि "समतुल्य" शब्द का प्रयोग पी यू सी के दायरे में किया गया है क्योंकि उत्पादक कभी-कभी अपने ब्रांड नामों के आधार पर उत्पादों का निर्यात करते हैं। इस प्रकार, उपायों के संभावित परिहार को रोकने के लिए, नामों में "समतुल्य" शब्द शामिल करना आवश्यक है। जहाँ तक "अन्य उत्पादों" और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पहचान का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि ब्लैंड का आयात करते समय उनके अवयवों का प्रकटन किया जाता है। इस प्रकार, ऐसी सूचना सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ-साथ उद्योग और उसके उपयोगकर्ताओं को भी उपलब्ध होगी।

23. यह तर्क दिया गया है कि चूंकि ब्लैंड एक अंश होते हैं, इसलिए पाटन का कोई मामला नहीं बनता। तथापि, यह देखने में आया है कि संबद्ध वस्तुओं में न केवल ब्लैंड, बल्कि शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट भी शामिल हैं। इसके अलावा, उत्पाद के दायरे से ब्लैंड को बाहर करके केवल शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट पर शुल्क लगाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां उपयोगकर्ता शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट की खरीद करने के बजाय, जो वर्तमान आयात का अधिकांश हिस्सा हैं, ब्लैंड का आयात करने लगेंगे। ऐसी स्थिति में शुल्क अप्रभावी हो जाएंगे।
24. जहां तक प्रवंचना की आशंका के दायरे में वृद्धि करने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्कों को केवल शुद्ध (बिना ब्लैंड) एंटीऑक्सीडेंट तक सीमित करने से आयातकों को शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट्स से उन्हीं के ब्लैंड में आयात स्थानांतरित करके शुल्कों से बचने का अवसर मिल सकता है और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिकांश खपत ब्लैंड के रूप में होती है। ऐसा परिणाम, अर्थात् शुल्कों को केवल शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट्स तक सीमित करने से लगाए गए शुल्कों की सुधारात्मक प्रभावकारिता कम हो जाएगी। अतः प्रस्तावित उपाय की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने और इसके परिहार को रोकने के लिए, विचाराधीन उत्पाद के दायरे को शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट और उनके ब्लैंड, दोनों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। यह वृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि आयातक और निर्यातक केवल संबद्ध वस्तु के रूप में परिवर्तन करके शुल्कों से बच न सकें, जबकि उनकी आवश्यक विशेषता और कार्यक्षमता बरकरार रहे।
25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि एक बार ब्लैंड तैयार हो जाने के बाद, यह एक एकल कार्यात्मक उत्पाद बन जाता है, जो अपने व्यक्तिगत एंटीऑक्सीडेंट घटकों में वापस नहीं लौट सकता। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक ने यह दावा नहीं किया है कि शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट को ब्लैंड से वापस लाया जा सकता है। तथापि, अधिकांश खपत ब्लैंड के रूप में होती है और इसलिए, ब्लैंड से शुद्ध उत्पाद प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य चिंता यह है कि यदि ब्लैंड को दायरे से बाहर रखा जाता है, तो आयातक अपनी आवश्यकताओं को शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट से बदलकर ब्लैंड में बदल सकते हैं, उसी अनुपात में जिस अनुपात में वे अन्यथा उनका उपयोग करते हैं। इससे प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी हो जाएगा।
26. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संभावित गुणवत्ता अंतर यह स्थापित नहीं करते कि घरेलू उद्योग द्वारा

प्रस्तुत उत्पाद आयातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु नहीं है। न ही यह उत्पादों की अदला-बदली की अनुपस्थिति को स्थापित करता है। हितबद्ध प्रक्षकार द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज़ एक उपयोगकर्ता और घरेलू उद्योग के बीच के संचार हैं, जिसमें उपयोगकर्ता ने प्रवाहशीलता और पैकिंग संबंधी मुद्दों की ओर संकेत किया है। यह देखने में आया है कि उक्त संचार यह स्थापित नहीं करते कि घरेलू उद्योग के उत्पाद का आयातित उत्पाद के साथ अदला-बदली के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। आवेदक ने कहा है कि वह एक नया उत्पादक है और प्राप्त ऐसी शिकायतों का विधिवत समाधान किया गया है। आवेदक के संयंत्र में भौतिक सत्यापन के दौरान प्राधिकारी द्वारा नमूना आधार पर भी इसका सत्यापन किया गया और रिकार्ड का रखरखाव किया गया है। यह देखने में आया है कि आवेदक ने ग्राहक द्वारा उठाए गए मुद्दे के कारण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शिकायत दर्ज की और सुधारात्मक कार्रवाई की। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना से यह भी देखने में आया है कि घरेलू उद्योग की कुल बिक्री के संबंध में ऐसी शिकायतों में समय के साथ कमी आई है और उक्त ग्राहक द्वारा की गई खरीद की मात्रा में समय के साथ वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि घरेलू उद्योग समान वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। यह देखने में आया है कि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात बाजार में भी संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा *** मीट्रिक टन की आपूर्ति की है। अतः यह स्थापित नहीं है कि घरेलू उद्योग समान वस्तु की पेशकश करने में असमर्थ है। यह भी उल्लेखनीय है कि डी एस एम इडेमिट्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट ने यह माना है कि "...गुणवत्ता में अंतर किसी वस्तु को अलग नहीं बनाता है और निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह कहना सही था कि 'यह तथ्य कि गुणवत्ता भिन्न हो सकती है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं...'।" अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुएं आयातित उत्पाद के समान वस्तु हैं।

27. संबद्ध वस्तुओं के रूप, अर्थात् पाउडर या टैबलेट रूप, के आधार पर पी सी एन निर्धारित करने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि आवेदक मुख्य रूप से पाउडर के रूप में एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण और बिक्री करता है, तथापि, संबद्ध वस्तुओं को मांग के अनुसार ग्रेन्युलर रूप में भी बेचा जाता है। संबद्ध वस्तुओं के पाउडर रूप का उत्पादन किया जाता है और बाद में टैबलेट/ ग्रेन्युलर में संसाधित किया जाता है। यह देखने में आया है कि पाउडर को टैबलेट या ग्रेन्युलर में संसाधित करने में मात्र ***% का न्यूनतम मूल्य वर्धन

होता है। आवेदक ने कहा है कि यद्यपि देश में अधिकांश मांग पाउडर के रूप में एंटीऑक्सीडेंट की है, फिर भी आवेदन-वार दोनों रूप समान हैं। टेबलेट/ ग्रेन्युलर का उपयोग केवल धूल से बचने के लिए किया जाता है जो पाउडर के रूप में एओ का उपयोग करते समय संभव है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जिस रूप में एंटीऑक्सीडेंट आयात किए जाते हैं, अर्थात् पाउडर या टेबलेट/ ग्रेन्युलर की पहचान आयात संबंधी डेटा से नहीं की जा सकती है।

28. उपरोक्त को देखते हुए, विचाराधीन उत्पाद का दायरा कतिपय प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हैं जो निम्नलिखित सी ए एस संख्याओं या उनके समकक्ष के अनुरूप हैं:

- क) 6683-19-8, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1010 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्राकिस (3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रोक्सीफेनिल) प्रोपियोनेट) है।
- ख) 2082-79-3, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1076 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ऑक्टाडेसिल-3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रोक्सीफेनिल)-प्रोपियोनेट है।
- ग) 31570-04-4, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 168 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ट्रिस(2,4-डाइ-टर्ट ब्यूटाइलफेनिल) फॉस्फाइट है।
- घ) 23128-74-7, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1098 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम एन,एन-हेक्सेन-1,6-डाइ-लबिस (3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रोक्सीफेनिलप्रोपियोनामाइड) है।
- ङ) 125643-61-0, जिसे एंटीऑक्सीडेंट एल135 या 1135, इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। रासायनिक नाम है बैंजीनप्रोपेनोइक अम्ल, 3,5-बिस (1,1-डाइमिथाइलएथिल)-4-हाइड्रोक्सी-, सी7-9-ब्रांच्ड एल्काइल एस्टर)
- च) (क) से (ङ) में उल्लिखित एंटीऑक्सीडेंट के ब्लैंड

छ) (क) से (ड) में उल्लिखित संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट का किसी अन्य उत्पाद के साथ ब्लैंड, यदि परिणामी ब्लैंड में संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा 50% या उससे अधिक है।” केवल ऐसे ब्लैंड का संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट ही इस जांच के दायरे में शामिल है।

29. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क उप शीर्ष 29054290, 29071990, 29072990, 29181990, 29182910, 29182990, 29183090, 29189990, 29202100, 29202910, 29202930, 29202990, 29209000, 29242990, 29309099, 29336990, 38112900, 38119000, 38123910 और 38123990 के अंतर्गत किया जा रहा है। प्राधिकारी द्वारा इन पर विचार किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे और वर्तमान सिफारिश पर बाध्यकारी नहीं है।
30. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक एवं तकनीकी विशिष्टताओं, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और तात्पर्य के भीतर, संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के मत

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- जांच प्रारंभ से पूर्व, प्राधिकारी स्थिति को मान्य करने के लिए बाध्य है। इन्हें आवेदन का विरोध/समर्थन करने में अन्य घरेलू उत्पादकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रा. लिमि. और एचपीएल एडीटिव्स लिमि., दोनों, आवेदकों से पूर्व विद्यमान थे, इसका अर्थ है कि आवेदक को बाजार हिस्सेदारी को हासिल करने में प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा।

- ii) आवेदक की स्थिति उसके इस दावे के कारण प्रश्न योग्य है कि एचपीएल मुख्य रूप से निर्यात मांग को पूरा करता है और इसलिए “कुल भारतीय उत्पादन” का निर्धारण करते समय केवल एचपीएल के घरेलू उत्पादन पर विचार किया गया है। निर्यात उत्पादन केवल तभी बहिष्कृत किया जा सकता है यदि उत्पादक एक आयातक या किसी आयातक से संबंधित है। एचपीएल के निर्यात के लिए अभिप्रेरित उत्पादन को शामिल न करने के लिए आवेदक का कोई कानूनी औचित्य नहीं है।
- iii) आवेदक ने यह माना है कि एचपीएल ने प्राथमिक रूप से सामान्य श्रेणी के तहत कुछ माल की अधिप्राप्ति सहित “माने गए निर्यात” श्रेणी के तहत भी कच्चे माल की अधिप्राप्ति की है। यह दर्शाता है कि एचपीएल ने घरेलू बाजार में बिक्रियां की हैं।
- iv) वीएपीएल, जिसका वीओएल के साथ विलय हो गया था, ने जांच में भाग नहीं लिया है। हालांकि विलय अप्रैल, 2021 में हुआ था किन्तु वीएपीएल का ट्रायल उत्पादन अप्रैल, 2020 में आरंभ हो गया था, आवेदक 2020-21 के लिए सूचना उपलब्ध नहीं करा सका है। वीएपीएल के भाग न लेने के कारण आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- v) “प्रमुख समानुपात” को “एक अपेक्षाकृत रूप से उच्च समानुपात जो कुल घरेलू उत्पादन को उल्लेखनीय रूप से प्रतिबंधित करता है” और “जिस के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अर्थ हैं” के रूप में समझा जाना चाहिए। आवेदक गुणात्मक पहलू को संतुष्ट करने में असफल रहा है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

32. आवेदक ने घरेलू उद्योग और इसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- i) आवेदन को मै. विनाती आर्गेनिक्स लिमिटेड (“वीओएल”) द्वारा दायर किया गया है।
- ii) सामान्य प्रोमोटर्स के जरिए वीओएल की एक संबद्ध कंपनी, वीरल एडीटिव्स प्रा. लि. (वीएपीएल) ने अप्रैल, 2020 में संबद्ध वस्तुओं का ट्रायल उत्पादन आरंभ किया था। हालांकि, संयंत्र को कोविड से संबंधित तथा संयंत्र में तकनीकी चुनौतियों के कारण सितंबर, 2021 में शटडाउन से गुजरना पड़ा। इस अवधि के दौरान, नए उपकरणों को शामिल करके और संयंत्र को दुरुस्त बनाने के द्वारा, वीओएल ने व्यापार में और अधिक निवेश किया। कंपनी ने अप्रैल, 2022 में दुबारा ट्रायल उत्पादन आरंभ किया और अनिवार्य ग्राहक अनुमोदनों को सुनिश्चित करने के बाद

अक्तूबर, 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन पुनः आरंभ किया। इसी बीच, अर्थात् फरवरी, 2021 में, वीएपीएल और वीओएल ने एक समामेलन स्कीम का प्रस्ताव किया जिसे पूर्व-व्यापी प्रभाव अर्थात् 1 अप्रैल, 2021 से दिसंबर, 2023 में एनसीएलटी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। वीएपीएल द्वारा पहले की गई सभी गतिविधियां अब वीओएल द्वारा की गई मानी जाएंगी।

- iii) आज की स्थिति के अनुसार, वीएपीएल अब एक पृथक कानूनी हस्ती नहीं है या अब स्वतंत्र रूप से संचालन नहीं करता है। इसके समामेलन के अनुसरण में, इसके सभी दस्तावेजों, रिकॉर्डों, और संबंधित सामग्रियों को अब वीओएल द्वारा धारित और अनुरक्षित किया जाता है। इसके अलावा, आवेदक ने विलय को प्रतिबिबिंत करने के लिए 2021-22, 2022-2023 के लिए अपनी वित्तीय स्थितियों को संशोधित किया है। जहां तक, वीएपीएल के भाग न लेने का संबंध है, ऐसी हस्ती जिसका अस्तित्व नहीं है, वह जांच में भाग नहीं ले सकते।
- iv) अनुच्छेद 3.1 एक विशिष्ट पद्धति को निर्धारित नहीं करता कि किसी जांच प्राधिकारी को यह निर्धारण करने में इसका अनुसरण करना चाहिए कि क्या कोई घरेलू उद्योग स्थापित है। आवेदक एक नया उद्योग है। इसने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक बिल्कुल नई यूनिट का निर्माण किया है और अक्तूबर, 2022 में उत्पादन का वाणिज्यीकरण किया।
- v) आवेदक ने परीक्षण प्रयोजनों के लिए चीन जन.गण. से जून, 2020 में संबद्ध वस्तुओं के ***एमटी का आयात किया। ऐसे आयातों की मात्रा 2020-2021 के दौरान संबद्ध आयातों के कुल आयात का सिर्फ ***% ठहरती है। आवेदक संबद्ध देशों में पीयूसी के किसी निर्यातक या उत्पादक से या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।
- vi) वीओएल के अलावा, सबसे बड़े घरेलू उत्पादक कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रा. लिमि. और एचपीएएल एडीटिव्स लिमि. भी भारत में संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माताओं के रूप में जाने जाते हैं।
- vii) कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रा. लिमि. और एचपीएल एडीटिव्स लिमि. से आवेदक द्वारा जांच के प्रत्येक स्तर पर उनके हितों के बारे में सूचित करने के लिए संपर्क किया गया है। सम्प्रेषण, उनकी क्षमता, उत्पादन और बिक्रियों पर कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रा. लिमि. की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी प्राप्त की गई

- है। तथापि, आवेदक द्वारा एचपीएल एडीटिव्स लिमि. से कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई है।
- viii) यह समझा जा सकता है कि कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स ने मौखिक सुनवाई से पूर्व संबद्ध आयातों पर शुल्क को लागू करने के लिए प्राधिकारी को प्रत्यक्ष समर्थन व्यक्त किया है।
- ix) एचपीएल से विपरीत साक्ष्य या आंकड़ों के अभाव में, और अनुकूल उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर भरोसा करने की बाध्यता के साथ, प्राधिकारी ने उचित रूप से घरेलू उद्योग के समर्थन का निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु इस दावे को स्वीकार किया है। ऐसा करने में, प्राधिकारी ने अनुच्छेद 5.4 का अनुपालन किया है। प्राधिकारी ने उद्योग की संरचना को ध्यान में रखते हुए उचित विवेक को लागू किया है और यथोचित रूप से उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर भरोसा किया है, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि जांच को आरंभ करने का निर्णय कानून के अनुसरण में है।
- x) यह भी समझा जा सकता है कि एचपीएल एडीटिव्स लिमि. मुख्य रूप से निर्यात बाजार का प्रबंध करता है और उल्लेखनीय रूप से घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने में संलग्न है। कंपनी ने तैयार उत्पाद का निर्यात करने के अभिप्राय से, मुख्य रूप से माने गए निर्यात की बिक्रियों के तहत वीओएल से कच्चे माल डीटीबीपी का क्रय किया है, वहीं कुछ माल सामान्य श्रेणी के तहत भी खरीदा गया है।
- xi) कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण करते समय कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रा. लिमि. से प्राप्त वास्तविक जानकारी पर विचार किया गया है। वीओएल द्वारा एचपीएल एडीटिव्स लिमि. को की गई डीटीबीपी की बिक्रियों पर और एचपीएल एडीटिव्स लिमि. की आयात संबंधी जानकारी पर विचार करते हुए एचपीएल एडीटिव्स लिमि. के उत्पादन की संगणना की गई है। कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण करते समय घरेलू खपत के लिए अभिप्रेरित उत्पादन पर भी विचार किया गया है।
- xii) घरेलू उत्पादन की संगणना करते समय एचपीएल द्वारा किए गए उत्पादन को शामिल नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी के पूर्ववर्ती निर्धारण, जिनमें घरेलू

उद्योग के निर्धारण के लिए ईओयू द्वारा और एसईजेड में किए गए उत्पादन की उपेक्षा की गई है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

- xiii) चाहे कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण करने के लिए दो अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा सकल उत्पादन पर विचार किया जाता है, आवेदक का हिस्सा अभी भी कुल भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक होगा। आवेदक कुल उत्पादन के ***% और निवल उत्पादन के ***% के लिए जिम्मेदार है।
- xiv) आवेदक ने कुल भारतीय उत्पादक के 'मुख्य भाग' को स्थापित किया है। यह नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत आधार के मानदंड को पूरा करता है।
- xv) जहां तक एचपीएल के पुराना उत्पादक होने और आवेदक के एक नया उद्योग न होने का संबंध है, प्राधिकारी ने पहले अर्थात् वर्तमान मामले में आवेदक की पहचान करता है और तब घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की प्रकृति। यदि घरेलू उद्योग का अधिक लंबी अवधि का इतिहास रहा है, महत्वपूर्ण क्षति की जांच की जा सकती है। यदि इतिहास स्वयं ही कम अवधि के लिए है तो क्षति की ऐसी अवधि के लिए जांच की जाती है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है। यदि यह क्षति अवधि की तुलना में कम होती है तो प्राधिकारी वास्तविक और प्रक्षेपित निष्पादन की भी तुलना करते हैं। एचपीएल निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करता है, कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स भी घरेलू मांग को पूरा करने की चेष्टा करते हुए आवेदक सहित एक नया उत्पादक है। डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा यह पहचान की गई है कि चाहे स्थापित उत्पादक मौजूद हैं, घरेलू मांग को पूरा करने में उनकी न्यूनतम भूमिका एक नए उत्पादक को अभी भी महत्वपूर्ण मंदी के तहत अर्हता प्राप्त करने की अनुमति देती है। एचपीएल की उपस्थिति का अर्थ यह नहीं है कि घरेलू उद्योग पहले से ही स्थापित है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

33. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से हैं जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन

का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाठित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

34. वर्तमान आवेदन मै. विनाती आर्गेनिक्स लिमिटेड (“वीओएल”) द्वारा दायर किया गया है। यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ में एक अन्य कंपनी अर्थात् वीरल एडीटिव्स प्रा. लि. (वीएपीएल) द्वारा आरंभ किया गया था। वीएपीएल ने एक नया संयंत्र स्थापित किया है और अप्रैल, 2020 में उत्पादन आरंभ किया गया था। कंपनी को तकनीकी और कोविड-19 महामारी से संबंधित कठिनाईयों के कारण सितंबर, 2021 में शटडाउन का सामना करना पड़ा। फरवरी, 2021 में, वीएपीएल और वीओएल ने समामेलन की योजना प्रस्तावित की जिसे दिसंबर में एनसीएलटी से स्वीकृति प्रदान की गई। समामेलन को अप्रैल, 2021 से पूर्व-व्यापी प्रभाव से क्रियान्वित किया गया। यह नोट किया गया है कि पहले वीएपीएल द्वारा सारी गतिविधियां की गई थीं, वे अब वीओएल द्वारा किया गया माना जाता है। आवेदक समामेलन-पूर्व अवधि के वीएपीएल के रिकॉर्ड धारित करता है।
35. आवेदक ने अनुरोध किया है कि यह प्रचालन में है और यह 2020 अर्थात् क्षति अवधि के आधार वर्ष के बाद से संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री कर रहा है। तथापि, इस समय, चूंकि, आवेदक ने अपने उत्पादन का हाल ही में वाणिज्यीकरण किया है, यह एक नया उत्पादक है।
36. आवेदक ने घोषणा की है कि इसने परीक्षण प्रयोजन से पीओआई-पूर्व अवधि अर्थात् जून, 2020 में चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के ***एमटी का आयात किया था। यह देखा गया है कि आयात पीओआई के दौरान नहीं किए गए थे। हालांकि, यह आयात पीओआई में नहीं किए गए थे, प्राधिकारी ने नोट किया कि संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान आवेदक द्वारा संबंधित वस्तुओं का आयात किया गया था। यह देखा गया है कि ऐसे आयात 2020-2021 के दौरान भारत में चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों के ***% से कम ठहरता है। आगे यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने पीओआई में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है न ही यह उसके किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है।
37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तुओं के दो अन्य उत्पादक हैं अर्थात् कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रा. लिमि. और एचपीएल एडीटिव्स लिमि। यह देखा गया

है कि आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान जांच आरंभ होने से पहले और जांच की अवधि के दौरान भी अन्य दो घरेलू उत्पादकों को बहुत बार लिखा। जहां इसे कृष्णा से उत्तर प्राप्त हुआ, वहीं एचपीएल से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। प्राधिकारी ने सरकारी राजपत्र में और डीजीटीआर वेबसाइट पर जांच शुरुआत अधिसूचना प्रकाशित की। जहां प्राधिकारी को कृष्णा से जांच के समर्थन में और शुल्कों को लागू किए जाने के समर्थन में एक पत्र प्राप्त हुआ, वहीं एचपीएल से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा, जहां अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आवेदक नियमों के तहत स्थिति संबंधी जरूरतों को पूरा करने में असफल रहा है, वहीं प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने दावों के समर्थन में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। अतः, किसी सत्यापन योग्य साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है।

38. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आवेदक अन्य उत्पादकों से विरोध का सामना करने के लिए विवश है क्योंकि दोनों अन्य घरेलू उत्पादक आवेदक से पहले अस्तित्व में हैं जैसा कि पहले ही ऊपर नोट किया गया है, एक उत्पादक अर्थात् कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स ने प्राधिकारी को लिखा है और जांच तथा शुल्कों को लागू किए जाने का समर्थन किया है, जबकि अन्य उत्पादक अर्थात् एचपीएल एडीटिव्स चुप बना रहा है।
39. आवेदक ने कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रा. लिमि. से इसकी क्षमता, उत्पादन और बिक्रियों के संबंध में उससे प्राप्त सूचना को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया है जिसे कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रा. लिमि. द्वारा भी अपने समर्थन पत्र के साथ प्राधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। जहां लिमि. से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, आवेदक द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि कंपनी प्राथमिक रूप से निर्यात बाजार को प्रबंध करती है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए मुख्य कच्चे माल के रूप में 2-4 डीटीबीपी और 2-6 डीटीबीपी की जरूरत होती है। इन दोनों कच्चे माल का एकमात्र स्रोत या तो आवेदक या आयातक हैं। आवेदक ने आगे अनुरोध किया है कि वह एचपीएल एडीटिव्स लिमि. को कच्चे माल की आपूर्ति करता है और इसलिए अन्य घरेलू उत्पादकों की व्यापार गतिविधियों से भली-भांति परिचित है। आवेदक ने कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रा. लिमि. से प्राप्त उत्पादन संबंधी सूचना पर विचार करते हुए कुल भारतीय उत्पादन में अपने हिस्से का परिमाणन किया है और आवेदक से एचपीएल एडीटिव्स लिमि. अर्थात् “माने गए निर्यातों” के तहत क्रय किए गए कच्चे माल सहित ऐसे कच्चे माल और आयातों के एकमात्र घरेलू उत्पादक से एचपीएल एडीटिव्स लिमि. द्वारा अधिप्राप्त किए गए कच्चे माल के आधार पर एचपीएल एडीटिव्स लिमि. द्वारा किए गए उत्पादन का परिमाणन किया है। किसी विपरीत सूचना के अभाव में,

प्राधिकारी ने उपलब्ध कराई गई सर्वोत्तम सूचना अर्थात् आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सहारा लिया है।

40. जहां तक वर्तमान जांच में वीएपीएल द्वारा भाग न लिए जाने का संबंध है, यह नोट किया गया है कि वीएपीएल का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। यह देखते हुए कि वीएपीएल का कोई स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व नहीं है, इसके लिए वर्तमान जांच में भाग लेना व्यवहार्य नहीं है। चूंकि, वीओएल संबद्ध मामले में सारी प्रासंगिक जानकारी धारित करता है, आवेदक उस समय सहित, जब वीएपीएल एक पृथक सत्ता के रूप में प्रचालन करता था, संपूर्ण क्षति अवधि को शामिल करते हुए सूचना को प्रस्तुत करने की स्थिति में है।
41. यह नोट किया गया है कि सीपीएमए, प्रयोक्ता एसासिएशन, ने यह स्वीकार किया है कि भारत में एंटी ऑक्सीडेंट के तीन घरेलू उत्पादक हैं जिनमें आवेदक उत्पादन क्षमता के 92% से अधिक भाग को धारित करता है जबकि अन्य दो अर्थात् कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रा. लिमि. और एचपीएल एडीटिव्स लिमि. एंटीऑक्सीडेंट्स के केवल एक प्रकार का उत्पादन करने तक सीमित है(एओ 1010 अथवा एओ 168 में से कोई एक)।
42. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आवेदक की स्थिति प्रश्न योग्य है क्योंकि जब कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण करना होता है, क्योंकि यह केवल एचपीएल के घरेलू उत्पादन पर विचार करता है यह देखा गया है कि आवेदक का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का ***% है अर्थात् भारतीय उत्पादकों द्वारा किए गए सकल उत्पादन पर विचार करते हुए किया गया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादन और भारतीय उत्पादन में आवेदक के हिस्से को निम्नानुसार निर्धारित किया है:

क्र.सं.	विवरण	यूआरएम	पीओआई
1	आवेदक का सकल उत्पादन	%	**
2	अन्य उत्पादकों का सकल उत्पादन		
i	कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स	%	***
ii	एचपीएल एडीटिव्स	%	***
3	कुल (/सकल) भारतीय उत्पादन	%	100

43. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी से यह भी नोट किया गया है कि आवेदक ने पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से न तो संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है न ही यह उसके किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है।

44. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के संदर्भ में भारतीय उत्पादन के प्रमुख अनुपात के लिए उत्तरदायी है। आवेदक द्वारा किया गया उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख समानुपात के लिए उत्तरदायी है। अतः, आवेदक नियम 2(घ) के अर्थों के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति के मापदंड को संतुष्ट करता है। अतः, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव रखते हैं कि आवेदक नियमावली के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग स्थापित होता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के मत

45. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- i) आवेदक ने व्यापार नोटिस द्वारा अपेक्षित होने के बावजूद, व्यापक चरणवार विनिर्माण प्रक्रिया पर कोई लेख उपलब्ध नहीं कराया है।
- ii) आवेदक ने अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य की रिपोर्टिंग करते समय एचपीएल के निर्यातोन्मुखी उत्पादन को शामिल नहीं किया है। स्थिति को स्थापित करते समय यह सूचना अनिवार्य है।
- iii) प्रचलन के अनुसार निर्यात बिक्री की मात्रा, मूल्य, लागत और प्रति यूनिट आय के संबंध में अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यह हितबद्ध पक्षकारों के अपनी रक्षा करने के अधिकार को क्षति पहुंचाता है।
- iv) एनआईपी के लिए वास्तविक आंकड़े भी सीमा में भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
- v) आवेदक ने देश-वार कीमत कटौती को प्रकट नहीं किया है।
- vi) समामेलन की योजना और एनसीएलटी आदेश को गोपनीय रखा गया है।
- vii) प्राधिकारी से प्राप्त ई-मेल के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने अगोपनीय पाठों के बिना ही अनुरोध दायर किए हैं।
- viii) सारांश उपलब्ध कराए बिना ही अद्यतन आंकड़ों के संपूर्ण अनुबंध को गोपनीय रखा गया है।

ड.2 घरेलू उद्योग के मत

46. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- i) प्रतिवादी ने प्रयोक्ताओं और वीओएल के बीच गोपनीय पत्र-व्यवहारों का संदर्भ दिया है, जिससे आवेदक के लिए प्रभावी रूप से उत्तर देना कठिन हो गया है। गोपनीयता का दावा संपूर्ण दस्तावेज और यहां तक कि प्रयोक्ता के नाम के लिए भी किया गया है।
- ii) पीसीएन से संबंधित संपूर्ण आंकड़ों के लिए गोपनीयता का दावा किया गया है। निर्यातित उत्पाद प्रकारों अथवा पीसीएन कोड के नामों को बताने में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। आवेदक किसी अनुरोध को आगे नहीं बढ़ा सकता जबकि वह निर्यात किए गए उत्पाद के नाम तक से परिचित नहीं है।
- iii) निगमित ढांचा के विवरणों के संबंध में बीएसएफ ग्रुप द्वारा गोपनीयता का दावा किया गया है जबकि यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
- iv) शेयरधारकों के नामों के लिए गोपनीयता का दावा किया गया है जो कि अनुचित है।
- v) मौखिक सुनवाई में निर्यातकों ने दावा किया है कि उनके निर्यातों की मूल्य श्रृंखला पूरी है और मूल्य श्रृंखला को शामिल करने वाली सभी हस्तियों ने उत्तर दायर किए हैं, तथापि, संवितरण के चैनल ने बिना किसी औचित्यपूर्ण कारणों के गोपनीयता का दावा किया है। संवितरण के चैनल के प्रकटीकरण के अभाव में, घरेलू उद्योग इस बात से परिचित नहीं है कि क्या आपूर्ति श्रृंखला के सभी लिंक ने प्रश्नावली उत्तर दायर किया है और मूल्य श्रृंखला जरूरतों को पूरा किया है।
- vi) जहां रियानलॉन समूह के प्रतिवादियों ने परिशिष्ट-2 में पीयूसी के क्रयों के विवरणों को दायर किया है वहां संपूर्ण परिशिष्ट के लिए गोपनीयता का दावा किया गया है। यहां तक कि, जिन संबंधित पक्षकारों से पीयूसी की खरीद की गई थी, उनके नामों के लिए भी बिना किसी औचित्य के गोपनीयता का दावा किया गया है।
- vii) निर्यातकों द्वारा उनके प्रश्नावली के उत्तरों सहित घरेलू बिक्रियों और भारत को किए गए निर्यातों से संबंधित दस्तावेज़ों को उपलब्ध कराना अपेक्षित है। हालांकि, प्रतिवादियों ने इन नामों/दस्तावेजों की सूची के लिए भी गोपनीयता का दावा किया है।
- viii) निर्यातकों ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के लिए समायोजनों पर आवेदक को कानूनी तर्कों का जवाब देने से रोकने के लिए, अपने संपूर्ण अनुरोध में

- गोपनीयता का दावा किया है। जबकि कुल आंकड़ों को गोपनीय माना जा सकता है, समायोजनों के प्रकारों को उचित रूप से गोपनीय नहीं माना जा सकता।
- ix) पाटनरोधी जांच एक समयबद्ध जांच है और डीजीटीआर ने संगत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को विशिष्ट समय सीमा दी है। डब्ल्यूटीओ न्यायशास्त्र मार्गदर्शन प्रदान करता है कि समय बाधित प्रतिक्रियाओं को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को उनके गोपनीयता संबंधी दावों को प्रस्तुत करने के लिए सात दिनों का समय दिया गया था जिसे नहीं किया गया था। इसलिए उनके दावों की समय सीमा स्पष्ट रूप से समाप्त हो चुकी है।
- x) घरेलू उद्योग ने सारी संगत सूचना उपलब्ध कराई है और व्यापार नोटिस 10/2018 के प्रारूप से बहुत कम विचलन हुआ है। इसके लिए अनुमति दी जा सकती थी यदि ऐसे विचलन के लिए कोई बेहतर कारण प्रस्तुत किया जाता। यदि सूचना व्यापार संवेदनशील है, जिस के प्रकटन से आवेदक को क्षति होती अथवा वह पहले ही कहीं और उपलब्ध कराई जा चुकी है तो सारे विचलन किए जाते हैं।
- xi) जहां तक उत्पादन प्रक्रिया के संबंध में गोपनीयता का संबंध है, उत्पादन प्रक्रिया का एक सामान्य विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और खुले स्रोतों के जरिए उपलब्ध है। संपदा संबंधी आंतरिक जानकारी सहित, जो आवेदक द्वारा अनुसरण की जा रही विशिष्ट प्रक्रिया एक गोपनीय व्यापार सूचना है जिसके प्रकटीकरण से आवेदक की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- xii) गोपनीयता के तर्क जो आवेदन में उपलब्ध कराए गए हैं, अद्यतन जानकारी के लिए भी लागू होना जारी रहेंगे।
- xiii) जहां तक निर्यात बिक्रियों की मात्रा और मूल्य का संबंध है, प्रवृत्ति आधार पर जानकारी को दायर किए गए लिखित अनुरोध के साथ उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार, निवल अचल परिसंपत्तियों, कार्यशील पूँजी, कर्मचारियों और मालसूचियों संबंधी जानकारी को भी उपलब्ध कराया गया है।
- xiv) निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्देश पर, आवेदक ने फार्मेट IV-क प्रस्तुत किया है। हितबद्ध पक्षकारों के बीच एक प्रवृत्ति आधार पर इसका एक अगोपनीय पाठ भी परिचालित किया गया।

xv) प्राधिकारी ने पक्षकारों को मिश्रण का हिस्सा बनने वाले अन्य घटकों के मूल्य की पहचान करने और उसके साक्ष्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आवेदक इस बात से अपरिचित है कि क्या ऐसी जानकारी उपलब्ध भी कराई गई है। यह अनुरोधों के अगोपनीय पाठ में अनुपस्थित है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

47. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए अगोपनीय पाठ को उपलब्ध कराया है। जहां तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया है:-

“(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम(2), नियम 15 के उपनियम(4) और नियम 17 के उपनियम(4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
 (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
 (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

48. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की ऐसे दावों की पर्याप्ता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां जरूरी था, वहां गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई

सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीय के रूप में अपनी व्यापार संबंधित संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 38 के अनुसार, किसी दस्तावेज के अगोपनीय पाठ की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे पर उनकी टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए घरेलू उद्योग सहित, हितबद्ध पक्षकारों को आमंत्रित किया गया था। इस संबंध में यह नोट किया गया कि आवेदक के अनुरोध में अत्यधिक गोपनीयता का आरोप लगाते हुए, रियानलॉन ग्रुप द्वारा किया गया अनुरोध उल्लेखनीय रूप से विलंब से किया गया है। ये टिप्पणियां, प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को परिचालित किए जाने के 3 महीनों के बाद प्रस्तुत की गई थीं। इसी प्रकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी, गोपनीयता पर अत्यधिक विलंब के बाद टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। फिर भी, प्राधिकारी ने इन अनुरोधों पर विचार किया है।
50. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी निर्यात बिक्री मात्रा, मूल्य, लागत और प्रति यूनिट वसूली के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। ऐसा गोपनीयता संबंधी दावा अत्यधिक है और इस लिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को सूचकांक स्वरूप में इस सूचना को साझा करने का निर्देश दिया ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकार इसको उचित रूप से समझ सकें। पहली मौखिक सुनवाई के समय निर्देश दिए जाने पर, आवेदक ने प्रवृत्ति अनुसार अपने निर्यातों पर जानकारी को भली-भांति उपलब्ध कराते हुए अपने लिखित अनुरोध के साथ अर्थात प्रोफार्मा IV-क में अपनी क्षति संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई।
51. जैसा कि पहले ही ऊपर नोट किया गया है, जहां तक अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य को रिपोर्ट करते समय, एचपीएल के निर्यातोन्मुखी उत्पादन को शामिल न किए जाने का संबंध है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह देखा गया है कि चाहे अन्य दो भारतीय उत्पादकों द्वारा सकल उत्पादन पर विचार किया गया है, आवेदक का हिस्सा अभी भी कुल भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक है। किसी भी स्थिति में, जहां आवेदक ने आवेदन के साथ गोपनीय आधार पर कुल भारतीय उत्पादन में अपने हिस्से के बारे में प्रकटन किया था, इसने अपने मौखिक-पश्चात के लिखित अनुरोधों के जरिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सकल और निवल, दोनों भारतीय उत्पादनों में अपने हिस्से को प्रकट किया है।
52. जहां तक आवेदक द्वारा व्यापक चरण-वार विनिर्माण प्रक्रिया पर लिखित सामग्री उपलब्ध न कराने का संबंध है, यह नोट किया गया है कि ट्रेड नोटिस 10/2018 के अनुसार, किसी

एकल आवेदक द्वारा अपनी व्यापक विनिर्माण प्रक्रिया पर वास्तविक जानकारी प्रकट करने की जरूरत है। तथापि, नोटिस का फुट नोट बताता है कि जहां कोई एकल आवेदक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध एक बहु-उत्पाद कंपनी है या निगमित कार्य मंत्रालय को अपनी वित्तीय व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट करता है तो गोपनीयता की मात्रा, जिसका दावा किया जा सकता है, उसे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध अपनी रिपोर्टिंग की प्रकृति के साथ सह-संबंधित किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग की वेबसाइट और ब्रोशर से यह देखा गया है कि इसकी विनिर्माण प्रक्रिया पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए आवेदक द्वारा दावा किए गए गोपनीयता की सीमा तक अनुमति दी गई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से प्रतिभागी उत्पादकों ने भी प्रश्नावली उत्तर में अपनी संबंधित प्रक्रियाओं में गोपनीयता का दावा किया है।

53. जहां तक इस तर्के का संबंध है कि आवेदन में कीमत कटौती को स्थापित नहीं किया गया है, यह नोट किया गया है कि आवेदन प्रोफार्मा में कीमत कटौती संगणनाओं को रिपोर्ट करने की घरेलू उद्योग को जरूरत नहीं है। आवेदक ने पहुंच कीमत और इसकी बिक्री कीमत पर आवेदन में सूचना उपलब्ध कराई है और कीमत कटौती के संबंध में विवरण दिए हैं। किसी भी स्थिति में, कीमत कटौती की इस अंतिम जांच परिणामों के प्रासंगिक भाग में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

54. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विभिन्न अनुरोध किए हैं:-

- i) आवेदक के प्रचालन अभी हाल ही में स्थापित किए गए हैं जो उच्च निर्धारित और स्टार्ट-अप लागतों को प्रारंभिक वर्षों में अपरिहार्य बनाता है, विशेष रूप से जब तक वे प्रक्षेपित उपयोग तक न पहुंच जाएं। इसलिए, प्राधिकारी को एनआईपी और आईएम को परिकलित करते समय अपनी स्थापित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए और घरेलू उद्योग की बढ़ी हुई लागतों को सामान्यीकृत करना चाहिए।
- ii) वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने से पहले आवेदक को होने वाली किसी क्षति पर विचार नहीं किया जा सकता। ट्रायल उत्पादन के दौरान, आवेदक आयात प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सकता। इसलिए, क्षति अवधि को 2022-23 से पीओआई तक प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

- iii) 2020-21 को आधार वर्ष के रूप में चुना जाना कोविड-19 के प्रभाव के कारण एक भास्मक तस्वीर का सृजन करेगा। इसके अलावा, 2022-23 से पहले, क्षति प्राथमिक रूप से नए संयंत्र के साथ संबद्ध तकनीकी चुनौतियों के कारण थी। आवेदक मात्रा और गुणवत्ता, दोनों के संबंध में मांग को पूरा करने में असमर्थ था, जिस कारण प्रयोक्ताओं को आयातों पर भरोसा करना पड़ा।
- iv) प्रतिस्पर्धा केवल वाणिज्यिक उत्पादन के साथ आरंभ होती है जो अप्रैल, 2022 में आरंभ किया गया था। उस समय से पहले बिक्री संबंधी डेटा की कमी को देखते हुए, एक छोटी क्षति अवधि न्याय संगत है। डब्ल्यूटीओ कम से कम तीन वर्षों की क्षति अवधि की सिफारिश करता है, सिवाय उस समय के जब डेटा स्रोत अल्प अवधि के लिए मौजूद हैं।
- v) प्राधिकारी से आवेदक के प्रत्युत्तर का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने के लिए कहा गया ताकि उत्तरदाता प्रकटीकरण विवरण को बेहतर ढंग से समझ सके।
- vi) आवेदक ने पहली बार उत्पाद और क्षति से संबंधित विशिष्ट जानकारी दायर की है जिसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता।
- vii) जांच को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि नियम 2(ख) और नियम 5 की पूर्व शर्तों की अनिवार्यता अर्थात् घरेलू उद्योग की स्थिति और पात्रता की शर्त को पूरा नहीं किया गया है। तथापि, यदि प्राधिकारी फिर भी कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं तो हितबद्ध पक्षकारों को एक नई मौखिक सुनवाई उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- viii) आवेदन में पीओआई और पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित सूचना शामिल की जानी चाहिए। इस ने 2020-21, 2021-22, अप्रैल, 22-जून 23(15 महीनों) के लिए और पीओआई के लिए डेटा उपलब्ध करा कर निर्धारित फार्मेट से हट कर क्षति अवधि के साथ चालाकी की है। प्राधिकारी ने आवेदक को पिछले वर्ष को एक वित्तीय वर्ष मानने का निर्देश नहीं दिया न ही एनओआई में उल्लिखित इस विचलन का कोई कारण मौजूद था। प्रतिवादी द्वारा ट्रेड नोटिस के अनुपालन के लिए अनुरोध किए जाने के बावजूद, प्राधिकारी द्वारा कोई पत्र-व्यवहार या सह-संबंधित निर्देश जारी नहीं किया गया।
- ix) समय अवधि में कोई अंतर नहीं आता यदि पिछले वर्ष में अतिरिक्त तिमाही जोड़ने के बजाय, आवेदक ने पीओआई में उक्त तिमाही को जोड़ा होता, जैसा कि सभी मामलों में सामान्य अभ्यास रहा है।

च.2 घरेलू उद्योग का मत

55. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विभिन्न अनुरोध किए गए हैं:-

- i) व्यय की गई लागतों के संबंध में जरूरी जानकारी पहले ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध है और प्राधिकारी तदनुसार एनआईफी का निर्धारण कर सकते हैं। नए उत्पादक के रूप में, आवेदक ने उत्पादन की उच्चतर वास्तविक लागत को स्वीकार किया है। हालांकि, क्षति का वास्तविक लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के आधार पर आकलन नहीं किया गया है बल्कि उत्पादन के इष्टतम स्तर पर किया गया है। यह विचाराधीन लागतों और लाभप्रदता संकेतकों के आधार पर नए उत्पादन प्रचालन के प्रभाव को पृथक करती है।
- ii) जहां घरेलू उद्योग को जून, 2022 तक होने वाली क्षति “अन्य कारकों” के कारण थी, इस अवधि के दौरान उत्पादन का अभी भी पाटित कीमतों पर निर्यात किया जा रहा था। घरेलू उद्योग ने दो मुद्दों का सामना किया है (क) उत्पाद को कुछ उपभोक्ताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, और (ख) पाटन के कारण कंपनी ने अपर्याप्त कीमतें प्राप्त कीं।
- iii) पीओआई के पहले भी, कंपनी के उत्पाद को विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत किया गया था। देश में मांग का लगभग ***% उन उपभोक्ताओं की ओर से था, जिन्होंने आवेदक के उत्पाद को स्वीकृत किया था। भ्रम की स्थिति को उपेक्षित करने के लिए आवेदक ने जांच के लिए प्रस्तावित पीओआई में इस अवधि को शामिल नहीं किया है। तथापि, यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने पीओआई से पहले अन्य चुनौतियों का सामना किया है, कारणात्मक संबंध को नहीं तोड़ता।
- iv) प्राधिकारी ने पीयूसी के दायरे पर एक बैठक, एक मौखिक सुनवाई और एक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के बाद द्वितीय मौखिक सुनवाई सहित, तर्कों को प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराए। आवेदक का विश्वास है कि और किसी सुनवाई की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी पक्षकारों की सुनवाई हो चुकी है। प्राधिकारी प्रकटीकरण विवरण में सभी चिन्ताओं का उल्लेख करेंगे, टिप्पणियां आमंत्रित करेंगे और अपने अंतिम जांच परिणामों में एक तर्कसंगत निष्कर्ष जारी करेंगे।

v) व्यापार सूचना 02/2004 के पैरा 2(iii) के अनुसार पीओआई और पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए आंकड़े अपेक्षित हैं, जिसमें समय के अतिव्याप्ति की अनुमति है किन्तु अंतराल की नहीं। वर्तमान क्षति अवधि लगातार है और अंतराल मुक्त है। अप्रैल-जून, 2023 को शामिल किया जाना अनुपालन और निरंतरता को सुनिश्चित करता है। कानून यह निर्देश देता है कि व्याख्या उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए। प्रस्तावित पीओआई और क्षति अवधि में कोई अवैधता या प्रक्रियात्मक अनुचितता नहीं है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

56. प्राधिकारी ने अपनी सतत् कार्यप्रणाली के आधार पर, आवेदक की लागतों को मानकीकृत करते हुए, पाटनरोधी नियमों के अनुबंध III के अनुसार क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित किया है।
57. प्रकटन विवरण को अच्छे ढंग से समझने के लिए प्रत्युत्तर अनुरोध का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि, प्रथा के अनुसार, प्रत्युत्तर अनुरोधों के अगोपनीय सारांश हितबद्ध पक्षकारों के बीच प्रसारित नहीं किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटन विवरण में प्रत्युत्तरों में दिए गए विचारों और अनुरोधों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों के विचार और अनुरोध शामिल हैं, ताकि प्राधिकारी के विश्लेषण और प्रस्तावित जाँच के आधार की व्यापक समझ प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर टिप्पणी करने का अवसर दिया जाता है, जहाँ तक इन अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया हो।
58. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक द्वारा अपने लिखित अनुरोध में पहली बार प्रस्तुत की गई कुछ जानकारी को रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उस पर विचार करने का अवसर नहीं दिया गया था, यह नोट किया जाता है कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त समय दिया गया था और उन्हें अपने प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का अवसर दिया गया था। इसलिए, वास्तव में सभी पक्षकारों को मुद्रों पर विचार करने का अवसर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने काफी समय बीत जाने के बाद एक और सुनवाई की है, और इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पर टिप्पणी करने का पर्याप्त अवसर मिला।

59. चयनित क्षति अवधि की उपयुक्तता के संबंध में, प्राधिकारी की पिछली प्रथाओं के अनुरूप, लंबी अवधि अर्थात् 2020-2021 से वर्तमान जांच अवधि तक क्षति की जांच करना उचित पाया गया है। वर्तमान क्षति अवधि व्यापक क्षति विश्लेषण की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी आवेदक के इस दावे पर भी ध्यान देते हैं कि उसके उत्पाद को कुछ ग्राहकों द्वारा जांच अवधि से पहले ही अनुमोदित कर दिया गया था। इसके अलावा, जबकि विगत में क्षति अन्य कारकों के कारण हुई थी, आवेदक ने दावा किया है कि इस अवधि के दौरान भी आयात पाटित कीमतों पर देश में हो रहे थे।
60. इस तर्क के संबंध में कि 2020-21 को आधार वर्ष के रूप में चुनने से कोविड-19 के प्रभाव के कारण एक भ्रामक छवि बनेगी और क्षति अवधि को जांच की अवधि तक 2022-23 तक सीमित किया जाना चाहिए, अर्थात् केवल वाणिज्यिक उत्पादन अवधि में यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि को आम तौर पर जांच की अवधि के तुरंत बाद तीन वर्ष माना जाता है। इसमें कम से कम तीन वर्ष शामिल होने चाहिए, जब तक कि आवेदक कम अवधि के लिए अस्तित्व में न रहा हो, ऐसी स्थिति में पूरी अवधि के लिए उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है। वास्तविक मंदी के मामलों में, यदि उद्योग स्वयं तीन वर्षों से कम समय से परिचालन में है, तो कम क्षति अवधि पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान जांच में, घरेलू उद्योग ने अप्रैल 2020 में उत्पादन शुरू किया, इस अवधि के दौरान *** मीट्रिक टन उत्पादन और *** मीट्रिक टन की बिक्री की। इस अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री की महत्वपूर्ण मात्रा, साथ ही अप्रैल 2020 से प्रासंगिक आंकड़ों की उपलब्धता को देखते हुए, चयनित क्षति अवधि 2020-21 से जांच की अवधि तक विस्तारित है। इसके अलावा, जांच की अवधि में क्षति का आरोप केवल पाटित आयातों के कारण लगाया गया है। इसके अलावा, आवेदक के प्रदर्शन को उसकी नई स्थापना के हिसाब से मानकीकृत किया गया है। चूंकि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का आकलन करने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, हालाँकि आवेदक ने इसके वास्तविक और अनुमानित प्रदर्शन के बीच तुलना भी की है, प्राधिकारी ने इस पर ध्यान दिया है।
61. व्यापार सूचना से विचलन और पिछली अवधि (अर्थात्, अप्रैल 22-जून 23) के लिए 15 महीनों के आंकड़े प्रस्तुत करने के तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि सभी वित्तीय वर्षों को क्षति अवधि का हिस्सा माना गया है। पिछला वर्ष 15 महीनों की अवधि है, क्योंकि इसमें एक संपूर्ण वित्तीय वर्ष को शामिल करने के अलावा, क्षति अवधि और जांच की अवधि के बीच किसी भी अंतराल से बचने के लिए एक अतिरिक्त तिमाही भी शामिल है। प्राधिकारी

नोट करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि क्षति अवधि का हिस्सा बनने वाली अवधियों में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। इसलिए, यह ध्यान दिया जाता है कि क्षति अवधि अंतराल-रहित और निरंतर होनी चाहिए, जिसमें जांच की अवधि से पहले के वर्षों में वित्तीय वर्षों के आंकड़े शामिल होने चाहिए।

छ. पाटन का आकलन और सामान्य मूल्य का निर्धारण

निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

62. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i) कथित कीमत परिवर्तन, यदि कोई हो, का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था, लेकिन पहले ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था। तिमाही मार्जिन की गणना का अनुरोध प्रारंभ में किया जाना चाहिए था।
- ii) मार्जिन का तिमाही विश्लेषण अनावश्यक है। कच्चे माल की लागत में नगण्य अंतर है। आवेदक का अनुरोध अनुचित है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- iii) यद्यपि आवेदन में तिमाही-वार क्षति मार्जिन की एक तालिका दी गई है, लेकिन तिमाही-वार पाटन मार्जिन का कोई संदर्भ नहीं है। आवेदन में तिमाही-वार क्षति मार्जिन "वास्तविक मंदी" के दावे के संबंध में दिया गया है। आवेदक ने डीजीटीआर को ऐसी कोई जानकारी, आंकड़े या विश्लेषण उपलब्ध नहीं कराया है जो अनुबंध । के पैरा 6(iv) के कठोर मानदंडों को पूरा कर सके।
- iv) जांच अवधि की 4 तिमाहियों में रियानलॉन समूह के प्रत्येक पीसीएन के लिए भारित औसत निर्यात कीमत के बीच का अंतर नगण्य है और इसमें कोई/न्यूनतम अंतर नहीं है।
- v) प्रश्नावली के उत्तरों में पाटन या उसके अभाव का कोई दावा करने की कोई आवश्यकता या प्रावधान नहीं है। स्पष्ट इनकार का अभाव निर्यातक द्वारा पाटन को स्वीकार करने योग्य नहीं है।
- vi) आवेदक के अनुरोध के अनुसार उत्तरदाता निर्यात कीमत सत्यापन के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि उन्हें एक्सोटिक डेकोर में सेस्टेट के निर्णय के अनुसार डीजी सिस्टम्स

आंकड़ा एक्सेल में उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, विसंगति की स्थिति में, उन्हें स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।

- vii) रियानलॉन समूह के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन की गणना की जा सकती है।

छ.2. घरेलू उद्योग के विचार

63. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i) प्राधिकारी द्वारा पिछले मामलों में और अन्य देशों के जाँच प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई स्थिति के अनुसार, चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चीनी उत्पादकों की लागत और कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
- ii) चीन के उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था परिवेश में कार्यरत कंपनियों के रूप में माना जाना आवश्यक है और प्राधिकारी अनुबंध-I के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं।
- iii) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत और बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य के लिए प्रासंगिक आँकड़े उपलब्ध नहीं थे। किसी तीसरे देश से भारत को मूल्य, अर्थात् कोरिया जन.गण. से भारत को आयात, जो भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का 13% है, को सामान्य मूल्य की गणना के लिए ध्यान में रखा गया है।
- iv) वैकल्पिक रूप से, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य की गणना भारत में उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर की गई है, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय शामिल हैं। घरेलू उद्योग की जानकारी, उचित लाभ मार्जिन और एसजीए के आधार पर परिवर्तित लागतों को शामिल करने के लिए इस मूल्य में उचित समायोजन किए गए हैं।
- v) सिंगापुर के घरेलू बाजारों में उत्पाद की कीमत के प्रमाण प्राप्त करने के प्रयास किए गए। हालाँकि, सिंगापुर सहित वैश्विक बाजार में पीयूसी की कीमतें किसी भी प्रकाशन में उपलब्ध नहीं हैं। ये कीमतें उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच लेन-देन की जाती हैं और इसलिए ये सार्वजनिक डोमेन में नहीं हैं। इसलिए, सिंगापुर में सामान्य मूल्य

का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

- vi) दूसरे स्रोत से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, प्रस्तावित जाँच अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। निष्पक्ष तुलना के उद्देश्य से मूल्य समायोजन का दावा रुद्धिवादी आधार पर किया गया है।
- vii) संबद्ध देशों के लिए गणना किए गए पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर हैं, बल्कि काफी महत्वपूर्ण भी हैं।
- viii) बीएएसएफ समूह ने परिशिष्ट 4क में घरेलू बिक्री का विवरण प्रदान किया है और कहा है कि सामान्य मूल्य का दावा घरेलू बाजार में बिक्री के आधार पर किया गया है। बीएएसएफ समूह के एक व्यापारी, अर्थात् बीएएसएफ (चीन) कंपनी लिमिटेड ने भी निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद की बिक्री केवल घरेलू बाजार में की है, भारत में नहीं। हालाँकि, प्रतिवादियों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- ix) आवेदक ने समय के साथ लागत और मूल्य में महत्वपूर्ण भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तिमाही तुलना के माध्यम से पाटन और क्षति मार्जिन की गणना की है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ इस पर विचार करें।
- x) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह निर्यातकों द्वारा बताई गई निर्यात मात्रा और मूल्यों का डी जी सी आई एंड एस और डी जी सिस्टम्स के आंकड़ों से सत्यापन करे, प्रश्नावली के उत्तरों को अस्वीकार करे और यदि दावे भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं, तो उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करे, और चीनी और भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए चालानों, आय रिपोर्टिंग, व्यय रिपोर्टिंग और भुगतान प्रमाण के लिए उपयोग किए गए चालानों, जिनमें बैंक स्टेटमेंट और पार्टी खाता रिकॉर्ड शामिल हैं, की जाँच करे। यदि कोई निर्यातक चीनी और भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों को परस्पर विरोधी कीमतों की सूचना देता है, और यदि निर्यातक भारतीय खरीदारों से भुगतान का पर्याप्त प्रमाण प्रदान करने में विफल रहते हैं, तो उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
- xi) इससे पहले, प्राधिकारी ने वैट अंतरों के लिए समायोजन किया था, जिसे हाल ही में मूल्य समायोजन के रूप में रिपोर्ट नहीं किया गया है। प्राधिकारी को सामान्य मूल्य

और निर्यात कीमत के बीच तुलना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मूल्य समायोजन करना चाहिए।

- xii) केवल एक्सेल फ़ाइलें समायोजन के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। सटीकता और पर्याप्तता स्थापित करने के लिए, उन्हें प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित होना चाहिए। प्राधिकारी को निर्यातकों को साक्ष्य के साथ आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश देना चाहिए।
- xiii) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे प्रत्येक निर्यातक के ई क्यू आर की पूर्णता जाँच करें, जिसमें कंपनी के सभी परिचालन और विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद से संबंधित परिचालन शामिल हों।
- xiv) किसी भी निर्यातक ने यह दावा नहीं किया है कि पाटन नहीं हो रहा है। इनकार के अभाव में, आवेदक के लिए पाटन के अस्तित्व का अनुमान लगाना ही उचित है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने मांग की थी कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण तिमाही सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पहुँच कीमत और एनआईपी को ध्यान में रखकर किया जाए। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध आँकड़े पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के तिमाही मूल्यांकन की आवश्यकता को उचित नहीं ठहराते हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण तिमाही आधार पर नहीं किया है।

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

65. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहाँ उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहाँ ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

66. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है: "जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा:

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(iii) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय

एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तों उपयुक्त बैंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(iv) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(v) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

67. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद (15)(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, एक्सेशन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अंतर्गत इस दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में किए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से इस नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को पूरा किया जाना अपेक्षित होता है।
68. जांच शुरू करने के चरण में, प्राधिकारी ने विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और लाभों को विधिवत समायोजित करने के बाद घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया। जांच शुरू

करने पर, प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरू करने की सूचना का जवाब देने और अपनी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के निर्धारण के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने की सलाह दी। प्राधिकारी ने नियमों के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन करने और प्रासंगिक विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए सभी जात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य की सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वह चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादकों/निर्यातकों को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने की सलाह दे।

69. जबकि बीएएसएफ चीन ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में कहा है कि उसने घरेलू बाजार में बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। तथापि, न तो बीएएसएफ और न ही किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, और न ही प्राधिकारी द्वारा जांच के प्रारंभिक चरण में चीन जन.गण. की एनएमई स्थिति को चुनौती दी है। इस प्रकार, उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और किसी भी चीनी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन न किए जाने की स्थिति में, प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना उचित समझते हैं और मामले में जनवादी गणराज्य के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चीन नियमों के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखते हैं।

70. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा-7 में उपबंध है कि:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तित रूप से संदर्भ अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के

सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी। ”

71. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत के आधार पर, या जहाँ यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत में संभावित उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई या समायोजित की गई कीमत भी शामिल है, यदि आवश्यक हो तो उचित लाभ मार्जिन को शामिल करना। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध 7 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न अनुक्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता। घरेलू उद्योग ने प्रारंभिक चरण में चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के आधार के रूप में कोरिया गणराज्य से भारत में आयात पर विचार करने का सुझाव दिया था। यद्यपि यह देखा गया है कि कोरिया गणराज्य से भारत में संबद्ध वस्तुओं का आयात कुल आयातों का 17% है, तथापि, पीसीएन का विस्तार सीमित है और इसमें सभी विचारित पीसीएन शामिल नहीं हैं। कोरिया गणराज्य से एक पीसीएन का कोई आयात नहीं हुआ है, जबकि दो पीसीएन की आयात मात्रा नगण्य है। इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में आयातों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जा सकता।

72. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष उपर्युक्त सूचना/साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए "भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार" के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जैसा कि पाटनरोधी नियम 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 में निर्धारित है। यह मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया

गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय, और लाभ के लिए उचित योग शामिल है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाठन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

73. बी ए एस एफ साउथ ईस्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। जाँच अवधि के दौरान, इसने घरेलू बाजार और भारतीय बाजार दोनों में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है।
74. यह देखा गया है कि जाँच अवधि के दौरान, बी ए एस एफ साउथ ईस्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने घरेलू बाजार में *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है, जबकि इसने भारत को *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है, जिसमें से *** मीट्रिक टन भारत में संबंधित ग्राहक अर्थात् बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड को सीधे निर्यात किया गया है, जबकि शेष *** मीट्रिक टन संबंधित निर्यातक अर्थात् बी ए एस एफ हांगकांग के माध्यम से भारत में उसी ग्राहक को निर्यात किया गया है।
75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। घरेलू बाजार में सभी बिक्री असंबंधित पक्षकारों को की जाती है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने हेतु प्रत्येक पीसीएन के लिए व्यापार परीक्षण का सामान्य क्रम आयोजित किया। ऐसे पीसीएन जहाँ लाभ कमाने वाले लेनदेन 80% से अधिक थे, प्राधिकारी ने उस पीसीएन के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में हुए सभी लेनदेन पर विचार किया। जहाँ किसी पीसीएन के लिए लाभ कमाने वाले लेनदेन 80% से कम लेकिन 20% से अधिक थे, वहाँ प्राधिकारी ने ऐसे लाभ कमाने वाले बिक्री के घरेलू विक्रय मूल्य को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त, ऐसे पीसीएन जहाँ लाभ कमाने वाले लेनदेन 20% से कम थे, वहाँ प्राधिकारी ने पीसीएन की उत्पादन लागत और समग्र लाभ मार्जिन के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया।

निर्यात कीमत का निर्धारण

76. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों की जाँच नीचे की गई है:
77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों को निर्यात किए गए मिश्रणों में गैर-विषयक एंटीऑक्सिडेंट AO का परिमाणन और मूल्य सूचित करने का निर्देश दिया गया था, ताकि उसे उत्पाद के निर्यात मूल्य से बाहर रखा जा सके। चूँकि विचाराधीन उत्पाद का दायरा

केवल संबद्ध एंटीऑक्सिडेंट या उनके मिश्रणों या संबद्ध एंटीऑक्सिडेंट की सीमा तक गैर-विषयक एंटीऑक्सिडेंट के साथ उनके मिश्रणों तक सीमित है, इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के लिए ऐसे मिश्रणों का हिस्सा बनने वाले गैर-विषयक एंटीऑक्सिडेंट के मूल्य का परिमाणन और पुष्टि करना अनिवार्य था। यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं यह जानकारी प्रदान करनी चाहिए थी, तथापि, इस आशय के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, हितबद्ध पक्षकार प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में विफल रहे। असहयोग को देखते हुए और संबंधित निर्यातकों द्वारा बेचे गए ऐसे मिश्रण की कम मात्रा को देखते हुए, प्राधिकारी ने ऐसी बिक्री को पाठन और क्षति मार्जिन के निर्धारण से बाहर रखना उचित समझा है।

चीन जन. गण. के लिए निर्यात मूल्य

चीन जन. गण. से रियानलॉन समूह

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. में रियानलॉन समूह की चार समूह कंपनियों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।
- क) रियानलॉन कॉर्पोरेशन (उत्पादक) ने रेनलॉन टेक्नोलॉजी (व्यापारी) के माध्यम से भारत को *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ निर्यात की हैं।
 - ख) रियानलॉन (झॉंगवेई) न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) ने (i) रियानलॉन टेक्नोलॉजी (व्यापारी) और (ii) रियानलॉन कॉर्पोरेशन (ऊपर उल्लिखित उत्पादक) के माध्यम से भारत को *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ निर्यात की हैं।
 - ग) रियानलॉन (झुहाई) न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) ने रियानलॉन टेक्नोलॉजी (व्यापारी) के माध्यम से *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ निर्यात की हैं।
79. उत्पादकों अर्थात् रियानलॉन कॉर्पोरेशन, रियानलॉन (झॉंगवेई) न्यू मैटेरियल कंपनी और रियानलॉन (झुहाई) न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं का कोई प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया गया है। यह देखा गया है कि उत्पादक कंपनी रियानलॉन कॉर्पोरेशन ने अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को एक व्यापारी अर्थात् रेनलॉन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेचा है। इसने रियानलॉन (झॉंगवेई) न्यू मैटेरियल कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचकर एक व्यापारी के रूप में भी काम किया है।
80. निर्यात कीमत निर्यातक द्वारा बताई गई निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। ऋण लागत, बैंक प्रभार, पत्तन प्रभार, बीमा और अंतर्देशीय माल भाड़े के लिए समायोजन

की सूचना दी गई है और उन्हें अनुमति दी गई है। निर्यात सीआईएफ, सीएफआर, सीएंडआई और एफओबी आधार पर किए गए हैं। इस प्रकार, सीआईएफ लेनदेन के लिए बताए गए औसत माल भाड़े और बीमा के आधार पर, सीएफआर, सीएंडआई और एफओबी आधार पर किए गए लेनदेन के लिए उचित समायोजन पर विचार किया गया है। निर्यात मूल्य नीचे डंपिंग मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

चीन, जन.गण. से बीएएसएफ केमिकल्स कंपनी लिमिटेड

81. बी ए एस एफ केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन, जन.गण. में एक उत्पादक है, जिसने भारत में संबंधित ग्राहक, अर्थात् बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड को *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, जिसमें से *** मीट्रिक टन सीधे निर्यात किया गया और शेष संबंधित व्यापारी, अर्थात् बी ए एस एफ हांगकांग लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया गया।
82. निर्यात कीमत निर्यातक द्वारा बताए गए निर्यात मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है। समुद्री माल ढुलाई, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बीमा और ऋण लागत के आधार पर समायोजन की सूचना दी गई है और उन्हें अनुमति दी गई है। कारखाना द्वारा स्तर पर निर्यात कीमत की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।

चीन, जन.गण. में अन्य उत्पादक/निर्यातक

83. चीन, जन.गण. के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

सिंगापुर के लिए निर्यात कीमत

सिंगापुर में बी ए एस एफ साउथ ईस्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड

84. जाँच अवधि के दौरान, बी ए एस एफ साउथ ईस्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने घरेलू बाजार में *** मीट्रिक टन संबद्ध सामानों की बिक्री की, जबकि उसने *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ निर्यात की, जिनमें से *** मीट्रिक टन सीधे भारत को निर्यात की गई और शेष संबंधित निर्यातक, अर्थात् बी ए एस एफ हांगकांग लिमिटेड, के माध्यम से निर्यात की गई।

85. निर्यात कीमत निर्यातक द्वारा बताई गई निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, अंतर्देशीय माल भाड़ा, बीमा और ऋण लागत के आधार पर समायोजन की सूचना दी गई है और उन्हें अनुमति दी गई है।
86. जहाँ बिक्री एफओबी आधार पर और सीआईपी आधार पर की गई थी, वहाँ निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए उचित समायोजन (जैसा कि रिपोर्ट किया गया है) किए गए हैं। इस प्रकार, कारखाना द्वारा स्तर पर निर्यात मूल्य की गणना नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।

सिंगापुर के अन्य उत्पादक/निर्यातक

87. सिंगापुर के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

पाटन मार्जिन का निर्धारण

88. वर्तमान जाँच में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं।

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	पीसीएन	निर्यात मात्रा	निर्यात मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेज
चीन जन.गण.							
बी ए एस एफ कैमिकल्स कं. लिमिटेड	ए0168	***	***	***	***	***	10-20
	ए1076	***	***	***	***	***	15-25
	कुल	***	***	***	***	***	10-20
रेनलॉन ग्रुप	ए 0168	***	***	***	***	***	20-30
	ए 1010	***	***	***	***	(***)	(5-15)
	ए 1076	***	***	***	***	***	30-40
	ए 1098	***	***	***	***	(***)	(40-50)
	ए 1135	***	***	***	***	***	0-10
	बीए 1098 और 168	***	***	***	***	(***)	(30-40)

	1:2 के अनुपात में						
	बीए 1010 और 168 1:2 के अनुपात में	***	***	***	***	***	0-10
	बीए 1010 और 168 1:1 के अनुपात में	***	***	***	***	***	10-20
	कुल	***	***	***	***	***	0-10
	कोई अन्य		***	***	***	***	45-55
सिंगापुर							
बी एस ई ए सिंगापुर	ए 0168	***	***	***	***	***	40-50
	ए 1010	***	***	***	***	***	60-70
	ए 1135	***	***	***	***	***	20-30
	बीए 1010 और 168 1:1 के अनुपात में	***	***	***	***	***	15-25
	बीए 1010 और 168 1:2 के अनुपात में	***	***	***	***	***	55-65
	कुल	***	***	***	***	***	55-65
अन्य कोई		***	***	***	***	***	75-85

ज. क्षति निर्धारण और क्षति के आकलन की पद्धति

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

89. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i) क्षति के प्रकार, अर्थात् सामग्री क्षति या सामग्री मंदी, के संबंध में अस्पष्टता है।

- ii) घरेलू उद्योग को सामग्री मंदी का सामना नहीं करना पड़ सकता क्योंकि यह जांच की अवधि के दौरान ही स्थापित हो चुका था। यदि प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि घरेलू उद्योग स्थापित है, तो वास्तविक क्षति के बजाय सामग्री मंदी का आकलन करना अनुचित होगा।
- iii) दो कारक संकेत देते हैं कि घरेलू उद्योग स्थापित है: (क) घरेलू उत्पादन के लिए संसाधनों की वास्तविक और पर्याप्त प्रतिबद्धता, और (ख) उत्पादन का वाणिज्यिक मात्रा तक पहुँचना। इसके अलावा, आवेदक 2020 से ब्यूटाइल फिनोल का उत्पादन कर रहा है, जिससे उनके लिए पीयूसी उत्पादन शुरू करना संभव हो गया है। घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान ही स्थापित हो चुका था और सामग्री मंदी का दावा नहीं कर सकता।
- iv) सामग्री क्षति और मंदी परस्पर अनन्य हैं; कोई उद्योग एक साथ स्थापित और अस्थापित दोनों नहीं हो सकता। क्षति का प्रकार प्रारंभिक चरण में ही स्पष्ट किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, सामग्री मंदी का मामला किसी "विशेष उत्पादक" के बजाय किसी "उद्योग" के विरुद्ध बनाया जाना चाहिए।
- v) आयात में वृद्धि के साथ-साथ मांग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। घरेलू बिक्री में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक रही है।
- vi) सापेक्षिक दृष्टि से आयात समान या कम रहा है।
- vii) क्षति अवधि में लागत में ***% की गिरावट आई, लेकिन कीमत में 42% की वृद्धि हुई। कोई मूल्य हास नहीं हुआ है।
- viii) आवेदक का उत्पादन बढ़ा, जबकि क्षमता हमेशा समान रही। ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच उत्पादन में कमी आई, क्योंकि आवेदक ने एनपीयूसी के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया और अक्टूबर 2022 से जून 2023 तक बंद भी रहा।
- ix) आवेदक ने कहा है कि अधिग्रहण के बाद, उसने महत्वपूर्ण निवेश किया। हालाँकि, स्थापित क्षमता स्थिर रही।
- x) मांग बढ़ने के साथ, आवेदक बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा। जांच की अवधि के दौरान निवल बिक्री प्राप्ति में भी मामूली गिरावट के साथ वृद्धि हुई, जो आवेदक द्वारा

बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अपने विक्रय मूल्य को कम करने का परिणाम प्रतीत होता है।

- xi) जांच की अवधि के दौरान बिक्री कीमत में गिरावट का कारण 2023-24 में कम कीमतों पर स्क्रैप की बिक्री भी हो सकती है। 31 मार्च, 2023 तक स्क्रैप की बिक्री *** लाख रुपये थी, जो 31 मार्च, 2024 तक बढ़कर *** लाख रुपये हो गई। प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
- xii) ब्याज लागत में गिरावट आई, अप्रैल 2022 और जून 2023 के बीच तेजी से वृद्धि हुई, और फिर कम हो गई। यह अचानक वृद्धि उच्च लागतों का कारण है।
- xiii) क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता में सुधार हुआ है, घरेलू उद्योग ने लागत में उल्लेखनीय वृद्धि के बिना कीमतों में वृद्धि की है। परिणामस्वरूप, जांच की अवधि के दौरान प्रति इकाई घाटा कम हुआ।
- xiv) लाभ में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति दिखाने के बजाय उतार-चढ़ाव रहा। वर्ष 2021-22 में सुधार के बाद गिरावट आयात से संबंधित नहीं है।
- xv) नए संयंत्र में पर्याप्त निवेश के साथ, घरेलू उद्योग की निवल अचल संपत्ति और मूल्यहास लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई होगी। यह इसकी बैलेस शीट से स्पष्ट है। हालाँकि, मार्च 2024 तक संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में न्यूनतम नया निवेश किया गया प्रतीत होता है। 2022-23 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर वृद्धि हुई।
- xvi) उत्पादकता में समग्र रूप से सुधार हुआ है। अप्रैल 2022 और जून 2023 के बीच उत्पादकता में गिरावट संयंत्र बंद होने के कारण हुई थी और इसे आयात के कारण नहीं माना जा सकता।
- xvii) बढ़ते उत्पादन और बिक्री के साथ तालमेल बिठाने के लिए औसत मालसूची में वृद्धि देखी गई है।
- xviii) आयात का आर्थिक मापदंडों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। लगभग सभी कारक सुधार दर्शाते हैं।
- xix) उत्पाद विनिर्देशों में सुधार, नए संयंत्र के संचालन और उत्पादन को स्थिर करने में पर्याप्त निवेश के परिणामस्वरूप आवेदक को काफी लागत उठानी पड़ी, जिससे उसे नुकसान हुआ।

- xx) घरेलू उद्योग को ग्राहकों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों की श्रृंखला और गुणवत्ता प्रदान करने में असमर्थता के कारण क्षति का सामना करना पड़ा।
- xxi) आवेदक को अपनी सीमाओं और महामारी के कारण क्षति हुई। तकनीकी और योग्यता संबंधी कमियाँ, जिनके कारण नुकसान और कम उत्पादकता हुई, आयात से होने वाली क्षति के बजाय स्व-प्रदत्त क्षति हैं।
- xxii) आवेदक ने प्रमुख उपयोगकर्ताओं से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, जिससे बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की उसकी क्षमता सीमित हो गई है और क्षति में योगदान हुआ है। वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं ने ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित किए हैं, जबकि आवेदक सीमित विश्वास और प्रतिष्ठा के कारण माँग सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहा है।
- xxiii) उपयोगकर्ताओं को कच्चे माल के घरेलू आपूर्तिकर्ता से लाभ होता है, लेकिन उन्हें ऐसे आवेदक उद्योग से खरीदारी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो गुणवत्ता की कमियाँ को प्रदर्शित करता रहता है। यह दावा कि आवेदक ने गुणवत्ता संबंधी समस्याओं पर काबू पा लिया है, पहली नज़र में स्वीकार नहीं किया जा सकता और यह इस तथ्य को नकारता नहीं है कि उसे शुरुआती चरण और जाँच अवधि के दौरान गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
- xxiv) आवेदक ने प्राधिकारी से केवल सामग्री क्षति के मामले में अपनाए गए ट्रिटिकोण का पालन करने का अनुरोध किया है, लेकिन उसका दावा सामग्री क्षति का मूल्यांकन करने का है। सामग्री क्षति के संबंध में किसी दावे के अभाव में, प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
- xxv) जहाँ तक इस दावे का संबंध है कि कच्चे माल की लागत को समायोजित करने से महत्वपूर्ण पाठन प्रदर्शित होगा, नियम 10 के साथ पठित अनुच्छेद 2.2 और धारा 9ए(1) के प्रावधानों की योजना के विपरीत कोई भी समायोजन अवैध होगा।
- xxvi) रियानलॉन के निर्यात में वृद्धि मांग-आपूर्ति के बढ़ते अंतर के कारण है क्योंकि आवेदक द्वारा निर्यात में .***% की वृद्धि हुई है।

- xxvii) आवेदक ने दावा किया है कि मांग-आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है। हालाँकि, पर्याप्त क्षमता होना ही पर्याप्त नहीं है। इष्टतम उपयोग स्तर तक पहुँचने में समय लगता है।
- xxviii) बढ़ती मांग के साथ, आवेदक की क्षमता अब पर्याप्त नहीं रह सकती है।
- xxix) रियानलॉन समूह का पहुंच मूल्य आवेदक द्वारा उल्लिखित पहुंच मूल्य से अधिक है। रियानलॉन समूह द्वारा कोई कीमत-कटौती नहीं की गई है।
- xxx) क्षति अवधि के दौरान आवेदक की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है और यह संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी से अधिक बनी हुई है।
- xxxi) आवेदक ने दावा किया था कि आयातों की पहुंच कीमत लागत से कम है, जिससे वह कीमतों को लागत के स्तर तक नहीं बढ़ा पा रहा है। हालाँकि, उसके लिखित अनुरोध के आँकड़े दर्शाते हैं कि बिक्री कीमत, लागत और पहुंच कीमत दोनों से अधिक है।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

90. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- नियमों के अनुबंध-II के पैरा (iii) में निर्धारित संचयी मूल्यांकन की शर्त पूरी होती है। इसलिए, पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करने का अनुरोध किया जाता है।
 - वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग को हुई क्षति के स्वरूप को (क) घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति, या (ख) वैकल्पिक रूप से, घरेलू उद्योग की स्थापना में हुई वास्तविक बाधा के रूप में माना जाना चाहिए।
 - वीओएल 4 वर्षों से, अर्थात् पूर्ण क्षति अवधि से, उत्पादन और बिक्री में है। यह 30 महीनों तक परीक्षण परिचालन/उत्पादन में था, जिसमें 7 महीने का शटडाउन भी शामिल है, और 9 महीनों तक वाणिज्यिक उत्पादन में था। चूंकि व्यावसायीकरण हाल ही में हुआ है, इसलिए वीओएल को वैकल्पिक रूप से स्थापित माना जा सकता है।

- iv) जबकि विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देश यह प्रावधान करते हैं कि क्षति अवधि कम से कम 3 वर्ष होगी, डीजीटीआर ने निर्धारित किया है कि क्षति अवधि कम से कम जांच की अवधि और उससे पहले के 3 वर्ष होगी। इसलिए, अतिव्यापन हो सकता है, लेकिन एक अंतराल होना चाहिए। इसके अलावा, नियम परीक्षण और वाणिज्यिक उत्पादन के बीच अंतर नहीं करते हैं। हालाँकि, घरेलू उद्योग को वाणिज्यिक मात्रा में उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करनी चाहिए थी।
- v) घरेलू उद्योग को हुई सामग्री क्षति के निर्धारण के लिए पर्याप्त जानकारी भी उपलब्ध है। जहाँ परीक्षण उत्पादन की कुल मात्रा *** मीट्रिक टन थी, वहीं व्यावसायीकरण के बाद उत्पादन की कुल मात्रा *** मीट्रिक टन थी। ऐसी स्थितियों में जहाँ घरेलू उद्योग चार वर्षों से परिचालन कर रहा है, प्राधिकारी ने अतीत में उद्योग को एक स्थापित उद्योग माना है और सामग्री क्षति की जाँच की है।
- vi) आईआईआर के आयातों की जाँच में, जहाँ परीक्षण उत्पादन आधार वर्ष में शुरू हुआ था और वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा जाँच अवधि से ठीक पहले की गई थी, प्राधिकारी ने सामग्री क्षति की जाँच की। हालाँकि, चूंकि उद्योग अभी भी नया था, इसलिए प्राधिकारी ने "नए उद्योग को सामग्री क्षति" पर विचार किया।
- vii) क्षति के आकलन में पहला चरण घरेलू उद्योग की पहचान करना है। वर्तमान मामले में, आवेदक अकेले घरेलू उद्योग का गठन करता है। दूसरा चरण क्षति के प्रकार का निर्धारण करना है। यदि पहचाने गए घरेलू उद्योग का इतिहास लंबी अवधि का है, तो प्राधिकारी सामग्री क्षति की जाँच कर सकते हैं। लेकिन, यदि घरेलू उद्योग का कम अवधि का इतिहास है, तो प्राधिकारी कम अवधि के लिए क्षति की जांच करेंगे। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के अनुमानित प्रदर्शन की तुलना उसके वास्तविक प्रदर्शन से की जाती है।
- viii) जबकि मौजूदा उत्पादक बाजार में मौजूद हो सकते हैं, यदि उनका उत्पादन मांग की तुलना में न्यूनतम है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का आकलन करते समय सुविधाओं की स्थापना करने वाले नए उत्पादक पर विचार किया जाना चाहिए। स्थिति अभी भी सामग्री मंदता के लिए योग्य हो सकती है। अन्य उत्पादकों का अस्तित्व मात्र, यदि वे नगण्य मांग को पूरा कर रहे थे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उद्योग स्थापित है। किसी भी मामले में, आवेदक द्वारा किया गया उत्पादन कुल

भारतीय उत्पादन का ***% से अधिक है। इस प्रकार, आवेदक निर्विवाद रूप से घरेलू उद्योग का गठन करता है जिसके लिए "क्षति" देखी जाएगी।

- ix) आवेदक ने अप्रैल 2020 में उत्पादन शुरू किया, अर्थात् जांच की अवधि से 3 वर्ष से अधिक पहले और अक्टूबर 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। हालाँकि, यह उत्पादन, बिक्री की मात्रा, क्षमता उपयोग और लाभप्रदता के अनुमानित स्तरों तक नहीं पहुँचा है। यह देखते हुए कि प्रदर्शन इष्टतम नहीं था, आवेदक ने संयंत्र के लिए उत्पादन और क्षमता उपयोग के इष्टतम स्तर पर विचार करते हुए अतिरिक्त जानकारी प्रदान की है।
- x) आवेदक उचित बाजार हिस्सेदारी हासिल नहीं कर पाया है। हालाँकि, अपेक्षित स्तर बहुत अधिक था, जो अपने आप में पाठन से हुई क्षति को स्थापित करता है। मोरक्को-हॉट रोल्ड स्टील के मामले में विश्व व्यापार संगठन के पैनल ने यह माना था कि किसी उद्योग की स्थापना पर विचार करते समय, एक वस्तुनिष्ठ प्राधिकारी को यह विचार करना चाहिए कि क्या किसी उद्योग की व्यापारिक बाजार के 40% तक हिस्से पर कब्जा करने की क्षमता, भले ही वह घाटे में बेच रहा हो, फिर भी यह दर्शाती है कि उस उद्योग की उपस्थिति पर्याप्त रूप से स्थिर है।
- xi) उपलब्ध कराए गए आंकड़े मानकीकृत लागत, खपत और उत्पादन के स्तर को दर्शाते हैं, और फिर भी वित्तीय घाटा दर्शाते हैं। उत्पादन की वास्तविक लागत और घाटा काफी अधिक है।
- xii) जब समान वस्तु का उत्पादन शुरू हुआ, तब वीएपीएल और वीओएल दो अलग-अलग कानूनी संस्थाएं थीं। संबद्ध वस्तुओं और वीओएल द्वारा उत्पादित अन्य वस्तुओं में कोई भौतिक अतिव्यापन नहीं है। आवेदक ने एंटीऑक्सीडेंट के लिए एक नया समर्पित संयंत्र स्थापित किया। उत्पाद के उत्पादन के लिए उपयोग की जा रही भूमि वीओएल के अन्य संयंत्रों की भूमि से अलग है। पीयूसी के उत्पादन के लिए लगाए गए संयंत्र और उपकरण भी अलग हैं। जबकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए 2,4 डीटीबीपी, 2,6 डीटीबीपी और मेथनॉल की आवश्यकता होती है, जिनका आवेदक द्वारा उत्पादन और निजी उपभोग किया जा रहा है, इन्हें व्यापारिक बाजार में भी बेचा जाता है। इन कच्चे माल से संबद्ध वस्तुओं की कुल लागत में महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन होता है। आवेदक की संबद्ध वस्तुएं और अन्य उत्पाद अलग-अलग कार्य करते हैं और विभिन्न उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। चूंकि संबद्ध वस्तुओं का उपयोग अलग-अलग

है, इसलिए उनके मौजूदा ग्राहकों और ग्राहकों के साथ कोई ओवरलैप नहीं है। इसके अलावा, विभिन्न उत्पादों के लिए वितरण चैनल भी अलग-अलग हैं।

- xiii) पिछले कई मामलों में, प्राधिकारी ने एक परिभाषित घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न रूपों, अर्थात् सामग्री क्षति और सामग्री मंदी, दोनों की जाँच की है। जैसा कि आईआईआर के आयात से संबंधित हालिया जाँच में भी उल्लेख किया गया था, किसी विशेष मामले में क्षति के तीन रूपों की एक साथ जाँच करने पर कानून के तहत कोई रोक नहीं है।
- xiv) घरेलू उद्योग ने अप्रैल 2020 में उत्पादन शुरू किया और अक्टूबर 2022 में व्यावसायीकरण किया, लेकिन पाटन के कारण माल बेचने और बाज़ार में जगह बनाने में असमर्थ रहा है। आवेदक ने पर्याप्त जानकारी प्रदान की है जो घरेलू उद्योग को सामग्री क्षति की पुष्टि करती है। वैकल्पिक रूप से, यह माना जा सकता है कि पाटन घरेलू उद्योग की स्थापना को सामग्री के रूप से मंद कर रही है।
- xv) यह तर्क दिया जा सकता है कि आवेदक की उच्च लागत और हानियाँ कम क्षमता उपयोग के कारण हैं। हालाँकि, आवेदक ने वास्तविक उत्पादन के आधार पर लाभ, नकद लाभ और आरओआई के संबंध में सामग्री क्षति का दावा नहीं किया है। इसके बजाय, उत्पादन के इष्टतम स्तर को ध्यान में रखते हुए क्षति का दावा किया गया है। इस प्रकार, कम क्षमता उपयोग के संभावित दुष्प्रभावों को अलग कर दिया गया है।
- xvi) उत्पाद की मांग पूरी क्षति अवधि, विशेष रूप से जांच की अवधि में, बढ़ी। भारतीय उद्योग के पास मांग को पूरी तरह से पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है, जिससे आयात अनावश्यक हो गया है। मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है।
- xvii) संबद्ध आयातों की मात्रा भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का 80% से अधिक है। आधार वर्ष से 2021-22 तक आयात की मात्रा में मामूली कमी आई, लेकिन उसके बाद इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। क्षति अवधि में आयात में 75% की वृद्धि हुई।
- xviii) मांग के साथ बढ़ते आयात के संबंध में, जबकि मांग में ***% की वृद्धि हुई, संबद्ध आयात में 43% की वृद्धि हुई। पहले, आयात संबद्ध वस्तुओं का प्राथमिक स्रोत

- था, लेकिन जांच की अवधि के दौरान, पर्याप्त घरेलू क्षमता और लगभग सभी उपभोक्ताओं से अनुमोदन के बावजूद, आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- xix) शुरुआत में, सीमित आपूर्ति के कारण, मांग को आयात द्वारा काफी हद तक पूरा किया गया। हालाँकि, भारत में पर्याप्त क्षमता स्थापित होने के बाद भी आयात की मात्रा महत्वपूर्ण थी।
- xx) आवेदक द्वारा पर्याप्त क्षमता स्थापित करने के बावजूद, आयात में उल्लेखनीय वृद्धि जारी रही। अक्टूबर 2022 में आवेदक द्वारा परिचालन का व्यवसायीकरण करने के बाद, आयात की मात्रा में गिरावट के बजाय, पिछले वर्ष की तुलना में इसी अवधि में 42% की वृद्धि हुई, और जांच अवधि में 35% की वृद्धि हुई।
- xxi) मौजूदा क्षमताएं मांग से अधिक होने के बावजूद, संबद्ध आयात मांग का 63% पूरा कर रहे हैं जबकि भारतीय उद्योग मात्र ***% तक सीमित है।
- xxii) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की कीमत में आधार वर्ष से 2022-23 तक वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि के दौरान इसमें उल्लेखनीय गिरावट आई। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन के व्यावसायीकरण के बाद कीमत में गिरावट आई है।
- xxiii) संबद्ध आयात घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से मामूली कम पर बेचे जाते हैं।
- xxiv) तिमाही विश्लेषण से पता चलता है कि 2023-24 की पहली तिमाही से दूसरी तिमाही तक पहुंच मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई और चौथी तिमाही में मामूली वृद्धि के साथ तीसरी तिमाही में और गिरावट आई, जो 2024-25 की पहली तिमाही में फिर से घट गई। तीसरी तिमाही यानी जनवरी 2024 - मार्च 2024 को छोड़कर जांच की अवधि के भीतर आने वाली सभी तिमाहियों में संबद्ध आयात आवेदक के विक्रय मूल्य से कम कर रहे थे।
- xxv) चीन जन. गण. के लिए कीमत कटौती सकारात्मक है, जबकि सिंगापुर मामूली नकारात्मक है। चीन जन. गण. से आयात की मात्रा अधिक है। संबद्ध देशों से कुल मिलाकर कीमत कटौती सकारात्मक है।
- xxvi) कीमत कटौती का निर्धारण लक्ष्य मूल्यों और अवधारणा के समय प्रचलित मूल्यों पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए।

- xxvii) कीमत कटौती की गणना के संबंध में, आवेदन प्रपत्र में ऐसी गणनाएँ देने की आवश्यकता नहीं है। आयातों की पहुँच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की जानकारी, जो दोनों ही रिकॉर्ड में हैं, को ध्यान में रखते हुए इसे देखा जाना आवश्यक है। संशोधित आवेदन और लिखित अनुरोध में कीमत कटौती का विवरण दिया गया है।
- xxviii) आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम पर घरेलू बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। जांच अवधि में लागत कटौती की सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- xxix) तिमाही विश्लेषण से पता चलता है कि मानकीकृत और वास्तविक बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई है। बिक्री कीमत पूरी क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत के स्तर से नीचे रही है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार घाटा हो रहा है। आयातों का पहुँच मूल्य बिक्री लागत के स्तर से नीचे रहा है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में कीमत न्यूनीकरण हुआ है।
- xxx) जहाँ तक कीमत न्यूनीकरण का संबंध है, आवेदक की बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई, लेकिन लक्ष्य कीमत या एनआईपी से नीचे रहा। आधार वर्ष में उत्पादन न्यूनतम था, जिसके परिणामस्वरूप स्थिर लागतें ऊँची रहीं, इसलिए आधार वर्ष की लागत की तुलना जांच अवधि से करना भ्रामक है। लागत की तुलना उचित स्तर पर उत्पादन को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। पिछले वर्ष से जांच अवधि तक लागत और बिक्री कीमत में कमी आई, लेकिन बिक्री कीमत में लागत से अधिक गिरावट आई। संबद्ध आयातों की कीमतें लागत से कम थीं, जिससे घरेलू उद्योग को लाभहीन कीमतों पर विक्रय करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे घरेलू बाजार में कीमत न्यूनीकरण हुआ।
- xxxi) मूल्य न्यूनीकरण की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि घरेलू उद्योग अपनी लक्षित कीमत को प्राप्त नहीं कर सका।
- xxxii) जहाँ तक आवेदक द्वारा बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कीमतें कम करने का संबंध है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहाँ जांच अवधि में लागत में ***% की गिरावट आई, वहीं आयात मूल्य में 30% की कमी आई। आयातित वस्तुओं की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमत और लागत से कम थीं। परिणामस्वरूप, उसे कीमतें कम करने और घाटा उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

- xxxiii) जहाँ तक कम कीमतों पर स्क्रैप की बिक्री के कारण बिक्री कीमत में गिरावट का संबंध है, आवेदन में बिकी कीमत केवल पीयूसी से संबंधित है, जो बहुत ही नगण्य है। इस प्रकार, बिक्री कीमत पर स्क्रैप की बिक्री का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।
- xxxiv) जहाँ तक जांच अवधि में लागत में गिरावट का संबंध है, यह उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत में गिरावट के कारण थी। अप्रैल 2022 - जून 2023 तक लागत में वृद्धि उच्च सामग्री लागत के कारण है। उत्पाद विनिर्देशों को तय करने से लागत में वृद्धि नहीं हो सकती है।
- xxxv) जहाँ तक ब्याज लागत में उत्तार-चढ़ाव का कारण है, ब्याज दर जाँच की अवधि से पहले की अवधि तक बढ़ी और जाँच की अवधि में घट गई। जाँच की अवधि से पहले की अवधि में सकल ब्याज लागत में वृद्धि संयंत्र के पुनरुद्धार हेतु किए गए निवेश के कारण हुई। क्षति अवधि के दौरान प्रति इकाई ब्याज लागत में कमी के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। हालाँकि, घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा होता रहा।
- xxxvi) आवेदक के पास पर्याप्त क्षमताएँ हैं, तथापि, आयातों के कारण, उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में निष्पादन काफी प्रतिकूल रहा है।
- xxxvii) आवेदक ने अप्रैल 2020 में उत्पादन शुरू किया और इस प्रकार, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि देखी गई, हालाँकि यह वृद्धि माँग और क्षमता के अनुपात में नहीं है। आवेदक जो भी थोड़ा उत्पादन कर पाता है, उसमें से उसे ***% उत्पादन मात्रा का निर्यात करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ***मीट्रिक टन उत्पादन के मुकाबले, घरेलू बिक्री घरेलू बाजार में केवल ***मीट्रिक टन ही बेच पाई।
- xxxviii) जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि क्षमता स्थिर रहने के बावजूद उत्पादन में वृद्धि हुई है, आवेदक, जो एक नया उत्पादक है, को उत्पादन बढ़ाना पड़ा। हालाँकि, उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, इसकी क्षमता का बड़े पैमाने पर कम उपयोग हुआ है। इसके अलावा, उत्पादन मांग और अनुमानों से काफी कम है।
- xxxix) जहाँ तक शटडाउन और एनपीयूसी पर ध्यान केंद्रित करने के कारण पीयूसी के उत्पादन में कमी का संबंध है, पीयूसी के लिए उत्पादन सुविधाएं समर्पित हैं, और चूंकि घरेलू उद्योग नया उत्पादक है, इसलिए क्षति अवधि के दौरान उत्पादन में वृद्धि हुई है।

- xli) जबकि आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान ***% के उपयोग स्तर का अनुमान लगाया था, वह अपनी क्षमताओं का केवल ***% ही उपयोग कर पाया। यदि आवेदक अनुमानित क्षमता स्तर का उपयोग कर पाता, तो वह पूरी घरेलू मांग को पूरा कर सकता था।
- xlii) घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी, उसकी क्षमताओं के बावजूद, ***% पर, बेहद कम है। यदि घरेलू उद्योग अपनी अनुमानित बिक्री मात्रा प्राप्त कर लेता, तो वह बाजार के ***% पर कब्जा कर लेता।
- xlii) आवेदक ने अपने पहले वर्ष में ही अनुमानित लाभ के साथ 2020 में उत्पादन शुरू किया, लेकिन जांच की अवधि में भी उसे वित्तीय घाटा हुआ। प्रति इकाई घाटे में कमी आई है, लेकिन यह क्षमता उपयोग में ***% से ***% की वृद्धि के कारण है। मानकीकृत लागत के आधार पर भी, घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण घाटा हुआ है, जिसकी सीमा क्षति अवधि में बढ़ी है। उत्पादन की वास्तविक लागत और घाटा काफी अधिक है।
- xliii) यद्यपि आवेदक विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है, लेकिन संबद्ध वस्तुओं का हिस्सा इतना महत्वपूर्ण है कि पाठन के प्रतिकूल प्रभाव ने कंपनी के समग्र प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।
- xliv) आवेदक के वर्तमान कार्यनिष्पादन और यदि पाठन न होता तो उसके संभावित कार्यनिष्पादन के बीच तुलना से पता चलता है कि समग्र रूप से कंपनी की लाभप्रदता, जो जांच की अवधि में *** करोड़ रुपये थी, यदि पाठन न होता तो लगभग *** करोड़ रुपये होती।
- xlv) उत्पादन के निम्न स्तर और बढ़ती मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग का स्टॉक बढ़ गया है। आवेदक के पास लगभग तीन महीने का स्टॉक है। आवेदक को जांच की अवधि के दौरान कई बार शटडाउन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसका मुख्य कारण (क) स्टॉक में तीव्र वृद्धि और (ख) अतिरिक्त उत्पादन के लिए अपर्याप्त भंडारण स्थान था।
- xlvi) क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और भुगतान किए गए वेतन में वृद्धि हुई है। उत्पादन में बदलाव के बाद, प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
- xlvii) आयातों के कारण घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

xlviii) घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक संबंध वस्तुओं की पहुँच कीमतें हैं। देश में संबंध वस्तुओं की महत्वपूर्ण मांग और घरेलू उद्योग द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद की महत्वपूर्ण मात्रा को देखते हुए, घरेलू उद्योग के पास एकमात्र विकल्प उत्पाद की कीमतों को आयात कीमतों के अनुरूप बनाना है। उपभोक्ता आयातित उत्पाद की कीमतों के आधार पर आवेदक के साथ कीमतों पर बातचीत कर रहे हैं।

xlix) संबंध वस्तुओं की महत्वपूर्ण पाटन के कारण, पाटन की मात्रा महत्वपूर्ण है।

i) संबंध देशों से पाटित किए गए आयातों के अलावा घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले कोई अन्य कारक नहीं हैं।

ii) क्षति अवधि के दौरान संबंध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। उपभोग की पद्धति में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

iii) उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग ने हाल ही में नवीनतम प्रौद्योगिकी वाला एक संयंत्र स्थापित किया है।

iv) कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ नहीं हैं।

v) क्षति का दावा इष्टतम क्षमता उपयोग पर किया गया है, और उत्पादकता में किसी गिरावट के कारण नहीं है।

vi) प्रदान किए गए क्षति आँकड़े केवल घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद के प्रदर्शन को संदर्भित करते हैं। इसलिए, निर्यात प्रदर्शन और अन्य उत्पादों के प्रदर्शन के प्रभाव को अलग-अलग किया गया है।

vii) जहाँ तक आगे निवेश के बावजूद क्षमता स्थिर रहने का सवाल है, शुरुआती दिनों में आई तकनीकी चुनौतियों के कारण पुनर्निर्माण ज़रूरी हो गया था। इन तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए उपकरणों में बदलाव और कुछ उत्पादन उपकरण जोड़ने पर आगे निवेश किया गया।

viii) गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के संबंध में, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं। प्रवाहशीलता से जुड़ी कभी-कभार आने वाली समस्याओं का अंतिम उपयोगकर्ता प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्पाद बदलने के बहुत कम मामले सामने आए हैं। बिक्री में वृद्धि उत्पाद की स्वीकार्यता और उसमें बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। शुरुआती गुणवत्ता संबंधी चुनौतियाँ परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण थीं, लेकिन संयंत्र के

पुनर्निर्माण के बाद से उत्पाद का परीक्षण, अनुमोदन और उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। बिक्री आय कुल बिक्री के ***% से कम हो गया है। अन्य शिकायतों का समाधान बिना छूट दिए कर दिया गया है। 30% पिछली समस्याएँ पैकेजिंग के कारण थीं, जबकि ***% उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित थीं। आवेदक ने व्यापक सुधारात्मक और निवारक उपायों के माध्यम से इनका समाधान किया है।

Iviii) जाँच अवधि से पहले भी, कंपनी के उत्पाद को कई उपभोक्ताओं द्वारा अनुमोदित किया गया था। तथापि, यह तथ्य कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि से पहले अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कारणात्मक संबंध को समाप्त नहीं करता है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

91. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में पाठित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाठित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाठित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।

ज.3.1 घरेलू उद्योग को क्षति का स्वरूप

92. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वर्तमान मामले को घरेलू उद्योग को हुई सामग्री क्षति या, वैकल्पिक रूप से, घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदता के रूप में माना जाए। घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि उसे एक नए उद्योग के रूप में माना जाए जो अभी भी अपनी स्थापना की प्रक्रिया में है और यह देखते हुए कि यह बाजार में हाल ही में प्रवेश किया है, क्षति मूल्यांकन में एक नए और विकासशील उद्योग से संबंधित मानदंडों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालाँकि, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि क्षति के स्वरूप के संबंध में अस्पष्टता है और घरेलू उद्योग को सामग्री मंदी का सामना

नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि यह जांच की अवधि के दौरान ही स्थापित हो चुकी थी। यह भी तर्क दिया गया है कि सामग्री क्षति और वास्तविक मंदी परस्पर अनन्य हैं। इस संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- क) क्षति जांच अवधि सामान्यतः पाठन मार्जिन विश्लेषण के लिए चयनित जांच की अवधि और जांच की अवधि से ठीक पहले के तीन वर्षों के लिए होती है।
- ख) घरेलू उद्योग निर्विवाद रूप से घरेलू बाजार में एक नया प्रवेशक है। इसने अप्रैल 2020 में उत्पादन शुरू किया, जो वर्तमान जांच में मानी गई क्षति अवधि का आधार वर्ष है। हालाँकि, वाणिज्यिक उत्पादन घोषित नहीं किया गया था, क्योंकि उत्पाद के गुण और विनिर्देश स्थापित नहीं थे। इन मुद्दों और कोविड-19 महामारी संबंधी चुनौतियों के समाधान के प्रयासों के कारण शटडाउन हुआ और अतिरिक्त महत्वपूर्ण निवेश हुआ। अप्रैल 2022 में परिचालन फिर से शुरू हुआ और अक्टूबर 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया गया।
- ग) जबकि घरेलू उद्योग ने अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 तक, यानी अपनी परीक्षण उत्पादन अवधि के दौरान *** मीट्रिक टन की बिक्री की थी, इसने केवल अक्टूबर 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया।
- घ) घरेलू उद्योग द्वारा संबंध वस्तुओं का उत्पादन जांच की अवधि से 3 वर्ष से अधिक पहले शुरू हुआ था। इसलिए, घरेलू उद्योग का आधार वर्ष से संचालन का इतिहास है और क्षति अवधि की संपूर्णता के लिए जानकारी उपलब्ध है। इसलिए वर्तमान मामले में उद्योग एक "स्थापित" उद्योग है। घरेलू उद्योग को एसे उद्योग के रूप में मानना उचित नहीं होगा जो स्वयं को स्थापित करने की प्रक्रिया में है और केवल इसकी स्थापना में भौतिक मंदता के रूप में क्षति की जांच करना उचित नहीं होगा।
- ड.) भले ही घरेलू उद्योग एक "स्थापित" उद्योग है, क्योंकि इसका अस्तित्व तीन साल का है, यह विवादित नहीं हो सकता है कि घरेलू उद्योग अभी भी एक नया उत्पादक है। इस प्रकार, वर्तमान मामला भारत में घरेलू उद्योग को सामग्री क्षति का है जहां घरेलू उद्योग एक नया उत्पादक है जिसने आधार वर्ष में उत्पादन शुरू किया और अक्टूबर 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा करने से पहले, तब से वाणिज्यिक मात्रा में बिक्री कर रहा है।
- च) घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि, जांच की अवधि में, यह पाटित आयातों के कारण अपने माल को बेचने में सक्षम नहीं है और तकनीकी बाधाओं को दूर करने के बाद भी घरेलू उद्योग बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाया है। घरेलू उद्योग ने आगे तर्क दिया कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का प्रतिकूल प्रभाव इसके

वास्तविक प्रदर्शन के साथ अनुमानित प्रदर्शन के विश्लेषण से और अधिक स्थापित होता है क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल क्षति अवधि के दौरान ही उत्पादन शुरू किया है।

ज.3.2 चोट का संचयी मूल्यांकन

93. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II (iii) और विश्व व्यापार संगठन करार (डब्ल्यू टी ओ) के अनुच्छेद 3.3 में यह प्रावधान है कि यदि कहीं ऐसे देश से अधिक देशों से उत्पाद का आयात साथ-साथ किया जा रहा हो और उसे पाटनरोधी जांचों में रखा जा रहा हो, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन करेंगे, यदि वह यह निर्धारित करे कि :

- (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में 2 प्रतिशत से अधिक अभिव्यक्त हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (या उससे अधिक) हो अथवा जहां अलग-अलग देशों से निर्यात 3 प्रतिशत से कम हो, सामूहिक रूप से आयात समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक बनता हो तथा
- (ख) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में उपर्युक्त है।

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क) संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देशों से भारत में पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमों के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा कुल आयात मात्रा के 3% से अधिक है।
- ग) आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से होने वाले आयात न केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

95. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी का मानना है कि चीन जन. गण. और सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का आकलन करना उचित है।

ज.3.3 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

- क) मांग का आकलन /प्रत्यक्ष खपत

96. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग या प्रत्यक्ष खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद की मांग इस प्रकार है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	अप्रैल'22- जून'23 (क)	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	160	456	948
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	233	78	248
चीन जन. गण. से आयात	मी. ट.	5,356	4,547	5,793	8,271
सिंगापुर से आयात	मी. ट.	4,428	5,766	4,280	3,321
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	2,508	5,323	2,534	3,123
कुल मांग/खपत	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	112	148

97. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान, और विशेष रूप से जांच अवधि के दौरान, संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। देश में इस उत्पाद में उल्लेखनीय और सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में 48% की वृद्धि हुई है।

ख) निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात

98. पाठित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाठित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से, या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेनदेन-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा और उसका हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	अप्रैल'22- जून'23 (क)	पीओआई
आयात मात्रा					
चीन जन.गण. से आयात	मी. ट.	5,356	4,547	5,793	8,275
सिंगापुर से आयात	मी. ट.	4,428	5,766	4,280	3,321
संबद्ध देशों से आयात	मी. ट.	9,784	10,313	10,073	11,596
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	2,508	5,323	2,534	3,123
कुल मांग	मी. ट.	12,292	15,636	12,607	14,720
कुल आयातों के संबंध में संबद्ध आयात	%	80	66	80	79
भारतीय उत्पादन	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	212	195
भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	46	58
भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	92	80

99. यह देखा गया है कि:

- क. संबद्ध देशों से आयात 2021-2022 में बढ़ा, अप्रैल 2022-जून 23 में मामूली गिरावट दर्ज की गई और उसके बाद जांच अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- ख. संबद्ध देशों से आयात भारत में उत्पाद के आयात का लगभग 80% है।
- ग. जबकि अतीत में आयात आवश्यक थे क्योंकि अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा घरेलू

बाजार में बिक्री के लिए वास्तव में कोई उत्पादन नहीं किया गया था, घरेलू उद्योग द्वारा भारत में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता स्थापित करने के बाद भी आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।

- घ. प्राधिकारी का मानना है कि यह सामान्य घटना है कि यदि घरेलू उद्योग नई उत्पादन क्षमताओं से उत्पादन शुरू करता है, तो परिणामस्वरूप आयात में गिरावट आती है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग द्वारा परिचालन का व्यावसायीकरण करने के बाद भी आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- ड. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयात क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण रहे। यह तर्क दिया गया है कि सापेक्ष रूप से आयात समान रहे हैं या कम हो गए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि उत्पादन के संबंध में आयात में गिरावट का रुझान इस तथ्य के कारण है कि घरेलू उद्योग एक नया उत्पादक है और इसका उत्पादन बढ़ा है। जहाँ तक खपत के संबंध में आयात का प्रश्न है, यह इस तथ्य के बावजूद महत्वपूर्ण बना हुआ है कि घरेलू उद्योग ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएँ स्थापित कर ली हैं।

ज.3.4. पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव

100. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में कठित पाटित आयातों के कारण अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।
101. तदनुसार, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच कीमत कटौती और कीमत हास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं की पहुँच कीमत से की गई है।

ग) कीमत कटौती

102. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात के कारण बाज़ार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत की तुलना करके कीमत कटौती की गणना की गई है।

पीसीएन-वार तुलना के आधार पर, आयात कीमत और घरेलू उद्योग की कीमतों के विश्लेषण से पता चलता है कि कीमत कटौती नकारात्मक है।

विवरण	इकाई	168	1010	1076	1098	B215	B225	L135	कुल
एनएसआर	₹/एमटी	***	***	***	***	***	***	***	***
पहुँच मूल्य	₹/एमटी	2,32,951	2,54,198	2,79,786	6,37,535	2,70,064	3,43,250	3,12,979	2,49,753
क) चीन जन. गण.	₹/एमटी	2,31,594	2,61,161	2,79,786	6,37,535	2,75,855	2,45,649	2,57,321	2,47,490
ख) सिंगापूर	₹/एमटी	2,53,277	2,48,220	-	-	2,65,825	3,77,139	3,24,903	2,55,388
कीमत कटौती	₹/एमटी	(***)	***	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
क) चीन जन. गण.	₹/एमटी	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	***	(***)
ख) सिंगापूर	₹/एमटी	(***)	***	-	-	(***)	(***)	(***)	(***)
कीमत कटौती	%	(***)	***	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
क) चीन जन. गण.	%	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	***	(***)
ख) सिंगापूर	%	(***)	***	-	-	(***)	(***)	(***)	(***)

103. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अपनी निवल बिक्री प्राप्ति को कम करने के कारण निवल बिक्री प्राप्ति में जाँच की अवधि के दौरान मामूली गिरावट के साथ वृद्धि हुई। तथापि, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों की प्रचलित पहुँच कीमत को देखते हुए अपनी निवल बिक्री प्राप्ति को कम करना पड़ा। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि एक नया उत्पादक होने के नाते, सामान बेचने के लिए उसे आयातों की तुलना में थोड़ी कम कीमतों की पेशकश करनी पड़ी और आयातों की पहुँच कीमत में उत्तर-चढ़ाव का अनुसरण करना पड़ा। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया कि जाँच की अवधि में आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की लागत से भी कम थीं। प्राधिकारी का मानना है कि इस तथ्य के मद्देनजर कि घरेलू उद्योग बाजार में एक नए उत्पादक के रूप में संबद्ध वस्तुओं को बेच रहा है, कीमत में कटौती नकारात्मक हो सकती है।

घ) कीमत हास या न्यूनीकरण

104. घरेलू बाजार में कीमत हास/न्यूनीकरण के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग ने अपनी (क) बिक्री लागत, तथा (ख) घरेलू बिक्री कीमत के बारे में सूचना उपलब्ध कराई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	अप्रैल'22- जून'23 (A)	जाँच अवधि
उत्पादन की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	122	96
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	167	184	142
पहुँच मूल्य	₹/एमटी	2,39,682	3,11,461	3,33,004	2,49,864
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	139	104

105. यह देखा गया है कि वर्ष 2021-22 में बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि से अधिक थी। इसके बाद, वर्ष 2022-23 में बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि से कम थी। जाँच अवधि में, लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई।

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि पहले दो वर्षों में घरेलू उद्योग के उत्पादन की मात्रा बहुत कम थी। इसलिए, इस अवधि में इसकी उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत काफी अधिक थी। आवेदक ने तर्क दिया है कि यदि संयंत्र की स्थापना के समय अनुमानित बिक्री कीमत (कच्चे माल की लागत में परिवर्तन के कारण आवश्यक परिवर्तन करने के बाद) पर विचार किया जाए तो यह तथ्य स्थापित हो जाता है कि इसकी कीमतों का हास हुआ है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि चूंकि अनुमानित बिक्री कीमत उस अवधि में प्रचलित कच्चे माल की कीमतों पर आधारित थी और वर्तमान जाँच की अवधि में प्रचलित कच्चे माल की वास्तविक कीमतों काफी भिन्न हैं, इसलिए बाजार से घरेलू उद्योग द्वारा अपेक्षित बिक्री कीमतों में कच्चे माल में इन परिवर्तनों के अनुसार समायोजन किया जाना चाहिए। इसके आधार पर, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि जाँच की अवधि में इसकी कीमतों का काफी हास हुआ, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है।

पीसीएन	वास्तविक बिक्री कीमत	मौजूदा आरएम कीमत के अनुसार समायोजन के बाद अनुमानित बिक्री कीमत	उत्पादन की लागत	पहुँच कीमत
	रु./एमटी	रु./एमटी	रु./एमटी	रु./एमटी
168	***	***	***	2,32,951
1010	***	***	***	2,54,461
1076	***	***	***	2,79,786
1098	***	***	***	6,37,535
B215	***	***	***	2,70,064
B225	***	***	***	3,43,250
L135	***	***	***	3,12,979

107. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान ही परिचालन शुरू कर दिया था। इस अवधि के दौरान, उत्पादन में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की प्रति इकाई रूपांतरण लागत में गिरावट आई है। बिक्री कीमत में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग घाटे में बिक्री कर रहा है, क्योंकि इसकी कीमतें उत्पादन लागत से कम हैं। आयात न होने पर, घरेलू उद्योग लाभ पर बिक्री करने का प्रयास करता। तथापि, आयात घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम कीमतों पर बाजार में प्रवेश कर गए हैं, जिससे उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। घरेलू उद्योग ने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घाटे में बिक्री की है। पाटित आयातों के कारण, घरेलू उद्योग चार वर्षों के परिचालन के बावजूद भी ‘न लाभ-न हानि’ की स्थिति में नहीं आ पाया है। इस प्रकार, प्राधिकारी का मानना है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतें लाभकारी स्तर तक नहीं बढ़ा पाया है, जो अन्यथा संभव होता।

ज.3.5. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदण्डों पर परिणामी प्रभाव

108. नियमों के अनुबंध II में प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोज़गार, मजदूरी, विकास और पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और

संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

ड.) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

109. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा पर विचार किया है।

विवरण	इकाइ	2020-21	2021-22	अप्रैल'22-जून'23 (A)	जाँच की अवधि
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	268	268
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	657	1299
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	140	260	520
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	160	456	948
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	9333	68680	262482

110. यह देखा गया है कि:

- क. जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन क्षमता ***मीट्रिक टन थी, जबकि घरेलू माँग ***मीट्रिक टन थी। देश में माँग की तुलना में आपूर्ति में कोई कमी नहीं है।
- ख. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान आवेदक द्वारा क्षमता उपयोग का स्तर बढ़ा है, परंतु जाँच अवधि में यह मात्र ***% था। यदि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का इष्टतम उपयोग किया होता, तो वह घरेलू माँग के एक बड़े हिस्से को पूरा कर सकता था।
- ग. घरेलू उद्योग ने अप्रैल 2020 में उत्पादन शुरू किया। इसलिए, क्षति अवधि के दौरान इसके उत्पादन और बिक्री के स्तर में वृद्धि हुई है। हालाँकि उत्पादन और बिक्री दोनों ही उस

स्तर से काफी नीचे हैं जो घरेलू उद्योग की क्षमता और बाजार में उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए हासिल किया जा सकता था।

- घ. जबकि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद बेचने में सक्षम था और मांग में वृद्धि के साथ क्षति अवधि में अपनी घरेलू बिक्री को बढ़ाने में भी सक्षम था, घरेलू बिक्री में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि की तुलना में बहुत कम थी।
- ड. घरेलू उद्योग का उत्पादन ***मीट्रिक टन था, जबकि घरेलू बिक्री केवल ***मीट्रिक टन थी। घरेलू उद्योग अपने पूरे उत्पादन की बिक्री करने में सफल नहीं हुआ।

111. यह तर्क दिया गया है कि आवेदक की संस्थापित क्षमता स्थिर रही, जबकि उसने अधिग्रहण के बाद बड़ा निवेश करने का दावा किया था। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन क्षमताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों, जैसे तकनीकी बाधाओं का समाधान और उत्पाद की विशिष्टताओं में सुधार आदि पर ध्यान देने के लिए निवेश किया था। यह निवेश क्षमता वृद्धि के लिए नहीं था। इसलिए, क्षमता के आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं आया है।

112. घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री और उत्पादन में वृद्धि के तर्क के संबंध में, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अप्रैल 2020 में उत्पादन शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप इसके उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई। हालाँकि, घरेलू उद्योग द्वारा हाल ही के समय में परिचालन शुरू करने और क्षति अवधि में इसके प्रारंभिक परिचालनों के कम होने से इन अन्यथा सकारात्मक रुझानों का महत्व काफी हद तक कम हो जाता है।

113. इस तर्क के संबंध में कि अप्रैल 2022-जून 2023 में उत्पादन में कमी आई क्योंकि आवेदक ने एनपीयूसी के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया और अक्टूबर 2022-जून 2023 तक उत्पादन भी बंद रहा, यह नोट किया गया है कि ये कारक जाँच की अवधि से पहले मौजूद थे। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने जाँच की अवधि में क्षति के लिए विशेष रूप से पाठित आयातों को जिम्मेदार ठहराया है।

114. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक ने निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी निर्यात बिक्री में 262382% की वृद्धि हुई। हालाँकि, यह नोट किया गया है कि आधार वर्ष में आवेदक द्वारा न के बराबर निर्यात किया गया था। इसलिए, निर्यात में सूचकांक रूप में तीव्र वृद्धि दिखाई देती है।

च) माँग में बाजार हिस्सेदारी

115. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नानुसार था:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	अप्रैल'22-जून'23 (A)	जाँच अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	406	640
अन्य घरेलू उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	177	70	168
संबद्ध आयात	%	74.67	59.81	68.57	59.72
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	92	80
अन्य देशों से आयात	%	19.14	30.87	17.25	16.09
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	161	90	84

116. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। हालाँकि, भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी केवल ***% है। यह उस बाजार हिस्सेदारी से काफी कम है जो घरेलू उद्योग को पाठन के अभाव में प्राप्त होती। यहाँ तक कि जब घरेलू उद्योग कुछ बाजार हासिल करने में सक्षम रहा है, तब भी यह काफी कम है और प्रमुख हिस्सेदारी अभी भी संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं की है।

117. यदि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों द्वारा अपने संचित माल को बेचने से नहीं रोका गया होता, तो वह जाँच अवधि में अपने वर्तमान हिस्से की तुलना में कहीं अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकता था। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की कम मात्रा को देखते हुए भी बाजार हिस्सेदारी कम थी।

118. घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि यदि वह अपनी अनुमानित बिक्री मात्रा प्राप्त कर लेता, तो उसके पास लगभग ***% बाजार हिस्सेदारी होती। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि में केवल ***% बाजार हिस्सेदारी हासिल की, जो घाटे में बिक्री करके हासिल की गई।

छ) लाभप्रदता, नकद लाभ, और नियोजित पूँजी पर आय

119. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, और नियोजित पूँजी पर आय का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	अप्रैल'22- जून'23 (A)	जाँच अवधि
कर से पहले लाभ	₹ लाख	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(***)	***	(***)	(***)
नकद लाभ	₹ लाख	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(***)	***	(***)	(***)
आरओसीई	%	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(***)	***	(***)	(***)

120. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग वर्ष 2021-22 को छोड़कर पूरी क्षति अवधि में घाटे में रहा है।
- ख. घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि सितंबर 2022 तक के क्षति के लिए तकनीकी बाधाओं को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जबकि अक्टूबर 2022 के बाद के क्षति, अर्थात् महत्वपूर्ण पूँजी निवेश के बाद नए सिरे से परिचालन के व्यावसायीकरण के बाद के क्षति का कारण पाटन है।
- ग. घरेलू उद्योग कीमतों में उल्लेखनीय कमी के बाद ही वर्तमान मात्रा में उत्पाद बेच पा रहा था। घरेलू उद्योग उत्पादन लागत और उत्पाद की उचित कीमत से काफी कम कीमत पर उत्पाद बेच रहा था।
- घ. घरेलू उद्योग जाँच अवधि में घाटे में था। वास्तव में, पिछले वर्ष की तुलना में, जाँच अवधि में इसका नकद लाभ और निवेश पर आय और भी नकारात्मक हो गया।
- ड. आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम थी। आयातों की पहुँच कीमत बिक्री लागत के स्तर से ***% कम है।
- च. घरेलू उद्योग की माँग और बिक्री में वृद्धि के बावजूद, कर-पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय जैसे कीमत संबंधी मापदंड जाँच अवधि में नकारात्मक थे।

121. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है, और लागत में उल्लेखनीय वृद्धि के बिना कीमतों में वृद्धि हुई

है। तथापि, सत्यापित जानकारी से यह देखा गया है कि जाँच अवधि में लागत और बिक्री कीमत दोनों में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई, जिसमें बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप जाँच अवधि में वित्तीय घटा हुआ।

ज) माल-सूची

122. क्षति अवधि और जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की माल-सूची की स्थिति से संबंधित आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	अप्रैल'22- जून'23 (A)	जाँच अवधि
अवधि के प्रारंभ में माल- सूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध		100	939	1101
अवधि समापन के समय माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	49	1101	1612
औसत माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	2041	2714

123. प्राधिकारी ने नोट किया है कि देश में माँग में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग के पास भंडार का स्तर पूरी क्षति अवधि के दौरान बढ़ा है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास जाँच अवधि में सबसे अधिक भंडार था, जबकि उसी अवधि के दौरान माँग सबसे अधिक थी। घरेलू बिक्री की मात्रा को देखते हुए, देश में उल्लेखनीय माँग के बावजूद, जाँच अवधि के अंत में घरेलू उद्योग के पास *** दिनों का भंडार था।

झ) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

124. घरेलू उद्योग में रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	अप्रैल'22-जून'23 (A)	जाँच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	174	177
वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	166	220
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	200	900	1700
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	367	733

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के साथ, वेतन और मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, उत्पादन की गति के अनुरूप उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन मानकों में सुधार से क्षमता वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के प्रभाव का पता चलता है।

अ) वृद्धि

126. घरेलू उद्योग के विकास के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	2021-22	अप्रैल'22-जून'23 (A)	जाँच अवधि
क्षमता उपयोग (%)	%	2	6	13
उत्पादन (एमटी)	%	32	400	98
बिक्री (एमटी)	%	60	185	108
औसत माल-सूची (एमटी)	%	(26)	1,270	33
उत्पादकता (एमटी/दिन)	%	100	350	89
प्रति इकाई लाभ (₹/एमटी)	%	129	(216)	(10)
पीबीआईटी (₹/एमटी)	%	137	(166)	(14)
नक्कड़ लाभ (₹/एमटी)	%	129	(194)	5

नकद लाभ ₹ लाख में	%	147	(364)	(94)
निवेश पर आय	%	4	(4)	(1)

127. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के आधार वर्ष में उत्पादन और बिक्री शुरू की। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने संयंत्र पर लगभग *** करोड़ रुपये खर्च किए, और पहले आ रही तकनीकी बाधाओं को भी दूर किया। इसलिए, इसके मात्रा मानदंड सकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। हालाँकि, देश में स्थापित क्षमता और उत्पाद की माँग को देखते हुए, मात्रा मानदंडों में वृद्धि अनुचित रूप से कम रही।
- ख. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंडों में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। मात्रा मानदंडों में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद, कीमत मानदंडों में वृद्धि नकारात्मक और प्रतिकूल रही है।

128. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आयातों का घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है और लगभग सभी कारकों में सुधार दिखाई दे रहा है। इस संबंध में, यह नोट किया गया है कि पाटित आयातों ने कीमत मानदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाला है और मात्रा मानदंडों के संदर्भ में ग्रोथ पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

129. घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण कंपनी के समग्र प्रदर्शन में गिरावट आई है। यदि घरेलू उद्योग ने बिना पाटन के काम किया होता और एनआईपी अर्जित किया होता, तो उसका समग्र प्रदर्शन काफी बेहतर होता।

ट) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

130. यह नोट किया गया है कि संबद्ध आयातों की कीमत संबद्ध वस्तुओं की बिक्री लागत से कम है। घरेलू उद्योग, बाजार में इस उत्पाद का प्रमुख घरेलू आपूर्तिकर्ता है। हालाँकि, आयातों की बाजार में बहुसंख्यक हिस्सेदारी है। पाटित आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। इसके अलावा, आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और एनआईपी से भी कम हैं। इसने घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए मजबूर किया है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वित्तीय घाटा हुआ है। घरेलू

उद्योग भारत में अपनी लक्षित कीमतें प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी लागत के सामान कीमत पर भी बिक्री नहीं कर पाए हैं।

131. घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि उसकी परियोजना रिपोर्ट पर विचार करने और उसके अनुमानित प्रदर्शन की उसके वास्तविक प्रदर्शन से तुलना करने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति और अधिक स्पष्ट हो जाती है। घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उसका वास्तविक प्रदर्शन अनुमानित स्तर से काफी नीचे है और पाटित आयातों के कारण वह अपना लक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाया है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। घरेलू उद्योग ने आगे तर्क दिया कि उसकी क्षमता उपयोग का स्तर ***% के अनुमानित स्तर से काफी कम है और उसकी बाजार हिस्सेदारी उस स्तर से काफी नीचे है जो पाटन के अभाव में प्राप्त की जा सकती थी। घरेलू उद्योग ने आगे तर्क दिया कि यद्यपि उसने जाँच की अवधि में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर सकारात्मक आय अर्जित करने का अनुमान लगाया था, परंतु उसे घाटा, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक आय प्राप्त हुआ। प्राधिकारी ने इसे नोट किया है।

ठ) पाटन और पाटन मार्जिन की मात्रा

132. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम मार्जिन से अधिक है बल्कि उल्लेखनीय भी है।

ज.3.6. क्षति का समग्र आकलन

133. संबद्ध वस्तुओं के आयातों और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जाँच से पता चलता है:

- क. घरेलू उद्योग ने अप्रैल 2020 में परीक्षण के स्तर पर उत्पाद का उत्पादन शुरू किया। अक्टूबर 2022 में परिचालन का व्यावसायीकरण किया गया। भारतीय उद्योग की क्षमताएँ देश में उत्पाद की माँग से अधिक हैं। हालाँकि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू करने के साथ ही आयात की मात्रा में कमी आनी चाहिए थी, लेकिन क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- ख. जाँच अवधि में संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य में भारी गिरावट दर्ज की गई।
- ग. जाँच अवधि में आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास हुआ है।

- घ. घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घटा हुआ है। घरेलू उद्योग का पीबीटी, पीबीआईटी और नकद लाभ जाँच अवधि में नकारात्मक रहे। क्षति अवधि के दौरान पीबीटी, पीबीआईटी और नकद घाटे में वृद्धि हुई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने निवेश पर नकारात्मक आय (आरओआई) अर्जित किया और जाँच अवधि में इसमें गिरावट आई।
- ड. घरेलू उद्योग को वर्ष 2021-2022 को छोड़कर, संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है।
- घ. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहा है।
- छ. घरेलू उद्योग के मात्रा मानकों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। हालाँकि, यह वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए नए निवेशों के कारण है। इसके अलावा, कीमत मानक न केवल प्रतिकूल रहे, बल्कि इनमें और गिरावट आई।
- ज. जाँच अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता उपयोग का स्तर मात्र ***% था।
- झ. घरेलू उद्योग की क्षमता और उत्पाद की माँग में वृद्धि को देखते हुए, उत्पादन और बिक्री दोनों ही क्षमता से काफी कम हैं।
- ञ. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी ***% तक सीमित थी। जबकि बाजार में आयातित वस्तुओं की प्रमुख हिस्सेदारी है।
- ट. पाठन मार्जिन सकारात्मक एवं उल्लेखनीय है।
134. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तव में उल्लेखनीय क्षति हुई है।

झ. गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक)

135. प्राधिकारी ने इस बात की जाँच की कि क्या पाठनरोधी नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों से भी घरेलू उद्योग को क्षति पहुँची होगी। प्राधिकारी ने पाठित आयातों के अलावा अन्य जात कारकों की भी जाँच की और यह सुनिश्चित किया कि क्या ये कारक भी घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं, ताकि अन्य कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, का कारण पाठित आयातों को न बताया जाए। इस संबंध में प्रासंगिक कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाठित कीमतों पर न बेची गई संबंध वस्तुओं की मात्रा, माँग में कमी या उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क) अन्य देशों से आयात की मात्रा और कीमतें

136. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयात भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का 80% से अधिक है। या तो अन्य देशों से आयात की मात्रा न के बराबर है या उनकी कीमतें अधिक हैं। इसलिए, अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को होने वाली उल्लेखनीय क्षति का कारण नहीं हैं।

ख) माँग में कमी

137. यह देखा गया है कि क्षति की पूरी अवधि के दौरान माँग में वृद्धि हुई और जाँच अवधि के दौरान यह सबसे अधिक थी। अतः माँग में संभावित कमी के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ग) खपत की पद्धति में परिवर्तन

138. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उपभोग के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

घ) प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की स्थितियाँ

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की ऐसी स्थिति या किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार हो।

ड.) प्रौद्योगिकी का विकास

140. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन हेतु एक नया संयंत्र स्थापित किया है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन

141. ऊपर उल्लिखित क्षति संबंधी जानकारी, आवश्यक और उचित सीमा तक, केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से संबंधित है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन ने घरेलू उद्योग के बिक्री प्रदर्शन को प्रभावित नहीं किया है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

142. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के लिए क्षति संबंधी आँकड़े उपलब्ध कराए हैं और प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ उन पर विचार किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज) उत्पाद और उत्पाद रेंज का अनुमोदन न होना

143. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले उत्पादों की श्रृंखला और विविधता प्रदान करने में उसकी असमर्थता के कारण है। यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पाद को प्रमुख ग्राहकों से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एचपीसीएल मितल एनर्जी लिमिटेड जैसे ग्राहकों से प्राप्त अनुमोदन पत्रों को रिकॉर्ड में रखा है, जो दोनों ही उपयोगकर्ता संघ के सदस्य हैं और जिनमें गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का आरोप लगाया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर रहा है और प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए उसने सुधारात्मक और निवारक उपाय लागू किए हैं। घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि उसने बैगिंग/सीलिंग में पर्यवेक्षी नियंत्रण बढ़ाया है, तौल-संतुलन जाँच को बेहतर बनाया है, 3-प्लाई से 5-प्लाई बैग में अपग्रेड किया है, पैकेजिंग प्रोटोकॉल पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है, और शिफ्टर मेश सीव्ज का आवधिक परीक्षण, गोदाम तापमान निगरानी, मेश सीव्ज के माध्यम से सामग्री की स्क्रीनिंग, वैक्यूम/नाइट्रोजन सीलिंग मशीनों की संस्थापना, और लोडिंग चेकलिस्ट का कार्यान्वयन किया है। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि गुणवत्ता के बारे में चिंता जताने के बावजूद, उपभोक्ताओं ने सामग्री का उपयोग किया है। उपयोगकर्ता उद्योग ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि आवेदक उल्लिखित चिंताओं को दूर करने में विफल रहा। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि खराब उपज, गुणवत्ता की शिकायतों, उच्च अवशेष उत्पादन और कच्चे माल की अधिक क्षति को देखते हुए, कंपनी ने लगभग *** करोड़ रुपये का और निवेश किया और स्लरी निस्पंदन, सुखाने, पैकिंग, मेटिलॉक्स आसवन, कंडेंसर, वाष्प लाइन उन्नयन, मेटिलॉक्स प्रतिक्रिया प्रणाली, संधनन प्रणाली, द्रवितीयक निस्पंदन और अपकेंद्रित धुलाई एमएल रीसायकल प्रणाली आदि के लिए पुशर सेंट्रीफ्यूज पर सुविधाओं को

जोड़ा या मौजूदा सुविधाओं का नवीनीकरण किया। कंपनी ने उल्लेख किया कि इससे ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद का उत्पादन और इनपुट और संसाधनों का अनुकूलन हुआ। घरेलू उद्योग ने आगे उल्लेख किया कि उसके पास आईएसओ 9001:2015 है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों की शिकायतों को उचित रूप से दर्ज करने, उनका निवारण करने और रिकॉर्ड रखने का प्रावधान है। कंपनी ने कहा कि उसके पास इस संबंध में सभी प्रासंगिक दस्तावेज मौजूद हैं।

144. यह नोट किया गया है कि आवेदक को उत्पादन के शुरुआती दिनों में उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि परियोजना में परिचालन संबंधी चुनौतियाँ आईं। घरेलू उद्योग ने संयंत्र के पुनरुद्धार के लिए संयंत्र को बंद कर दिया। यह उल्लेख किया गया है कि पुनरुद्धार के बाद से, घरेलू उद्योग के उत्पाद का परीक्षण किया गया है, अनुमोदन किया गया है और ग्राहकों द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। सत्यापन के दौरान यह सत्यापित किया गया कि घरेलू उद्योग के पास एक शिकायत निवारण प्रणाली है जिसमें प्राप्त शिकायतों का विवरण दर्ज किया जाता है और शिकायत के मूल कारण की जाँच की जाती है। इसके बाद, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और ग्राहक द्वारा माँगे जाने पर उसके साथ साझा की जाती है। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्री के संबंध में प्राप्त शिकायतों में लगातार कमी आई है। घरेलू उद्योग एक नया उत्पादक है, और उत्पादन की शुरुआत में कुछ परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ किसी भी उत्पाद में सामान्य हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि घरेलू उद्योग ने समान वस्तु का उत्पादन और आपूर्ति नहीं की है। घरेलू उद्योग ने घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में बिक्री की है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा ***एमटी की संचयी मात्रा बेची गई है।
145. नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग द्वारा अपने प्रमुख ग्राहकों को बेची गई मात्रा को दर्शाती है:

ग्राहकों के नाम	बिक्री की मात्रा (एमटी)			
	2020-21	2021-22	अप्रैल'22- जून'23 (A)	जाँच अवधि
ओएनजीसी पेट्रो एडिशन्स लिमिटेड	***	***	***	***
पेट्रोटेक केमिका प्राइवेट लिमिटेड वापी	***	***	***	***

यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	***	***	***	***
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	***	***	***	***
किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी (इंडिया) लिमिटेड	***	***	***	***
बेर्यरलोचर इंडिया एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***
लुब्रीज़ोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***
सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड	***	***	***	***
एनवायरन स्पेशियलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***
मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स	***	***	***	***
आरआर केबल लिमिटेड	***	***	***	***
रीजेंस इंडिया पॉलिमर एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***
पेट्रोटेक प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***
स्टर्लिंग ऑक्सिसलरीज प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***
एच.बी. फुलर इंडिया एडहेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***
डीडीईवी प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	***	***	***	***
तिरुपति केमिकल कंपनी	***	***	***	***
केमवेरा स्पेशियलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***
गलता केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***
इंडियन एडिटिव्स लिमिटेड	***	***	***	***
वाल्ट्रिस स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड	***	***	***	***
मित्सुई प्राइम एडवांस्ड कंपोजिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***
डिर्को पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***

146. आवेदक की बिक्री में वृद्धि बाजार में उसके उत्पाद की स्वीकार्यता को प्रमाणित करती है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत ग्राहक-वार लगातार की गई बिक्री के विवरण की जाँच की। यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विभिन्न पक्षकारों को उल्लेखनीय मात्रा में बिक्री की गई थी। इसके अलावा, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को कई ग्राहकों से बार-बार ऑर्डर मिले हैं, जिनमें वह ग्राहक भी शामिल है जिसका घरेलू उद्योग के साथ पत्राचार उपयोगकर्ता संघ द्वारा गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का आरोप लगाते हुए प्रस्तुत किया

गया है। इसलिए, यह देखा गया है कि उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में चिंता जताने के बावजूद, ग्राहकों ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीद और उपयोग जारी रखा है। इस तरह की निरंतर खरीद घरेलू उद्योग के उत्पाद की विश्वसनीयता को प्रमाणित करती है और कथित गुणवत्ता संबंधी मुद्दों की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करती है।

उ. पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क

147. यद्यपि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य जात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाठित आयातों के कारण हुई है:
- घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद भी, आयात की मात्रा न केवल उच्च बनी रही, बल्कि बढ़ी भी। आयात की मात्रा में, विशेषकर जांच की अवधि में, निरपेक्ष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सापेक्ष रूप से आयात महत्वपूर्ण रहे।
 - घरेलू उद्योग द्वारा देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएँ स्थापित करने और घरेलू क्षमताओं के अप्रयुक्त पड़े रहने के बावजूद आयात में वृद्धि हुई है। आयातों के कारण उत्पादन क्षमताओं का बहुत कम उपयोग हुआ है।
 - संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर हासकारी प्रभाव पड़ा है और इसने घरेलू उद्योग को हानियों पर बेचने के लिए मजबूर किया है।
 - आयातों में वृद्धि से, घरेलू उद्योग का निष्पादन लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में और भी खराब हो गया।
 - चूंकि घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया था, इसलिए क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई। तथापि, पाटन ने उत्पादन क्षमताओं के इष्टतम उपयोग को बाधित किया है।
 - मांग में वृद्धि होने और घरेलू उद्योग के पास बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, संबद्ध आयातों का बाजार पर प्रमुख रूप से कब्जा है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा मात्र 17% था।
 - घरेलू उद्योग के पास मालसूची में वृद्धि हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग, आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के मद्देनजर, मांग में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री में वृद्धि नहीं कर पाया है।

148. इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संबद्ध सामानों के पाठन और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच एक कारणात्मक संपर्क मौजूद है।

ट. क्षति मार्जिन का परिमाण

149. प्राधिकरण ने अनुलग्नक III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित किया है, जैसा कि संशोधित किया गया है। विचाराधीन उत्पाद का गैर-हानिकारक मूल्य जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। छोट मार्जिन की गणना के लिए विषय देशों से लैंडेड मूल्य की तुलना करने के लिए गैर-हानिकारक मूल्य पर विचार किया गया है। गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए, छोट की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उपयोगिताओं के साथ भी यही उपचार किया गया है। छोट की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत के लिए कोई असाधारण या गैर-आवर्ती खर्च नहीं लिया गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूँजी (यानी औसत शुद्ध अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूँजी) पर एक उचित रिटर्न (पूर्व-कर @ 22) को नियमों के अनुलग्नक III में निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य पर पहुँचने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

150. लैंडेड मूल्य और ऊपर के रूप में निर्धारित एनआईपी के आधार पर, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित छोट मार्जिन नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है।

उत्पादक/निर्यातक	पीसीएन	निर्यात की मात्रा एमटी में	क्षतिरहित कीमत	पहुँच कीमत	क्षति का मार्जिन	क्षति का मार्जिन %	क्षति के मार्जिन की रेज
चीन जन. गण.							
बीएएसएफ केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन	ए0168	***	***	***	***	***	0-10
	ए 1076	***	***	***	***	***	10-20
	कुल	***	***	***	***	***	0-10
रेनलॉन ग्रुप	ए 0168	***	***	***	***	***	0-10
	ए 1010	***	***	***	***	(***)	(10-20)
	ए 1076	***	***	***	***	***	20-30

	ए 1098	***	***	***	***	***	(40-50)
	ए 1135	***	***	***	***	(***)	(0-10)
	बीए 1098 और 168, 1:2 के अनुपात में	***	***	***	***	(***)	(40-50)
	बीए 1010 और 168, 1:2 के अनुपात में	***	***	***	***	(***)	(0-10)
	बीए 1010 और 168, 1:1 के अनुपात में	***	***	***	***	(***)	(0-10)
	कुल	***	***	***	***	(***)	(0-10)
कोई अन्य			***	***	***	***	25-35

सिंगापुर

	ए 0168	***	***	***	***	(***)	(0-10)
	ए 1010	***	***	***	***	***	20-30
	ए 1135	***	***	***	***	(***)	(0-10)
बीएसईए सिंगापूर	बीए 1010 और 168, 1:1 के अनुपात में	***	***	***	***	(***)	(25-35)
	बीए 1010 और 168, 1:2 के अनुपात में	***	***	***	***	(***)	(0-10)
	कुल	***	***	***	***	***	10-20
कोई अन्य			***	***	***	***	25-35

ठ) भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

151. सार्वजनिक जन हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं::

- i) शुल्क लगाने की स्थिति में आयातक आपूर्तिकर्ता नहीं बदल पाएँगे। आयातित उत्पाद उच्च गुणवत्ता के होते हैं। इसके अलावा, समय भी कम लगता है।
- ii) पीयूसी की आपूर्ति का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है जो भारतीय माँग को पूरा कर सके।
- iii) घरेलू उद्योग के उत्पाद अभी भी मूल्यांकन के अधीन हैं और उन्हें श्वेतता सूचकांक और हाइड्रोलाइटिक स्थिरता तथा भंडारण के दौरान गाँठ बनाने जैसी समस्याओं के कारण पूरी तरह से मंजूरी नहीं दी गई है।
- iv) आयात अपरिहार्य हैं। ***मीट्रिक टन की अनुमानित माँग में से, घरेलू आपूर्ति लगभग ***मीट्रिक टन है, जबकि शेष आयात से पूरी होती है। आयात पर निर्भरता आपूर्ति की कमी, बेहतर उत्पाद गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत व्यापक उत्पाद शृंखला के कारण है।
- v) पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम क्षेत्र, विशेष रूप से बड़ी संख्या में एमएसएमई सहित प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल मूल्य शृंखला में व्यवधान उत्पन्न होगा तथा आर्थिक कठिनाई आएगी।
- vi) शुल्क से उपयोगकर्ता उद्योग की लागत बढ़ेगी। ***% पाटनरोधी शुल्क से औसत उत्पाद मूल्य में ₹*** प्रति किलोग्राम की वृद्धि होगी। यह देखते हुए कि डाउनस्ट्रीम उत्पादक सालाना लगभग *** मीट्रिक टन एओ की खपत करते हैं, इससे ₹*** करोड़ का अतिरिक्त लागत भार पड़ेगा।
- vii) बड़ी संख्या में पॉलिमर रेजिन प्रसंस्करण इकाइयां उत्पाद के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए संबद्ध वस्तुओं पर निर्भर करती हैं। इन इकाइयों में सामूहिक रूप से सालाना लगभग *** मीट्रिक टन एंटीऑक्सीडेंट की खपत होती है, जिससे लगभग 12% के निवल लाभ मार्जिन के साथ लगभग 8,00,000 मीट्रिक टन का व्यापार होता है। उनका उत्पाद वर्तमान में *** रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट की औसत लागत *** रुपये प्रति किलोग्राम है। ***% पाटनरोधी शुल्क के साथ, लागत बढ़कर *** रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगी। 1% डोजिंग दर पर, इससे तैयार उत्पाद की लागत ***-

*** रूपये प्रति किलोग्राम बढ़ जाएगी। लागत में इस वृद्धि से निवल लाभ मार्जिन ***-

*** रूपये प्रति किलोग्राम से घटकर *** रूपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा, जिससे उन व्यवसायों पर वित्तीय दबाव बढ़ जाएगा जो पहले से ही कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं।

viii) शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क न होने के बावजूद भी आवेदक ने वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा, मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण आयात ज़रूरी हो जाता है।

ठ.2 घरेलू उद्योग के विचार

152. जन हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i) आवेदक, जो कि पीयूसी का प्रमुख घरेलू उत्पादक है, को केवल पाटित आयातों के कारण भारी नुकसान हो रहा है, जिससे उसकी उत्पादन सुविधाओं का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं हो पा रहा है। समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क के रूप में उपाय करना आवश्यक है।
- ii) वीओएल एक बहु-उत्पाद कंपनी है। पाटित आयातों के कारण हुई क्षति ने कंपनी के समग्र संचालन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस उत्पाद से अपेक्षित लाभ कंपनी के मुनाफे को *** करोड़ रूपये तक बढ़ा सकता था। हालाँकि, पाटन से राहत के बिना, कंपनी के सामने एंटीऑक्सीडेंट्स का उत्पादन बंद करने का जोखिम खड़ा हो गया है।
- iii) आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम घरेलू उद्योग द्वारा संचालित उचित मूल्य वाले उत्पादों वाला बाजार उपभोक्ताओं के हित में है।
- iv) संबद्ध वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक के रूप में, यदि पाटन जारी रहता है, तो आवेदक को उत्पादन बंद करना पड़ सकता है, जिससे नौकरियाँ समाप्त हो सकती हैं और विदेशी निर्यातकों का बाजार में प्रभुत्व बढ़ सकता है। आवेदक के अस्तित्व और निरंतर उत्पादन के लिए पाटन के विरुद्ध उपाय करना अत्यंत आवश्यक है।
- v) भारत को एक विनिर्माण महाशक्ति बनाने में मदद करने के लिए घरेलू विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। घरेलू उत्पादन से निवेश, रोज़गार और देश के सकल घरेलू उत्पाद को और बढ़ावा मिलेगा।
- vi) आवेदक के पास *** मीट्रिक टन की क्षमता है, जो *** मीट्रिक टन की वर्तमान मांग से कहीं अधिक है, फिर भी बाजार में पाटित कीमतों पर आयात की बाढ़ आ गई है। वास्तव में, आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।

- vii) अपनी क्षमता के मात्र ***% के उपयोग के बावजूद, आवेदक का संबंधित व्यवसाय प्रभाग अकेले लगभग 300 व्यक्तियों को सीधे तौर पर रोजगार देता है।
- viii) संबद्ध देशों के उत्पादक आमदनी को अधिक से अधिक बढ़ाने को प्राथमिकता देते हैं और बेहतर कीमतों के लिए अन्य बाजारों का रुख कर सकते हैं। एक मजबूत भारतीय उद्योग उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए दीर्घावधि बाजार विकास सुनिश्चित करता है।
- ix) आवेदक ने *** मीट्रिक टन क्षमता वाले एक संयंत्र में *** करोड़ रुपये का निवेश किया, जिसमें उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए अतिरिक्त धनराशि भी शामिल थी। पाटित आयातों के कारण, आवेदक को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है और उसके संयंत्र बंद होने का खतरा है, जिससे ये निवेश अनुत्पादक हो रहे हैं और घरेलू विनिर्माण को नुकसान पहुँच रहा है।
- x) वीओएल के पास एशिया और भारत की एक बड़ी विनिर्माण सुविधा है। इस तकनीक को आयातित तकनीक के बजाय, आंतरिक अनुसंधान निवेश के माध्यम से विकसित किया गया है। यह एंटीऑक्सीडेंट मूल्य श्रृंखला में बैकवर्ड रूप से दो चरणों तक एकीकृत है, जिससे यह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकती है और आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी व्यवधान से सुरक्षित रह सकती है। किसी भारतीय विनिर्माण इकाई द्वारा किए गए प्रयासों को विफल करने के लिए पाटित आयातों की अनुमति देना, समान स्तर के उद्योगों को गंभीर रूप से हतोत्साहित करेगा।
- xi) विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुख्यतः प्लास्टिक उत्पादन करने वाले डाउनस्ट्रीम उद्योग में किया जाता है। रबर और स्नेहक उद्योग में भी इसका कुछ उपयोग देखा जाता है। इन उद्योगों में संबद्ध वस्तुओं की लागत बहुत कम होती है, इसलिए इन उद्योगों पर शुल्कों का संभावित प्रभाव भी न के बराबर होगा।
- xii) प्लास्टिक उद्योग में संबद्ध वस्तुओं की लागत की गणना यह दर्शाएगी कि यह लागत न के समान है। प्लास्टिक में संबद्ध वस्तुओं का लागत घटक मात्र ***% है।
- xiii) यह दावा कि शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग में एमएसएमई को आर्थिक कठिनाई होगी, गलत है। डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता, जिनमें सहभागी उपयोगकर्ता संघ के सदस्य भी शामिल हैं, मुख्यतः प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल उद्योग के उद्यम हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बड़े निजी निगम और गेल, इंडियन ऑयल, रिलायंस, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, ओपल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ शामिल हैं। इनमें से कोई भी कंपनी एमएसएमई नहीं है। इसके अलावा, शुल्कों का प्रभाव भी बहुत कम होगा।
- xiv) प्लास्टिक की कीमत औसतन लगभग ₹***/किग्रा है। यदि संबद्ध वस्तु की कीमत ₹***/किग्रा हो और उस पर ***% पाटनरोधी शुल्क लागू हो, तो कीमत बढ़कर ₹***/किग्रा हो जाएगी। 1000 पीपीएम की मात्रा होने पर, प्लास्टिक उत्पादन पर लागत प्रभाव केवल ₹***/किग्रा होगा।

xv) उपयोगकर्ता संघ ने अनुमान लगाया है कि शुल्क से उत्पाद की लागत ₹1.5-₹3.5/किग्रा बढ़ जाएगी, जिससे लाभ मार्जिन ₹15-₹25/किग्रा से घटकर ₹5-₹15/किग्रा रह जाएगा। हालाँकि, यह दावा बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया प्रतीत होता है। यह समझ से परे है कि लागत में इतनी मामूली वृद्धि से लाभ मार्जिन में इतनी बड़ी गिरावट कैसे आ सकती है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

153. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से घरेलू उदयोग को हुई क्षति की भरपाई करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और समान अवसरों वाली प्रतिस्पर्धा का माहौल बने। यह केवल एक नियामक उपाय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य संबद्ध देशों से आयातों में मनमाने ढंग से कटौती करना नहीं है। बल्कि, यह समान अवसर सुनिश्चित करने की एक व्यवस्था है। प्राधिकारी समझते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने से भारत में उत्पाद की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। तथापि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटन प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभ अर्जित किए जाने को रोकने में मदद मिलती है। यह उपभोक्ताओं की संबद्ध वस्तुओं के व्यापक चयन तक पहुँच को सुरक्षित रखता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क बाधा नहीं बल्कि निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुविधाजनक बनाता है।

154. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। प्राधिकारी ने उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे वर्तमान जाँच के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सकें, जिसमें उनके परिचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं। अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों की अदला-बदली, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव आदि के बारे में जानकारी मांगी गई थी।

155. सर्वप्रथम, यह देखा गया है कि घरेलू उदयोग की स्थापित क्षमता ***मीट्रिक टन है, जबकि मांग लगभग ***मीट्रिक टन है। अन्य हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि बढ़ती मांग के साथ, आवेदक की क्षमता अब पर्याप्त नहीं होगी। हालाँकि, यह देखा गया है कि देश में मांग

की तुलना में आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। हालाँकि, घरेलू उद्योग इस क्षमता का केवल एक-चौथाई ही उपयोग कर पाया है। किसी भी स्थिति में, मांग-आपूर्ति का अंतर पाटन को उचित नहीं ठहराता। यदि मांग घरेलू क्षमता से अधिक भी हो, तो भी उचित कीमतों पर देश में आयात जारी रह सकता है।

156. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर घरेलू उद्योग, निर्यातकों के बीएसएफ समूह और सीपीएमए अर्थात् उपयोगकर्ता संघ द्वारा दिया गया था। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है और आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
157. घरेलू उद्योग ने प्लास्टिक उद्योग की लागत पर संबद्ध वस्तुओं की लागत और लागत के प्रभाव का मात्रात्मक आकलन किया है। यह देखा गया है कि प्लास्टिक के उत्पादन में एओ के कारण लागत न के बराबर है। इसलिए, शुल्कों का प्रभाव न के बराबर होगा।

विवरण	इकाई	
प्लास्टिक उत्पादन की लागत	रेज (रु./किग्रा)	100 - 200
प्लास्टिक उत्पादन की औसत लागत	रु./किग्रा	150
प्लास्टिक उत्पादन में एओ की मात्रा	पीपीएम	1000
खपत किए गए एओ की मात्रा	किग्रा	0.001
एओ की कीमत	रु./एमटी	***
एओ की कीमत	रु./किग्रा	***
खपत किए गए एओ की कीमत	रुपये	***
प्लास्टिक में एओ का लागत घटक	%	0-0.1

158. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत इस तर्क के संबंध में कि शुल्क लगाने से उपयोगकर्ता उद्योग पर लगभग ₹30-50 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि औसतन, पीपी, एलडीपीई, एलएलडीपीई, एचडीपीई की कीमतें 85 से 90 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच हैं और 1000 पीपीएम खुराक के साथ ₹300 प्रति किलोग्राम मूल्य

वाले एंटीऑक्सीडेंट पर ***% का शुल्क लगाने से उत्पाद की कीमत में केवल 3 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि होगी। इस प्रकार, यह देखा गया है कि ₹30-50 करोड़ का दावा किया गया वार्षिक भार न्यूनतम कीमत प्रभाव के बराबर है।

159. उपयोगकर्ता संघ ने आगे तर्क दिया है कि शुल्क लगाने से लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे पॉलिमर रेजिन प्रसंस्करण इकाइयों का निवल लाभ मार्जिन कम हो जाएगा। हालाँकि, घरेलू उद्योग ने दावों में असंगति का हवाला देते हुए इसका विरोध किया है और कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि (1.5-3.5) रुपये प्रति किलोग्राम की कथित मूल्य वृद्धि से (15-25) रुपये प्रति किलोग्राम से (5-15) रुपये प्रति किलोग्राम तक की कमी हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विश्लेषण किए गए डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर अनुमानित प्रभाव बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है।
160. संबद्ध वस्तुएँ कच्चा माल नहीं हैं और इनका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है, जो पॉलिमर में अशुद्धियों को दूर करते हैं, उन्हें टिकाऊ बनाते हैं और अत्यधिक टूट-फूट सहने की क्षमता प्रदान करते हैं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए अनुरोधों पर भी विचार किया है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि, यद्यपि संबद्ध वस्तुएँ अभिन्न हैं, परन्तु प्लास्टिक की लागत में केवल एक छोटा सा घटक हैं। इस प्रकार, ये प्लास्टिक या पॉलिमर उद्योग के लिए कोई बड़ी लागत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, यदि आगे के उत्पाद पर प्रभाव का निर्धारण किया जाता है, तो प्रभाव वास्तव में नगण्य होगा।
161. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा संयंत्र की स्थापना से पहले, भारत लगभग पूरी तरह से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर निर्भर था। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संयंत्र में पर्याप्त निवेश किया है। घरेलू उद्योग ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि यदि संबद्ध देशों से पाठन जारी रहता है, तो घरेलू उद्योग के पास अपने प्रचालन को स्थायी रूप से बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
162. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाठनरोधी शुल्क लगाने से भारत में संबद्ध वस्तुओं की कमी नहीं होगी। यह उल्लेखनीय है कि पाठनरोधी शुल्क आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। इसलिए, शुल्क लगाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग की

क्षमता भारत में माँग से अधिक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे।

163. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि संबद्ध आयात देश में होने वाले आयातों का 79% है, फिर भी संबद्ध वस्तुओं का आयात कोरिया गणराज्य जैसे अन्य देशों से किया जा रहा है। इस प्रकार, उपभोक्ताओं के पास न केवल घरेलू उद्योग से, बल्कि वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से भी संबद्ध वस्तुओं को प्राप्त करने का विकल्प है।
164. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा इस उत्पाद में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने एक संयंत्र स्थापित करने के लिए आंतरिक अनुसंधान में निवेश किया है और अपनी स्वयं की विनिर्माण तकनीक विकसित की है। तथापि, घरेलू उद्योग को इस उत्पाद में महत्वपूर्ण क्षति हो रही है, और आवेदक कंपनी के समग्र कार्यनिष्पादन पर, संबद्ध वस्तु के व्यवसाय में क्षति के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग को भारी हानि हो रही है, जिससे किए गए निवेश की व्यवहार्यता को खतरा है।
165. जहाँ तक घरेलू उद्योग में वृद्धि के कारण शुल्क की आवश्यकता न होने का प्रश्न है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदक बाजार में एक नया प्रवेशक है। इसलिए क्षति अवधि के दौरान इसके कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है। कार्यनिष्पादन में सुधार को देखते हुए इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि संबद्ध वस्तुओं का देश में पाठन नहीं हो रहा है।

ड. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ड. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

166. प्रकटन विवरण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

- i) रियानलॉन ने आशंका जताई है कि खंड (छ) के अंतर्गत उत्पाद के मूल्य के केवल एक भाग पर शुल्क लगाए जाने के कारण सीमा शुल्क निकासी के समय प्रयोक्ताओं को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्राधिकारी शुल्क लगाने की विधि पर सीमा शुल्क प्राधिकारी के लिए एक विस्तृत और सूचनाप्रद दिशानिर्देश तैयार करें। प्राधिकारी यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि संबद्ध और गैर-संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट के मूल्यों की गणना उक्त घटकों की मात्रा के अनुपात के साथ अलग-अलग घटकों की घोषित कीमतों के आधार पर की जाएगी।

- ii) प्रकटन विवरण में गलती से यह उल्लेख है कि रियानलॉन कारपोरेशन द्वारा भारत को कोई प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया गया। हालाँकि, रियानलॉन कारपोरेशन द्वारा भारत को किए गए प्रत्यक्ष निर्यातों की एक श्रृंखला है। इसे संबंधित खंड में जोड़ा जा सकता है।
- iii) रियानलॉन द्वारा अपनी गणनाओं में प्रस्तुत निर्यात मात्रा, निर्यात कीमत और पहुँच कीमत पर विचार नहीं किया गया है। दावे और प्राधिकारी द्वारा साझा किए गए गोपनीय आंकड़ों में अंतर है। प्राधिकारी या तो त्रुटियों को ठीक करें या ऐसे परिवर्तनों के दर्शाएं।
- iv) एओबी 2777 के लिए मार्जिन निर्धारित किया जाए। रियानलॉन ने इस मिश्रण के विभिन्न घटकों की मात्रा साझा की क्योंकि 'मूल्यों' को साझा करने के अनुदेश अस्पष्ट नहीं था क्योंकि वाणिज्यिक बीजक में कोई विवरण दर्शाए बिना एकल बीजक मूल्य घोषित किया गया है। निर्यातकों के पास मूल्य विवरण मूल्य का कोई आंकड़ा नहीं है। यह स्पष्ट नहीं था कि क्या प्राधिकारी व्यक्तिगत घटकों की लागत चाहते थे।
- v) मिश्रण (क) से (ड.) और एंटी-ऑक्सीडेंट के मिश्रणों को किसी अन्य उत्पाद के साथ शामिल करना प्राधिकारी की परिपाटी के साथ-साथ विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के असंगत हैं। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में केवल उन्हीं उत्पादों को शामिल करना सतत दृष्टिकोण रहा है, जो वास्तव में आवेदक द्वारा जांच की अवधि में निर्मित और बिक्री किए गए हैं।
- vi) जांच की शुरुआत की अधिसूचना के अनुसार, केवल एओ जो आधार कच्चे माल के रूप में मेटिलॉक्स का प्रयोग करते हैं, वर्तमान जांच के अधीन हैं। इसलिए, एओ जो आधार कच्चे माल के रूप में मेटिलॉक्स का उपयोग नहीं करते हैं, वर्तमान जांच के अधीन नहीं हैं। तथापि, प्रकटन विवरण में सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की व्याख्या के लिए सामान्य नियमों का संदर्भ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मिश्रणों के मामले में, वर्गीकरण उस घटक पर आधारित होगा जो उत्पाद को उसका आवश्यक गुण प्रदान करता है। यह नोट किया गया है कि किसी उत्पाद के आवश्यक गुण की पहचान करने के महत्व को उजागर करने के लिए इस संदर्भ पर भरोसा किया जाता है। प्रकटन विवरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आवेदक 2.4 डीटीबीपी या 2.6 डीटीबीपी या मेटिलॉक्स का उपयोग करके एओ-168 का निर्माण करता है। इसलिए, एओ-168 को जाँच के दायरे से बाहर रखा जाए क्योंकि मेटिलॉक्स का प्रयोग करके निर्मित एओ 168 वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से अन्य कच्चे माल का प्रयोग करके निर्मित एओ-168 से भिन्न है, अर्थात्, अनिवार्य लक्षण पूरी तरह से भिन्न है।

- vii) प्राधिकारी की परिपाठी अन्य घरेलू उत्पादकों और संबंधित मंत्रालयों से सूचना प्राप्त करना है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। चूँकि अन्य उत्पादक पहले से ही मौजूद रहे हैं, इसलिए आवेदक बाजार हिस्सा प्राप्त करने में प्रतिरोध का सामना करने के लिए बाध्य हैं। क्षति प्रदर्शित करने के गलत इरादे से, आवेदक ने अन्य उत्पादकों को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर रखा गया। इसके अतिरिक्त, इसने दावा किया कि निर्यात बाजार के लिए एचपीएल के उत्पादन को नजरअंदाज किया जाए, जो कानून और प्राधिकारी की परिपाठी के संगत नहीं हैं। अतः, प्राधिकारी अपना स्वयं का विश्लेषण करें और इस मुद्दे पर पहले ही स्पष्ट आदेश पारित करें।
- viii) यह बात सामने आई है कि प्रकटन विवरण के पैरा 92 में वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी, दोनों प्रस्तावित हैं। तथापि, दोनों विशिष्ट संकल्पनाएं हैं। इसके अलावा, वास्तविक मंदी का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि एचपीएल 2009 से उत्पादन कर रहा है। वास्तविक मंदी का जांच परिणाम एक "उद्योग" की स्थापना के विरुद्ध लगाया जाना आवश्यक है, न कि किसी विशेष उत्पादक के विरुद्ध।
- ix) व्यापार सूचना संख्या 2/2004 के अनुसार, आवेदन-पत्र में जांच की अवधि और पिछले तीन वित्तीय वर्षों की सूचना शामिल होनी आवश्यक है। आवेदक ने वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-2022, अप्रैल 2022- जून 2023 (15 महीने), जुलाई 2023- जून 2024 (9 महीने) की सूचना प्रदान की है। 15 महीने को पूर्ववर्ती वर्ष मानकर व्यापार नोटिस का उल्लंघन किया गया है। प्राधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया से विचलित होने की स्वतंत्रता नहीं है। वर्तमान जाँच दोषपूर्ण जांच की शुरुआत की अधिसूचना पर आधारित है, और इसे समाप्त किया जाए या प्राधिकारी हमारी आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए आदेश पारित करें।
- x) चूँकि आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में प्रदान किए गए आंकड़े व्यापार सूचना के अनुसार नहीं हैं, अतः उत्तरदाता क्षति और कारणात्मक संपर्क के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी देने की स्थिति में नहीं है। तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष को 15 महीने की अवधि बनाकर पाठन और क्षति की भ्रामक तस्वीर गढ़ी गई है।
- xi) बीएएसएफ ने प्राधिकारी को व्यापार सूचना 10/2018 के उल्लंघनों से अवगत कराते हुए एक पत्र लिखा। तथापि, न तो कोई सूचना प्राप्त हुई और न ही आवेदक को कोई निर्देश जारी किया गया। प्राधिकारी आवेदन-पत्र को स्वीकार करके व्यापार सूचना से विचलित

हुए हैं जो गोपनीय अनुरोधों को रिकॉर्ड में लेने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित अनिवार्य पूर्व शर्तों के अनुरूप नहीं हैं।

- xii) विलय योजना और एनसीएलटी आदेश जैसी सार्वजनिक सूचना को बिना कोई कारण बताए गोपनीय रखा गया है।
- xiii) प्राधिकारी से प्राप्त मेलों के पिछले मेलों से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने विभिन्न अनुरोध दायर किए हैं जिनके लिए कोई अगोपनीय रूपांतर प्रदान नहीं किया गया था। प्राधिकारी के पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि लागत और कीमत में महत्वपूर्ण अंतर को देखते हुए तिमाही-वार मार्जिन की आवश्यकता है। तथापि, इस तरह के दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई सूचना प्रदान नहीं की गई थी।
- xiv) आवेदकों द्वारा अद्यतन आंकड़ों के संपूर्ण अनुबंधों को ऐसे अनुबंधों का कोई सार्थक सारांश प्रदान किए बिना ही रख लिया गया था।
- xv) विलय के कारण आवेदक को अप्रैल 2021 से संबद्ध सामानों का उत्पादक माना जा रहा है। तथापि, आधार वर्ष अर्थात् 2020-2021 में, आवेदक उत्पादक नहीं था। इसलिए, क्षति संबंधी सूचना सही नहीं है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता।
- xvi) अप्रैल 2020 से वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा तक की अवधि उत्पाद गुणों और विशिष्टताओं के मुद्दों के साथ-साथ कोविड-19 से प्रभावित रही। क्षति अवधि में 20-21 और 21-22 को शामिल करने से विसंगति पैदा होगी।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

167. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

- i) मिश्रणों की संरचना ज्ञात है और घटकों के भौतिक मिश्रण द्वारा इसे आसानी से दोहराया जा सकता है। इससे कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। इसलिए, मिश्रण के लिए कोई नया सीएएस नंबर नहीं बनाया जाता है, जैसा कि आवेदक और उत्तरदाताओं के तकनीकी आंकड़ा तालिकाओं (टीडीएस) से भी देखा जा सकता है।
- ii) प्रयोक्ता अनिवार्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट के संयोजन का प्रयोग करते हैं और मिश्रण की संरचना से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, जिसकी घोषणा टीडीएस तालिका और विश्लेषण प्रमाणपत्र (सीओए) में की जाती है। यदि किसी भी मिश्रण को छोड़ दिया जाता है, तो

आयातक अलग से स्वच्छ एओ खरीदने और उन्हें एक संयोजन में उपयोग करने के बजाय अपेक्षित एओ के मिश्रण का आयात करेंगे।

- iii) हितबद्ध पक्षकारों ने प्रयोक्ता के साथ एक पत्राचार का उल्लेख किया है जिसमें बेची गई सामग्री को अस्वीकार करने की बात कही गई है। तथापि, हितबद्ध पक्षकार ने दुर्भावनापूर्ण इरादों के कारण केवल आंशिक सूचना प्रदान की है। यह नोट किया जाए कि प्राप्त शिकायत का निवारण कर दिया गया है और न केवल स्थानापन्न सामग्री उपलब्ध कराई गई है, बल्कि प्रयोक्ता ने बाद में काफी बड़ी मात्रा में ऑर्डर भी दिए हैं।
- iv) मिश्रण का हिस्सा बनने वाले अन्य घटकों के मूल्य की पहचान करने और अपने दावे के समर्थन में उचित साक्ष्य प्रदान करने के लिए प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, हितबद्ध पक्षकारों ने इसका पालन नहीं किया है। उत्तरदाताओं द्वारा निर्देशों का पालन न करने पर प्रतिक्रिया को अस्वीकार किया जा सकता है।
- v) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यथामूल्य में पाटनरोधी शुल्क लगाएं, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट और मिश्रण शामिल हैं, जिनकी संबद्ध लागत और कीमतों में काफी भिन्नता है। उच्च मूल्य वाले पीसीएन पर औसत शुल्क लगाने से कुछ उत्पाद प्रकारों पर कम और अन्य पर अधिक प्रभाव पड़ेगा।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

168. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन-पश्चात की गई टिप्पणियों की जाँच की है। यह नोट किया जाता है कि टिप्पणियां दोहराई गई हैं और जिनकी पहले ही उचित रूप से जाँच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से हल कर दी गई हैं, संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रकटन-पश्चात की गई जाँच में नहीं दोहराई जा रही हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन-पश्चात जाँच में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की जाँच निम्नानुसार की गई है:

- क) प्राधिकारी उन मामलों में सीमा शुल्क निकासी के समय संभावित कठिनाइयों के संबंध में निर्यातक द्वारा उठाई गई चिंता को नोट करते हैं जहाँ खंड (छ) के अंतर्गत मिश्रण के मूल्य के केवल एक भाग पर ही पाटनरोधी शुल्क लागू होता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जाँच के क्षेत्र में केवल ऐसे मिश्रणों में निहित संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट ही शामिल हैं, और गैर-संबद्ध घटक वर्तमान कार्यवाही के क्षेत्र से बाहर रहते हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि प्राधिकारी ने शुल्क के निश्चित स्वरूप की सिफारिश की है, इसलिए शुल्क ऐसे मिश्रणों के अंतर्गत शामिल संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पर लागू होगा।

खंड (छ) के अंतर्गत आने वाले मिश्रणों के लिए, आयातक ऐसे मिश्रणों में संबद्ध सामानों के अनुपात और मात्रा का पता लगाने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि हेतु संगत सूचना प्रदान करेगा। प्राधिकारी का मानना है कि आयातक के लिए संगत सूचना प्रदान करना कठिन नहीं है और ऐसा आकलन सीमा शुल्क प्राधिकारियों के लिए कठिन या अव्यावहारिक है। इस संबंध में प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब प्रमुख संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट वाले एंटीऑक्सीडेंट के साथ मामूली गैर-संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट के आयात की अनुमति देने से वह संपूर्ण उद्देश्य विफल हो सकता है जिसके लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जा रही है।

- ख) रियानलॉन कारपोरेशन द्वारा प्रत्यक्ष निर्यात के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि रियानलॉन समूह की रियानलॉन कारपोरेशन चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों का एक उत्पादक है। इसने स्वयं द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों का 15.7 एमटी सीधे भारत को निर्यात किया है। इसने रियानलॉन टेक्नोलॉजी (व्यापारी) के माध्यम से भी संबद्ध सामानों का 649 एमटी निर्यात किया है। इसके अलावा, रियानलॉन कारपोरेशन ने एक संबद्ध उत्पादक रियानलॉन (झाँगवेई) न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड से खरीदे गए माल का भारत में निर्यात भी किया है। इस जांच परिणाम के संगत भाग में मै व्यापार चैनल का विधिवत उल्लेख किया गया है।
- ग) रियानलॉन समूह ने अनुरोध किया है कि निर्यातक द्वारा बताई गई निर्यात मात्रा और प्राधिकारी द्वारा विचारित मात्रा के बीच विसंगति है। तथापि, प्रकटन के बाद उत्पादक/निर्यातक ने स्पष्ट किया कि 'एक मामले में, आरसी द्वारा आरटी को की गई बिक्री और आरटी द्वारा भारत को आयातित विचाराधीन उत्पाद के अंतिम निर्यात के बीच बीजक संख्याएँ भिन्न हैं। इस बीजक को मैन्युअल रूप से मैप किया जाना था। अन्य मामलों में, मैन्युअल मैपिंग आवश्यक थी क्योंकि जब आरसी ने आरटी को आयातित विचाराधीन उत्पाद बेचा, तो लेनदेन दो बीजक संख्याओं के तहत दर्ज किया जा सकता था, जबकि जब आरटी ने उसी विचाराधीन उत्पाद को भारतीय ग्राहक को निर्यात किया, तो यह एक ही बीजक संख्या के तहत था।' तदनुसार, प्रतिक्रिया की पुनः जाँच की गई। रियानलॉन समूह ने भारत को कुल 1,037 एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया। इसमें से 134 एमटी सामग्री रियानलॉन द्वारा आयात की गई और फिर भारत को निर्यात की गई, जबकि शेष 903 एमटी सामग्री रियानलॉन द्वारा उत्पादित

और भारत को निर्यात की गई। तदनुसार, शेष 903 एमटी को प्राधिकारी ने रियानलॉन की निर्यात मात्रा के रूप में ध्यान में रखा है। इसे ऊपर दी गई पाटन और क्षति मार्जिन तालिकाओं में अद्यतन किया गया है। रियानलॉन समूह के समग्र पाटन या क्षति मार्जिन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

- घ) निर्यातक द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य तथा प्राधिकारी द्वारा विचारित मूल्य के बीच विसंगति के संबंध में, यह देखा गया है कि यह अंतर समुद्री माल भाड़े और बीमा के समायोजन के तरीके से उत्पन्न होता है। यह नोट किया जाता है कि रियानलॉन टेक्नोलॉजी ने सीआईएफ, सीएफआर, या सीएंडएफ आधार पर किए गए निर्यातों के लिए पीसीएन स्तर पर समुद्री माल भाड़े और बीमा के निमित समायोजनों का दावा किया था। तथापि, प्राधिकारी ने ऐसे समायोजन समग्र/औसत आधार पर करना उचित समझा।
- ड.) जहां तक रियानलॉन द्वारा मिश्रण ख 2777, अर्थात् विचाराधीन उत्पाद परिभाषा के खंड (छ) के अंतर्गत आने वाले मिश्रण के गैर-विषयक घटक का मूल्य इस आधार पर रिपोर्ट न करने का संबंध है कि "मूल्यों" की रिपोर्टिंग के संबंध में निर्देश अस्पष्ट थे, प्राधिकारी का मानना है कि निर्यातक द्वारा दिए गए कारण अपर्याप्त हैं और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। निर्यातक "मूल्य" के अर्थ पर प्राधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने और अपने पास उपलब्ध तथा अपने रिकॉर्डों से यथोचित रूप से निकाली जा सकने वाली सूचना प्रदान करने के लिए स्वतंत्र था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने जांच के दौरान कई अनुरोध किए, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई प्रश्न नहीं उठाया, स्पष्टीकरण नहीं मांगा या इस बारे में संगत सूचना प्रदान करना आवश्यक नहीं समझा कि मिश्रण के घटकों का मूल्य कैसे रिपोर्ट किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, निर्यातकों द्वारा बेचे गए ऐसे मिश्रणों की कम मात्रा को देखते हुए, प्राधिकारी ने ऐसी बिक्री को पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण से बाहर रखना उचित समझा है।
- च) यह तर्क दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद परिभाषा के खंड (च) और (छ) के अंतर्गत मिश्रणों को शामिल करना प्राधिकारी की सिद्ध परिपाठी और विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के साथ असंगत है, इस आधार पर कि केवल उन्हीं उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए जो आवेदक द्वारा जांच की अवधि के दौरान वास्तव में निर्मित और बेचे जाते हैं। साथ ही, घरेलू उद्योग ने यह भी दलील दी है कि प्रयोक्ता हमेशा एंटीऑक्सीडेंट के ऐसे संयोजन/मिश्रण का उपयोग करते हैं, जिनकी संरचना सर्वविदित है और उनके घटकों को वास्तविक रूप से मिलाकर आसानी से

दोहराया जा सकता है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से मिश्रणों को बाहर करने से शुल्कों से बचने का स्पष्ट जोखिम पैदा होगा, क्योंकि आयातक अलग से शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट के बजाय मिश्रणों का आयातों जाने का विचार कर सकते हैं। ऐसा परिणाम वर्तमान जांच के मूल उद्देश्य को ही कमज़ोर कर देगा, क्योंकि यह शुल्कों को अप्रभावी बना देगा और घरेलू उद्योग को कोई सार्थक उपाय प्रदान करने में विफल रहेगा।

- छ) निर्यातक ने अपना तर्क दोहराया है कि एओ -168 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसमें मेटिलॉक्स को आधार कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसने बताया है कि प्रकटन विवरण में सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की व्याख्या के सामान्य नियमों का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि मिश्रणों के मामले में, वर्गीकरण उस घटक के आधार पर होगा जो उत्पाद को उसका "आवश्यक गुण" प्रदान करता है। तथापि, प्रकटन विवरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आवेदक एओ -168 का निर्माण 2.4 डीटीबीपी या मेटिलॉक्स का उपयोग करके करता है या नहीं। एओ -168 को बाहर रखने का तर्क इस आधार पर दिया गया है कि जांच की शुरुआत की अधिसूचना में वह विचाराधीन उत्पाद शामिल है जिसका उत्पादन मेटिलॉक्स को आधारभूत कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करके किया जाता है और एओ 168 में मेटिलॉक्स को आधारभूत कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग हीं किया जाता है।
- ज) यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने आवेदन में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में AO 168 को शामिल किया था, और इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख आरंभिक अधिसूचना में किया गया था। इसके अलावा, PUC और PCN कार्यप्रणाली के दायरे पर इच्छुक पक्षों की टिप्पणियां प्राप्त करने पर, आवेदक ने अपने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से स्पष्ट किया कि आवेदन में एक तथ्यात्मक त्रुटि थी जिसे ठीक किया जा सकता है और इसके बजाय इसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है, "जबकि AO 1010, AO 1076, AO 1098 और L135 2.6 DTBP का उपयोग करते हैं और AO 168 2.4 DTBP को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, प्रमुख अंतर प्रत्येक एंटीऑक्सीडेंट प्रकार के लिए विशिष्ट अतिरिक्त कच्चे माल और प्रत्येक एंटीऑक्सीडेंट के लिए अनुकूलित विशिष्ट प्रक्रिया स्थितियों में निहित हैं।" इसलिए, यह स्पष्ट है कि एंटीऑक्सीडेंट ब्यूटाइल फिनोल, 2.4-DTBP या 2.6-DTBP, को प्रमुख कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। इनमें से, 2,6-डीटीबीपी को आगे मेटिलॉक्स नामक एक मध्यवर्ती उत्पाद में संसाधित किया जाता है, जिसका उपयोग एओ 1010,

एओ 1076, एओ 1098 और एल135 जैसे एंटीऑक्सीडेंट के अंतिम उत्पादन में किया जाता है।

- झ) प्राधिकारी नोट करता है कि पीयूसी/पीसीएन पर टिप्पणियां मांगने का उद्देश्य घरेलू उद्योग सहित इच्छुक पक्षों को पीयूसी के दायरे और पीसीएन कार्यप्रणाली पर स्पष्टीकरण देने या स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति देना है, जिस पर प्राधिकरण को विचार करना चाहिए। विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर, प्राधिकरण ने 11 दिसंबर 2024 की अंतिम पीयूसी/पीसीएन कार्यप्रणाली सूचना में आगे स्पष्टीकरण दिया, जहां प्राधिकरण ने पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया है कि एओ 168 विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा है। इच्छुक पक्ष यह तर्क नहीं दे सकते कि प्राधिकरण उस पीयूसी के दायरे को उचित रूप से स्पष्ट नहीं कर सकता जिसके लिए आवेदन दायर किया गया था, जिसके लिए डेटा/सूचना प्रदान की गई है और जिस पर अंततः शुल्क लगाने के लिए विचार किया जाएगा।
- ज.) जैसा कि इस जांच परिणाम में पहले ही उल्लेख किया गया है, हितबद्ध पक्षकार ने यह गलत समझा है कि कच्चा माल ही एकमात्र मापदंड है जिसके आधार पर प्राधिकारी ने विभिन्न उत्पाद प्रकारों को एक ही विचाराधीन उत्पाद माना है। इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है कि संबंधित एंटीऑक्सीडेंट, चाहे उनकी संरचना कुछ भी हो, मुख्य रूप से प्लास्टिक फॉर्मूलेशन में एडिटिव्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं, और एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। उत्पादन उपकरण, उत्पादन प्रक्रिया और परिणामी विशेषताएँ लगभग एक जैसी ही हैं। सभी संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट व्यापार और उपयोग में आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। एओ 168 सहित संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट का अनिवार्य प्रकार्य सटेबलाइजर, प्रसंस्करण और पूर उत्पाद जीवनचक्र के दौरान पोलिमर्स के डिग्रेडेशन को रोकने के रूप में कार्य करना है। यद्यपि इन एंटीऑक्सीडेंट की विशिष्ट संरचना और गुण-धर्म अलग अलग हो सकते हैं, तथापि इन एंटीऑक्सीडेंटों में मौलिक भूमिका वही अर्थात् ऑक्सीडेशन/प्लास्टिक के डिग्रेडेशन को रोकने की रहती है।
- ट) अन्य पक्षकारों ने तर्क दिया कि प्राधिकारी को आवेदक की पात्रता के मुद्दे पर अपना स्वयं का विश्लेषण करना चाहिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने आधिकारिक राजपत्र और डीजीटीआर वेबसाइट पर जाँच शुरू करने की अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें भारतीय उद्योग के घटकों और आवेदक द्वारा अन्य जात उत्पादकों की स्थिति पर अनुरोध पर प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त, आवेदक अन्य घरेलू उत्पादकों से संपर्क करने के उनके द्वारा किए गए बार-बार प्रयासों को भी रिकॉर्ड में

लाया है: (क) जाँच शुरू करने से पहले (ख) जाँच शुरू करने के बाद (ग) मौखिक सुनवाई से पहले। जहाँ प्राधिकारी को कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से जाँच के समर्थन में उसके पत्र के साथ उत्पादन संबंधी सूचना प्राप्त हुई, वहीं एचपीएल एडिटिव्स से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का दावा है कि एचपीएल एडिटिव्स मुख्य रूप से निर्यात आदेशों के आधार पर उत्पादन करता है और तर्क दिया कि निर्यात के लिए किए जाने वाले ऐसे उत्पादन को घरेलू उद्योग के क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी ने निर्यात के लिए एचपीएल एडिटिव्स द्वारा किए गए उत्पादन सहित भारतीय उत्पादकों के "सकल उत्पादन" को ध्यान में रखते हुए कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक की हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए अपने पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर विचार किया। इस प्रकार, भारतीय उत्पादन और भारतीय उत्पादन में आवेदक की हिस्सेदारी में एचपीएल एडिटिव्स द्वारा निर्यात के लिए किया जाने वाला उत्पादन भी शामिल है।

- ठ) इस तर्क के संबंध में कि वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी, दोनों पर विचार करने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि दोनों परस्पर तौर विशिष्ट संकल्पनाएं हैं, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग एक नया उत्पादक है। तथापि, आधार वर्ष से इसका प्रचालन इतिहास रहा है और क्षति अवधि की संपूर्णता के लिए सूचना उपलब्ध है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की जाँच की है।
- इ) यह तर्क कि आवेदक के ऑकड़े व्यापार सूचना 2/2004 के अनुरूप नहीं हैं, जिससे उत्तरदाताओं को क्षति और कारणात्मक संपर्क पर सार्थक टिप्पणियाँ देने से रोका जा रहा है, गलत है। यह तर्क दिया गया है कि जाँच अवधि से पहले की अवधि निर्धारित वित्तीय वर्ष के बजाय 15 महीने की अवधि है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त व्यापार सूचना के पैरा 2(ii) में निम्नलिखित उल्लेख है:

“आवेदन में प्रस्तावित जाँच अवधि (पीओआई) और पिछले तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित सूचना और ऑकड़े अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। जाँच अवधि और पिछले वित्तीय वर्षों के बीच कोई अंतराल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ओवरलैप हो सकते हैं। पिछले तीन वर्षों के ऑकड़ों का प्रयोग क्षति के निर्धारण हेतु प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए किया जाएगा।”

- इ) यह देखा जाता है कि जाँच की अवधि से पहले के वर्षों में व्यापार सूचना द्वारा अनिवार्य तीन वित्तीय वर्षों की सूचना शामिल है। इसके अलावा, जाँच अवधि जुलाई 2023 से शुरू

होती है और इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही, अर्थात् 23 अप्रैल से 23 जून, को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जिसे जांच की अवधि से पहले के वर्ष में शामिल किया गया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एक नया उत्पादक है जो उत्पाद विनिर्देश और ग्राहकों से अनुमोदन से संबंधित मुद्रों से प्रभावित है। आवेदक ने जुलाई 2023 के बाद से केवल पाटित आयातों के कारण क्षति का आरोप लगाया था। इसके अलावा, यदि आवेदक ने 2020-21, 2021-22, 2022-23, अप्रैल 2023-जून 23 को पूर्ववर्ती वर्ष माना होता तो इसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि से ठीक पहले का वर्ष केवल 3 महीने का होता और इससे पूरा विश्लेषण विकृत हो जाता। यदि अप्रैल 23-जून 23 की अवधि को बाहर रखा जाता तो इसके परिणामस्वरूप क्षति अवधि में अंतराल आ जाता। तदनुसार, जांच की अवधि से ठीक पहले की अवधि में अप्रैल 2023 से जून 2023 को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि व्यापार नोटिस 2/2004 में निहित शर्त के अनुरूप क्षति अवधि में कोई अंतराल नहीं है, जो यह प्रावधान करता है कि जांच की अवधि और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के बीच कोई अंतराल नहीं होना चाहिए, हालांकि ओवरलैप हो सकता है। अतीत में कई जांचें हुई हैं जिनमें जांच की अवधि से पहले 15 महीने की अवधि मानी गई है, जैसे कि चीन जन.गण. , यूरोपीय संघ, जापान और रूस से "एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडाइन रबर" (फा. संख्या 6/18/2020-डीजीटीआर) और चीन जन.गण. और यूरोपीय संघ से "मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के रंग-लेपित/पूर्व-चित्रित चपटे उत्पाद" पर जांच।

- (ए) आवेदक द्वारा विलय की योजना और विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और वीरल एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विलय को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी आदेश पर गोपनीयता का दावा करने से संबंधित तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि ये दस्तावेज आवेदन-प के गोपनीय रूपांतर का भाग नहीं थे और इसलिए इन्हें अगोपनीय रूपांतर के साथ संलग्न नहीं किया गया था। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक ने मौखिक सुनवाई के बाद दायर लिखित अनुरोधों के गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर के साथ एनसीएलटी के अनुमोदन आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की।
- (त) यह तर्क दिया गया है कि आवेदक ने लागत और कीमत में महत्वपूर्ण अंतर के कारण तिमाही-वार मार्जिन के निर्धारण की आवश्यकता को प्रमाणित करने के लिए कोई सूचीबद्ध सूचना प्रदान नहीं की। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विधिवत् ध्यान दिया और घरेलू उद्योग के अनुरोध को स्वीकार न करने का निर्णय

लिया। यह नोट किया जाता है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़े तिमाही-वार मार्जिन के निर्धारण की आवश्यकता को उचित नहीं ठहराते हैं।

- थ) जहाँ तक आवेदक द्वारा अद्यतन आंकड़ों के साथ अनुबंधों का सारांश उपलब्ध नहीं कराने का संबंध है, यह देखा गया है कि आवेदक ने प्राधिकारी द्वारा विचारित जांच अवधि, अर्थात् जून 2023 से जुलाई 2024 (12 महीने) की अवधि के लिए आवेदन-पत्र और अनुबंधों को अद्यतन किया है, और उसका एक अगोपनीय रूपांतर परिचालित किया है जिससे हितबद्ध पक्षकारों को उस पर आधारित सार्थक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ है।
- द) यह तर्क दिया गया है कि क्षति संबंधी सूचना पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि आवेदक को संबद्ध सामानों का उत्पादक केवल 2021-22 में वीएपीएल के साथ विलय के बाद ही माना जा सकता है, जबकि माना गया आधार वर्ष 2020-21 है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि वीएपीएल ने आधार वर्ष में संयंत्र स्थापित किया था और उत्पादन शुरू किया था। विलय के बाद, वीएपीएल का कोई अलग कानूनी अस्तित्व नहीं रहा और इसलिए उसके लिए वर्तमान जाँच में भाग लेना संभव नहीं है। तथापि, आवेदक के पास विलय-पूर्व अवधि के वीएपीएल के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। इसलिए आवेदक आधार वर्ष सहित संपूर्ण क्षति अवधि की सूचना प्रदान करने की स्थिति में है।
- ध) यद्यपि यह तर्क कि क्षति अवधि में 2020-21 और 2021-22 को शामिल करने से एक बेतुका परिणाम निकलेगा क्योंकि यह उत्पाद विनिर्देश और कोविड-19 महामारी संबंधी मुद्रदों से प्रभावित था, इस जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा पहले ही हल किया जा चुका है, यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि आम तौर पर जांच की अवधि और जांच की अवधि से ठीक पहले के तीन वर्षों को शामिल करने वाली अवधि होती है, जब तक कि आवेदक कम अवधि के लिए अस्तित्व में न रहा हो, अर्थात्, वास्तविक मंदी के मामलों में जहां उद्योग स्वयं कम अवधि के लिए प्रचालनरत रहा हो। वर्तमान मामले में, उत्पादन अप्रैल 2020 में शुरू हुआ। चूंकि पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, इसलिए प्राधिकारी ने जांच की अवधि से पहले के 3 वर्षों को क्षति अवधि में शामिल करने पर विचार किया है, क्योंकि यह उद्योग के निष्पादन की एक पूर्ण और सुसंगत तस्वीर प्रदान करता है और वास्तविक क्षति का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, आवेदक के निष्पादन को उसकी नई स्थापना को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया गया है।

न) शुल्क के यथामूल्य रूप की सिफारिश करने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि इस प्रकार के शुल्क को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त आधार सिद्ध नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में संबद्ध और गैर-संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट के मिश्रण शामिल हैं, इसलिए शुल्क के यथामूल्य रूप की सिफारिश करना उचित नहीं माना जाता है।

८. निष्कर्ष एवं सिफारिश

169. हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जाँच करने तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि:
- क) विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित सीएएस संख्या या उनके समतुल्य के अनुरूप कुछ प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हैं:
- क. 6683-19-8, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1010 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम पेटाएरिथ्रिटोल ट्राकिस (3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रोक्सीफेनिल) प्रोपियोनेट) है।
 - ख. 2082-79-3, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1076 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ऑक्टाडेसिल-3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रोक्सीफेनिल)-प्रोपियोनेट है।
 - ग. 31570-04-4, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 168 और इसके समतुल्य के रूप में भी जाना जाता है। रासायनिक नाम ट्रिस (2,4-डाइ-टर्ट ब्यूटाइलफेनिल) फॉस्फाइट है।
 - घ. 23128-74-7 जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1098 और इसके समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है। रासायनिक नाम एन,एन'-हेक्सेन-1,6-डाइ-लिबिस (3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रोक्सीफेनिलप्रोपियोनामाइड)) है।
 - ड. 125643-61-0 जिसे एंटीऑक्सीडेंट एल135 या 1135 इसके समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है। रासायनिक नाम बैंजीनप्रोपेनोइक एसिड, 3,5-बिस (1,1-डाइमिथाइलएथिल)-4-हाइड्रोक्सी, सी7-9-ब्रांच्ड एल्काइल एस्टर है।
 - च. (क) से (ड.) में उल्लिखित एंटीऑक्सीडेंट के मिश्रण

- छ. (क) से (ड.) में उल्लिखित संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट के मिश्रण किसी अन्य उत्पाद के साथ यदि परिणामी मिश्रण में संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा 50% या अधिक है। इस जांच के क्षेत्र में केवल ऐसे मिश्रण का संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट ही शामिल है।
- ख) संबद्ध सामानों का आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 के सीमा शुल्क उपशीर्ष 29054290, 29071990, 29072990, 29181990, 29182910, 29182990, 29183090, 29189990, 29202100, 29202910, 29202930, 29202990, 29209000, 29242990, 29309099, 29336990, 38112900, 38119000, 38123910 और 38123990 के तहत किया जाता है। सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- ग) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना प्रदान करने का अवसर प्रदान किया और उसके बाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को तय करने और उपयुक्त पीसीएन पद्धति को अधिसूचित करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के साथ बातचीत की। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचित उत्पाद विशेषताओं के आधार पर पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया और हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और प्रस्तावित पीसीएन अधिसूचित किया।
- घ) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की समान वस्तु हैं।
- ड) चीन जन.गण. और सिंगापुर से संबद्ध सामानों के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। आवेदक नियमावली के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं।
- च) संबद्ध सामानों का उत्पादन आरंभिक रूप से अप्रैल, 2020 में वीरल एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड (वीएपीएल) द्वारा शुरू किया गया था। वीएपीएल और वीओएल के बीच विलय अप्रैल 2021 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया। वीएपीएल द्वारा पूर्व में की गई सभी गतिविधियाँ अब वीओएल द्वारा की गई मानी जाती हैं। वीएपीएल का अस्तित्व समाप्त हो गया है और इसकी सभी कार्यकलाप और प्रचालन वीओएल द्वारा अपने हाथ में ले लिए गए हैं।

- छ) आवेदक 2020, अर्थात् क्षति अवधि के आधार वर्ष से, प्रचालन में है और उसने संबद्ध सामानों का उत्पादन और बिक्री की है। तथापि, आवेदक ने अक्टूबर 2022 में अपने उत्पादन का वाणिज्यिकीकरण किया।
- ज) आवेदक के अलावा, भारत में संबद्ध सामानों के दो अन्य उत्पादक हैं, अर्थात् कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और एचपीएल एडिटिव्स लिमिटेड।
- झ) कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत वास्तविक सूचना और एचपीएल एडिटिव्स लिमिटेड से किसी भी पत्र के अभाव में, इसके सकल उत्पादन पर उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर विचार करके किया गया है।
- अ.) रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि आवेदक द्वारा किया गया उत्पादन निर्यात के लिए प्रयुक्त एचपीएल एडिटिव्स के उत्पादन को नज़रअंदाज़ किए बिना कुल या सकल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। अतः प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।
- ट) संबद्ध देशों के बीएसएफ ग्रुप और रियानलॉन ग्रुप ने वर्तमान जाँच में स्वयं को पंजीकृत किया और निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया। प्राधिकारी ने इन कंपनियों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर पाठन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है।
- ठ) निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के लिए पाठन मार्जिन सकारात्मक, न्यूनतम से अधिक और काफी है।
- ड) प्राधिकारी ने यह उचित समझा है कि चीन जन.गण. और सिंगापुर से संबद्ध सामानों के पाठित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का संचयी मूल्यांकन किया जाए।
- ढ) वर्तमान मामला भारत में घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का है, जहां घरेलू उद्योग एक नया उत्पादक है जिसने आधार वर्ष में उत्पादन शुरू किया है और उसके पास संपूर्ण क्षति अवधि के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं।
- ण) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष से जांच की अवधि तक मांग में 48% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में, जांच की अवधि में मांग में 35% से अधिक की वृद्धि हुई है।

- त) जबकि आवेदक द्वारा देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं स्थापित करने के साथ आयात में कमी आनी चाहिए थी, संबद्ध देश से आयात में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमताएं होने के बावजूद जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयात की मात्रा देश में संबद्ध सामानों के कुल आयात की मात्रा का लगभग 80% है।
- थ) खपत के संबंध में संबद्ध आयातों की मात्रा काफी है। यह देखते हुए कि आवेदक एक नया उत्पादक है, जिसकी उत्पादन मात्रा मांग में वृद्धि के साथ क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है, भारतीय उत्पादन के संबंध में आयात की मात्रा क्षति अवधि के दौरान कम हुई है। तथापि, सापेक्ष रूप से आयात काफी बने हुए हैं।
- द) आयात कीमत और घरेलू उद्योग की कीमतों के विश्लेषण से पता चलता है कि कीमत कटौती नकारात्मक है। घरेलू उद्योग, एक नया उत्पादक होने के नाते, सामग्री बेचने के लिए आयात की तुलना में थोड़ी कम कीमतों की पेशकश कर रहा था और आयात की पहुँच कीमत में उतार-चढ़ाव का अनुसरण कर रहा था।
- ध) बिक्री कीमत में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग उत्पादन लागत से कम कीमतों पर बिक्री कर रहा है। संबद्ध आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से भी कम हैं। संबद्ध सामानों की आयात कीमत ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया है। संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का हास किया है।
- न) घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर ऐसे पाठित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचे हैं:
- घरेलू उद्योग की क्षमताएँ पूरी तरह अप्रयुक्त थीं।
 - घरेलू उद्योग ने अप्रैल 2020 में उत्पादन शुरू किया। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि देखी गई। तथापि, देश में माँग और घरेलू उद्योग की क्षमता को देखते हुए, उत्पादन और बिक्री दोनों ही अपेक्षित स्तर से काफी कम हैं।
 - जबकि क्षति अवधि के दौरान माँग में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, संबद्ध आयात घरेलू माँग के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी मुश्किल से 17% है। ऐसा तब है जब घरेलू उद्योग के पास देश की संपूर्ण माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

- घ. घरेलू उद्योग कीमतों पर एक महत्वपूर्ण समझौते के बाद ही वर्तमान मात्रा को बेचने में सक्षम था। इसके उत्पाद की कीमत उत्पादन लागत से काफी कम रखी गई थी। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण वित्तीय हानियां हुई हैं।
- इ. माँग में वृद्धि के बावजूद, जाँच की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग के पास मालसूची का स्तर भी बढ़ा है।
- प) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- फ) प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत और आयातों की पहुंच कीमत पर विचार करने पर, यह देखा जाता है कि क्षति मार्जिन काफी है।
- ब) गैर-आरोपण विश्लेषण से पता चलता है कि किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, और पाटित आयातों के परिणामस्वरूप उसे वास्तविक क्षति हुई है।
170. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जाँच शुरू करने और जांच करने पर और महत्वपूर्ण वित्तीय हानियों, नकद हानियों, निवेश पर नकारात्मक आय और उत्पादन क्षमताओं का पूरी तरह से कम उपयोग, घरेलू उद्योग के कम बाजार हिस्से पर पर विचार करने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि क्षति पहुंचाने वाले पाटन को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। अतः, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।
171. अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, 5 वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूआरएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	29054290, 29071990, 29072990, 29181990, 29182910, 29182990, 29183090, 29189990, 29202100, 29202910, 29202930, 29202990, 29209000, 29242990, 29309099, 29336990, 38112900, 38119000, 38123910 और 38123990*	कुछ एंटीऑक्सीडेंट **	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	बीएसएफ केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	280	एमटी	यूएस.डा.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	रियानलॉन कारपोरेशन , रियानलॉन (झांगवेई) न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड, रियानलॉन (झुहाई) न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएस.डा.
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं. 1 से 2 को छोड़कर, कोई	761	एमटी	यूएस.डा.

क्र. सं.	शीर्ष	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूआएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और सिंगापुर के अलावा कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई	761	एमटी	यूएस.डा.
5	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई देश	बीएएसएफ साउथ ईस्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड.	562	एमटी	यूएस.डा.
6	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई देश	क्र.सं. 5 को छोड़कर कोई	868	एमटी	यूएस.डा.
7	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और सिंगापुर के अलावा कोई भी देश	सिंगापुर	कोई	868	एमटी	यूएस.डा.

*प्रशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है।

**विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में निम्नलिखित सीएएस संख्याओं या उनके समकक्ष के अनुरूप कुछ प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं:

- क) 6683-19-8, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1010 और इसके समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है।
 इसका रासायनिक नाम पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्राकिस (3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रोक्सीफेनिल) प्रोपियोनेट है।

- ख) 2082-79-3, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1076 और इसके समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ऑक्टाडेसिल-3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रोक्सीफेनिल)-प्रोपियोनेट है।
- ग) 31570-04-4, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 168 और इसके समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ट्रिस (2,4-डाइ-टर्ट ब्यूटाइलफेनिल) फॉर्स्फाइट है।
- घ) 23128-74-7, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1098 और इसके समकक्ष भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम एन,एन'-हेक्सेन-1,6-डाइइलबिस (3-(3,5-डाइ-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रोक्सीफेनिल-प्रोपियोनामाइड)) है।
- ङ.) 125643-61-0, जिसे एंटीऑक्सीडेंट एल 135, या इसके समकक्ष भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम बैंजीनप्रोपेनोइक अम्ल, 3,5-बिस (1,1-डाइमिथाइलएथिल)-4-हाइड्रोक्सी, सी7-9-ब्रांच एल्काइल एस्टर है।
- च) (क) से (ङ.) में उल्लिखित संबद्ध एंटीऑक्सीडेंटों के मिश्रण
- छ) (क) से (ङ.) में उल्लिखित संबद्ध एंटीऑक्सीडेंटों का किसी अन्य उत्पाद के साथ मिश्रण, यदि परिणामी मिश्रण में 50% या उससे अधिक संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट हों। इस जाँच के क्षेत्र में केवल ऐसे मिश्रण का संबद्ध एंटीऑक्सीडेंट ही शामिल है।

ण. आगे की प्रक्रिया

172. इन अंतिम जाँच परिणामों में प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
NOTIFICATION FINAL FINDINGS

New Delhi, the 23rd September
(CASE NO. AD(OI)-21/2024)

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "certain antioxidants" originating in or exported from China PR and Singapore.

F. No. 6/23/2024 – DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s Vinati Organics Ltd., (hereinafter referred to as the "applicant" or the "petitioner" or "VOL") filed an application, in the form and manner prescribed before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Rules"), for initiation of an anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of "**certain antioxidants**" (hereinafter also referred to as "AO" or "subject goods" or the "product under consideration") originating in or exported from China PR and Singapore (hereinafter also referred to as the "subject countries").

B. PROCEDURE

2. The procedure described below has been followed with regards to the investigation:
 - a. The Authority notified the embassy of the subject countries/territory in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.
 - b. The Authority *vide* notification no.6/23/2024-DGTR dated 26th September 2024 published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - c. The Authority forwarded a copy of the public notice along with the questionnaires to the embassy of the subject counties in India, all known exporters, importers and users (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with Rule 6(2) of the anti-dumping rules. They were advised to reply within thirty days from the date of receipt of notice.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and the embassy of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the anti-dumping Rules. A copy of the application was also provided to the other interested parties, as requested.
 - e. The Authority sent questionnaire to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD rules:

SN	Producer/ Exporter
i.	Guangzhou Flying Dragon
ii.	BASF Southeast Asia Pte Ltd
iii.	Jiyichem
iv.	Nanjing Lanya Chemical Co., Ltd.
v.	Onelead Innovation Co. Ltd
vi.	Polygel Global Pte. Ltd.
vii.	Qingdao Richkem Co. Ltd
viii.	Rianlon Technology Company Ltd
ix.	Shandong Linyi Sunny Wealth Chemicals Co., Ltd.
x.	SI Group
xi.	Songwon
xii.	Suqian Unitechem
xiii.	Unitechem

- f. Following producers/exporters from the subject countries have filed the exporter's questionnaire response or made submissions:

SN	Responding Producer/ Exporter
i.	BASF South East Asia Pacific Pte. Ltd. (BSEA)
ii.	BASF (China) Co. Ltd. (BCH)
iii.	BASF Chemicals Company Ltd. (BACH)
iv.	BASF Hong Kong Ltd. (BHKL)
v.	Rianlon Technology Co Ltd.
vi.	Rianlon (ZhongWei) New Material Co. Ltd.
vii.	Rianlon (ZhuHai) New Materials Co. Ltd.
viii.	Rianlon Corporation

- g. Arrowchem Pte. Ltd., a stockist and trader of chemicals, initially registered as an interested party in the subject investigation. The company later submitted that it did not export any antioxidants to India during the POI and requested withdrawal from the interested party list.
- h. Questionnaires were also sent to the following known importers/users of the subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

SN	Importer/ User
i.	BASF India Ltd. (BIL)
ii.	GAIL (India) Ltd.
iii.	Haldia Petrochemicals Ltd.
iv.	High Grade Industries (India) Pvt Ltd.
v.	HPCL Mittal Energy Ltd.
vi.	Indian Oil Corporation Ltd.

vii.	Machino Polymers Ltd.
viii.	Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.
ix.	Mittal Enterprises
x.	Prakash Chemicals Pvt Ltd.
xi.	Reliance Industries Ltd.
xii.	Solaris Chemical Corporation (Unit of Solaris Spec)
xiii.	ONGC Petro Additions Ltd
xiv.	BCPL
xv.	Nayara Energy Ltd.

- i. Following importers of the subject goods registered themselves as the interested parties in the investigation.

SN	Responding Importer
i.	BASF India Ltd. (BIL)
ii.	Ambitious Polytech
iii.	Amcom Polysol Pvt Ltd.
iv.	Chakravarthy Plastic Industries
v.	Coraplast Industries
vi.	Reliance Silbur Elastomers Pvt Ltd.
vii.	Sidma Polymers Pvt Ltd.

- j. Out of the above, a response to the importer's questionnaire was received only from BASF India Ltd. (BIL).
- k. In addition to the above, 2 associations viz., Chemicals and Petrochemicals Manufacturers Association (CPMA) and Compound and Masterbatch Manufacturer Association of India also registered themselves as interested parties in the present investigation. The contentions of the associations have been addressed appropriately wherever possible. However, out of the two associations, a response to the economic interest questionnaire was received only from Chemicals and Petrochemicals Manufacturers Association (CPMA).
- l. The Authority issued an economic interest questionnaire (EIQ) to all interested parties and the concerned ministry. Response to EIQ has been submitted by the domestic industry, BASF Group and one importer association, i.e., CPMA.
- m. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.
- n. The Authority *vide* para 9 of the initiation notification dated 26th September 2024 invited comments on the scope of the product under consideration and product control number (PCN) from the stakeholders within 30 days of initiation which ended on 26th October

2024. However, a further extension of time was granted by the Authority i.e., till 4th November 2024, to file comments on the scope of PUC/ PCN.
- o. Subsequent to receipt of comments on the scope of PUC/ PCN, the Authority held a meeting for deciding the scope of the PUC and the PCN methodology on 22nd November 2024. The Authority received and considered the comments with regards to the PUC and the PCN methodology. The scope of the PUC and the PCN methodology were redefined *vide* notification dated 11th December 2024. The interested parties were directed to file the questionnaire response within 30 days of issuance of the notice i.e., by 10th January 2024.
 - p. A request was made to DG Systems to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury investigation period and the period of investigation. The same has been received by the Authority and has been considered in this final finding.
 - q. Verification of the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
 - r. The non-injurious price (hereinafter referred to as ‘NIP’) has been determined based on the cost of production and the cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry, maintained as per Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995, has been worked out so as to ascertain whether the present anti-dumping duty is sufficient to remove injury to the domestic industry.
 - s. The applicant had proposed July 2023 – March 2024 as the period of investigation at the time of filing of the application. However, the Authority considered the period of investigation (POI) as 1st July 2023 to 30th June 2024 (a period of 12 months). The injury investigation period covers the periods 2020 – 2021, 2021 – 2022, April 2022 – June 2023 and the period of investigation.
 - t. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views during the oral hearing held on 21st April 2025. The interested parties were requested to submit their written submissions by 28th April 2025 and rejoinder submissions by 5th May 2025.
 - u. Due to the change of the Designated Authority, a fresh oral hearing was held on 26th May 2025 wherein all interested parties were provided the opportunity to present their views. The interested parties were requested to submit their written submissions by 28th May 2025 and rejoinder submissions by 30th May 2025.
 - v. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 19th August 2025. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
 - w. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its observations on the basis of the facts available.
 - x. “****” in this final finding represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

- y. Exchange rate considered for the POI for conversion of USD to Indian Rupees is 1 USD
= **Rs. 83.99.**

C. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

C.1 Views of the other interested parties

3. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the product under consideration and like article:
- i) AO 168 should be excluded from the scope of the PUC as it doesn't use Metilox as base material. Reference is made to *Exotic Décor Pvt. Ltd. v. DA* case, where CESTAT ruled that wooden flooring with a plywood bottom layer could not be included in the investigation, as the notification specified the use of "real wood" as the bottom layer. Further, it is also not technically or commercially substitutable to other antioxidants.
 - ii) Antioxidants not produced and sold in commercial quantities by the applicant should be excluded from the scope of the product under consideration.
 - iii) The applicant's products face quality issues and fail to pass lab tests. Hence, they were not approved by customers and licensors of technologies. Communications received from the users show that the applicant's product does not match specifications required by users. Due to substandard packaging, the applicant's product is prone to lump formation and is not suitable for use as it impacts flowability of the compounds.
 - iv) The pricing & cost of different forms of antioxidants i.e., powder and tablet, are different. An additional manufacturing process is involved to make tablets from powder. PCN methodology should additionally be prescribed based on the form of the antioxidant.
 - v) The applicant has produced and sold 2 blends viz., B215 and B225, which implies that it did not sell any other blends of the subject antioxidants. The product scope should be restricted to include only these two blends.
 - vi) Clause (g) of the PUC definition, which covers blends of subject antioxidants with any other product if the resultant blend has 50% or more of the subject antioxidant, must be deleted. The clause is very wide and has the potential to include even the blends antioxidant and products other than antioxidants for which no like product is offered by the applicant. Antioxidants are often consumed with other additives. Blending ingredients may contain additives other than antioxidants. If other additives besides antioxidants in the blend dominates the main function, the blend is not an antioxidant anymore.
 - vii) If the PUC definition covers blends of the subject antioxidants with "any other product" it will not be consistent with the general practice and will make the dumping, injury and causation analysis inaccurate.
 - viii) The criteria of 50% in clause (g) of the PUC definition is highly insufficient to ensure that the final blend is an antioxidant and is not backed with any scientific basis. If clause (g) is retained, the proportion of the subject antioxidant should be modified to at least 80% in terms of weight.

- ix) The term "equivalents" and "other products" make the PUC definition vague and do not lend any clarity. It is unclear how the Customs Authorities would, from the description, be able to identify "equivalents" or products with at least 50% of subject antioxidants.
- x) Apprehension of circumvention cannot be a basis for including blends within the scope of the investigation. The concept of circumvention would be applicable only where it can be demonstrated that the circumventing product can commercially and technically substitute the PUC or in situations where it can be established that the circumventing product can be used to produce the PUC by some kind of reverse engineering. The applicant claims that clause (g) needs to be included to prevent circumvention through minor composition changes without alteration in essential characteristics or end use. However, circumvention is not possible because end use differs.
- xi) AO B2777, a blend of AO168 and AO1790 in a 2:1 ratio, is exported by the Rianlon Group. Since the applicant does not manufacture AO1790, they are unable to produce B2777. However, this blend falls within the scope of the PUC. Therefore, the applicant should be required to disclose a product equivalent to B2777. In any case, blending is more than just mixing; and involves extensive research, stabilizing production, achieving the desired properties through titration experiments.
- xii) Rianlon disagrees with the Authority regarding there being lack of evidence that the applicant does not produce a like article. If the applicant is manufacturing B2777, the responsibility lies with them to provide proof. This obligation cannot be imposed on other interested parties.
- xiii) Rianlon also sells a proprietary blend, for the rubber market, comprising 60% subject AO and 40% of two other AOs not produced by the Applicant. Subject AO or its blends cannot meet the performance standards for rubber applications. The Applicant cannot replicate this blend, as they lack the composition details and do not produce other two components.
- xiv) Regarding the General Rules for Interpretation of the Customs Tariff cited by the applicant, product classification is only indicative. The mere fact that a product falls under a particular heading does not automatically make it a "like article." In several investigations, even when both PUC and NPUC were classified under the same heading, the Authority has excluded NPUC from the product scope.
- xv) The applicant stated that it analysed import data including HS codes not mentioned in Initiation Notice. Over broad classification of the PUC would include products not manufactured by applicant and lead to over protection.
- xvi) Where blends constitute merely 4% of total imports and 8% of the applicant's own domestic sales i.e., a small fraction, there is no case of dumping.
- xvii) The applicant claims that excluding blends would undermine duties, as consumers can easily switch from neat AO to blends. However, blending is not a simple process. It requires research.
- xviii) The applicant has failed to substantiate that they produce a like product to B2777 and failed to substantiate the claim of interchangeability of its own product with the imported product. It has been admitted that applicant cannot produce this blend. B2777 therefore should be excluded from product scope.
- xix) Non-availability of CAS for a blend shows that blending is a unique process. An infinite composition of blends is possible which makes it impossible to have a unique CAS number.

- xx) Once a blend is made, it becomes a single functional product, that cannot revert to its individual antioxidant constituents. Therefore, the Applicant's claim, that exclusion of blends would lead to customers shifting from neat AOs to blends causing an estimated loss of 2400MT of AO168 sales to it, is incorrect.
- xxi) The proposal of imposing duty only to the extent of subject AO in a blend poses practical challenge for the Authority to identify the quantum of subject AO in each blend.
- xxii) As regards the investigations referred to i.e., 2,4-D and certain epoxy resins, these cases do not specifically mention that duties are levied solely on subject component within blends based on specified thresholds.
- xxiii) CPMA confirms that its members use only neat antioxidants, and blends are neither purchased nor commercially relevant in the domestic market. Inclusion of blends in produce scope, therefore, is unjustified since user submissions and applicant's own data reflect usage and preference for neat antioxidants.

C.2. Views of the domestic industry

4. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of the product under consideration and like article:

- i) The product under consideration is “Antioxidants” conforming to the following CAS nos., or their equivalent:
 - a) 6683-19-8 also known as Antioxidant 1010 and its equivalents. *The chemical name is Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate)*
 - b) 2082-79-3 also known as Antioxidant 1076 and its equivalents. *The chemical name is Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate*
 - c) 31570-04-4 also known as Antioxidant 168 and its equivalents. *The chemical name is Tris(2,4-di-tert butylphenyl) phosphite*
 - d) 23128-74-7 also known as Antioxidant 1098 and its equivalents. *The chemical name is N,N'-hexane-1,6-diylbis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionamide))*
 - e) 125643-61-0 also known as Antioxidant L135 or 1135 its equivalents. *The chemical name is Benzenepropanoic acid, 3,5-bis (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, C7-9-branched alkyl esters*
 - f) Blends of antioxidants referred to in (a) to (e)
 - g) Antioxidants having any of the product at (a) to (e) as principal component/ part.
- ii) Antioxidants in polymers are essential to prevent oxidation i.e., a process where oxygen comes in contact with a certain material causes degradation. Plastic products are manufactured at high temperatures which compromises the raw polymers, as they are exposed to a process called thermal oxidation. For the polymer to remain stable, antioxidants are introduced during the manufacturing process.
- iii) The product under consideration is being imported under large number of HS codes, primarily under Chapter 29 and 38 of the Customs Tariff Act. Importers may also be importing under alternative HS codes, leading to possible underreporting of actual volumes. The Authority should include such other codes within the purview of investigation apart from the ones already considered.

- iv) The subject goods are transacted under several brand names and descriptions. There is no global well defined/codified name for the product. Some companies have their own brand names for the subject goods, and it may not be possible to identify all such names. The term “and its equivalents” has been used to denote the alternate names of the subject goods.
- v) The term “other products” in clause (g) of the PUC definition refers to functional additives, other than antioxidants in blends, which provide other functions in the end application from the feature of antioxidants.
- vi) CAS no. or chemical abstract services number, which is a unique numeric identifier designated to only one substance and is hence unique to each chemical has been relied upon to identify the PUC.
- vii) Only blends B215 and B225 are being sold in the domestic market by the applicant. However, there are other blends like B1171 and B912 that have been produced and supplied in the export market. The applicant has the capacity to produce blends. Blending is not a complicated or technical process. It simply requires physical mixing of the antioxidants. Once the combination/proportion in which individual products need to be mixed is known, which alone requires R&D, blending involves mere mixing of the product. The machines used for mixing are fungible i.e., they can be used to prepare all types of blends needing any antioxidants in any desired ratio.
- viii) As regards the argument that blending requires not just mixing but also stabilizing production and desired properties by titration experiments, the same is unfounded. Customers are aware of the blends and the ratio that is to be used. The blending procedure *per se* does not need R&D.
- ix) Blends form a small share of both imports and domestic sales. However, antioxidants are rarely used in neat form or individually. Industry practice is to blend them for downstream application; therefore, consumers typically purchase neat antioxidants but use them in combination. Since users eventually use a combination or blend of antioxidants, excluding blends from product scope would allow users to easily switch from importing neat antioxidants to blends.
- x) If an ADD applies only to neat AOs and blends are exempt, blends could be imported duty-free, despite being technically and commercially substitutable with the neat forms, thus bypassing duties on product types covered under clause (a) to (f).
- xi) The widespread ability to blend shows that blending involves a simple process of just mixing known proportions of antioxidants. Exclusion of blends would defeat the purpose of duties.
- xii) While developing a blend requires research but blending itself is a simple physical mixing. It does not involve a chemical process. There is no transformation of constituents, instead they still retain their original properties in the blend. In fact, a blend has no CAS number but is specified in terms of the CAS number of its constituent products.
- xiii) Although 95% of subject goods, either imported or domestically manufactured, are sold in their neat form but entirety of consumption is in blended forms. Consumers can either directly buy blends; buy neat products, blend them in the desired proportion and charge resultant blend; or simply buy and charge the neat products in desired proportions.
- xiv) If clause (g) is excluded, following imposition, importers may also start importing blends with 95% subject antioxidant and 5% other material to evade duties. While the

functionally will remain the same, but if clause (g) is excluded, such product would be outside the duty scope.

- xv) Some customers buy subject AOs from the Applicant and non-subject AOs from other sources, blend them and consume. For instance, subject AO 168, is blended with non-subject AOs like AO 1330, AO 3114 and AO 1024 in a 1:2 ratio for use in the plastics industry. If clause (g) is excluded, these customers could shift to importing blends directly, leading to an estimated annual loss of 2,400 MT in AO 168 sales for the applicant. The applicant's product has been approved by consumers. Quality complaints are common in business, especially for a new industry. Complaints have decreased over time, and the applicant has addressed them, leading to repeat orders.
- xvi) Exclusion of AO 168 is unwarranted. All phenolic antioxidants use Metilox, made from 2,6 DTBP, as a raw material. AO168, a phosphite antioxidant, uses 2,4 DTBP. This difference does not classify them as distinct products. Antioxidants, regardless of composition, are primarily employed as additives in plastic formulations, serve a common purpose and are thus treated as a single product.
- xvii) The initiation notice serves as the basis for investigation and is not intended to be an exhaustive document. The Authority is fully empowered under the Rules to clarify the product scope in the course of the investigation based on stakeholder submissions. In the PUC notification, the Authority noted the arguments taken by all parties and still included AO 168 within PUC scope, giving it a separate PCN, indicating that metilox is not the sole criteria to treat it as one product.
- xviii) There is no legal requirement of (a) internal homogeneity within the product under consideration, (b) inter-se substitutability of various types of the product under consideration, (c) similarities in costs and prices of different types.
- xix) The statement where it has been stated that all antioxidants use metilox as the raw material may be changed to “while AO 1010, AO 1076, AO 1098 & L135 use 2,6 DTBP and AO168 uses 2,4 DTBP as raw material, the major differences lie in the additional raw materials specific to each antioxidant type and the distinct process conditions tailored for each antioxidant”.
- xx) Antioxidants alleged to not have been sold have in fact been produced and sold by the applicant in commercial quantities.
- xxi) 50% criterion in clause (g) has been proposed with the understanding that a product constituting 50% or more in a blend would impart its essential features to the resultant blend. Most blends are typically mixed in ratios like 1:1 or 1:2. The suggestion to increase the threshold to 80% lacks scientific basis.
- xxii) The forms of the PUC covered within the PUC definition may be treated as different PCNs. In case of blends covered under clause (f), each blend should be separately specified with the share of different antioxidants. While in case of blends covered under clause (g), each blend should be separately specified with the share of subject antioxidant therein. Interested parties may identify the value of other component forming part of blends and provided appropriate evidence to support their claim.
- xxiii) To prescribe PCN for powder and tablet form is unnecessary. These are merely different forms of the subject goods. Powder form is produced first and processed into tablets, with only 2% value addition. The cost difference is negligible. Additionally, the form

- of antioxidant cannot be identified in import data. Market information suggests that most imports are in powder form. The applicant can produce both forms as per demand.
- xxiv) The subject goods are normally produced and sold in terms of net weight expressed in terms of Metric Tonne (MT)/ Kilograms (Kg). The prescribed unit of measurement for all codes under Chapter 29 and 38 i.e., the codes under which subject goods are being imported is also weight “kg”.
- xxv) Subject goods produced by the domestic industry and that imported from China PR and Singapore are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The product produced by the domestic industry is “like article” to the product under consideration imported from the subject countries.
- xxvi) The duty may be recommended only to the extent of subject AO in the blend. Thus, any concern regarding duties being imposed on non-subject AO would adequately be addressed.
- xxvii) Para 3(b) of the General Rules for the Interpretation of the Harmonized System establishes that where a product is composed of more than one component, the component that imparts essential character is decisive of its classification. It highlights the essential character of the product, which is important for assessing physical characteristics, end use, and consumer perception, key factors for product scope and like article analysis. Where classification aligns with the essential character and predominant composition of the product, it serves as a supporting factor in establishing the degree of similarity between the imported product and the domestically produced article. Hence, the General Rules support the argument that the characteristic of AO shall be determined by the major constituent of the AO.
- xxviii) As regards blending ingredients including functional additives other than AO, including other functional additives in a blend doesn't disqualify it as an antioxidant. If the antioxidant in the blend had no function, it wouldn't be added in the blend.
- xxix) As regards exclusion of B2777 i.e., a blend under clause (g) of the PUC definition, this blend is not exclusively made by Rianlon. Other producers also manufacture it. Domestic industry can make B2777 by sourcing the non-subject component i.e., AO 1790 from other suppliers. Since the market for this is small, domestic industry has not produced such blend. End users can also buy AO 168 and AO 1790 individually and use to achieve similar stabilization properties. The domestic industry is, in any case, only seeking ADD on the subject AO component of the blend, not the entire blend. For instance, if AO 168 makes up 67% of B2777, duty applies only to 67% of total quantity.
- xxx) As for the exclusion of B2777 due to it having a significantly different application from other blends, i.e., B215 and B225, B2777 is a blend with two-thirds part of a subject AO and hence its imports are causing injury to the domestic industry.
- xxxi) As regards the proprietary blend with 60% subject AO and 40% of two other AOs, that is alleged to not be produced by the Applicant, even the name of such blend has not been disclosed by the respondent preventing the domestic industry from providing informed comments on the blend's nature or classification. Regardless, duties may be

imposed only on the portion of the blend that includes the subject AO, ensuring no undue harm to users of genuine blends not supplied by the domestic industry.

- xxxii) As regards the claim that the applicant lacks the know-how to produce the blend, the same is unfounded. Blends are sold with ingredient names disclosed, making the information accessible. Moreover, none of these blends are covered by patents. If they were truly unique or proprietary, they would be patentable.
- xxxiii) The applicant is also in discussion with a customer regarding a blend of subject antioxidant with non-subject antioxidant.
- xxxiv) The applicant has only sought ADD to the extent of subject AO. The Authority can clarify that no duty would be charged on non-subject AO.
- xxxv) In the U.S. investigations on 2,4-D from India and China, it was noted that converting 2,4-D acid into its salts or esters, or formulating non subject products with 2,4-D, does not exclude 2,4-D, its salts, or its esters from product scope. In this case, the DOC imposed duties on only 2,4-D, its salt and ester components within formulations. Similarly, in the Epoxy Resins case, the Designated Authority held modifiers or additives were included in product scope if epoxy resin made up at least 30% of the total weight.

C.3 Examination by the Authority

5. The product under consideration in the application and the initiation notification was defined as Antioxidants conforming to the following CAS numbers or their equivalent:
 - a. 6683-19-8 also known as Antioxidant 1010 and its equivalents. *The chemical name is Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate)*
 - b. 2082-79-3 also known as Antioxidant 1076 and its equivalents. *The chemical name is Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate*
 - c. 31570-04-4 also known as Antioxidant 168 and its equivalents. *The chemical name is Tris(2,4-di-tert butylphenyl) phosphite*
 - d. 23128-74-7 also known as Antioxidant 1098 and its equivalents. *The chemical name is N,N'-hexane-1,6-diylbis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl-propionamide))*
 - e. 125643-61-0 also known as Antioxidant L135 or 1135 its equivalents. *The chemical name is Benzenepropanoic acid, 3,5-bis (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy, C7-9-branched alkyl esters*
 - f. Blends of antioxidants referred to in (a) to (e)
 - g. Antioxidants having any of the product at (a) to (e) as principal component/ part.
6. The applicant proposed that the various types of antioxidants falling within the scope of the PUC should be represented by distinct PCNs.
7. The interested parties, through para 9 of the notice of initiation, were advised to furnish their comments/ suggestions on the proposed PCN methodology within 30 days from the date of initiation of the investigation. Thereafter the timeline for filing of the comments or suggestions to the PUC/ PCN methodology was extended to 4th November 2024.

8. Comments were received from the interested parties within the stipulated time limits. Subsequent to the receipt of the comments, to discuss and understand the comments made on the scope of the PUC and PCN methodology, a virtual meeting was held at 04:00 PM (IST) on 22nd November 2024. After having conducted the discussion, the interested parties were allowed to elaborate on and further substantiate their comments, in writing, by 27th November 2024. The submissions made by the interested parties were examined by the Authority and *vide* notice dated 11th December 2024.
9. The scope of the PUC was clarified as follows *vide* notice dated 11th December 2024:
- “6. The scope of the product under consideration is further clarified as follows:*
- a. 6683-19-8 also known as Antioxidant 1010 and its equivalents. The chemical name is Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate)
 - b. 2082-79-3 also known as Antioxidant 1076 and its equivalents. The chemical name is Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate.
 - c. 31570-04-4 also known as Antioxidant 168 and its equivalents. The chemical name is Tris(2,4-di-tert butylphenyl) phosphite.
 - d. 23128-74-7 also known as Antioxidant 1098 and its equivalents. The chemical name is N,N'-hexane-1,6-diylbis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionamide))
 - e. 125643-61-0 also known as Antioxidant L135 or 1135 its equivalents. The chemical name is Benzenepropanoic acid, 3,5-bis (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy, C7-9-branched alkyl esters
 - f. Blends of subject antioxidants referred to at (a) to (e)
 - g. Blends of subject antioxidants referred to at (a) to (e) with any other product if the resultant blend has 50% or more of the subject antioxidants”
10. It was also clarified that:
- a. The term “equivalents” refers to the alternate names or company-specific brand names of the subject antioxidants under clause (a) to (e).
 - b. “any other product” under clause (g) refers to non-subject antioxidants and/ or any additives by weight in MT.
 - c. In the case of blends, the interested parties may specify (a) the subject antioxidant forming part of it and (b) the share of different AO in the blend.”
11. Considering that every kind of AO has a different cost and hence a different price, the product forms covered within the scope of PUC were treated as different PCNs. Further, each blend was treated as a different PCN. Accordingly, the following PCN methodology was adopted.

SN	Attribute	Description	Code
a)	Product type	Antioxidant	A
		Blends	B
b)	Type of Antioxidant	6683-19-8 also known as AO 1010 and its equivalents	1010
		2082-79-3 also known as AO 1076 and its equivalents	1076
		31570-04-4 also known as AO 168 and its equivalents	0168
		23128-74-7 also known as AO 1098 and its equivalents	1098
		125643-61-0 also known as AO L135 or 1135 its equivalents	1135
c)	Type of blend	Blends of subject AOs	BA
		Blends of subject AO with non-subject AO / products	BO

12. The Authority clarifies that for clause (g), **only the subject antioxidant of such blend is covered by the scope of this investigation and** the antidumping duty, if recommended, will be applicable only to the portion of the blend comprising the subject antioxidant. In any case, the non-subject components shall be beyond the scope of the measures, if recommended.
13. Other parties argued that the initiation notification stated that all subject antioxidants use metilox as base raw material and AO168 should be outside the PUC scope as it does not use metilox as a raw material. It has further been argued that AO168 is not produced by the applicant and it differs from other antioxidants, has different HS codes, and is not technically or commercially substitutable. It is noted that the applicant clarified that all antioxidants use butyl phenols – 2,4 DTBP or 2,6 DTBP – as the primary raw material. Nonetheless, raw material was not the only parameter based on which the Authority considered the different product types as one PUC. The Authority also considered the fact that the production equipment, the production process and the resultant characteristics of each type are largely the same. All subject antioxidants are closely interlinked in trade and usage. The essential function of the subject antioxidants including AO168 is to act as stabilizers, preventing the degradation of polymers during processing and throughout the product life cycle. While the specific composition and properties of these antioxidants may differ, the fundamental role across these antioxidants remains the same, i.e., to prevent oxidation/ degradation of plastics. It is also seen that applicant has sold AO168 in commercial volumes.
14. The interested parties have contended that the applicant is not producing AO1098 in commercial quantities. The applicant provided evidence of sale of AO 1098 in commercial volumes. It is also seen that the imports and demand of this grade itself is quite limited.

15. The interested parties have contended that blends of subject antioxidants covered under clause (f) not produced by the applicant should be excluded and the scope should be restricted to B215 and B225. It is noted that since the applicant is already producing the subject antioxidants from clause (a) to (e), making blends other than B215 and B225 only requires blending of subject antioxidants in different ratios, without undertaking any chemical process. Further, there are other blends of the subject antioxidants, like B1171 and B912, which the applicant has produced and sold in the export market. Hence, blends of the subject antioxidants are rightly included within the product scope, as they are functionally and materially derived from the subject antioxidants at clause (a) to (e).
16. While the applicant claimed that blending is a minor process of merely mixing different products in a simple blender, does not involve any chemical reaction and stated that it can blend subject antioxidants if orders of such blends are received, the other interested parties claimed that blending is more than just mixing and requires research. The Authority notes, from the information on record, that blending does not involve any chemical reaction of the subject goods but rather is a process of proportionate mixing based on needs of the users. While interested parties have claimed that blending requires research, the applicant has clarified that research and development efforts are not involved in the physical act of mixing the antioxidants. Instead, R&D is required in determining the optimal combination and ratio of individual antioxidants in a blend to meet a specific requirement. It has been submitted that customers are generally informed of the blending ratios and compositions that meet their particular requirements. The Authority also notes, from the communication between the applicant and its customer, that tailor-made blends i.e., as per the ratios demanded by the consumers have also been prepared by the applicant. It is seen from such communications that the customers have requested changes in blend ratios and the creation of new blends, following which the applicant shared technical data sheets (TDS) and received corresponding orders. It is also seen that customers have also inquired whether the applicant could supply a blend of subject and non-subject antioxidants to meet user's specific needs. In response, the applicant synthesized a sample and shared the TDS with the customer. This further substantiates that consumers are aware of ratios and blends are made as per the customers' requirements. Blends and the ratios become known to all parties.
17. It is also noted that majority of sales made to the consumers are in neat form during the present period and the customers can simply switch to blends in case of imposition of ADD on neat form and exemption of blends. The blending can be easily carried out by the consumers, as they are well aware of the ratio in which the blends are mixed by the suppliers. During the oral hearing held on 26th May 2025, the Authority enquired whether members of the user association purchase neat antioxidants and use them either in combination or after blending, but no response to the question posed was provided in their written submissions.
18. Some of the interested parties have contended that blends of subject antioxidants with other products are not manufactured by the applicant and should not be included. It was contended that in case such blends are included they should be part of the PUC only if one of the subject antioxidants is 80% or more. The applicant contended, and the same is unrebutted by the other

interested parties, that while the subject goods are majorly sold in their neat form, almost entirety of the consumption is in blend form, implying that all users invariably use a combination of antioxidants. Thus, it is seen that limiting duties to subject neat antioxidants alone will lead to duty avoidance by shifting purchases to blends instead of importing the product in its neat form. Thus, blends covered under clause (g) are included in the scope of the product under consideration. Further, the criterion of 50% of subject antioxidant in clause (g) is considered appropriate as a product that is 50% or more (by weight) in a blend would form the "majority" or "dominant" part and will impart the major characteristic to the blend.

19. The Authority has considered the reference made by the applicant to the General Rules for the Interpretation of the Harmonized System, which states that in the case of mixtures or composite goods, the classification shall be based on the material or component that gives the product its essential character. While the interested parties have stated that classification alone does not establish whether a product is similar to or interchangeable with the subject goods, the applicant has relied on this principle to argue that blends should be included if the main component is a subject antioxidant which imparts the essential character to the blend. The Authority notes that such reference is not drawn to suggest that tariff classification would determine the product scope. It has only been relied upon to highlight the importance of identifying the essential character of a product.
20. It has been argued by other interested parties that they produce and export blends for which like article is not offered by the applicant, as it does not manufacture all components of the blend. For instance, the respondent exports AO B2777, which is a blend of AO168 and AO1790 in a ratio 2:1. However, since the applicant does not produce AO1790, it is unable to produce the blend AO B2777. The Authority notes in this regard that customers can buy two different subject antioxidants and can blend the same in the prescribed ratio. As already held above, the antidumping duty shall only be applicable on the portion of the blend or such component forming part of the blend for which like article is offered by the applicant. For any component of the subject blend for which the applicant does not offer a like article, no duty shall be applicable. It is further clarified that the duty will be applicable on such a blend only where the subject antioxidants referred to at (a) to (e) of the PUC definition form 50% or more of the resultant blend. It is noted that AO 168 i.e., a subject antioxidant forms 67% part in the composition of B2777. Further, since the duty is not applicable on the entire blend, of which the subject antioxidants form a majority part, the applicant is not required to demonstrate that it offers a like article for such blend. In any case, it has been submitted by the applicant that while it has not produced B2777 due to low market demand, it can buy AO1790 from other producers, and make blend B2777. The Authority notes that submission made by the applicant that many users are currently buying subject AOs and non-subject AOs separately, blending them and then consuming. This submission has also not been contested by other interested parties. Hence, in a situation where blends under clause (g), including B2777, is excluded it may lead to the importers to switch to importing a blend of the required AOs instead of buying neat AOs separately and using them in a combination. This would lead to demand for the subject AOs shifting to such blends, thus leading to continued injury to the domestic industry, and frustrating the objective for which the domestic industry has sought the present measures.

21. As regards the contention that certain proprietary blends used in rubber applications, that contain 60% of a subject antioxidant and 40% non-subject antioxidants not produced by the applicant, it is noted that, similar to the case of blend B2777, the composition of such blends is disclosed at the time of sale and is known to the market. The applicant can procure the non-subject components from other manufacturers and replicate the blend if required. The customers can also procure the subject antioxidants separately and then blend as the antidumping duty will be applicable only to the portion of the blend comprising the subject antioxidant, and not to the non-subject components.
22. Concerns have also been raised regarding words like “equivalents” and “other products” making the product definition wide and difficult for the Customs Authorities to identify the product. It is noted that the word “equivalents” has been used in the scope of PUC as the producers sometimes export products based on their brand names. Thus, to prevent potential avoidance of measures, inclusion of “equivalent” in the names is necessary. As regards “other products” and identification by Customs Authorities is concerned, it is noted that the blends are imported while disclosing the ingredients. Thus, such information would be available to the Customs Authorities and also to the industry and its users.
23. It has been argued that since blends form a fraction, there is no case of dumping. However, it is seen that the subject goods include not only blends but also neat antioxidants. Further, imposition of duties only on neat antioxidants by excluding blends from the product scope may lead to a situation where users switch to importing blends, instead of buying neat antioxidants, which form a majority part of the current imports. Such a situation would render the duties ineffective.
24. As regards widening the scope at the apprehension of circumvention is concerned, the Authority notes that limiting the imposition of duties solely to neat (unblended) antioxidants is likely to allow importers to avoid the duties by shifting imports from neat antioxidants to blends of the same and as noted above, most of the consumption is in blend form. Such an outcome i.e., limiting imposition of duties to neat antioxidants only would undermine the remedial efficacy of the duties imposed. Therefore, to ensure the effectiveness of the measures and to prevent its avoidance, the scope of the product under consideration has been defined to include both neat antioxidants and blends thereof. This approach ensures that importers and exporters do not avoid the duties simply by altering the form of the subject goods while retaining their essential character and functionality.
25. The other interested parties have argued that once a blend is made, it becomes a single functional product, that cannot revert to its individual antioxidant constituents. The Authority notes that the applicant has not claimed that neat antioxidants can be reverted from a blend. However, majority consumption is in the form of blends and therefore, there is no necessity of recovering neat products from blends. The core concern is that if blends are excluded from the scope, importers could simply switch their requirements from neat antioxidants to blends, in

the proportions in which they are otherwise used by them. This would render the anti-dumping duty ineffective.

26. As regards quality concerns raised by the some interested parties, the Authority notes that possible quality differences do not establish that the product offered by the domestic industry is not like article to the subject goods being imported. Nor it establishes absence of interchangeability of the products. The document provided by the interested party are communications between a user and the domestic industry wherein the user has pointed out flowability and packing related issues. It is seen that the said communications do not establish that the product of the domestic industry cannot be used interchangeably with the imported product. The applicant has stated that it is a new producer and such complaints received were duly addressed. The same was also verified by the Authority on sample basis during the physical verification at the applicant's plant and records maintained. It is seen that the applicant registers each complaint, noting the cause of the issue raised by the customer, and took corrective actions. It is also seen from the information submitted by the domestic industry that such complaints in relation to the domestic industry's total sales have decreased over time and the volume of purchases made by said customer has increased over time. Further, these do not mean that the domestic industry cannot manufacture the like article. It is seen that the domestic industry has sold substantial volumes of the subject goods in the domestic market as well as the export market. The domestic industry has supplied a cumulative volume of *** MT of the subject goods over the injury period. It, therefore, is not established that the domestic industry is unable to offer like article. It is further noted that the CESTAT in DSM Idemitsu Ltd vs. Designated Authority held that "*...Difference in quality will not make an article as different and Designated Authority was right in observing 'that the fact that qualities may be different, does not imply that the imported product and the domestic are not like articles'....*". The Authority therefore considers that the goods supplied by the domestic industry are like article to the imported product.
27. As regards prescribing PCN based on the form of the subject goods i.e., powder form or tablet form, it is noted that the applicant primarily manufactures and sells antioxidants in powder form, however, subject goods are also sold in granular form, as per demand. The powder form of subject goods is produced and later processed into tablets/ granules. It is seen that there is a minimal value addition of merely ***% involved in processing the powder into tablets or granules. Applicant has stated that while majority demand in the country is for antioxidants in powder form, application-wise both forms are the same. Tablets/ granules are used only to avoid dust that is possible while using the AOs in powder form. The Authority notes that the form in which antioxidants are imported i.e., powder or tablet/ granule cannot be identified from the import data.
28. In view of the above, the scope of the product under consideration is certain types of Antioxidants conforming to the following CAS numbers or their equivalent:

- a. 6683-19-8 also known as Antioxidant 1010 and its equivalents. The chemical name is Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate)

- b. 2082-79-3 also known as Antioxidant 1076 and its equivalents. The chemical name is Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate.
 - c. 31570-04-4 also known as Antioxidant 168 and its equivalents. The chemical name is Tris(2,4-di-tert butylphenyl) phosphite.
 - d. 23128-74-7 also known as Antioxidant 1098 and its equivalents. The chemical name is N,N'-hexane-1,6-diylbis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl-propionamide))
 - e. 125643-61-0 also known as Antioxidant L135 or 1135 its equivalents. The chemical name is Benzenepropanoic acid, 3,5-bis (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy, C7-9-branched alkyl esters
 - f. Blends of subject antioxidants referred to at (a) to (e)
 - g. Blends of subject antioxidants referred to at (a) to (e) with any other product if the resultant blend has 50% or more of the subject antioxidants. **Only the subject antioxidant of such blend is covered by the scope of this investigation.**
29. The Authority notes that the subject goods are being imported under customs subheadings 29054290, 29071990, 29072990, 29181990, 29182910, 29182990, 29183090, 29189990, 29202100, 29202910, 29202930, 29202990, 29209000, 29242990, 29309099, 29336990, 38112900, 38119000, 38123910 and 38123990 of the Customs Tariff Act, 1975. Since the product under consideration is being imported under these HS codes, the same are considered by the Authority. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration and present recommendations.
30. The Authority notes that the article produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject countries are comparable in terms of physical and technical characteristics, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry is “like article” to the product under consideration imported from the subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Views of the other interested parties

31. The other interested parties have made the following submissions with regard to the domestic industry and its standing:
- i) Prior to initiation, the Authority is bound to validate standing. It should seek the interest of the other domestic producers in opposing/supporting the application. Both Krishna Antioxidants Pvt Ltd and HPL Additives Ltd existed prior to the applicant, meaning the applicant is bound to face resistance in acquiring market share.
 - ii) The applicant's standing is questionable due to its claim that HPL primarily serves export demand and, therefore, only considered HPL's domestic production when determining "total Indian production." Export production can only be excluded if the producer is an

- importer or related to one. There is no legal justification for the applicant to exclude HPL's production intended for export.
- iii) The applicant has acknowledged that HPL has primarily procured raw materials under the "deemed exports" category, along with some under the normal category. This indicates that HPL has sales in the domestic market.
 - iv) VAPL, which merged with VOL, has not participated in the investigation. Since the merger took effect in April 2021, but VAPL's trial production began in April 2020, the applicant cannot provide information for 2020–2021. The application should be rejected due to VAPL's non-participation.
 - v) The "major proportion" should be understood as "a relatively high proportion that substantially reflects the total domestic production" and has "both quantitative and qualitative connotations." The applicant fails to satisfy the qualitative aspect.

D.2 Views of the domestic industry

32. The applicant has made the following submissions with regard to the domestic industry and its standing:

- i) The application has been filed by M/s. Vinati Organics Limited ("VOL").
- ii) Veeral Additives Pvt Ltd. (VAPL), an affiliate of VOL through common promoters, started trial production of subject goods in April 2020. However, the plant underwent a shutdown in September 2021 due to covid related and technical challenges in the plant. During this period, VOL further invested in the business, adding new equipment and revamping the plant. The company recommenced trial production in April 2022, and after securing necessary customer approvals, and commercial production in October 2022. In the meantime, i.e. in February 2021, VAPL and VOL proposed an amalgamation scheme which was approved by the NCLT in December 2023 with a retrospective effect i.e., from 1st April 2021. All activities earlier undertaken by VAPL stand to have been undertaken by VOL.
- iii) As on date, VAPL no longer exists as a separate legal entity or operates independently. Following its amalgamation, all its documents, records, and relevant materials are now held and maintained by VOL. Additionally, the applicant has revised its financials for 2021-2022 and 2022-2023 to reflect the merger. As regards VAPL not participating, an entity which doesn't exist cannot participate in the investigation.
- iv) Article 3.1 does not prescribe a particular methodology that an investigating Authority must follow in assessing whether a domestic industry is established. The Applicant is a new industry. It built an entirely new unit for the production of the subject goods and commercialised production in October 2022.
- v) The applicant imported ***MT of the subject goods in June 2020 from China PR for testing purposes. The quantity of such imports constitutes merely ***% of the total volume of the subject imports during 2020 – 2021. The applicant is not related to any exporter or producer of the PUC in the subject countries or importer of the PUC in India.
- vi) Apart from VOL, the largest domestic producer, Krishna Antioxidants Pvt Ltd and HPL Additives Ltd. are also known to be the manufacturers of the subject goods in India.

- vii) Krishna Antioxidants Pvt. Ltd. and HPL Additives Ltd., have been approached by the applicant to intimate their interests at every stage of the investigation. Communication, providing information on their capacity, production, and sales has been received from Krishna Antioxidants Pvt Ltd. However, no communication has been received from HPL Additives Ltd by the applicant.
- viii) It is understood that Krishna Antioxidants expressed direct support to the Authority for imposition of duties on subject imports before oral hearing.
- ix) In the absence of contrary evidence or data from HPL, and consistent, with the obligation to rely on the best information available, the Authority has reasonably accepted this claim for the purposes of determining domestic industry support. In doing so, the Authority has complied with Article 5.4. The Authority has exercised due diligence, taken into account the structure of the industry, and relied on the best information reasonably available, thereby ensuring that the decision to initiate the investigation is in accordance with law.
- x) It is also understood that HPL Additives Ltd. primarily caters to the export market and not significantly engaged in serving the domestic market. The company has purchased raw material DTBP from VOL largely under deemed export sales, implying intention to export final product, while some material has also been purchased under normal category.
- xi) Actual information received from Krishna Antioxidants Pvt. Ltd. has been considered while determining total Indian production. Production of HPL Additives Ltd. has been calculated considering the sales of DTBP made by VOL to HPL Additives Ltd and information on imports of DTBP by HPL Additives Ltd. The production meant for domestic consumption has been considered while determining total Indian production.
- xii) Production by HPL may be excluded while domestic production is calculated. The Authority's earlier determinations, wherein production by EOU and in SEZs has been disregarded for determining domestic industry ought to be followed.
- xiii) Even if the gross production by the two other Indian producers is considered for determining the total Indian production, the share of applicant will still be more than 50% of the total Indian production. The Applicant accounts for ***% of gross production and ***% of net production.
- xiv) The applicant constitutes a 'major proportion' of the total Indian production. It constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.
- xv) As regards HPL being an old producer and applicant not being a new industry, the Authority first identifies domestic industry i.e., the applicant in the present case, and then the nature of injury to the domestic industry. If the domestic industry has a history of longer period, material injury can be examined. If the history itself is for a lower period, injury is examined for the period for which data is available. If it is lower than injury period, the Authority also compares actual and projected performance. HPL focuses on export, Krishna Antioxidants is also a new producer along with the Applicant trying to cater to the domestic demand. It is recognized by WTO members that even if established producers exist, their minimal role in meeting domestic demand allows for a new producer to still qualify under for material retardation. The presence of HPL does not imply that the domestic industry is already established.

D.3 Examination by the Authority

33. Rule 2(b) of the AD Rules defines the domestic industry as under:

"(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry ' may be construed as referring to the rest of the producers"

34. The present application has been filed by M/s. Vinati Organics Limited ("VOL"). It is seen that the production of the subject goods was initially commenced by another company i.e., Veeral Additives Pvt. Ltd. (VAPL). VAPL had set up a new plant and commenced production in April 2020. The company, due to technical and Covid-19 pandemic related difficulties, underwent a shutdown in September 2021. In February 2021, VAPL and VOL proposed a scheme of amalgamation, which received approval from the NCLT in December. The merger was implemented retrospectively from April 2021. It is noted that all activities previously carried out by VAPL are now considered to have been undertaken by VOL. The applicant possesses the records of VAPL from the pre-merger period.

35. The applicant has submitted that it has been in operation and has produced and sold the subject goods since 2020, i.e., the base year of the injury period. However, at the same time, since the applicant recently commercialised its production, it is a new producer.

36. The applicant has declared that it had imported ***MT of the subject goods from China PR in the period prior to the POI i.e., in June 2020 for testing purposes. It is seen that the imports were not made during the POI. Even though these imports are not in the POI, the Authority has examined the imports of the subject goods made by the applicant during the financial year concerned. It is seen that such imports constitute less than ***% of the total imports of the subject goods from China PR into India during 2020 – 2021. It is further noted that the applicant has neither imported the subject goods from the subject countries in the POI nor is it related to any importer or exporter thereof.

37. The Authority notes that apart from the applicant, there are two other producers of the subject goods in India viz., Krishna Antioxidants Pvt. Ltd. and HPL Additives Ltd. It is seen that the applicant wrote to the other two domestic producers before initiation of investigation and also multiple times during the course of the investigation. While it received a response from Krishna, no response was received from HPL. The Authority published the initiation notification in the official Gazette and on the DGTR website. While the Authority received a letter in support of the investigation and imposition of duties from the Krishna, no communication was received from HPL. Further, while the other interested parties have contended that the applicant fails to meet the standing requirements under the rules, the Authority notes that none of the interested

parties have provided any verifiable evidence to support their contentions. Hence, in absence of any verifiable evidence, the Authority has relied on the information available on record.

38. As regards the argument that the applicant is bound to face resistance by other producers since both the other domestic producers have existed prior to applicant, as already noted above, one of the producers i.e., Krishna Antioxidants has written to the Authority and supported the investigation and imposition of duties, while the other producer i.e., HPL Additives, has remained silent.
39. The applicant has put on record information received from Krishna Antioxidants Pvt Ltd in respect of its capacity, production, and sales, which was also provided by Krishna Antioxidants Pvt Ltd to the Authority along with its support letter. While no information has been received from HPL Additives Ltd, it has been submitted by the applicant that the company primarily caters to the export market. The applicant has submitted that production of the subject goods requires 2-4 DTBP and 2-6 DTBP as the principal raw materials. The only source of these raw materials is either the applicant or imports. The applicant has further submitted that it supplied the raw materials to HPL Additives Ltd. and therefore is well aware of business activities of other domestic producers. The applicant has quantified its share in the total Indian production considering the information on production received from Krishna Antioxidants Pvt Ltd and quantifying the production by HPL Additives Ltd on the basis of the raw materials procured by HPL Additives Ltd from the applicant i.e., the sole domestic producer of such raw material, and imports, including raw material purchased under “deemed exports”. In the absence of any contrary information, the Authority has relied on the information best available to it, i.e., the information made available by the Applicant.
40. As regards non-participation by VAPL in the present investigation, it is noted that VAPL has ceased to have any legal existence. Given that VAPL has ceased to have any independent legal existence, it is not feasible for it to participate in the present investigation. Since VOL is in possession of all relevant information concerning the subject matter, the applicant is in a position to furnish information covering the entirety of the injury period, including the time when VAPL was operational as a separate entity.
41. It is noted that CPMA, the user association, has accepted that India has three domestic producers of antioxidants, among whom the applicant holds over 92% of the production capacity, while the other two i.e., Krishna Antioxidants Pvt Ltd and HPL Additives Ltd are limited to producing just one type of Antioxidant (either AO 1010 or AO 168).
42. As regards the argument that applicant's standing is questionable as it considered only HPL's domestic production when determining the total Indian production, it is seen that the share of the applicant is ***% of the total Indian production i.e., considering the gross production by the Indian producers. Based on information on record, the Authority has determined the Indian production and share of the applicant in Indian production as follows:

SN	Particulars	UOM	POI
1	Gross production of Applicant	%	***
2	Gross production of other producers		
i	Krishna Antioxidants	%	***
ii	HPL Additives	%	***
3	Total (/gross) Indian production	%	100

43. It is also noted from the information on record that the applicant has neither imported the subject goods from the subject countries during the POI nor is it related to any importer or exporter thereof.
44. Considering the information available on record, it is seen that the applicant accounts for a major proportion of Indian production in terms of the AD Rules. The production by the applicant accounts for a major proportion in total Indian production. The applicant is, thus, an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules. Hence, the Authority holds that the applicant constitutes the domestic industry within the meaning of the Rules.

E. **CONFIDENTIALITY**

E.1 Views of the other interested parties

45. The other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality:
- i) The applicant has not provided a write-up on broad stage-wise manufacturing process though required by the trade notice.
 - ii) The applicant has excluded HPL's export-oriented production while reporting the volume and value of production by other producers. This information is essential to establish standing.
 - iii) The required data, as trend, on export sales quantity, value, cost, and per-unit realization has not been provided. This injures the interested parties' right to defense.
 - iv) The actual figure for NIP, in range, has also not been provided.
 - v) The Applicant has not disclosed country-wise price undercutting.
 - vi) Scheme of amalgamation and NCLT order have been kept confidential.
 - vii) As per emails from the Authority, it appears applicant filed submissions without non-confidential versions.
 - viii) Entire annexure of updated data has been kept confidential without providing summary.

E.2 Views of the domestic industry

46. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:

- i) The respondent has referenced confidential communications between users and VOL, making it difficult for the applicant to respond effectively. The confidentiality claim extends to the entire document and even the user's name.
- ii) Entire data pertaining to PCN has been claimed confidential. Excessive confidentiality has been claimed in reporting the names of the product types exported or the PCN code. The applicant cannot advance a submission when it is not even aware of the name of the product exported.
- iii) Details of corporate structure have been claimed confidential by the BASF Group, although the same is publicly available.
- iv) The names of shareholders have been claimed confidential, which is unwarranted.
- v) Exporters in oral hearing have claimed that value chain of their exports is complete and all entities comprising the value chain has filed responses, however, the channels of distribution have been claimed confidential without any justified reasons. In absence of disclosure of the channel of distribution, the domestic industry is not aware of whether all the links of the supply chain have filed a questionnaire response and fulfilled the value chain requirements.
- vi) While respondents of the Rianlon Group have filed details of purchases of the PUC in Appendix 2, the entire appendix has been claimed confidential. Even the names of related parties from whom PUC was purchased has been claimed confidential without any justification.
- vii) Exporters are required to provide documents pertaining to domestic sales and exports to India with their questionnaire response. However, respondents have claimed even the names/ list of these documents as confidential.
- viii) Exporters have claimed confidentiality over their entire submission on adjustments for normal value and export price, preventing the applicant from responding to the legal arguments. While absolute figures may be confidential, the types of adjustments cannot justifiably be treated as confidential.
- ix) Antidumping investigation is a time bound investigation and the DGTR has given specific time limits to the interested parties to provide relevant information. WTO jurisprudence provides guidance that time-barred responses ought not be accepted. Interested parties were given 7 days to submit their confidentiality claims, which were not made. Therefore, their claims are clearly time barred.
- x) The domestic industry has provided all relevant information and has deviated from the format of trade notice 10/2018 only sparingly. The same is permitted if good cause can be established for such deviation. All deviation is done in case the information is business sensitive, disclosure of which would injure the applicant or is already provided elsewhere.
- xi) As regards confidentiality with respect to the production process, a general description of production process is publicly available and available through open sources. Specific production process followed by the applicant, including proprietary in-house know-how, is confidential business information, disclosure of which would compromise the applicant's competitive position.
- xii) Confidentiality reasoning provided in application continues to be applicable for updated information as well.

- xiii) As regards quantity and value of export sales, the information on trend basis has been provided with written submission filed. Similarly, net fixed assets, working capital, employees and inventories have also been provided.
- xiv) At the instance of the Designated Authority, the Applicant furnished Format IV-A. A non-confidential version of the same was also circulated on a trend basis among the interested parties.
- xv) The Authority directed parties to identify value of other components forming part of blend and provide evidence thereof. Applicant is unaware if such information has been provided at all. The same is absent in the non-confidential version of submissions.

E.3 Examination by the Authority

47. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7). With regard to confidentiality of the information submitted by the interested parties, Rule 7 of the AD Rules provides as follows:

“7. Confidential Information:

- (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
- (2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.*
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

48. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient nonconfidential version of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

49. The Authority notes that *vide* para 38 of the initiation notification, the interested parties including the domestic industry were invited to offer their comments on the confidentiality claims within 7 days of receiving the non-confidential version of a document. In this regard, it is noted that the submissions made by Rianlon Group, alleging excessive confidentiality in the applicant's submissions are significantly delayed. Such comments were filed over 3 months after the circulation of application by the applicant updated for the POI considered by the Authority. Similarly, other interested parties have also made significantly delayed comments on confidentiality. Nevertheless, the Authority has addressed these submissions.
50. It is noted that the domestic industry has claimed confidentiality with regard to its export sales quantity, value, cost, and per-unit realization. Such confidentiality claimed is excessive and thus, the Authority directed the domestic industry to share this information in indexed form so as to allow the other interested parties to have a reasonable understanding of the same. On being directed at the time of the first oral hearing, the applicant provided its injury information i.e., Proforma IV-A, along with its written submission, duly providing information on its exports, as trend.
51. As regards the applicant excluding HPL's export-oriented production while reporting the volume and value of production by other producers, as already noted above, it is seen from the information on record that even if the gross production by the other two Indian producers is considered, the share of the applicant is still more than 50% of the total Indian production. In any case, while the applicant had provided its share in the total Indian production on a confidential basis with the application, it disclosed its share in both net and gross Indian production to the other interested parties through its post-oral hearing written submissions.
52. As regards the applicant not providing a write-up on broad stage-wise manufacturing process, it is noted the trade notice 10/2018 requires a single applicant company to disclose actual information on its broad manufacturing process. However, the footnote to the notice states that when the single applicant company is a multi-product company listed on the stock exchange or reporting its financials to the Ministry of Corporate Affairs, the extent of confidentiality which can be claimed should be correlated with the nature of its reporting available in the public domain. It is seen from the website and brochure of the domestic industry that information on its manufacturing process is also not available in the public domain. Hence, the extent of confidentiality claimed by the applicant is allowed. The Authority also notes that the participating producers from the subject countries have also claimed confidentiality over their respective production processes in the questionnaire response.
53. As regards the argument that price undercutting has not been established in the application, it is noted that while application proforma does not require the domestic industry to report price undercutting calculations, the applicant had provided information on landed price and its selling price in the application and had made statements regarding price undercutting. In any case, price undercutting has been examined by the Authority in the relevant section of this final finding.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Views of the other interested parties

54. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions:

- i) The applicant's operations are newly established, making high fixed and start-up costs inevitable in the initial years, particularly until the projected utilization is reached. Therefore, the Authority should follow its established practice and normalize the domestic industry's elevated costs when calculating NIP and IM.
- ii) Any injury to the applicant cannot be considered before commercial production began. During the trial production, the applicant could not have faced import competition. Therefore, the injury period should be restricted to 2022-23 up to the POI.
- iii) Choosing 2020-21 as the base year would create a misleading picture due to the impact of Covid-19. Further, before 2022-23, the injury was primarily due to technical challenges associated with the new plant. The applicant was unable to meet demand, both in quantity and quality, leading users to rely on imports.
- iv) Competition would only begin with commercial production, which started in April 2022. Given the lack of sales data before that time, a shorter injury period is justified. The WTO recommends an injury period of at least three years, except when the data source has existed for a shorter duration.
- v) Authority is requested to provide non-confidential version of the applicant's rejoinder so that the respondents are better able to appreciate the disclosure statement.
- vi) The applicant has, for the very first time, filed certain information related to the product and injury which cannot be taken on record.
- vii) The investigation should be terminated as the preconditions of Rule 2(b) and Rule 5 i.e., requirements of domestic industry's standing and eligibility have not been met. However, if the Authority proceeds regardless, the interested parties should be provided a fresh oral hearing.
- viii) Application has to include information for the POI and previous financial years. It has manipulated the injury period by providing data for 2020–21, 2021–22, Apr'22–Jun'23 (15 months), and the POI, deviating from the prescribed format. The Authority did not direct the applicant to treat the previous year as a financial year, nor was any reason for this deviation mentioned in the NOI. Despite the respondent's request for compliance with trade notice, no communication or corrective direction was issued by the Authority.
- ix) There would not have been any gap if, instead of adding extra quarter in the previous year, the applicant had added the said quarter in the POI, as is the usual practice in all cases.

F.2. Views of the domestic industry

55. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- i) The necessary information with respect to costs incurred is already on record, and the Authority may determine the NIP accordingly. As a new producer, the applicant acknowledges having a higher actual cost of production. However, injury has been assessed not based on actual profit, cash profit, and return on investment, but at the optimum level of production. This approach segregates the impact of new production operations on costs and, on profitability indicators.
- ii) While the injury to the domestic industry until June 2022 was due to “other factors”, the product was still being exported at dumped prices during this period. The domestic industry faced two issues: (a) the product was not approved by some consumers, and (b) the company received inadequate prices due to dumping.
- iii) Even prior to the POI, the company's product was approved by several consumers. About ***% of demand in the country was from those consumers who had approved the applicant's product. To avoid confusion, the applicant has excluded this period from the proposed POI for investigations. The fact that the domestic industry faced other challenges before the POI, however, does not break the causal link.
- iv) The Authority provided multiple opportunities for interested parties to present their arguments, including a meeting on the scope of PUC, an oral hearing, and a second oral hearing following a change in the Designated Authority. The applicant believes no further hearing is necessary since all parties have been heard. The Authority will address concerns in the disclosure statement, invite comments, and issue a reasoned conclusion in its final findings.
- v) Para 2(iii) of the Trade Notice 02/2004 requires data for the POI and previous 3 financial years, allowing overlaps but no gaps. The present injury period is a continuous and gap-free. The inclusion of April–June 2023 ensures compliance and continuity. Law dictates that procedural rules must be purposively interpreted to serve their objectives. There is no illegality or procedural impropriety in the proposed POI and injury period.

F.3. Examination by the Authority

56. The Authority has determined the Non-Injurious Price (NIP) in accordance with Annexure III of Anti-dumping Rules based on its consistent practice, normatting the costs of the applicant.

57. As regards providing a non-confidential version of the rejoinder submission to better understand and appreciate the disclosure statement, the Authority notes that, as a matter of practice, the non-confidential versions of the rejoinder submissions are not circulated among the interested parties. Further, the disclosure statement issued by the Authority incorporates the views and submissions of all interested parties, including those made in rejoinders, so to allow a comprehensive understanding of the basis of the Authority's analysis and findings. Further, all interested parties are allowed an opportunity to submit their comments on the disclosure statement itself. Thus, the interested parties get the opportunity to comment on the submissions made by other interested parties to the extent these submissions have been considered by the Authority.

58. As regards the argument that the certain information filed by the applicant for the first time in their written submissions cannot be taken on record as the other interested parties were not given the opportunity to address the same, it is noted that all the interested parties were allowed sufficient time and were given the opportunity to file their rejoinder submissions. Hence, all parties were in fact given the opportunity to address the issues. Further, in the instant case, the Authority has held another hearing, after elapse of significant time, and therefore, the interested parties had sufficient opportunity to offer comments on the submissions made by the domestic industry.
59. As regards the appropriateness of the injury period selected, consistent with the past practices of the Authority, it has been found appropriate to examine injury for a longer period i.e., since 2020 – 2021 to the present POI. The present injury period allows comprehensive injury analysis. Further, the Authority also notes the applicant's claims that its product was approved by some of the customers even prior to the POI. Further, while injury in the past was due to other factors, the applicant has claimed that even during this period imports were entering the country at dumped prices.
60. As regards the argument that choosing 2020-21 as the base year would create a misleading picture due to impact of Covid-19 and that the injury period should be limited to 2022-23 up to the POI, i.e., only the commercial production period, it is noted that the injury period is generally considered as the three immediately preceding years plus the POI. It should cover at least three years unless the applicant has been in existence for a shorter duration, in which case the available data for the entire period is taken into account. In cases of material retardation, a shorter injury period may be considered if the industry itself has been operational for less than three years. In the present investigation, the domestic industry commenced production in April 2020, producing *** MT and selling *** MT during this period. Given the significant volume of production and sales during this period, as well as the availability of relevant data since April 2020, the selected injury period extends from 2020–21 to the POI. Further, injury in the POI has been alleged solely on account of dumped imports. Furthermore, the applicant's performance has been normatted to account for its new establishment. Since sufficient data is available to assess material injury to the domestic industry, even though the applicant has also drawn a comparison between its actual and projected performance, the Authority has taken a note of the same.
61. As regards the argument of deviating from the trade notice and presenting data for 15 months for the previous period (i.e., April'22-June'23), it is noted that all financial years have been considered part of the injury period. The previous year is a period of 15 months, as it in addition to including a whole financial year, it includes an additional quarter to avoid any gap within the injury period and the POI. The Authority notes that WTO guidelines provide that there should be no gap in periods forming part of injury period. Thus, it is noted that the injury period should be gap-free and continuous, with the years before the POI including data for financial years.

G. ASSESSMENT OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Views of the other interested parties

62. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the normal value, export price and dumping margin:

- i) The alleged price variation, if any, could have been foreseen but no such claim was made earlier. Request for calculating quarterly margins should've been made initially.
- ii) Quarterly analysis of margins is unnecessary. There is insignificant variation in the raw material cost. The applicant's request is unjustified and should be rejected.
- iii) While a table for quarter-wise injury margin is provided in the application, there is no reference to a quarter-wise dumping margin. The quarter-wise injury margin in the application is given in relation to the claim of "material retardation." The applicant has not provided any information, data or analysis to the DGTR which could meet the strict criteria of para 6(iv) of Annexure I.
- iv) The difference between weighted average export price for each PCN of Rianlon Group over 4 quarters of the POI is insignificant with no/ minimal variance.
- v) No requirement or provision in the questionnaire responses to make any claim of dumping or the absence thereof. Absence of express denial does not merit acceptance of dumping by the exporter.
- vi) Respondents are open to export price verification as requested by the applicant provided that DG Systems data is provided to them in excel as per CESTAT's decision in Exotic Décor. Further, in case of discrepancy, it should be allowed adequate opportunity to explain the same.
- vii) Individual dumping margin may be calculated for the Rianlon Group.

G.2. Views of the domestic industry

63. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin:

- i) China PR should be considered a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by the investigating authorities in other countries. Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.
- ii) Chinese producers are required to be treated as companies operating under non-market economy environment and the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.
- iii) Relevant data was not available for the price in a market economy third country and constructed value in a market economy third country. The price from a third country to India i.e., imports from Korea RP to India, which constitute 13% of the total imports of the subject goods into India, has been considered for normal value calculation.

- iv) Alternatively, the normal value for China PR has also been constructed based on the estimates of cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses. Due adjustments were made to this price to include conversion costs based on the domestic industry's information, a reasonable profit margin and SGA.
- v) Efforts were made to get evidence of price of product in the domestic markets of Singapore. However, no publication provides prices of the PUC in the global market including Singapore. The prices are transacted between the producer and consumers and therefore the same are not in public domain. Hence, Normal Value in Singapore has been determined considering the cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.
- vi) Export price has been determined considering the volume and value of imports for the proposed period of investigation as per data procured from secondary source. Price adjustments have been claimed on a conservative basis for the purpose of fair comparison.
- vii) The dumping margins calculated for the subject countries are not only above the *de-minimis* levels, but also quite significant.
- viii) BASF Group has provided details of domestic sales in Appendix 4A and stated that the normal value has been claimed based on sales in the home market. A trader from the BASF Group, viz., BASF (China) Co. Ltd, has also filed a response to the exporter's questionnaire, stating that it has only sold the product under consideration in the domestic market and not in India. However, the respondents have not filed a response to the supplementary questionnaire.
- ix) The applicant has calculated the dumping and injury margins through a quarterly comparison of normal value and export price, considering significant cost and price variations over time. The Authority is requested to consider the same for the purpose of the findings.
- x) The Authority is requested to verify export volumes and values reported by exporters against data from DGCI&S and DG Systems, reject questionnaire responses and use facts available when claims don't match Indian customs data, and examine – invoices submitted to Chinese and Indian customs authorities, accounting invoices used to report income and expense, payment proof, including bank statements and party account records. The response should be rejected if an exporter reports conflicting prices to Chinese and Indian customs, and if exporters fail to provide sufficient proof of payment from Indian buyers.
- xi) Previously, the Authority adjusted for VAT differences which has not been reported as a price adjustment recently. The Authority should make necessary price adjustments to ensure comparability between normal value and export price.
- xii) Excel files alone are not sufficient evidence of adjustments. To establish accuracy and adequacy, they must be supported by relevant documents. The Authority should direct exporters to furnish necessary information with evidence.
- xiii) The Authority is requested to conduct a completeness test of each exporter's EQR, covering all company operations and those specifically related to the PUC.
- xiv) None of the exporters have claimed that dumping is not taking place. In absence of denial, it is only reasonable for applicant to infer existence of dumping.

G.3. Examination by the Authority

64. The Authority notes that the domestic industry had demanded that the dumping margin and injury margin be determined by considering quarterly normal value, export price, landed price and NIP. The Authority however notes that the data on record does not justify a need for quarterly evaluation of dumping margin and injury margin. The Authority has therefore not determined dumping margin and injury margins on quarterly basis.

Determination of Normal Value for China PR

65. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- ii. *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along With reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

66. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology, that is not

based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- (i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- (ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (iii) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- (iv) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (v) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector. "*

67. It is noted that while the provisions contained in Article 15(a)(ii) expired on 11.12.2016. However, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of India's AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status.

68. At the stage of initiation, the Authority constructed the normal value for China PR based on the best estimates of the cost of the production of the domestic industry after duly adjusting the

selling, general and administrative expenses and profits. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnish relevant detailed information. The Authority also requested Government of China PR to advise the producers/ exporters in China PR to provide the relevant information.

69. While BASF China, in its questionnaire response, has stated that it has claimed normal value based on the sales in the home market. However, neither BASF nor any other exporters/producers has filed response to the supplementary questionnaire, nor contested the NME status of China PR treated by the Authority at the stage of initiation. Thus, in view of the above position and in the absence of rebuttal of the non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as non-market economy country in the present investigation and proceed with para 7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

70. Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

71. Para 7 lays down a hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7.

There is no evidence of price or constructed value prevailing in market economy third country brought forward by any interested party. Thus, normal value could not be determined based on price prevailing in market economy third country. The domestic industry had suggested consideration of imports from Korea RP into India as the basis for the determination of normal value for China PR at the stage of initiation. While it is seen that the imports of the subject goods from Korea RP constitute 17% of the total imports into India, the spread of PCNs is limited and does not cover all the PCNs considered. There are no imports of one of the PCNs from Korea RP while the import volumes of two of the PCNs are negligible. Thus, imports from market economy third country into other countries, including India, could not be considered for determination of normal value.

72. In the absence of the above information/evidence before the Authority to determine normal value, the Authority has determined normal value for all exporters/producers from China PR based on “any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India” as stipulated in para 7 of Annexure – I to the AD Rules, 1995. Hence, normal value has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

Determination of Normal Value for Singapore

73. BASF South East Asia Pte. Ltd. is a producer of the subject goods in Singapore. During the period of investigation, it has sold the subject goods both in the domestic market and the Indian market.
74. It is seen that during the period of investigation, BASF South East Asia Pte Ltd. has sold *** MT of subject goods in the domestic market, whereas it has exported *** MT of subject goods to India, out of which *** MT has been directly exported to related customer in India i.e., BASF India Ltd while the balance *** MT has been exported through related exporter viz., BASF Hongkong Ltd., to the same related customer in India i.e., BASF India Ltd.
75. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. All sales in domestic market are made to unrelated parties. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test for each PCN to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. For PCNs where profit making transactions were more than 80%, the Authority considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value of that PCN. Where, for a PCN, profitable transactions were less than 80% but more than 20%, the Authority determined normal value taking into consideration domestic selling price of such profit-making sales. Further, for PCNs, where profitable transactions were less than 20%, the Authority determined normal value based on the cost of production of the PCN and overall profit margin.

Determination of Export Price

76. The responses filed by the producers/ exporters have been examined hereunder:
77. The Authority notes that the interested parties were directed to quantify and intimate the value of non-subject AO in blends exported, so that the same could be excluded from the export value of the product. Since the scope of PUC is limited to only subject neat antioxidants or their blends or their blends with non-subject antioxidants to the extent of subject antioxidants, it was imperative for the interested parties to quantify and substantiate the value of non-subject antioxidant forming part of such blends. While the interested parties should have, on their own, provided this information, however, despite specific directions to this effect, the interested parties failed to provide relevant information. In view of non-cooperation and considering low volume of such blend sold by the concerned exporters, the Authority has considered it appropriate to exclude the such sales from determining dumping and injury margin.

Export price for China PR

Rianlon Group from China PR

78. The Authority notes that four group companies from the Rianlon Group in China PR have filed response to the exporter's questionnaire.
- a) Rianlon Corporation (*producer*) has exported *** MT of the subject goods directly and *** MT of subject goods to India through Rianlon Technology (*trader*)
 - b) Rianlon (Zhongwei) New Material Co., Ltd (*producer*) has exported *** MT of subject goods to India through (i) Rianlon Technology (*trader*) and (ii) through Rianlon Corporation (*producer referred above*).
 - c) Rianlon (Zhuhai) New Material Co., Ltd. (*producer*) has exported *** MT of the subject goods through Rianlon Technology (*trader*).
79. There are no direct exports made by the producers i.e., Rianlon (Zhongwei) New Material Co., and Rianlon (Zhuhai) New Material Co., Ltd. of goods produced by them. It is seen that Rianlon Corporation, a producer, has sold goods produced by it through a trader i.e., Rianlon Technology. It has also acted as a trader by selling goods produced by Rianlon (Zhongwei) New Material Co.
80. The export price has been determined based on the export price reported by the exporter. Adjustments have been reported for credit cost, bank charges, port handling, insurance and inland freight and the same have been allowed. Exports have been made on CIF, CFR, C&I and FOB basis. Thus, appropriate adjustments, based on average freight and insurance reported for CIF transactions, have been considered for transactions made on CFR, C&I and FOB basis. The export price is mentioned below in the dumping margin table.

BASF Chemicals Co., Ltd. from China PR

81. BASF Chemicals Co Ltd. is producer in China PR, who has exported *** MT of the subject goods to related customer, i.e., BASF India Ltd in India, out of which *** MT was exported directly and the remaining was exported through related trader viz., BASF Hongkong Ltd.
82. The export price has been determined based on the export price reported by the exporter. Adjustments have been reported on account of ocean freight, inland freight, insurance and credit cost and the same have been allowed. The export price at ex-factory level has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

Other producers/exporters in China PR

83. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of China PR has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for Singapore**BASF South East Asia Pte Ltd. in Singapore**

84. During the period of investigation, BASF South East Asia Pte Ltd. has sold ***MT of subject goods in the domestic market, whereas it has exported ***MT of subject goods, out of which ***MT has been directly exported to India and balance was exported through related exporter i.e., BASF Hongkong Ltd.
85. The export price has been determined based on the export price reported by the exporter. Adjustments have been reported on account of ocean freight, inland freight, insurance and credit cost and the same have been allowed.
86. Where the sales were made on FOB basis and CIP basis, appropriate adjustments have been made (as reported) to arrive at the export price. Thus, the export price at ex-factory level has been calculated as mentioned in the dumping margin table below.

Other producers/exporters in Singapore

87. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of Singapore has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Determination of Dumping Margin

88. The normal value, export price and dumping margins so determined for the subject goods from the subject countries in the present investigation are as follows.

Dumping margin Table

Producer	PCN	Volume Exported	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
China PR							
BASF Chemicals Co Ltd. China	A0168	***	***	***	***	***	10-20
	A1076	***	***	***	***	***	15-25
	Total	***	***	***	***	***	10-20
Rianlon Group	A0168	***	***	***	***	***	20-30
	A1010	***	***	***	***	(***)	(5-15)
	A1076	***	***	***	***	***	30-40
	A1098	***	***	***	***	(***)	(40-50)
	A1135	***	***	***	***	***	0-10
	BA 1098 and 168 in the ratio 1:2	***	***	***	***	(***)	(30-40)
	BA 1010 and 168 in the ratio 1:2	***	***	***	***	***	0-10
	BA 1010 and 168 in the ratio 1:1	***	***	***	***	***	10-20
	Total	***	***	***	***	***	0-10
Any other			***	***	***	***	45-55
Singapore							
BSEA Singapore	A0168	***	***	***	***	***	40-50
	A1010	***	***	***	***	***	60-70
	A1135	***	***	***	***	***	20-30
	BA 1010 and 168 in the ratio 1:1	***	***	***	***	***	15-25
	BA 1010 and 168 in the ratio 1:2	***	***	***	***	***	55-65
	Total	***	***	***	***	***	55-65
Any other			***	***	***	***	75-85

H. ASSESSMENT OF INJURY

H.1 Views of the other interested parties

89. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:

- i) There is ambiguity regarding the form of injury i.e. whether material injury or material retardation.
- ii) The domestic industry could not have suffered material retardation since it was already established during the POI. If the Authority determines that the domestic industry is established, assessing material retardation instead of material injury would be inappropriate.
- iii) Two factors indicate that the domestic industry is established: (a) a genuine and substantial commitment of resources to domestic production, and (b) production reaching commercial volumes. Moreover, the applicant has been producing butyl phenols since 2020, making it feasible for them to commence PUC production. The domestic industry was already established during the POI and cannot claim material retardation.
- iv) Material injury and retardation are mutually exclusive; an industry cannot be both established and not established simultaneously. The type of injury should have been clarified at the initiation stage. Further, material retardation case has to be made against an “industry” rather than a “particular producer”.
- v) While imports have risen, demand has grown significantly as well. The increase in domestic sales has surpassed the rise in imports.
- vi) Imports in relative terms have remained same or fallen.
- vii) The cost fell by ***% but price increased by 42% over the injury period. There is no price depression.
- viii) The applicant’s production increased even though capacity was the same throughout. It seems that the production decreased in Apr’22 – Jun’23, as the applicant concentrated on production of NPUC and also underwent shutdown from Oct’22 – June’23.
- ix) The applicant has stated that post takeover, it made significant investment. However, installed capacity remained stagnant.
- x) As demand grew, the applicant was able to increase sales. Net sales realization also rose with a slight decline during the POI, which appears to be a result of the applicant lowering its selling price to capture market share.
- xi) The drop in selling price during the POI may also be attributed to scrap sales at lower prices in 2023-24. Scrap sales amounted to Rs. ***lakhs as of March 31, 2023, increasing to Rs. . ***lakhs by March 31, 2024. This must be verified by the Authority.
- xii) Interest costs declined, surged sharply between April 2022 and June 2023, and then decreased again. This sudden increase accounts for the high costs.
- xiii) Profitability has improved over the injury period, with the domestic industry increasing prices without a significant rise in costs. As a result, per-unit losses reduced during the POI.
- xiv) Profits fluctuated instead of showing a consistent downward trend. The improvement in 21-22 followed by a decline does not correlate with imports.

- xv) With substantial investment in the new plant, the domestic industry's net fixed assets and depreciation costs would have risen significantly. This is evident from its balance sheets. However, minimal new investment appears to have been made in property, plant, and equipment until March 2024. There was an increase in 2022-23 when commercial production commenced.
- xvi) Productivity has improved overall. The decline in productivity between April 2022 and June 2023 was due to plant shutdowns and cannot be attributed to imports.
- xvii) Average inventory shows increase to cope up with the increasing production and sales.
- xviii) Imports have no negative impact on economic parameters. Almost all factors show improvement.
- xix) The substantial investment in improving product specifications, operating the new plant, and stabilizing production resulted in significant costs for the applicant, leading to incurred losses.
- xx) The domestic industry experienced injury due to its inability to provide a range and quality of products that align with customer expectations and requirements.
- xxi) The applicant's injury stemmed from its own limitations and the pandemic. Technical and qualification failures, which caused losses and low productivity, constitute self-inflicted injury rather than injury caused by imports.
- xxii) The applicant has not secured approvals from major users, limiting its ability to gain market share, contributing to injury. Global suppliers have established long-term relationships with customers, while the applicant struggles to secure demand due to limited trust and reputation.
- xxiii) Users do benefit from a domestic supplier of raw materials but cannot be compelled to purchase from Applicant industry which continues to exhibit quality deficiencies. The claim that the applicant has overcome quality issues cannot be accepted on face value and does not eliminate the fact that it faced serious challenges due to quality concerns during the IP and the POI.
- xxiv) The applicant has merely requested the Authority to follow the approach followed in a material retardation case, but its claim is to evaluate material injury. In absence of any claim regarding material retardation, no such determination can be made by the Authority.
- xxv) As regards the claim that adjusting raw material cost will demonstrate significant dumping, any adjustment contrary to the scheme of the provisions of Article 2.2 and Section 9A(1) read with Rule 10 shall be illegal.
- xxvi) The increase in Rianlon's exports is due to the widening demand-supply gap as exports by the applicant increased by ***%.
- xxvii) The applicant has claimed there is not demand supply gap. However, having sufficient capacity isn't enough. It takes time to reach optimum utilization level.
- xxviii) With growing demand, the applicant's capacity may no longer remain sufficient.
- xxix) Rianlon group's landed value is more than the landed value mentioned by the applicant. There is no price-undercutting by Rianlon group.
- xxx) Market share of applicant has increased over injury period and has remained higher than market share of subject imports.

xxx) The applicant had claimed that landed price of imports is below cost preventing it from increasing prices to the level of costs. However, data in its written submissions shows that selling price is above both cost and landed price.

H.2 Views of the domestic industry

90. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- i) The conditions for cumulative assessment laid down in para (iii) of Annexure – II of the Rules are met. Therefore, cumulatively assessment of the impact of dumped imports is requested.
- ii) The form of injury to domestic industry in the present case should be considered as that of (a) material injury to the domestic industry, or (b) in the alternative, material retardation to the establishment of domestic industry.
- iii) VOL has been in production and sale for 4 years, i.e., the complete injury period. It was in trial operations/ production for 30 months, including 7 months of shutdown, and in commercial production for 9 months. Since commercialization was recent, VOL may in the alternative be treated as establishing.
- iv) While the WTO guidelines provide that the injury period shall be at least 3 years, the DGTR has prescribed that the injury period shall be at least the POI and preceding 3 years. Hence, there may be an overlap but there should be a gap. Further, the rules do not differentiate between trial and commercial production. However, the domestic industry should have produced and sold the product in commercial volumes.
- v) Sufficient information is also available for determination of material injury to the domestic industry. While VOL the volume of trial production totaled to ***MT, the volume of production after commercialisation totaled to *** MT. In situations where the domestic industry has operations for four years, the Authority has in the past considered the industry as an established industry and examined material injury.
- vi) In the investigation on imports of IIR where the trial production started in the base year and commercial production was declared just prior to the POI, the Authority examined material injury. However, since the industry was still recent, the Authority considered “material injury to new industry”.
- vii) The first step in assessment of injury is identification of the domestic industry. In the present case, the applicant alone constitutes domestic industry. The second step is to determine the form of injury. If the domestic industry identified has a history for longer periods, the Authority can examine material injury. But, if the domestic industry has a history of lower period, the Authority shall examine injury for a lower period. Additionally, the projected performance of the domestic industry is compared with its actual performance.
- viii) While existing producers may be present in a market, if their production is minimal compared to demand, a new producer setting up facilities should be considered when assessing injury to the domestic industry. The situation may still qualify for material

retardation. Mere existence of other producers, if they were catering to minuscule demand, does not mean that the industry is established. In any case, production by the applicant constitutes more than ***% of total Indian production. Thus, applicant undisputedly constitute the domestic industry for which “injury” would be seen.

- ix) The Applicant commenced production in April 2020 i.e., more than 3 years before the POI and commercial production in October 2022. However, it has not reached the projected levels of production, sales volume, capacity utilisation and profitability. Considering that the performance was not optimum, the Applicant has additionally provided information considering optimum level of production and capacity utilization for the plant.
- x) The applicant has not been able to achieve a reasonable market share. However, the expected level was much higher which itself establishes injury caused by dumping. The WTO panel in the matter of Morocco- Hot Rolled Steel had held while considering establishment of an industry, an objective Authority should consider whether an industry's ability to capture as much as 40% of the merchant market, even though selling at a loss, nevertheless indicates that the presence of that industry is sufficiently stabilized.
- xi) The data provided indicates the normatted cost, consumption and production levels, and yet shows financial losses. The actual cost of production and losses are significantly higher.
- xii) VAPL and VOL were two separate legal entities when production of the like article commenced. The subject goods and the other goods produced by VOL have no material overlap. The applicant established a new dedicated plant for antioxidants. The land being used for the production of the product is a separate land from that of the other plants of VOL. The plant and equipment deployed for production of PUC is also different. While the production of subject goods requires 2,4 DTBP, 2,6 DTBP and methanol, which are being produced and captively consumed by the Applicant, these are also sold in the merchant market. There is significant value addition from these raw material to total cost of subject goods. The subject goods and other products of the applicant perform different functions and are used by different set of industries. Since the usage of the subject goods is different, there is no overlap with their existing customers and clients. Further, the distribution channel is all different for different products.
- xiii) The Authority in the past several cases has examined different forms i.e., both material injury and material retardation for one defined domestic industry. As was also noted in the recent investigation concerning imports of IIR, there is no bar under the law to simultaneously examine the three forms of injury in a particular case.
- xiv) The domestic industry began production in April 2020 and commercialised in October 2022 but has been unable to sell goods and find a place in the market due to dumping. The applicant has provided sufficient information which establishes material injury to the domestic industry. In the alternative, it may be considered that dumping is materially retarding establishment of the domestic industry.
- xv) It could be argued that the applicant's higher cost and losses are due to lower capacity utilization. However, the applicant has not claimed material injury in respect of profit,

- cash profit and ROI based on actual production. Instead, injury has been claimed considering optimum level of production. Thus, the possible ill effect of lower capacity utilization has been segregated.
- xvi) The demand for product increased throughout injury period, particularly in the POI. Indian Industry has sufficient capacity to meet demand in its entirety, rendering imports unnecessary. There is no demand-supply gap.
 - xvii) The volume of subject imports constitutes over 80% of total imports of subject goods in India. There was slight decrease in volume of imports from base year to 2021-22, but thereafter it significantly increased. Imports increased by 75% over injury period.
 - xviii) As regards imports rising with demand, while the demand increased by ***%, subject imports grew by 43%. Previously, imports were the primary source of the subject goods, but during the POI, despite significant domestic capacity and approval from almost all consumers, imports increased significantly.
 - xix) Initially, due to limited supply, demand was substantially met by imports. However, volume of imports was significant even after establishment of sufficient capacities in India.
 - xx) Despite the applicant setting up sufficient capacity, imports continued to increase significantly. After the applicant commercialised operations in October 2022, the volume of imports, rather than declining, increased by 42% in the same period, compared to the previous year, and increased by 35% in the POI.
 - xxi) Despite existing capacities exceeding demand, subject imports are catering to 63% of demand whereas Indian Industry are limited to a meagre ***%.
 - xxii) Price of subject goods from subject countries increased from base year to 2022-23 but significantly declined during POI. There is decline in the price after commercialisation of production by the domestic industry.
 - xxiii) Subject imports are sold marginally below selling price of domestic industry.
 - xxiv) Quarterly analysis shows landed price declined significantly from Q1 to Q2 of 2023-24 and further declined in Q3 with slight increase in Q4, which again declined in Q1 of 2024-25. Subject imports were undercutting the selling price of the applicant in all quarters falling within the POI except Q3 i.e., January'24 – March'24.
 - xxv) Price undercutting for China PR is positive, while Singapore is marginally negative. Import volume from China PR is higher. Overall price undercutting from subject countries together is positive.
 - xxvi) Price undercutting should be determined considering target prices and prices prevailing at the time of conception.
 - xxvii) As regards price undercutting calculations, the application proforma does not require giving such calculations. The same is required to be seen considering the information on landed price of imports and selling price of the domestic industry, both of which are on record. The application in the revised application and written submission provided details of price undercutting.
 - xxviii) Imports are entering domestic market below cost of sales of domestic industry. The extent of cost undercutting significantly increased in the POI.
 - xxix) Quarterly analysis shows both normatted and actual cost of sales and selling price has declined. Selling price has remained below level of cost of sales throughout

- injury period leading to constant losses. The landed price of imports has remained below the level of cost of sales leading to price depression in the domestic market.
- xxx) As regards there being no price depression, the applicant's selling price increased over the injury period but remained below target prices or NIP. Production in the base year was minimal, leading to high fixed costs, so comparing the cost in the base year with that in the POI is misleading. Cost comparisons should be made considering production at appropriate levels. Cost and selling price from the previous year to POI declined, but the selling price dropped more than cost. Subject imports were priced below cost, forcing the domestic industry to sell at unprofitable prices, causing price depression in the domestic market.
- xxxi) Price depression is corroborated from the fact that domestic industry could not achieve its target price.
- xxxii) As regards the applicant lowering prices to gain market share, it's important to note that while costs declined by ***% in the POI, import price dropped by 30%. Subject imports were priced below the domestic industry's price and cost. As a result, it was forced to reduce prices and suffer losses.
- xxxiii) As regards the decline in selling price being due to scrap sales at lower prices, the selling price in the application pertains only to PUC, which is very insignificant. Thus, there is no significant impact of sale of scrap on the selling price.
- xxxiv) As regards the decline in cost in the POI, the same was due to decline in fixed costs per unit of production. Increase in costs from April 2022 - June 2023 is attributed to higher material costs. Fixing product specifications cannot lead to cost increases.
- xxxv) As regards the fluctuation in interest costs being the reason for fluctuation in cost, the interest rose upto the pre-POI period and declined in the POI. The increase in gross interest cost in pre-POI period was due to investments made to revamp the plant. Decline in per unit interest cost over the injury period has resulted in significant decline in cost of production. However, the domestic industry continued to suffer financial losses.
- xxxvi) Applicant has sufficient capacities, however, due to imports, performance has remained significantly adverse in respect of production, domestic sales and capacity utilisation.
- xxxvii) The applicant commenced production in April 2020 and has, thus, seen an increase in the production and sales, though the same is not in proportion to demand and capacity. Out of whatever little the applicant is able to produce, it is forced to export ***% of such production volume. As against the production of ***MT, the domestic sales was only able to sell ***MT in the domestic market.
- xxxviii) As regards the argument that there is an increase in production despite capacity being constant, the applicant, a new producer, had to increase production. However, despite the increase in production, its capacity remains largely underutilized. Further, production is far below demand and projections.
- xxxix) As regards decrease in production of PUC due to shutdown and focus on NPUC, the production facilities for the PUC are dedicated, and production has increased over the injury period since the domestic industry is new producer.

- xl) While the Applicant had projected a utilisation level of ***% during POI, it was only able to utilise ***% of its capacities. If Applicant could have utilised projected capacity level, it could have catered to the entirety of domestic demand.
- xli) The market share of the domestic industry is abysmally low, despite its capacities, at ***%. If the domestic industry could achieve its projected sales volume, it would have captured ***% of the market.
- xlii) The Applicant began production in 2020 with projected profits in its first year itself but incurred financial losses even in the POI. Per-unit losses have declined but this is due to increased capacity utilization from ***% to ***%. Even on a normatted cost basis, the domestic industry has suffered significant losses, extent of which increased over injury period. Actual cost of production and losses are significantly higher.
- xlii) Although the applicant manufactures various goods, subject goods consider such a significant portion that adverse effect of dumping has negatively impacted company's overall performance.
- xliv) A comparison between the applicant's current performance and its likely performance had there been no dumping shows that the profitability of the company as a whole, which was Rs *** crores in the POI, would have been almost Rs *** crores had there been no dumping.
- xlv) Despite low level of production and increasing demand, the domestic industry's inventory has increased. The applicant is sitting on around three months of inventories. The applicant was forced to undertake multiple shutdowns during the POI, mainly due to (a) a sharp increase in inventory and (b) insufficient storage space for additional production.
- xlvi) The number of employees and wages paid has increased over the injury period. Following the movement of production, productivity per employee has increased.
- xlvii) Growth of the domestic industry has been adversely affected by imports.
- xlviii) The principal factor responsible for the domestic industry's prices is the landed prices of the subject goods. Given the significant demand of the subject goods in the country and significant volume of the product that the domestic industry must sell, the only option with the domestic industry is to align the product prices to the import prices. The consumers have been negotiating the prices with the applicant on the basis of imported product prices.
- xlix) Due to significant dumping of subject goods, the magnitude of dumping is significant.
 - I) There are no other factors causing injury to the domestic industry apart from the dumped imports from subject countries.
 - II) Demand for the subject goods has increased over the injury period. There is no such material change in the consumption pattern.
 - III) There has been no change in technology for production. The domestic industry has recently set up a plant with the latest technology.
 - IV) There are no trade restrictive practices.
 - V) The injury is claimed at optimum capacity utilization, and not attributable to any decline in productivity.

- lv) The injury data provided refers solely to the performance of the product under consideration in the domestic market. Hence, the effect of export performance and the performance of other products has been segregated.
- lvi) As regards capacity remaining stagnant despite further investment, the technical challenges faced in the initial days necessitated revamping. The further investments were made towards changes in equipment and addition of some production equipment to overcome said technical challenges.
- lvii) As regards quality concerns, active steps are taken to maintain quality. Occasional issues with flowability have no impact on end-use performance, with very few instances of product replacement. Growth in sales shows acceptance of, and increasing confidence in the product. Initial quality challenges were due to operational issues but since plant revamp the product has been tested, approved, and accepted by consumers. All complaints are addressed. Sales returns have dropped below ***% of total sales. Other complaints have been resolved without offering discounts. 30% past issues were due to packaging, while ***% concerned product quality. The applicant has addressed these through comprehensive corrective and preventive measures.
- lviii) Even prior to POI, the company's product was approved by several consumers. The fact that the domestic industry faced other challenges before the POI, however, does not break the causal link.

H.3 Examination by the Authority

91. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

H.3.1 Form of Injury to the Domestic Industry

92. The domestic industry has requested that the present case should be considered as that of material injury to the domestic industry or, in the alternative, material retardation to the establishment of domestic industry. The domestic industry further requested that it may be considered as a new industry that is still in the process of establishing itself and given that it is a recent entrant in the market, injury assessment should additionally take into account

parameters relevant to a new and developing industry. However, the other interested parties have argued that there is ambiguity regarding the form of injury and that the domestic industry couldn't have suffered material retardation, as it was already established during the POI. It has also been argued that material injury and material retardation are mutually exclusive. The Authority notes as follows in this regard:

- a) The injury investigation period is generally for the POI selected for dumping margin analysis and three immediately preceding years to the POI.
- b) The domestic industry is undisputedly a new entrant in the domestic market. It started production in April 2020 i.e., the base year of the injury period considered in the present investigation. However, commercial production was not declared, as product properties and specifications were not established. Efforts to resolve these issues and Covid-19 pandemic related challenges led to a shutdown and additional significant investment. Operations recommenced in April 2022 and commercial production was declared in October 2022.
- c) While the domestic industry had sold *** MT from April 2020 to September 2022 i.e., during its trial production period, it declared commercial production only in October 2022.
- d) The production of the subject goods by the domestic industry began more than 3 years before the POI. Hence, the domestic industry has a history of operation since the base year and information is available for the entirety of the injury period. The industry in the present case is therefore an “established” industry. It would not be appropriate to consider the domestic industry as an industry that is in the process of establishing itself and examination of injury in the form of material retardation to its establishment alone would not be appropriate.
- e) Even though the domestic industry is an “established” industry, as it has three years of existence, it cannot be disputed that the domestic industry is still a new producer. Thus, the present case is that of material injury to the domestic industry in India where the domestic industry is a new producer who commenced production in base year and has been selling in commercial quantities since then, before declaring commercial production in October 2022.
- f) The domestic industry contended that, in the POI, it has not been able to sell its goods, due to dumped imports and the domestic industry has not been able to find its place in the market even after addressing technical constraints. The domestic industry further contended that adverse effect of the impact of dumped imports on the domestic industry is further established by an analysis of its actual performance with the projected performance since the domestic industry has commenced production only during the injury period.

H.3.2 Cumulative Assessment of Injury

93. Article 3.3 of the WTO Agreement and para (iii) of the Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determined that:

- a) The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of the like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the imports of the like article, and
- b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article.
94. The Authority notes that:
- The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than *de minimis* limits prescribed under the Rules.
 - The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
95. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess the effect of dumped imports of the subject goods from China PR and Singapore on the domestic industry.

H.3.3 Volume Effect of Dumped Imports

a) Assessment of Demand/ Apparent Consumption

96. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, domestic sales of the other domestic producers and imports from all sources. The demand for the PUC is as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	Apr'22-Jun'23 (A)	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	160	456	948
Sales of other Indian producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	233	78	248
Imports from China PR	MT	5,356	4,547	5,793	8,271
Imports from Singapore	MT	4,428	5,766	4,280	3,321
Imports from Other Countries	MT	2,508	5,323	2,534	3,123
Total Demand/Consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	132	112	148

97. It is seen that the demand for the subject goods has increased over the injury period, and especially in the POI. The product showed significant and positive growth in the country. There has been an increase of 48% in demand for the subject goods over the injury period.

b) Imports in absolute and relative terms

98. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or in relation to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the transaction-wise data procured from DG Systems. The import volumes of the subject goods and share of the same during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	Apr'22-Jun'23 (A)	POI
Import Volume					
Imports from China PR	MT	5,356	4,547	5,793	8,275
Imports from Singapore	MT	4,428	5,766	4,280	3,321
Imports from subject countries	MT	9,784	10,313	10,073	11,596
Imports from Other Countries	MT	2,508	5,323	2,534	3,123
Total Imports	MT	12,292	15,636	12,607	14,720
Subject imports in relation to total imports	%	80	66	80	79
Indian production	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	129	212	195
Subject imports in relation to Indian production	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	77	46	58
Subject imports in relation to Indian consumption	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	80	92	80

99. It is seen that:

- a. Imports from the subject countries increased in 2021 – 2022, registered a slight decline in April'22 – June'23 and thereafter increased significantly in the POI.
- b. Imports from the subject countries together constitute almost 80% of the imports of the product in India.
- c. While imports in the past were necessary as there was de-facto no production by the other domestic producers for sale in the domestic market, the volume of imports have increased even after the domestic industry has established capacities sufficient to meet the demand in India.

- d. The Authority observes that it is normal phenomenon that imports decline as a consequence, if the domestic industry commences production from new production capacities. However, in the present case, the volume of imports have rather increased even after the domestic industry commercialised operations.
- e. Imports in relation to production and consumption in India remained significant over the injury period. It has been argued that imports in relative terms have remained same or fallen. It is noted that while the trend in imports in relation to production shows decline, the same is because of the fact that the domestic industry is a new producer and its production has increased. As regards imports in relation to consumption, the same have remained significant despite the fact that the domestic industry established capacities sufficient enough to cater to the domestic demand.

H.3.4. Price effect of dumped imports on domestic industry

100. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred to a significant degree in normal course.
101. Accordingly, the impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to price undercutting and price suppression/ depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of sales and the selling price of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject countries.

c) Price undercutting

102. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the subject imports with the net sales realization of the domestic industry during the injury period. Based on a PCN wise comparison, analysis of the import price and prices of the domestic industry shows that the price undercutting is negative.

Particulars	Unit	168	1010	1076	1098	B215	B225	L135	Total
NSR	₹/MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Landed Value	₹/MT	2,32,951	2,54,198	2,79,786	6,37,535	2,70,064	3,43,250	3,12,979	2,49,753
a) China PR	₹/MT	2,31,594	2,61,161	2,79,786	6,37,535	2,75,855	2,45,649	2,57,321	2,47,490
b) Singapore	₹/MT	2,53,277	2,48,220	-	-	2,65,825	3,77,139	3,24,903	2,55,388
Price Undercutting	₹/MT	(***)	***	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
a) China PR	₹/MT	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	***	(***)
b) Singapore	₹/MT	(***)	***	-	-	(***)	(***)	(***)	(***)

Price Undercutting	%	(***)	***	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
a) China PR	%	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	***	(***)
b) Singapore	%	(***)	***	-	-	(***)	(***)	(***)	(***)

103. It has been argued by the other interested parties that net sales realization rose with a slight decline during the POI as a result of the applicant lowering its net sales realization to capture market share. However, it is observed that the domestic industry had to reduce its net sales realization considering the prevailing landed price of dumped imports. The domestic industry contended, being a new producer, in order to sell the material, it had to offer prices slightly lower than imports and had to follow the movement of landed price of imports. The domestic industry also contended that imports were priced even below the cost of the domestic industry in the POI. The Authority observes that the price undercutting could be negative in view of the fact that the domestic industry is selling the subject goods as a new producer in the market.

d) Price Suppression or Depression

104. For the purposes of analysing price suppression/ depression in the domestic market, the domestic industry has provided information about its (a) cost of sales, and (b) domestic selling price, as is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	Apr'22-Jun'23 (A)	POI
Cost of Production	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	86	122	96
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	167	184	142
Landed Value	₹/MT	2,39,682	3,11,461	3,33,004	2,49,864
Trend	Indexed	100	130	139	104

105. It is seen that, in 2021-22, the increase in selling price was higher than the increase in cost. Thereafter, in 2022-23, the increase in selling price was lower than increase in cost. In POI, both costs and selling prices declined.

106. The Authority notes that the domestic industry had very low volume of production in first two year. Therefore, its fixed cost per unit of production were quite high in this period. The Applicant has contended that the fact that its prices are suppressed gets established if its selling price, as projected while setting up the plant are considered (after necessary changes for changes in the cost of raw materials). The domestic industry contended that since projected selling prices were based on raw material prices prevalent in that period and the actual raw material prices prevalent in present POI are materially different, the selling prices expected by the domestic industry from the market should be adjusted for these changes in raw materials.

Based on the same, the domestic industry has contended that its prices were significantly suppressed in the POI, as noticed in the table below.

PCN	Actual Selling Price	Projected selling price adjusted for current RM price	Cost of production	Landed Price
	Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT
168	***	***	***	2,32,951
1010	***	***	***	2,54,461
1076	***	***	***	2,79,786
1098	***	***	***	6,37,535
B215	***	***	***	2,70,064
B225	***	***	***	3,43,250
L135	***	***	***	3,12,979

107. It is seen that the domestic industry commenced operation during the injury period itself. Over the period, the domestic industry's per unit conversion costs have declined because of increased production. Despite the increase in selling price, the domestic industry is, however, selling at losses, as its prices are lower than cost of production. In the absence of imports, the domestic industry would have made efforts to sell at profits. However, imports have entered the market at prices below the cost of production of the domestic industry, forcing the industry to lower its prices. The domestic industry has sold at losses over entire injury period. Owing to the dumped imports, the domestic industry has not been able to break even despite four years of operation. Thus, the imports have prevented the domestic industry from increasing its prices to a remunerative level, which otherwise would have occurred.

H.3.5. Consequent Impact on the Economic Parameters of the Domestic Industry

108. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

e) Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

109. The Authority has considered the capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	Apr'22-Jun'23 (A)	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	268	268
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	132	657	1299
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	140	260	520
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	160	456	948
Export Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	9333	68680	262482

110. It is seen that:

- a. As against a domestic demand of ***MT, the production capacities for the subject goods with the domestic industry in the period of investigation was ***MT. There is no demand supply gap in the country.
- b. While the level of capacity utilization by the applicant has increased over the injury period, the same was merely ***% in the POI. If the domestic industry had utilized its capacity optimally, it could have met substantial portion of the domestic demand.
- c. The domestic industry commenced production in April 2020. Hence, its production and sales levels have increased over the injury period. However, both production and sales are materially below the levels that could have been achieved considering the domestic industry's capacity and increase in demand for the product in the market
- d. While the domestic industry was able to sell its product and with an increase in demand was even able to increase its domestic sales over the injury period, the increase in domestic sales was far less than the increase in production.
- e. The domestic industry had a production of ***MT, as against which the domestic sales was only ***MT. The domestic industry was not able to sell the volumes to the extent of production.

111. It has been argued that the installed capacity with the applicant remained stagnant even though it claimed to have made significant investment post takeover. It is noted that the domestic industry made investments to effectively utilize production capacities and address areas that needed improvement e.g., resolving technical constraints and improving product specifications. The investment was not intended towards capacity addition. Thus, the capacity figures have not undergone change.

112. As regards the argument that there has been increase in sales and production by the domestic industry, it is noted that the domestic industry began production in April 2020, leading to a rise in its production and sales. However, the relatively recent commencement of operations by the

domestic industry and the low baseline of its initial operations at the injury period substantially diminish the significance of these otherwise positive trends.

113. With respect to the contention that the production decreased in Apr'22 – Jun'23 as the applicant concentrated on production of NPUC and also underwent shutdown from Oct'22 – June'23, it is noted that these factors were present prior to the POI. Furthermore, the domestic industry has specifically attributed injury in the POI to the dumped imports.

114. It has also been argued that the applicant focused on exports and its export sales increased by 262382%. It is however noted that there were negligible exports made by the applicant in the base year. Hence, exports show a steep increase in indexed form.

f) Market Share in Demand

115. The market share of the subject imports and the domestic industry over the injury period was as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	Apr'22-Jun'23 (A)	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	121	406	640
Other domestic producers	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	177	70	168
Subject Imports	%	74.67	59.81	68.57	59.72
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	80	92	80
Imports from other countries	%	19.14	30.87	17.25	16.09
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	161	90	84

116. The market share of the domestic industry has increased over the injury period. However, the domestic industry barely holds a low share of ***% in the Indian market. The same is substantially lower than the market share that the domestic industry would have achieved in the absence of dumping. Even when the domestic industry has been able to get some market, the same is still quite low and predominant share is still with the imports from the subject countries.

117. If the domestic industry had not been prevented by the dumped imports from selling its accumulated inventories, it could have achieved a much higher market share in the POI than its current share. Thus, the market share was low even considering low volume of production by the domestic industry.

118. The domestic industry has submitted that had it been able to achieve its projected sales volume, it would have held nearly ***% of the market. It is seen that the domestic industry achieved only ***% market share in the POI, which was achieved at the cost of selling at losses.

g) Profitability, Cash profits, and Return on Capital Employed

119. The profit, profitability, cash profits, and return on investment of the domestic industry over the injury period has been analysed as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	Apr'22-Jun'23 (A)	POI
Profit before tax	Rs. Lacs	(***)	***	(***)	(***)
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	(100)	60	(111)	(263)
Cash Profit	₹ Lacs	(***)	***	(***)	(***)
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	(100)	47	(123)	(240)
ROCE	%	(***)	***	(***)	(***)
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	(100)	100	(100)	(150)

120. It is seen that:

- a. The domestic industry has been in losses throughout the injury period, barring 2021 – 22.
 - b. The domestic industry has submitted that while losses upto September 2022 may be attributed to technical constraints, the losses from October 2022 onwards i.e., post commercialization of renewed operations after significant capital investments are attributable to dumping.
 - c. The domestic industry was able to sell the present volumes only after a significant compromise on the prices. The domestic industry was selling the product at a price materially below the cost of production and fair price of the product.
 - d. The domestic industry was in losses in the POI. In fact, as compared to the previous year, its cash profits and ROI became further negative in the POI.
 - e. The landed price of imports was below the cost of sales of the domestic industry. The landed price of imports is ***% below the level of cost of sales.
 - f. Despite an increase in demand and sales of the domestic industry, price parameters like profit before tax, cash profits and ROI all were negative in the POI.
121. The other interested parties have argued that the profitability of the domestic industry has improved over the injury period, with prices increasing without a significant rise in costs. However, it is seen from the verified information that the cost and selling price both saw a decline in the POI as compared to the previous year, with decline in selling price more than the decline in cost of sales, thus leading to financial losses in the POI.

h) Inventory

122. The data relating to inventory position of the domestic industry over the injury period and POI is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	Apr'22-Jun'23 (A)	POI
Opening Inventory	MT	-	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	939	1101
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	49	1101	1612
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	149	2041	2714

123. The Authority notes that level of inventories with the domestic industry increased throughout the injury period despite an increase in demand in the country. It is seen that the domestic industry held the highest level of inventory in the POI even though the demand was the highest during the same period. Considering the domestic sales volumes, the domestic industry had *** days inventory in stock at the end of the POI, despite significant demand in the Country.

i) Employment, Wages and Productivity

124. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	Apr'22-Jun'23 (A)	POI
No. of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	174	177
Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	166	220
Productivity per Day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	200	900	1700
Productivity per Employee	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	367	733

125. The Authority notes that the number of employees with the domestic industry increased throughout the injury period. With the increase in number of employees, the salaries and wages paid also increased. Further, the productivity has increased in consonance with the movement of production. The Authority notes that improvements in these parameters reflect impact of capacity addition and consequent significant increase in production by the domestic industry.

j) Growth

126. The information with respect to growth of the domestic industry is given below:

Particulars	Unit	2021-22	Apr'22-Jun'23 (A)	POI
Capacity Utilization (%)	%	2	6	13
Production (MT)	%	32	400	98
Sales (MT)	%	60	185	108
Average Inventory (MT)	%	(26)	1,270	33
Productivity (MT/ day)	%	100	350	89
Profit per unit (₹/MT)	%	129	(216)	(10)
PBIT (₹/MT)	%	137	(166)	(14)
Cash Profits (₹/MT)	%	129	(194)	5
Cash Profit in ₹ lacs	%	147	(364)	(94)
ROI	%	4	(4)	(1)

127. It is seen that:

- a. the domestic industry commenced production and sales in the base year of the injury period. Further, the domestic industry spent approximately Rs. *** Crores in the plant, in addition to address technical constraints earlier faced by it. Hence, its volume parameters show positive growth. However, the growth in volume parameters was unduly low, considering the capacity installed and demand for the product in the Country.
- b. the profitability parameters of the domestic industry have faced negative growth. Despite substantial increase in the volume parameters, the growth in price parameters is negative and adverse.

128. It has been argued by the other interested parties that imports have no negative impact on the economic parameters of the domestic industry and that almost all factors show improvement. In this regard it is noted that dumped imports have negatively impacted the domestic industry's growth in respect of price parameters and adversely impacted growth in respect of volume parameters.

129. The domestic industry has stated that the dumping of the subject goods has contributed to the deterioration in the company's overall performance. Had the domestic industry operated in a scenario without dumping and earned NIP, its overall performance would have been significantly better.

k) Factors affecting domestic prices

130. It is noted that the price of the subject imports is lower than the cost of sales of the subject goods. The domestic industry is a predominant domestic supplier of the product in the market.

Imports are however holding majority share in the market. The dumped imports are adversely affecting prices of the domestic industry in the market. Further, the imports are below even the cost of sales and NIP of the domestic industry. This has forced the domestic industry to sell at prices below its cost, resulting in financial losses. The domestic industry is unable to fetch its target prices in India. The dumped imports have prevented the domestic industry from selling at a price even to the level of cost.

131. The domestic industry submitted that consideration of its project report and comparison of its projected performance with its actual performance further establishes injury suffered by the domestic industry. It has been contended by the domestic industry that its actual performance is far below the level that was projected and that the dumped imports have prevented it from achieving its targeted result, thereby causing injury to the domestic industry. The domestic industry further contended its level of capacity utilization is far lower than the projected level of ***% and its market share far below the level that could have been achieved in the absence of dumping. The domestic industry further contended that while it had projected to earn profit, cash profits and positive return on investment in the POI, it suffered losses, cash losses and negative ROI. The Authority has taken note of the same.

I) Magnitude of Dumping and Dumping Margin

132. It is seen that dumping margin from the subject countries is not only more than *de-minimis* but also significant.

H.3.6 Overall Assessment of Injury

133. The examination of the imports of the subject goods and the performance of the domestic industry shows the following:
- The domestic industry commenced trial production of the product in April 2020. Operations were commercialised in October 2022. The capacities of the Indian industry are more than demand for the product in the country. While the volume of imports should have declined with commencement of production by the domestic industry, the volume of imports has increased throughout the injury period.
 - The landed value of subject imports registered a steep decline in the POI.
 - Imports have suppressed the prices of the domestic industry in the POI.
 - The domestic industry has suffered significant financial losses. PBT, PBIT and cash profits of the domestic industry were negative in the POI. PBT, PBIT and cash losses increased over the injury period. Further, the domestic industry earned negative ROI and the same declined in the POI.
 - The domestic industry has suffered financial losses throughout the injury period, barring 2021 – 2022.
 - The imports are affecting the prices of the domestic industry.

- g) The volume parameters of the domestic industry have shown a positive growth. However, the same is due to fresh investments made by the domestic industry. Further, the price parameters not only remained adverse, but also deteriorated.
- h) The level of capacity utilization by the domestic industry was merely ***% in the POI.
- i) Both production and sales are significantly lower than the potential levels, given the domestic industry's capacity and increase in demand for the product.
- j) The market share of the domestic industry was limited to ***%. Meanwhile, imports command the market with a majority market share.
- k) The dumping margin is positive and significant.

134. In view of the above, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS (OTHER FACTORS)

135. The Authority examined whether other factors listed under the anti-dumping Rules could have caused injury to the domestic industry. The Authority examined known factors other than the dumped imports and ascertain whether these are at the same time have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by other, if any, is not attributable to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, *inter alia*, the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry.

a) Volume and prices of imports from third countries

136. It is seen that imports from the subject countries constitute over 80% of the total imports of the subject goods into India. Imports from other countries are either negligible in volume or priced higher. Therefore, imports from other countries are not a cause of material injury suffered by the domestic industry.

b) Contraction in Demand

137. It is seen that, the demand increased throughout the injury period and was the highest during the POI. Hence, the domestic industry has not suffered injury due to possible contraction in demand.

c) Changes in pattern of consumption

138. It is seen that there are no changes in the pattern of consumption for the product under consideration over the injury period that could have caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

139. The Authority notes that there is no evidence of conditions of competition or any trade restrictive practices that are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e) Developments in Technology

140. It is seen that there is no change in technology for production of the subject goods. The domestic industry has set up a new plant for the production of the subject goods.

f) Export performance of the domestic industry

141. The injury information examined hereinabove relates, to the extent necessary and appropriate, only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the domestic industry's export performance has not impacted the domestic industry's sales performance.

g) Performance of other products

142. The domestic industry has provided the injury data for the PUC and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Performance of other products produced and sold by the domestic industry have not been considered. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

h) Non-approval of product and product range

143. The other interested parties have argued that the injury to the domestic industry is due to its inability to provide a range and variety of products that meet consumers' expectations. It has also been argued that the domestic industry's product has not secured approval from major customers. The domestic industry has placed on record approval letters received from customers like Indian Oil Corporation Ltd and HPCL Mittal Energy Ltd., both of whom are members of the user association alleging quality issues. It has also been submitted that the domestic industry is improving its product quality and to address the complaints received it has implemented corrective and preventive actions. The domestic industry has submitted that it has enhanced supervisory control in bagging/sealing, increased weighing balance checks, upgraded from 3-ply to 5-ply bags, conducted staff training on packaging protocols, and periodic testing of shifter mesh sieves, warehouse temperature monitoring, material screening via mesh sieves, installation of vacuum/nitrogen sealing machines, and implementation of loading checklists. The domestic industry has also contended that even when raising concerns about quality, the consumers have used the material. The user industry has not disputed that the applicant failed to address the concerns raised. The domestic industry has submitted that in view of poor yield, quality complaints, higher residue generation, and higher raw material losses, the company made further investment of approx. Rs. *** crores and added facilities or revamped existing

facilities on pusher centrifuge for slurry filtration, drying, packing, Metilox distillation, condenser, vapour line elevation, Metilox reaction system, compaction system, secondary filtration and centrifuge washing ML recycle system, etc. The company submitted that this led to production of the product meeting customers' requirements and optimization of inputs and resources. The domestic industry further submitted that it holds ISO 9001:2015, which provides for proper recording of customer's complaints, redressal and record keeping. The company stated that it maintains all relevant documents in this regard.

144. It is noted that the applicant faced certain challenges with the product quality in the initial days of production, as the project encountered operational challenges. The domestic industry underwent a shutdown to revamp the plant. It has been submitted that since the revamp, the domestic industry's product has been tested, approved and accepted by the customers. It was verified during the verification that the domestic industry has a complaint redressal system wherein the details of complaints received are noted and the root cause of the complaint is investigated. Thereafter, corrective actions are taken and a report is prepared and shared with the customer, wherever sought. It is noted that the complaints received in relation to the sales made by the domestic industry have continuously declined. The domestic industry is a new producer, and some operational difficulties at the beginning of production are normal in any product. This does not mean that the domestic industry has not produced and supplied the like article. The domestic industry has sold substantial volumes of the subject goods in both the domestic and the export market. A cumulative volume of ***MT has been sold by the domestic industry over the injury period.

145. The table below shows the quantities sold by the domestic industry to its major customers:

Name of Customers	Sales Volume (MT)			
	2020-21	2021-22	Apr'22-Jun23(A)	POI
ONGC Petro Additions Limited	***	***	***	***
Petrotech Chemica Private Limited Vapi	-	-	-	***
Yasho Industries Limited	-	-	***	***
Reliance Industries Limited	-	-	***	***
Kingfa Science & Technology (India) Ltd	-	-	***	***
Baerlocher India Additives Pvt Ltd.	-	-	***	***
Lubrizol India Pvt.Ltd	-	-	***	***
Supreme Petrochem Ltd	***	***	***	***
Environ Speciality Chemicals Pvt Ltd	-	-	***	***
Mangalore Refinery And Petrochemicals	-	-	-	***
RR Kabel Limited	-	***	***	***
Reagens India Polymer Additives Pvt Ltd	-	-	-	***
Petrotech Products India Pvt Ltd	***	***	***	***
Sterling Auxiliaries P. Ltd.	-	***	***	***
H.B. Fuller India Adhesives Private Ltd.	-	***	***	***

DDEV Plastiks Industries Limited	-	-	***	***
Tirupati Chemical Company	-	***	***	***
Chemvera Specialty Chemicals Pvt Ltd.	***	***	***	***
Galata Chemicals India Pvt Ltd	***	***	***	***
Indian Additives Limited	-	-	-	***
Valtris Specialty Chemicals Ltd	-	-	-	***
Mitsui Prime Advanced Composites India Pvt Ltd	-	***	***	***
Dirco Polymers Pvt Ltd	-	-	-	***

146. The applicant's increase in sales substantiates the acceptance of its product in the market. The Authority examined details of the customer-wise repeated sales submitted by the domestic industry. It is seen that a significant volume of sales was made to various parties over the injury period. Further, it is seen that the domestic industry has received repeat orders from multiple customers, including from the customer whose correspondence with the domestic industry has been submitted by the user association alleging quality issues. Hence, it is seen that despite raising concerns about product quality, the customers have continued to procure and use the goods produced by the domestic industry. Such continued procurement reinforces the credibility of the domestic industry's product and undermines the veracity of the alleged quality issues.

J. CAUSAL LINK BETWEEN DUMPING AND INJURY TO THE DOMESTIC INDUSTRY

147. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports:
- Even after the domestic industry began production, the volume of imports has not only remained high, but also increased. There was a significant increase in import volumes in absolute terms, especially in the POI. Imports remained significant in relative terms.
 - Imports have increased despite the domestic industry establishing sufficient capacities to meet the demand in the country and the domestic capacities lying unutilized. Imports have led to the gross underutilization of production capacities.
 - Subject imports have a suppressing effect on the prices of the domestic industry and have forced the domestic industry to sell at losses.
 - With the increase in imports, the performance of the domestic industry further deteriorated in respect of profits, cash profits and ROI.
 - Since the domestic industry commenced production during the injury period, the capacity, production, sales and capacity utilization increased. However, dumping has prevented optimum utilization of production capacities.

- f) Despite there being an increase in demand and the domestic industry having sufficient capacity to meet the increased demand, the subject imports predominantly hold the market. The market share of the domestic industry was merely 17%.
- g) Inventories with the domestic industry increased as the domestic industry has not been able to increase its sales in proportion to the movement in demand in view of presence of increased volume of dumped imports.
148. The Authority, thus, concludes that there exists a causal relation between the dumping of the subject goods and the material injury to the domestic industry.

K. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

149. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.
150. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

Producer/Exporter	PCNs	Volumes Exported MT	Non-Injurious Price	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin %	Injury Margin Range
China PR							
BASF Chemcials Co Ltd. China	A0168	***	***	***	***	***	0-10
	A1076	***	***	***	***	***	10-20
	Total	***	***	***	***	***	0-10
Rianlon Group	A0168	***	***	***	***	***	0-10
	A1010	***	***	***	***	(***)	(10-20)
	A1076	***	***	***	***	***	20-30
	A1098	***	***	***	***	***	(40-50)
	A1135	***	***	***	***	(***)	(0-10)

	BA 1098 and 168 in the ratio 1:2	***	***	***	***	(***)	(40-50)
	BA 1010 and 168 in the ratio 1:2	***	***	***	***	(***)	(0-10)
	BA 1010 and 168 in the ratio 1:1	***	***	***	***	(***)	(0-10)
	Total	***	***	***	***	(***)	(0-10)
Any other			***	***	***	***	25-35
Singapore							
BSEA Singapore	A0168	***	***	***	***	(***)	(0-10)
	A1010	***	***	***	***	***	20-30
	A1135	***	***	***	***	(***)	(0-10)
	BA 1010 and 168 in the ratio 1:1	***	***	***	***	(***)	(25-35)
	BA 1010 and 168 in the ratio 1:2	***	***	***	***	(***)	(0-10)
	Total	***	***	***	***	***	10-20
Any other			***	***	***	***	25-35

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

L.1 Views of other interested parties

151. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to public interest:

- i) The importer will not be able to switch suppliers in case of imposition of duty. The quality of imported products is premium. Further, the lead time is less.
- ii) There is no alternate source of supply of the PUC which can meet the Indian demand.
- iii) The domestic industry's products are still under evaluation and have not been fully approved due issues with whiteness index and hydrolytic stability, and problems like lump formation during storage.

- iv) Imports are unavoidable. Out of an approximate demand of ***MT, domestic supply accounts for about ***MT, while the remaining is met through imports. The reliance on imports is driven by supply constraints, superior product quality, and the comprehensive product range offered by international suppliers.
- v) Imposition of anti-dumping duties would disrupt and cause economic hardship to downstream sector, especially in plastic and petrochemical value chain, including a large number of MSMEs.
- vi) Duty would increase the costs of the user industry. ***% ADD would raise the average product price by ₹***per kg. Given that the downstream producers consume around ***MT of AO annually, would translate to an additional cost burden of ₹***Crores.
- vii) A significant number of polymer resin processing units rely on the subject goods to enhance product performance. These units collectively consume around *** MT of antioxidants annually, supporting a business volume of approximately 8,00,000 MT with net profit margins of about 12%. Their product is currently sold at Rs. ***/kg, while the average cost of Antioxidants is Rs***/kg. With a ***% ADD, the cost would rise to Rs. ***/kg. At a 1% dosing rate, this would increase the finished product cost by Rs. ***-***/kg. This cost escalation would reduce net profit margins from Rs. ***-***/kg to Rs. ***/kg, adding financial strain to businesses that already operate on tight margins.
- viii) Imposition of duties would not be in public interest, since even in absence of anti-dumping duties the applicant has registered growth. Further, demand supply gap necessitates imports.

L.2 Views of the domestic industry

152. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to public interest:

- i) The Applicant, the majority domestic producer of PUC, is facing significant losses solely due to dumped imports, preventing optimal use of its production facilities. Remedy in the form of anti-dumping duty is essential to ensure a level playing.
- ii) VOL is a multi-product company. Losses due to dumped subject imports have severely impacted the company's overall operations. The expected profits from this product could have boosted the company's profits by Rs. ***crores. However, without relief from dumping, the company faces the risk of shutting down production of Antioxidants.
- iii) It is in the interest of consumers to have a market with fairly priced products powered by a domestic industry that can compete with the imports.
- iv) As the dominant producer of the subject goods, the Applicant faces shutdown if dumping continues, leading to job losses and market dominance by foreign exporters. A remedy against dumping is crucial for the Applicant's survival and continued production.
- v) Encouraging domestic manufacturing activities in India is essential to aid its role in becoming a manufacturing powerhouse. Domestic production will further boost investment, employment and the GDP of the country.

- vi) The Applicant has a capacity of ***MT, exceeding the current demand of ***MT, yet imports are flooding the market at dumped prices. In fact, the volumes of imports have increased.
- vii) Even with mere utilisation of ***% of its capacity, the concerned business division of applicant alone directly employs nearly 300 individuals.
- viii) Producers from the subject countries prioritize maximizing revenue and may shift to other markets for better prices. A strong Indian industry ensures long-term market development while protecting consumer interests.
- ix) The Applicant invested Rs. *** crores in a plant with *** MT capacity, with additional funds for optimisation production. Due to dumped imports, the Applicant faces financial losses and risks a shutdown, rendering these investments unproductive and harming domestic manufacturing.
- x) VOL's manufacturing facility is one of the largest in Asia and the largest in India. The technology has been developed through in-house research investment, instead of being imported. It is backward integrated up-to two steps in the antioxidants value chain enabling it to be globally competitive and insulated from any supply chain disruptions. Allowing dumped imports to destroy efforts made by an Indian manufacturing entity, would seriously discourage similar placed players.
- xi) The product under consideration is predominantly used in the downstream industry producing plastics. Some usage is also seen in the rubber and lubricants industry. Subject goods constitute a small part of the cost in these industries and thus the possible impact of duties will also be negligible on these industries.
- xii) Quantification of cost on account of subject goods in the plastic industry would show that such cost is minuscule. The cost component of the subject goods in plastics is merely ***%.
- xiii) The assertion that the imposition of duties would cause economic hardship on MSMEs in the downstream industry is incorrect. The downstream users, including the members of the participating user association, are primarily enterprises in the plastic and petrochemical industry, including PSUs, large private corporations, and multinationals such as GAIL, Indian Oil, Reliance, Haldia Petrochemicals, OPAL, and others. None of these companies are MSMEs. Further, the duties would have only a minimal impact.
- xiv) The price of plastics, on an average, is approximately ₹***/kg. If subject goods priced at ₹***/kg, and subject to ***% ADD, the price would rise to ₹***/kg. Given an dosage of 1000 ppm, the cost impact on plastic production is just ₹***/kg.
- xv) The user association has estimated that the duty would increase product costs by ₹1.5–₹3.5/kg, reducing profit margins from ₹15–₹25/kg to ₹5–₹15/kg. However, this claim appears exaggerated. It is not understood how such a minor cost increase would result in a such high drop in profit margins.

L.3 Examination by the Authority

153. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to remedy the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition of anti-dumping

measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, antidumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.

154. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. Information was sought on, *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, effect of anti-dumping duty on the consumers, etc.
155. At the foremost, it is seen that the domestic industry has an installed capacity of ***MT as against a demand of approximately ***MT. The other interested parties have argued that with growing demand, the applicant's capacity may no longer remain sufficient. However, it is seen that there is no demand supply gap in the country. However, the domestic industry was only able to utilize merely a quarter of such capacity. In any case, demand supply gap does not justify dumping. Even if the demand surpasses domestic capacity, imports can continue to enter the country at fair prices.
156. The Authority notes that the response to the Economic Interest Questionnaire was furnished by the domestic industry, the BASF Group of exporters and, CPMA i.e., the user association. No other interested party has cooperated with the Authority and furnished a response to the Economic Interest Questionnaire.
157. The domestic industry has quantified the cost and the impact of cost on account of the subject goods on the cost of the plastics industry. It is seen that the cost on account of AO in production of plastics is minuscule. Hence, the impact of duties would be negligible.

Particulars	Unit	
Cost of production of plastics	Range (Rs/ Kg)	100 - 200
Average cost of production of plastics	Rs/Kg	150
Dosage of AO in plastic production	PPM	1000
Quantity of AO consumed	Kg	0.001
Price of AO	Rs/MT	***
Price of AO	Rs/Kg	***
Price of AO consumed	Rs	***
Cost component of AO in plastic	%	0-0.1

158. As regards the argument by the other interested parties that an additional financial burden of approximately ₹30–50 crores on the user industry would be added by imposition of duties, the domestic industry has submitted that, on an average, the prices of PP, LDPE, LLDPE, HDPE are hovering between 85 to 90 Rs/kg and a duty of ***% on antioxidants priced at ₹300/kg, with a 1000 ppm dosage, would increase the product price by just 3 paise/kg. Thus, it is seen that the claimed annual burden of ₹30-50 crores equates to a minimal price impact.
159. The user association has further argued that the imposition of duty would increase costs significantly, reducing net profit margins for polymer resin processing units. However, the domestic industry has countered this by noting the inconsistency in the claims stating that it is unclear as to how an alleged price increase of Rs. (1.5-3.5)/ kg would lead to a decrease of Rs. (15-25)/ kg to Rs. (5-15)/ kg. It is seen that the estimated impact on the downstream industries as analysed by the other interested parties is overstated.
160. The subject goods, is not a raw material and is used as stabiliser, remove impurities in the polymer, make them durable and with high wear and tear capacity. The Authority also notes the submissions made by the domestic industry, wherein it has been highlighted that, although integral, the subject goods constitute only a small component in the cost of plastics. Thus, they are not a major cost to the plastics or polymer industry. Further, if the impact is determined on the further downstream product, the impact would be minuscule indeed.
161. The Authority notes that prior to the establishment of the plant by the domestic industry, India was almost entirely dependent on imports of the subject goods. The domestic industry has significantly invested in the plant to manufacture the subject goods and make India self-reliant. The domestic industry has emphasized that if the dumping from the subject countries continues, the domestic industry will have no option but to permanently shut down its operations.
162. The Authority further notes that the imposition of anti-dumping duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The imposition of duty would, therefore, not affect the availability of the product. In any case, the capacity of the domestic industry is more than the demand in India, thereby ensuring that there remains sufficient supply in the country.
163. The Authority notes that while the subject imports constitute 79% of the imports into the country, the subject goods are being imported from other countries such as Korea RP. Thus, consumers have the option to source the subject goods not only from the domestic industry but also from alternative international suppliers.
164. The Authority also notes that significant investment has been made by the domestic industry in this product. Further, the domestic industry has invested in in-house research and developed its own manufacturing technology, in order to set up a plant. However, the domestic industry is suffering significant losses in this product, and the overall performance of the applicant company has been adversely impacted due to injury in its business of the subject goods. The

domestic industry is having high losses, which poses threat to the viability of the investments made.

165. As regards duties not being necessary as the domestic industry has witnessed growth, as noted above, the applicant is a new entrant in the market. Hence its performance has shown improvement over the injury period. The improvement in performance does not negate the fact that the subject goods are not being dumped into the country.

M. POST DISCLOSURE COMMENTS

M.1 Views of the other interested parties

166. The following comments were submitted by the other interested parties with regard to the disclosure statement:

- i) Rianlon has apprehended that the users will face significant issues at the time of the custom clearance on account of imposition of duty on only a portion of the value of a product under clause (g). The Authority may outline a detailed and informative guideline for customs authority on the method to implement the imposition of duty. The Authority may outline that values of subject and non-subject antioxidant will be computed based on declared prices of individual components with the ratio of volumes of the said components.
- ii) The disclosure statement mistakenly states that no direct exports to India were made by Rianlon Corporation. However, there is one chain of direct exports made by Rianlon Corporation to India. The same may be added in the relevant section.
- iii) The export quantity, export price and landed price submitted by Rianlon in its calculations have not been considered. There is a difference between the claim and the confidential data shared by the Authority. The Authority may either correct the errors or indicate the reasons for such changes.
- iv) Margin may be determined for AOB2777. Rianlon shared the volume of different constituents of this blend because the instruction regarding sharing of ‘values’ was unclear as a single invoice value is declared in the commercial invoice without indicating the breakup. The exporters do not have any data of value break up. It was unclear if the Authority wanted the cost of individual constituents.
- v) Inclusion of the blends (a) to (e) and blends of anti-oxidants with any other products is inconsistent with the practice of the Authority as well as various judicial pronouncements. It has been the consistent approach to only include those products in the ambit of the PUC, which are actually manufactured and sold by the applicant in the POI.
- vi) As per the initiation notification, only AOs which use metilox as base raw material are subject to the present investigation. Hence, AOs not using metilox as base raw materials are not subject to the present investigation. However, in the Disclosure Statement reference is made to the General Rules for the Interpretation of the Harmonized System, which states that in the case of mixtures, the classification shall be based on the component that gives the product its essential character. It has been noted that such reference is relied on to highlight the importance of identifying the essential character of a product. It is not clarified in the

- disclosure statement whether the applicant manufactures AO-168 using 2,4 DTBP or 2,6 DTBP or metilox. Hence, AO-168 may be excluded from the investigation scope as AO168 manufactured using metilox is commercially and technically different from AO-168 manufactured using other raw materials i.e., the essential character is totally different.
- vii) Authority's practice is to seek information from the other domestic producers and the concerned line Ministries. However, it appears that no such process has been followed. The applicant is bound to face resistance in acquiring market share since the other producers have already been in existence. With an ill-intent of demonstrating injury, the applicant, kept out other producers from the scope of the Domestic Industry. Further, it claimed that HPL's production for export market be ignored, which is not consistent with the law and Authority's practice. Therefore, the Authority may carry out its own analysis and pass a speaking order upfront of this issue.
- viii) It emerges that both material injury and material retardation are proposed at para 92 of the disclosure statement. However, both are mutually exclusive concepts. Further, no case for material retardation is made out as HPL has been in production since 2009. Material retardation finding is required to be made against establishment of an "industry" and not a particular producer.
- ix) As per the Trade Notice No. 2/2004, the application is required to contain information for POI and previous three financial years. The applicant has provided information for FY 2020-21, FY 2021-2022, April 2022- June 2023 (15 months), July 2023-June 2024 (9 months). The trade notice has been violated by taking 15 months as the preceding year. Authority does not have the liberty to deviate the prescribed procedure. The present investigation is premised on faulty initiation notification, and may be terminated or the Authority may pass an order either accepting or rejecting our objections.
- x) Since the data provided by the Applicant in the application is not in terms of the Trade Notice, the respondent is not in a position to offer its comments on the issues of injury and causal link. By making the immediately preceding year a period of 15 months a misleading picture of dumping and injury has been crafted.
- xi) BASF wrote a letter apprising Authority of the violations of trade notice 10/2018. However, did not receive any communication nor was any direction issued to the applicant. The Authority has deviated from the Trade Notice by accepting an application which is not in terms of the mandatory preconditions notified to the interested parties for taking on record confidential submissions.
- xii) Public information such as scheme of amalgamation and NCLT order have been kept confidential without assigning any reason.
- xiii) It appears from the trailing mails of the mails received from the Authority that the applicant has filed various submissions for which no NCV was provided. The communication from Authority stated that there is a need for quarter-wise margins in view of significant difference in the cost and price. However, no information was provided to substantiate such claim.
- xiv) The entire annexures of the updated data were kept by the applicants without providing any meaningful summary of such annexures.

- xv) The applicant is being considered as the producer of subject goods from April 2021 on account of merger. However, in the base year i.e. 2020-2021, the applicant was not a producer. Therefore, the injury information is not correct and cannot be considered.
- xvi) The period from April 2020 till the declaration of commercial production was impacted by product properties & specifications issues as well as Covid-19. Considering 20-21 and 21-22 in the injury period will lead to absurdity.

M.2 Views of the domestic industry

167. The following comments were submitted by the domestic industry with regard to the disclosure statement:

- i) Composition of blends is known and can be easily replicated by physical mixing of components. It does not result in a chemical reaction, and does not produce a new substance. Therefore, no new CAS number is generated for the blend as can also be seen from the technical data sheet (TDS) sheets of the applicant and the respondents.
- ii) Users invariably use a combination of antioxidants and are well aware of the composition of the blend which is declared in the TDS sheet and the certificate of analysis (COA). If any of the blends are excluded it may lead to the importers to switch to importing a blend of the required AOs instead of buying neat AOs separately and using them in a combination.
- iii) The interested parties have referred to a communication with the user which shows rejection of material sold. However, the interested party has provided only partial information due to malafide intentions. It may be noted that the complaint received was redressed and not only was substitute material provided but also the user placed subsequent orders for significant volumes.
- iv) Despite clear instructions by the Authority to identify the value of other components forming part of the blend and provide appropriate evidence to support their claim, the interested parties have not complied. Non-compliance of the instructions by the respondents warrants rejection of response.
- v) The Authority is requested to impose ad valorem form of anti-dumping duty since the product under consideration involves many types of antioxidants and blends that have considerable variances in associated costs and prices. Imposition of average duty on higher priced PCNs will lead to low incidence on some product types and high on others.

M.3 Examination by the Authority

168. The Authority has examined the post disclosure comments made by the interested parties. It is noted that comments which are reiterations and have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paras of the final findings, are not being repeated in the post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity. The issues raised for the first time in the post-disclosure examination by the interested parties and considered relevant by the Authority have been examined as under:

- a) The Authority notes the concern raised by the exporter regarding potential difficulties at the time of customs clearance in cases where anti-dumping duty is applicable only on a portion of the value of a blend under clause (g). It is clarified that the scope of the investigation covers only the subject antioxidants contained in such blends, and the non-subject components remain outside the scope of the present proceedings. Consequently, the duty, if imposed, would be restricted exclusively to the value attributable to the subject antioxidant. For the cases falling under clause (g), the importer will provide relevant information to the satisfaction of the Custom Authorities to ascertain the value of the subject goods. The Authority does not consider that providing relevant information is difficult for the importer and such an assessment is difficult or impractical for the customs authorities. The Authority considers in this regard that injury to the domestic industry cannot be ignored, particularly when permitting imports of an antioxidant with predominant subject antioxidant with minor non subject antioxidant can frustrate the entire purpose for which the ADD is being recommended.
- b) As regards direct exports by Rianlon Corporation, it is noted that Rianlon Corporation of the Rianlon Group is a producer of the subject goods in China PR. It has directly exported to India *** MT of the subject goods produced by itself. It has also exported *** MT of the subject goods through Rianlon Technology (trader). Further, Rianlon Corporation has also exported to India goods purchased from a related producer Rianlon (Zhongwei) New Material Co. Ltd. The channel of trade has duly been noted in the relevant section of this finding.
- c) It has been submitted by the Rianlon Group that there is a discrepancy between the export quantity reported by the exporter and those considered by the Authority. However, the producer/exporter clarified that '*in one of the cases, the invoice numbers differ between RC sales to RT and RT's final exports to India of the imported PUC. This invoice had to be manually mapped. In another set of cases, the manual mapping was necessary because when RC sold imported PUC to RT, the transaction may be recorded under two invoice numbers, whereas when RT exported the same PUC to the Indian customer it was under a single invoice number*'. Accordingly, the response was re-examined. The Rianlon Group exported a total of *** MT of the subject goods to India. Out of this, *** MT of the material had been imported by Rianlon and then exported to India, while the remaining *** MT was material produced by Rianlon and exported to India. Accordingly, the remaining *** MT has been taken into consideration by the Authority as Rianlon's export volume. The same has been updated in the dumping and injury margin tables above. There is no material change in the overall dumping or injury margins for the Rianlon Group.
- d) As regards the discrepancy between the export price and the landed value claimed by the exporter and those considered by the Authority, it is observed that the difference arises from the manner in which adjustments for ocean freight and insurance have been made. It is noted that Rianlon Technology claimed adjustments on account of ocean freight and insurance at PCN level for exports made on a CIF, CFR, or C&F basis. However, the Authority considered it appropriate to make such adjustments on an overall/average basis.

- e) As regards Rianlon not reporting the value of the non-subject component of the blend B2777, i.e., a blend falling under clause (g) of the PUC definition, on the ground that the instructions regarding reporting of “values” were unclear, the Authority considers that the reasons given by the exporter are insufficient and cannot be accepted. The exporter was free to seek clarification from the Authority on the meaning of “value” and provide information that was available with it and that could reasonably be extracted from its records. The Authority notes that the exporter made several submissions during the course of the investigation, but did not, at any stage, raise any query or seek clarification or considered it necessary to provide relevant information on how the value of the components of the blend could be reported. In any case, considering the low volume of such blends sold by the exporters, the Authority has considered it appropriate to exclude such sales from determining dumping and injury margin.
- f) It has been contended that inclusion of the blends under clauses (f) and (g) of the PUC definition is inconsistent with the established practice of the Authority and various judicial pronouncements, on the ground that only those products which are actually manufactured and sold by the applicant during the POI ought to be included in the ambit of the PUC. At the same time, the domestic industry has submitted that users invariably use a combination/blend of antioxidants, the composition of which is well known and can easily be replicated by physically mixing their constituent components. As already noted, exclusion of blends from the PUC scope would create a clear risk of avoidance of duties, since importers could simply switch to importing blends rather than neat antioxidants separately. Such an outcome would undermine the very objective of the present investigation, as it would render the duties ineffective, failing to provide any meaningful remedy to the domestic industry.
- g) The exporter has reiterated its argument that AO-168 should be excluded from the scope of the PUC as it does not use metilox as the base raw material. It has pointed out that the Disclosure Statement refers to the General Rules for the Interpretation of the Harmonized System, which state that in the case of mixtures, the classification shall be based on the component that gives the product its “essential character”. However, it is not clarified in the disclosure statement whether the applicant manufactures AO-168 using 2,4 DTBP or 2,6 DTBP or metilox. Exclusion of AO-168 has been argued on the ground that initiation notification includes PUC which is produced using metilox as the base raw material and AO168 does not use metilox as the base raw material.
- h) It is noted that the applicant had included AO 168 within the scope of the product under consideration in the application, and this was expressly mentioned in the initiation notification. Further, Upon receiving comments of the interested parties on the scope of PUC and PCN methodology, the applicant through its submission clarified that there was a factual error in the application which may be corrected and instead read as “While AO 1010, AO 1076, AO 1098 & L135 use 2,6 DTBP and AO168 uses 2,4 DTBP as raw material, the major differences lie in the additional raw materials specific to each antioxidant type and the distinct process conditions tailored for each antioxidant”. Therefore, it is evident that

antioxidants utilize butyl phenols, either 2,4-DTBP or 2,6-DTBP, as key raw materials. Among these, 2,6-DTBP is further processed into an intermediate product called Metilox, which is then used in the final production of antioxidants such as AO 1010, AO 1076, AO 1098, and L135.

- i) The Authority notes that the purpose of seeking comments on PUC/PCN is to allow interested parties, including the domestic industry, to clarify or seek clarification on the scope of the PUC and the PCN methodology that should be considered by the Authority. Based on the submissions made by various interested parties, the Authority further clarified in the *Final PUC/PCN Methodology* notice dated 11th December 2024, where the Authority has amply clarified that the AO 168 is part of the product under consideration. The interested parties cannot contend that the Authority cannot clarify appropriately the scope of the PUC for which the application was filed, for which the data/information has been provided and which shall be considered for eventual imposition of duty.
- j) As already noted in this finding, the interested party has incorrectly understood that raw material is the only parameter based on which the Authority has considered the different product types as one PUC. It is further emphasised that subject antioxidants, regardless of their composition, are primarily employed as additives in plastic formulations, serving a common purpose. The production equipment, the production process and the resultant characteristics are largely the same. All subject antioxidants are closely interlinked in trade and usage. The essential function of the subject antioxidants, including AO168, is to act as stabilizers, preventing degradation of polymers during processing and throughout the product life cycle. While the specific composition and properties of these antioxidants may differ, the fundamental role across these antioxidants remains the same, i.e., to prevent oxidation/ degradation of plastics.
- k) The other parties argued that the Authority should carry out its own analysis on the issue of eligibility of the applicant. As noted earlier, the Authority published the initiation notification in the official Gazette and on the DGTR website, where in the constituents of Indian industry and submission by the applicant on the status of other known producers were highlighted. Further, the applicant has brought on record repeated attempts made by them to approach the other domestic producers (a) prior to initiation (b) after initiation (c) prior to the oral hearing conducted. While the Authority received production information from Krishna Antioxidants Pvt Ltd with its letter in support of the investigation, no information was received from HPL Additives. It is noted that the domestic industry claimed that HPL Additives primarily produces against export orders and argued that such production meant for export should not be considered for determining the scope of the domestic industry. However, the Authority considered the best information available to it to determine the share of the applicant in the total Indian production considering the “gross production” of the Indian producers including the production by HPL Additives meant for export. Thus, the Indian production and share of the applicant in the Indian production includes production meant for exports by HPL Additives.

- l) As regards the argument that both material injury and material retardation have been proposed to be considered while the two are mutually exclusive concepts, it is noted that the domestic industry is a new producer. However, it has a history of operation since the base year and has information available for the entirety of the injury period. Thus, the Authority has examined material injury to the domestic industry.
- m) The contention that the Applicant's data is not in conformity with Trade Notice 2/2004, thereby preventing the respondents from offering meaningful comments on injury and causal link, is misplaced. It has been argued that the period prior to POI is a period of 15 months as against a prescribed financial year. Authority notes that para 2(ii) of the said trade notice states as follows:

"Application should invariably contain information and data relating to the proposed period of investigation (POI) and previous three financial years. There should be no gap but there can be overlap between the POI and the previous financial years. The data for previous three years would be utilized for trend analysis for determination of injury."

- n) It is seen that the years prior to the POI include information for three financial years as mandated by the trade notice. Further, the POI starts from July 2023 and thus excludes the first quarter of financial year 2023-24, i.e., April 23 to June 23, which has been included in the year prior to the POI, having regard to fact that the applicant is a new producer impacted by issues pertaining to product specification and approvals from customers. The applicant had alleged injury solely on account of dumped imports from July 2023 onwards. Further, had the applicant considered 2020-21, 2021-22, 2022-23, Apr'23-Jun'23 as the preceding year it would have resulted in the immediately preceding year to the period of investigation to be of only 3 months and the same would have distorted the entire analysis. If the period Apr'23-Jun'23 had been excluded, it would have resulted in gap over the injury period. Accordingly, the inclusion of April 2023 to June 2023 in the period immediately prior to the POI ensures that there is no gap in the injury period, in line with the stipulation contained in Trade Notice 2/2004, which provides that there should be no gap between the POI and the preceding financial years, though there may be an overlap. There have been several investigations in past which considered 15 months as a period prior to the POI such as the investigation on "Acrylonitrile Butadiene Rubber" from China PR, European Union, Japan and Russia (F. No. 6/18/2020-DGTR) and "Color coated/ pre-painted flat products of alloy or non-alloy steel" from China PR and European Union, as well.
- o) With respect to the contention regarding the applicant claiming confidentiality over the scheme of amalgamation and NCLT order approving the merger between Vinati Organics Limited and Veeral Additives Private Limited, it is noted that the documents were not a part of the confidential version of the application and hence also not annexed with the non-confidential version. It is also noted that the applicant furnished a copy of the approval order of the NCLT with its confidential and non-confidential version of the written submission filed post oral hearing.

- p) It has been argued that the applicant did not provide any indexed information to substantiate the need for determination of quarter-wise margins due to significant difference in the cost and price. The Authority duly noted the submissions of the interested parties and decided to not accept the request of the domestic industry. It is noted that the data on record does not justify a need for determination of quarter-wise margins.
- q) As regards the applicant not providing a summary of annexures with the updated data, it is seen that the applicant updated the application and annexures for the POI considered by the Authority i.e., a period from June 2023 to July 2024 (12 months), and circulated a non-confidential version of the same adequately providing opportunity to the interested parties to offer meaningful comments based on it.
- r) It has been argued that the injury information cannot be relied upon since the applicant can be considered a producer of the subject goods only after its merger with VAPL in 2021-22, whereas the base year considered is 2020-21. In this regard, it is noted that VAPL had set up the plant and commenced production in the base year. Following the merger, VAPL ceased to have any separate legal existence and hence it is not feasible for it to participate in the present investigation. However, the applicant has been in possession of VAPL's records from the pre-merger period as well. The applicant is therefore in a position to provide information covering the entire injury period, including the base year.
- s) While the argument that the inclusion of 2020-21 and 2021-22 in the injury period would lead to an absurd result as it was affected by product specification and Covid-19 pandemic related issues has already been addressed by the Authority in this finding, it is noted that the injury period is generally a period including the POI and three years immediately preceding the POI, unless the applicant has been in existence for a shorter duration i.e., in cases of material retardation where the industry itself has been operational for a lesser period. In the present case, production commenced in April 2020. Since sufficient data is available, the Authority has considered inclusion of 3 years prior to the POI within the injury period, as this provides a complete and consistent picture of the industry's performance and ensures a fair assessment of material injury. Further, the applicant's performance has been normated to take into account its new establishment.
- t) As regards recommending ad valorem form of duty, it is noted that sufficient grounds have not been established justifying such form of duty. Further, since the scope of PUC includes blends of subject and non-subject antioxidants it is not considered appropriate to recommend ad valorem form of duty.

N. **CONCLUSION AND RECOMMENDATION**

169. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- a) The product under consideration is certain types of Antioxidants conforming to the following CAS number or their equivalent:
- 6683-19-8 also known as Antioxidant 1010 and its equivalents. *The chemical name is Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate)*
 - 2082-79-3 also known as Antioxidant 1076 and its equivalents. *The chemical name is Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate*
 - 31570-04-4 also known as Antioxidant 168 and its equivalents. *The chemical name is Tris(2,4-di-tert butylphenyl) phosphite*
 - 23128-74-7 also known as Antioxidant 1098 and its equivalents. *The chemical name is N,N'-hexane-1,6-diylbis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionamide))*
 - 125643-61-0 also known as Antioxidant L135 or 1135 its equivalents. *The chemical name is Benzenepropanoic acid, 3,5-bis (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy, C7-9-branched alkyl esters*
 - Blends of antioxidants referred to in (a) to (e)
 - Blends of subject antioxidants referred to at (a) to (e) with any other product if the resultant blend has 50% or more of the subject antioxidant. Only the subject antioxidant of such blend is covered by the scope of this investigation.
- b) The subject goods are imported under customs subheadings 29054290, 29071990, 29072990, 29181990, 29182910, 29182990, 29183090, 29189990, 29202100, 29202910, 29202930, 29202990, 29209000, 29242990, 29309099, 29336990, 38112900, 38119000, 38123910 and 38123990 of the Customs Tariff Act 1975. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
- c) The Authority provided opportunity to the interested parties to provide relevant information and thereafter held interactions with the interested parties to decide the scope of PUC and notify appropriate PCN methodology. The Authority notified PCN methodology on the basis of product attributes informed by various interested parties and notified the scope of the PUC and the proposed PCN to the interested parties.
- d) The goods produced by the domestic industry are “like article” to the subject goods being imported from the subject country in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules.
- e) The application for initiation of the anti-dumping investigation against the imports of the subject goods from China PR and Singapore was filed by Vinati Organics Ltd. The applicant constituted domestic industry within the meaning of the Rules.
- f) Trial production of the subject goods was initially commenced by Veeral Additives Pvt. Ltd. (VAPL) in April 2020. A merger between VAPL and VOL was implemented retrospectively from April 2021. All activities previously carried out by VAPL are now considered to have been undertaken by VOL. VAPL has ceased to have existence and all its activities and operations were taken over by VOL.
- g) The applicant has been in operation and has produced and sold the subject goods since 2020, i.e., the base year of the injury period. However, the applicant commercialised its production in October 2022.
- h) Apart from the applicant, there are two other producers of the subject goods in India, viz., Krishna Antioxidants Pvt. Ltd. and HPL Additives Ltd.

- i) The total Indian production has been determined considering actual information submitted by Krishna Antioxidants Pvt Ltd and in absence of any communication from HPL Additives Ltd, best information available on its gross production.
- j) Based on information on record, the Authority has determined that the production by the applicant constituted a major proportion of total or gross Indian production without ignoring production of HPL Additives meant for exports. The Authority has therefore determined that the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application met the criteria of standing as per Rule 5(3).
- k) BASF Group and Rianlon Group, from the subject countries, registered themselves in the present investigation and filed response to the prescribed exporter's questionnaire. The Authority has determined dumping margin and injury margin based on the questionnaire response filed by these entities.
- l) Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from the subject countries is positive, more than de minimis and significant.
- m) The Authority has considered it is appropriate to cumulatively assess the effect of dumped imports of the subject goods from China PR and Singapore on the domestic industry.
- n) The present case is that of material injury to the domestic industry in India where the domestic industry is a new producer who commenced production in base year and has sufficient data for the entire injury period.
- o) The demand for subject goods has increased over the injury period. There has been an increase of 48% in demand, from the base year to the POI. In comparison to the previous year, the demand in the POI increased by over 35%.
- p) While the imports should have declined with the applicant setting up capacities sufficient enough to meet the demand in the country, imports from the subject country have increased. The increase in the volume of subject imports was significant in the POI despite there being unutilized capacities with the domestic industry. The volume of imports from the subject country constitutes almost 80% of the total volume of imports of the subject goods into the country.
- q) The volume of subject imports in relation to consumption is significant. Considering that the applicant is a new producer, whose volume of production has increased through the injury period with an increase in demand, the volume of imports in relation Indian production has decreased over the injury period. However, imports in relative terms continue to remain significant.
- r) Analysis of import price and prices of the domestic industry show that the price undercutting is negative. The domestic industry, being a new producer, in order to sell the material had to offer prices slightly lower than imports and had to follow the movement of the landed price of imports.
- s) Despite the increase in selling price, the domestic industry is selling at prices lower than cost of production. The subject imports are priced even below cost of production of domestic industry. The import price of the subject goods has forced the domestic industry to lower its prices. The subject imports have suppressed the prices of the domestic industry.
- t) As regards the effect of such dumped imports on the economic parameters of the domestic industry, the Authority has reached the following conclusion:
 - a. The capacities with the domestic industry were grossly unutilized.

- b. The domestic industry commenced production in April 2020. Consequently, the production and sales of the domestic industry witnessed an increase. However, both production and sales are materially below what could have been achieved, considering the demand in the country and capacity with the domestic industry.
 - c. While the market share of the domestic industry in demand has increased over the injury period, subject imports capture majority of the domestic demand. The domestic industry barely holds a low share of *** % in the Indian market. This is despite the domestic industry holding sufficient capacity to meet the entire demand in the country.
 - d. The domestic industry was able to sell the present volumes only after a significant compromise on the prices. Its product was priced at a price materially below the cost of production. Consequently, the domestic industry suffered significant financial losses.
 - e. Despite an increase in demand, the level of inventory with the domestic industry has increased with an increase in the volume of subject imports in the POI.
- u) The domestic industry has suffered material injury.
 - v) Considering the non-injurious price determined by the Authority and landed price of imports, it is seen that the injury margin is significant.
 - w) Non-attribution analysis shows that no other factor has caused injury to the domestic industry, and it has suffered material injury as a result of the dumped imports.
170. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, and considering significant financial losses, cash losses, negative return on investments and gross underutilisation of production capacities, low market share of the domestic industry, the Authority is of the view that imposition of antidumping duty is necessary to offset dumping causing injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
171. Having regard to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of antidumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority considers it necessary and recommends imposition of the antidumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, for a period of 5 years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table appended below.

Duty table

SN	Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	UoM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	29054290, 29071990, 29072990, 29181990, 29182910, 29182990, 29183090, 29189990, 29202100, 29202910, 29202930, 29202990, 29209000, 29242990, 29309099, 29336990, 38112900, 38119000, 38123910 and 38123990*	Certain Antioxidants**	China PR	Any country including China PR	BASF Chemicals Company Limited	280	MT	USD
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Rianlon Corporation, Rianlon (ZhongWei) New Material Co. Ltd, Rianlon (ZhuHai) New Material Co. Ltd.	NIL	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any, other than S.No. 1 to 2	761	MT	USD
4	-do-	-do-	Any country other than China PR and Singapore	China PR	Any	761	MT	USD
5	-do-	-do-	Singapore	Any country including Singapore	BASF South East Asia Pte Ltd.	562	MT	USD
6	-do-	-do-	Singapore	Any country including Singapore	Any, other than S.No. 5	868	MT	USD
7	-do-	-do-	Any country other than China PR and Singapore	Singapore	Any	868	MT	USD

*Tariff Classification is indicative only.

***The scope of the product under consideration is certain types of Antioxidants conforming to the following CAS numbers or their equivalent:*

- a) 6683-19-8 also known as Antioxidant 1010 and its equivalents. The chemical name is Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate)
- b) 2082-79-3 also known as Antioxidant 1076 and its equivalents. The chemical name is Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate.
- c) 31570-04-4 also known as Antioxidant 168 and its equivalents. The chemical name is Tris(2,4-di-tert butylphenyl) phosphite.
- d) 23128-74-7 also known as Antioxidant 1098 and its equivalents. The chemical name is N,N'-hexane-1,6-diylbis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl-propionamide))
- e) 125643-61-0 also known as Antioxidant L135 or 1135 its equivalents. The chemical name is Benzenepropanoic acid, 3,5-bis (1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy, C7-9-branched alkyl esters
- f) Blends of subject antioxidants referred to at (a) to (e)
- g) Blends of subject antioxidants referred to at (a) to (e) with any other product if the resultant blend has 50% or more of the subject antioxidants. **Only the subject antioxidant of such blend is covered by the scope of this investigation.**

O. FURTHER PROCEDURE

172. An appeal against the determination of the Authority in these final findings shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority